एकादश माला खंड 15, अंक 1

बुधवार, 23 जुलाई, 1997

1 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 23 जुलाई, 1997/1 श्रावण, 1919 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(III)	1	सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार	सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची
(IV)	7	कुरियन प्रो॰ पी॰के॰	कुरियन, प्रो॰ पी॰के॰
(IV)	22	सरवार, श्री घनश्याम चन्द्र	सरवार, श्री घनश्याम चन्द्र
(VI)	11	दीवार, श्री पवन	दीवान, श्री पवन
(VIII)	1	मुख्डा, श्री काड़िया	मुण्डा, श्री कड़िया
24	2	आवा	आवास
31	17	कम्प्यूरीकरण	कम्प्यूटरीकरण
209	नीचे से 12	घोषण	घोष्णा
223	नीचे से 16	रोग	रोक
224	19	कुमार पिड्डा तोपनो	कुमारी पिड्डा तोपनो
341	3	सभापित महोदय	सभापति महोदय
358	पाद टिप्पण	कार्यवाही	कार्यवाही वृत्तान्त

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)

अंक 1, बुधवार, 23 जुलाई, 1997/1 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	iii-xi
लोक सभा के पदाधिकारी	xiii
मंत्रिपरिषद	xv-xvi
राष्ट्रगान - धुन बजाई गई	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1
निधन संबंधी उल्लेख	2-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	9-41
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 214	41-330
सभा पटल पर रखे गए पत्र	348-349
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मुम्बई में डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किया जाना और पुलिस द्वारा गोलीबारी किया जाना श्री इन्द्रजीत गुप्त	349-358
मध्य प्रदेश में भूकंप	359-366
नियम 377 के अधीन मामले	366-368
(एक) मध्य प्रदेश में रतलाम रेलवे स्टेशन पर "रैक पाइंट" सुविधा बनाए रखने की आवश्यकता डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	366
(दो) उत्तर प्रदेश में आगरा और निकटवर्ती जिलों में दूर संचार विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर".	366-367
(तीन) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में नवीनगर विद्युत परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने की आवश्यकता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह.	367

विषय		कॉलम
(चार)	केरल में एक नया पश्चिमी तट रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता श्री ए॰ सम्पत.	367-368
(पांच)	तमिलनाडु के सेलम जिले में इडापाडी ग्राम में जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक सम्पर्क सड़क का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता श्री के॰ कंडासामी	368
(छः)	दिल्ली-बरेली-लखनऊ के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता श्री संतोष कुमार गंगवार.	368
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक		370-390
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	370-371
	श्री निर्मल कांति चटर्जी.	372-374
	प्रो॰ रासा सिंह रावत.	374-378
	श्री रमेन्द्र कुमार.	378-380
	श्री इलियास आजमी.	381
	श्री आर॰ एस॰ पी॰ वर्मा.	381-383
	श्री पी॰ चिदम्बरम.	383-390
खंड 2 और 1		390
पारित करने के लिए प्रस्ताव		390
डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना) विधेयक		391-416
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन.	391-392
	प्रो॰ रासा सिंह रावत.	392-295
	श्री जार्ज फर्नान्डीज.	396-402
	श्री थावरचंद गेहलोत.	402-404
	श्री सत्य पाल जैन.	404-406
	श्री गिरधारी लाल भार्गव.	406-408
	श्री हन्नान मोल्लाह.	408
खंड 2 से 4 और 1		416
पारित करने के लिए प्रस्ताव		416

सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार
ग्यारहवीं लोक सभा

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक-दिल्ली)

अजय कुमार, श्री एस॰ (ओट्टापलम)

अडईकलराज, श्री एल॰ (तिरूचिरापल्ली)

अडसूल, श्री आनन्द राव विठोबा (बुलढाना)

अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान (कुलाबा)

अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनंत, श्री वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अनीस, श्री मुखतार (सीतापुर)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अरूणाचलम, श्री एम॰ (तेनकाशी)

अलागिरी, श्री सामी वी॰ (शिवकाशी)

अली, श्री मोहम्मद इदरीस (जंगीपुर)

अलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

अलेमाओ, श्री चर्चिल (मारमागाओ)

अवैद्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

अहमद, श्री ई॰ (मंजेरी)

अहमद, श्री एम॰ कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहीर, श्री हंसराज (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आज़मी, श्री इलियास (शाहबाद)

अठावले, श्री नारायण (मुम्बई उत्तर मध्य)

आदित्यन, श्री आर॰ धनुषकोडी (तिरूचेंदूर)

आवाडे, श्री कल्लप्पा (इचलकरांजी)

इ

इमचा, श्री (नागालैण्ड)

इस्लाम, श्री कमरुल (गुलबर्गा)

इस्लाम, श्री नुरूल (घूबरी)

इस्लेरी, श्री लुई (कोकराझार)

उ

उद्‌यप्पन, श्री एस॰ पी॰ (रामनाथपुरम)

उपेन्द्र, श्री पी॰ (विजयवाड़ा)

उबोक, श्री मेजर सिंह (तरनतारन)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्री ललित (लोहारदगा)

ओ

ओ ब्रायन, श्री नील एलायसियस (नामनिर्दिष्ट)

ओला, श्री शीश पाल (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कंडासामी, श्री के॰ (रसिपुरम)

कंडासामी श्री वी॰ (पोल्लाची)

कटियार, श्री विनय (फैज़ाबाद)

कथीरिया, डॉ॰ वल्लभ भाई (राजकोट)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोडिया, श्री महेश कुमार एम॰ (पाटन)

कनौजिया, श्री जी॰ एल॰ (खीरी)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कर्मा, श्री महेन्द्र (बस्तर)

कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे)

कांशी राम, श्री (होशियारपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठल राव (उस्मानाबाद)

कामसन, पो॰ एम॰ (बाह्य मणिपुर)

कार, श्री गुलाम रसूल (बारामूला)

कारवेंद्यन, श्री एस० के० (पलानी)
कुंटूरकर, श्री जी० एम० (नांदेड)
कुमार, श्री एम० पी० वीरेन्द्र (कालीकट)
कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग-दिल्ली)
कुमार, श्री वी० धनन्जय (मंगलौर)
कुमार स्वामी, श्री एच० डी० (कनकपुरा)
कुरियन, प्रो० पी० के० (मवेलीकारा)
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)
कुशवाहा, श्री सुखलाल (सतना)
कुसमरिया, डॉ० रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण, श्री (माण्डया)
कृष्णादास, श्री एन० एन० (पालाकाड)
कोंडय्या, श्री के० सी० (बेल्लारी)
कोटा, श्री सिद्दय्या (नरसारावपेट)
कोली, श्री गंगाराम (बयाना)
कौजलगी, श्री शिवानंद एच० (बेलगाम)
कौर, श्रीमती सुखबंस (गुरदासपुर)
कैकाला, श्री सत्यनारायण (मछलीपट्टनम)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)
खलप, श्री रमाकांत डी० (पणजी)
खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (अकबरपुर)
खान, श्री सुनील (दुर्गापुर)
खालसा, श्री हरिन्दर सिंह (भटिंडा)

ग

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गढ़वी, श्री पी० एस० (कच्छ)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गणेशन, श्री वी० (चिदंबरम)
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गवाली, श्री पुण्डलिकराव रामजी (वाशिम)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)
गायकवाड़ श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह (बडोदरा)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)
गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)
गेहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)
गोडसे, श्री राजाराम परशराम (नासिक)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)
गोयल, श्री विजय (सदर-दिल्ली)
गोविन्दन, श्री टी० (कासरगोड)
गौड़ा, श्री वाई० एन० रुद्रेश (हसन)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्दूमाजरा, प्रो० प्रेमसिंह (पटियाला)
चन्दूलाल, श्री अजमीरा (वारंगल)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा० (कराड़)
चाक्को, श्री पी० सी० (मुकुन्दपुरम)
चारी, डॉ० एस वेणुगोपाल (आदिलावाद)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आणंद)
चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)
चित्तूरी, श्री रविन्द्र (राजामुन्दरी)
चित्यन, श्री एन० एस० वी० (डिन्डीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री ए॰ बी॰ ए॰ गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री परागी लाल (मिसरिख)

चौधरी, श्री बादल (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्रीमती, निशा ए॰ (साबरकांठा)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

चौहान, श्री जयसिंह (कपड़वंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्री गंगानगर)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगन्नाथ, डॉ॰ एम॰ (नागरकुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डॉ॰ सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश आर॰ (परभनी)

जायसवाल, डॉ॰ मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री एस॰ पी॰ (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर॰ एल॰ (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधन भाई (पोरबंदर)

जिन्दल, श्री ओ॰ पी॰ (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री मुरलीधर (भद्रक)

जेना, श्री श्रीकांत (केन्द्रपाड़ा)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैसवाल, श्री प्रदीप (औरंगाबाद)

जोशी, डॉ॰ मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल (कोटा)

जोस, श्री ए॰ सी॰ (इडुक्की)

ज्ञ

ज्ञानगुरूस्वामी, श्री आर॰ (पेरियाकुलम)

ट

टंडेल, श्री गोपाल (दमन और दीव)

टाडीपारथी, श्रीमती शारदा (तैनाली)

टी॰ गोपाल कृष्ण, श्री (काकीनाड़ा)

ठ

ठाकरे, श्री राजाभाऊ (यवतमाल)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डार, श्री मोहम्मद मकबूल (अनन्तनाग)

डेनिस, श्री एन॰ (नगरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस॰ (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डॉ॰ रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

त

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तीर्थरामन, श्री पी॰ (धर्मपुरी)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरक पुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दर गढ़)

तोमर, डॉ॰ रमेश चन्द्र (हापुड़)

त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि (देवरिया)

थ

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम (खम्माम)

थामस, श्री पी॰ सी॰ (मुवत्तुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अंचल (जाजपुर)

दास, प्रो॰ जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्री पी॰ आर॰ (हावड़ा)

दाहाल, श्री भीम प्रसाद (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव (चिमूर)

दीवार, श्री पवन (महासमुंद)

देव, श्री वी॰ प्रदीप (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवदास, श्री आर॰ (सेलम)

देवी, श्रीमती सुभावती (बांसगांव)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भरूच)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नटरायन, श्री के॰ (करूर)

नरसिम्हन, श्री सी॰ (कृष्णागिरि)

नाइक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)

नागरत्नम, श्री टी॰ (श्रीपेरूम्बुदूर)

नामग्याल, श्री पी॰ (लद्दाख)

नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)

नायक, श्री राजा रंगप्पा (रायचूर)

नायडू, श्री के॰ पी॰ (बोबीली)

"निडर" प्रो॰ ओमपाल सिंह (जलेसर)

निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक (सतारा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद (फतेहपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द (कांकेर)

नेला वाला, श्री सुब्रह्मण्यम (तिरूपति)

प

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)

पटरूघु, श्री अय्यन्ना (अन्नाकापल्ली)

पटवा, श्री सुन्दरलाल (छिंदवाड़ा)

पटेल, डॉ॰ ए॰ के॰ (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)

पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)

पटेल, श्री बुद्धसेन (रीवा)

पटेल, श्री विजय (गांधीनगर)

पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास (गोधरा)

पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)

परसुरामन, श्री के॰ (चेंगलपट्टू)

परांजपे, श्री दादा बाबू राव (जबलपुर)

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस॰ एस॰ (तंजावूर)

पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पांडेय, डॉ॰ लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पांडेय, श्री मनहरण लाल (जांजगीर)

पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ (इरन्दोल)

पाटिल, श्री बी॰ आर॰ (बीजापुर)

पाटिल, श्री मदन (सांगली)

पाटिल, श्री शिवराज वी॰ (लातूर)

पाटिल, श्रीमती रजनी (बीड)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डॉ॰ देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)
पाल, श्री सिबैस्टिअन (एरनाकुलम)
पार्वती, श्रीमती एम॰ (ओंगोले)
पासवान, श्री कामेश्वर (नवादा)
पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधानी, श्री के॰ (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रामानिक, प्रो॰ आर॰ आर॰ (मथुरापुर)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन॰ के॰ (क्विलोन)
प्रेमी, श्री मंगल राम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उदुपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूख, श्री एम॰ ओ॰ एच॰ (पाण्डिचेरी)
फुंडकर, श्री भाऊसोहब पुंडलिक (अकोला)
फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस॰ (शिमोगा)
बंशीवाल, श्री श्याम लाल (टोंक)
बक्सला, श्री जोआचिम (अलीपुरद्वार)
बर्क, डॉ॰ शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)
'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)
बडाडे, श्री भीमराव विष्णुजी (कोपरगांव)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
बनातवाला, श्री जी॰ एम॰ (पोन्नानी)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)
बलिराम, डॉ॰ (लालगंज)
बसु, श्री अनिल (आराम बाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बागूल, डॉ॰ साहेबराव सुकराम (धुले)
बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)
बाला, डॉ॰ असीम (नवद्वीप)
बालारमन, श्री एल॰ (वंडावासी)
बालासुब्रह्मण्यन, श्री एस॰ आर॰ (नीलगिरि)
बालू, श्री टी॰ आर॰ (मद्रास-दक्षिण)
बिश्वकर्मा, श्री महाबीरलाल (हजारीबाग)
बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंह पुर)
बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरू)
बेगम नूर बानो (राम पुर)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बेंदा, चौधरी रामचन्द्र (फरीदाबाद)
बैश्य, श्री बीरेन्द्र प्रसाद (मंगलडोई)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भगवती देवी, श्रीमती (गया)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भट्टाचार्य, श्री जयन्त (तामलुक)
भट्टाचार्य, श्री प्रदीप (सेरमपुर)
भास्करप्पा, श्री सी॰ एन॰ (तुमकुर)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भाटी, श्री महेन्द्र सिंह (बीकानेर)
भारती, डॉ॰ अमृत लाल (चैल)
भारथन, श्री ओ॰ (बडागरा)
भारद्वाज, श्री नीतीश (जमशेदपुर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डॉ॰ कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर (श्रीनगर)
मल्लिकाजुर्न, डॉ॰ (महबूब नगर)
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी॰ (दावणगेरे)
महतो, श्री बीस सिंह (पुरूलिया)
महन्त, श्री केशव (कलियाबोर)
महाजन, श्री प्रमोद (मुम्बई उत्तर पूर्व)
महाजन, श्री सत (कांगड़ा)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)
महापात्र, श्री कार्तिक (बालासोर)
महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
माने, श्री शिवाजी ज्ञानोबाराव (हिंगोली)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास-मध्य)
मिर्धा, श्री भानुप्रकाश (नागौर)
मिश्र, श्री चतुरानन (मधुबनी)
मिश्र, श्री पिनाकी (पुरी)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (विल्हौर)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर-प॰ ब॰)
मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृषनगर)
मुण्डा, श्री काड़िया (खूंटी)
मुनियप्पा, श्री के॰ एच॰ (कोलार)
मुडे, श्री विजय अन्नाजी (वर्धा)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुर्मू, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री के॰ एस॰ आर॰ (अमलापुरम)
मेघवाल, श्री परसराम (जालौर)
मेघे, श्री दत्ता (रामटेक)
मेती, श्री एच॰ वाई॰ (बागलकोट)
मेहता, प्रो॰ अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री सनत (सुरेन्द्र नगर)
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र (मुम्बई-दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनिल कुमार (खगरिया)
यादव, श्री गिरधारी (बांका)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री डी॰ पी॰ (सम्भल)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री रमाकांत (आजमगढ़)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद (गोपालगंज)
यादव, श्री शरद (माधेपुर)
यादव, श्री सुरेन्द्र (खलीलाबाद)
येरननायडू, श्री किंजारप्पू (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डॉ॰ जयन्त (स्वशासी-जिला) (असम)

रमना, श्री एल॰ (करीमनगर)
रमेन्द्र कुमार, श्री (बेगूसराय)
रमैया, श्री पी॰ कोदंड (चित्रदुर्ग)
रमैया, डॉ॰ बोल्ला बुल्ली (एलरू)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राई, श्री आर॰ बी॰ (दार्जिलिंग)
राउत, श्री कचरू भाऊ (मालेगांव)
राघवन, श्री वी॰ वी॰ (त्रिचूर)
राजकुमार, श्री वांगचा (अरुणाचल पूर्व)
राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ॰ प्र॰)
राजा श्री, ए॰ (पैरम्बलूर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी॰ वी॰ (मईलादुतुराई)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राठवा, श्री एन॰ [illegible] (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामलिंगम, डॉ॰ के॰ पी॰ (तिरूचेंगोडे)
रामनाथन, श्री एम॰ (कोयम्बटूर)
रामसजीवन, श्री (बांदा)
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
राम बाबू, श्री ए॰ जी॰ एस॰ (मुदैर)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री बलाई चन्द्र (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
रायारेड्डी, श्री बासवाराज (कोप्पल)
रायुडु, श्री के॰ एस॰ (नरसापुर)
राव, श्री आर॰ साम्बासिवा (गुंटूर)
राव, श्री पी॰ वी॰ नरसिंह (बरहामपुर)
राव, श्री पी॰ वी॰ राजेश्वर (सिकन्दराबाद)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो॰ रासा सिंह (अजमेर)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)
रिबा, श्री तोमो (अरुणाचल-पश्चिम)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा-पूर्व)
रीगो, श्रीमती हैडविग माइकेल (नामनिर्दिष्ट)
रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
रेड्डी, श्री एन॰ रामकृष्ण (चित्तूर)
रेड्डी, श्री एम॰ बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री एस॰ रामचन्द्र (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री जी॰ ए॰ चरण (निजामाबाद)
रेड्डी, डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)
रेड्डी, डॉ॰ बी॰ एन॰ (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री भूमानागी (नान्दयाल)
रेड्डी, डॉ॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)
लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, जस्टिस गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री आर॰ एल॰ पी॰ (कोडरमा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)
वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा (मोहनलाल गंज)
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह (शाहजहांपुर)
वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)
वल्याल, श्री लिंगराज (शोलापुर)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ (मैसूर)
वानगा, श्री चिन्तामन (दहानू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वेंकटरामन्, श्री टिंडिवनाम जी॰ (टिंडिवनाम)
वेंकटेशन्, श्री पी॰ आर॰ एस॰ (कुड्डालोर)
वेंकटेस्वरलू, डॉ॰ उम्मा रेड्डी (बापतला)
वेदान्ती, डॉ॰ राम विलास (मछलीशहर)
वेणुगोपाल, श्री डी॰ (तिरूपत्तूर)
वेल, श्री ए॰ एम॰ (अर्कोनम)
व्यास, डॉ॰ गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकर, श्री बी॰ एल॰ (चिकमंगलूर)
शर्मा, डॉ॰ अरविन्द (सोनीपत)
शर्मा, श्री अशोक (राजनंदगांव)
शर्मा, डॉ॰ अरुण कुमार (लखीमपुर)
शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)
शर्मा, श्री नवल किशोर (अलवर)
शर्मा, डॉ॰ प्रवीन चन्द्र (गुवाहटी)
शर्मा, श्री मंगत राम (जम्मू)
शर्मा, कैप्टन सतीश (अमेठी)
शिवप्रकाशम्, श्री डी॰ एस॰ ए॰ (तिरूनेलवेली)
शिवा, श्री तिरूची (पुडुक्कोट्टाई)
शेटकर, श्री निवृत्ती सेठ नामदेव (खेड)
शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)
शेल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)
शहाबुद्दीन्, मुहम्मद (सिवान)
शाक्य, डॉ॰ महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)

ष

षण्मुगम्, श्री पी॰ (वेल्लोर)
षणमुगा सुन्दरम्, श्री वी॰ पी॰ (गोबिचेट्टिपालयम)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)
संगमा, श्री पूर्णो ए॰ (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप (अमरेली)
सईद, श्री पी॰ एम॰ (लक्षद्वीप)
सनदी, प्रो॰ आई॰ जी॰ (धारवाड़-दक्षिण)
सम्पत, श्री ए॰ (चिरायिकिल)
सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)
सरदार, श्री माधव (क्योंझर)
सरोदे डॉ॰ जी॰ आर॰ (जलगांव)
सवानूर, श्रीमती रत्नमाला डी॰ (चिकोडी)
सहाय, श्री हरिवंश (सलेमपुर)
साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द (फर्रूखाबाद)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
साहू, श्री अनादि चरण (कटक)
साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)
सिंकु, श्री चित्रसेन (सिंहभूम)
सिद्धराजु, श्री ए॰ (चामराजनगर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)
सिंह, श्री अशोक (रायबरेली)
सिंह, श्रीमती कांति (विक्रमगंज)
सिंह, श्रीमती केतकी देवी (गोण्डा)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, श्री चन्द्रभूषण (कन्नौज)
सिंह, श्री छत्रपाल (बुलंदशहर)

सिंह, श्री जसवंत (चित्तौड़गढ़)
सिंह, श्री ज्ञान (शहडोल)
सिंह, श्री तिलक राज (सिधी)
सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
सिंह, श्री थ० चौबा (आर्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री दरबारा (जालंधर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, महारानी दिव्य (भरतपुर)
सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)
सिंह, श्री प्रहलाद (सिवनी)
सिंह, मेजर जनरल विक्रम (हमीरपुर) (हि० प्र०)
सिंह, श्री मोहन (फिरोजपुर)
सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री राजकेशर (जौनपुर)
सिंह, कर्नल राव राम (महेन्द्रगढ़)
सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, डॉ० राम लखन (भिंड)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतीहारी)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद (बलिया) (बिहार)
सिंह, श्री शिवराज (विदिशा)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
सिंह श्री सरताज (होंशगाबाद)
सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)
सिंह, श्री सोहनवीर (मुजफ्फरनगर)
सिंह, डॉ० हरि (सीकर)
सिंह, देव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिन्हा, श्री मनोज कुमार (गाजीपुर)
सिल्वेरा, डॉ० सी० (मिजोरम)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुधीरन, श्री वी० एम० (अलेप्पी)
सुभाष चन्द्र, श्री (भीलवाड़ा)
सुरेन्द्रनाथ, श्री के० वी० (तिरुअनन्तपुरम)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सुशील चन्द्र, श्री (भोपाल)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सोनकर, श्री विद्यासागर (सैदपुर)
सोमू, श्री एन० बी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरेन, श्री शिबु (दुमका)
सैकिया, श्री मुही राम (नौगांव)
सैनी, श्री प्रताप सिंह (अमरोहा)
सेल्वारासु, श्री एम० (नागापट्टीनम)
सौम्य रंजन, श्री (भुवनेश्वर)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)
स्वामी, श्री आई० डी० (करनाल)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेद्दापल्ली)
स्वामी, श्री सी० नारायण (बंगलौर उत्तर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना (तेजपुर)
हसन, श्री मुनव्वर (कैराना)
हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री पूर्णो ए० संगमा

उपाध्यक्ष

श्री सूरजभान

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री चित्त बसु

श्री पी० सी० चाक्को

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री पी० एम० सईद

कर्नल राव राम सिंह

प्रो० रीता वर्मा

महासचिव

श्री एस० गोपालन

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

प्रधान मंत्री तथा निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी परमाणु ऊर्जा; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; शहरी कार्य और रोजगार; तथा अन्य मंत्रालय/विभाग जो किसी अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को आबंटित नहीं किये गये हैं, अर्थात इलैक्ट्रानिकी; विदेश; जम्मू और कश्मीर मामले; महासागर विकास; विद्युत तथा अंतरिक्ष	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
कल्याण मंत्री	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
संचार मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री	श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
नागर विमानन मंत्री	श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम
कृषि मंत्री	श्री चतुरानन मिश्र
गृह मंत्री	श्री इन्द्रजीत गुप्त
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री एम॰ अरूणाचलम
रक्षा मंत्री	श्री मुलायम सिंह यादव
उद्योग मंत्री	श्री मुरासोली मारन
वित्त मंत्री	श्री पी॰ चिदम्बरम
वस्त्र मंत्री	श्री आर॰ एल॰ जालप्पा
रेल मंत्री	श्री राम विलास पासवान
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एस॰ जयपाल रेड्डी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री एस॰ आर॰ बोम्मई
पर्यावरण और वन मंत्री	प्रो॰ सैफुद्दीन सोज
पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री श्रीकांत जेना
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	श्री किंजारप्पू येरंननायडू

राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	डॉ॰ बोला बुल्ली रमैया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री दिलीप कुमार राय
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद
कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती कांति सिंह
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री रमाकांत डी॰ खलप
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री	डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू
जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शीश राम ओला
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र के॰ अलघ

राज्य मंत्री

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती जयन्ती नटराजन
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती कमला सिन्हा
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहम्मद मकबूल डार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री मुही राम सैकिया
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवानूर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुका चौधरी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलीम इकबाल शेरवानी
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतपाल महाराज
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालचारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री टी॰ आर॰ बालू

लोक सभा

बुधवार, 23 जुलाई, 1997/1 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री सिबैस्टिअन पाल (एरनाकुलम)

श्री नवीन पटनायक (आस्का)

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से आपको और आपके माध्यम से इस सभा को अपने सहयोगियों का परिचय दे सकता हूं।

श्रीमती जयन्ती नटराजन— नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती कमला सिन्हा—विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती रत्नमाला डी सवानूर— योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती रेणुका चौधरी— स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : इन महिलाओं में प्रधान मंत्री ने किसी को भी कैबिनेट रैंक के लायक नहीं समझा।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे सात सहयोगियों श्रीमती रेणुका राय और सर्वश्री दीप नारायण बन महन्त, वाई रामकृष्ण, हरि कृष्ण शास्त्री, आनन्द नारायण मुल्ला, यमुना प्रसाद शास्त्री और इरास्मो डी सिक्वेरा के निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती रेणुका राय 1943-45, 1947-50, 1950-52 के दौरान क्रमश: केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा, अंतरिम संसद की सदस्य रहीं तथा 1957-62 के दौरान दूसरी लोकसभा में उन्होंने पश्चिमी बंगाल के मालदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 1952-57 के दौरान वह पश्चिमी बंगाल विधान सभा की भी सदस्य रहीं। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का कार्यभार संभाला। श्रीमती राय एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषत: महिलाओं के कल्याण के लिये अनथक प्रयास किये। वर्ष 1953-55 के दौरान वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रहीं।

श्रीमती राय ने देश-विदेश का भ्रमण किया। वर्ष 1949 में वह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के लिये गये प्रतिनिधि मंडल की सदस्य रहीं।

श्रीमती रेणुका राय का निधन 11 अप्रैल, 1997 को 94 वर्ष की आयु में कलकत्ता में हुआ।

श्री दीप नारायण बन महन्त ने 1984-89 के दौरान आठवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश में बलरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व 1969-77 और 1980-84 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ता व एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली तथा अपने क्षेत्र में अनेक स्कूलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अपने संसदीय जीवन काल के दौरान समाज के कमजोर और दलित वर्ग की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे।

श्री दीप नारायण बन महन्त का निधन 9 मई, 1997 को 63 वर्ष की आयु में गोंडा में हुआ।

श्री वाई रामकृष्ण नौवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1989-91

के दौरान कर्नाटक के कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1957-85 के दौरान लगातार पांच बार कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। निधन से पूर्व श्री रामकृष्ण कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे। 1967-68 के दौरान वह कर्नाटक सरकार में उपमंत्री रहे। और 1968-71 के दौरान वे कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे।

श्री रामकृष्ण पेशे में कृषक और अधिवक्ता थे। वह प्रख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता भी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वह एक योग्य और सक्रिय सांसद थे जिन्होंने सदन की कार्यवाही में अमूल्य योगदान दिया। वह इस्पात तथा खान मंत्रालय की प्राक्कलन समिति और परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री रामकृष्ण ने देश-विदेश की यात्रा की और उन्होंने 1980-82 के दौरान बैल्ग्रेड, बर्लिन और माउन्ट्रियल में हुए। अंतर्राष्ट्रीय विधि एसोसिएशन के सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि मण्डल में सदस्य के रूप में भाग लिया।

श्री वाई॰ रामकृष्ण का निधन 25 मई, 1997 को 70 वर्ष की आयु में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ।

श्री आनन्द नारायण मुल्ला ने 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वह 1972-78 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री मुल्ला एक योग्य संसदविद् थे और वह 1967-69 के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की पुनरीक्षा संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त संयुक्त संसदीय समिति और 1969-70 के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे।

श्री मुल्ला पेशे से अधिवक्ता थे और 1954-61 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे तथा वह विभिन्न जांच आयोगों और न्यायिक अधिकरणों से भी जुड़े रहे।

एक प्रख्यात विद्वान और उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि, श्री मुल्ला ने उर्दू में कई कविताएं लिखीं। 1964 में उन्हें उनकी उर्दू पुस्तक "मेरी हदीसे उम्र गुरेज़ा" के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचनाओं में मज़मी न ए-नेहरू, जूशीर, कुछ ज़रे कुछ तरे आदि हैं। वह उर्दू की विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

श्री आनन्द नारायण मुल्ला का निधन 12 जून, 1997 को 96 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री हरिकृष्ण शास्त्री ने 1967-70 और 1980-89 के दौरान क्रमशः चौथी, सातवीं और आठवीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री हरिकृष्ण शास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व॰ लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र थे और एक योग्य संसदविद् थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि ली। वह सातवीं लोक सभा के दौरान दो वर्ष तक लोक लेखा समिति के सदस्य रहे तथा 1988-89 के दौरान कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे।

श्री शास्त्री पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे तथा एक प्रख्यात राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। विभिन्न खेल और युवा क्रिया कलापों में भी उनकी विशेष रुचि थी।

श्री हरिकृष्ण शास्त्री का निधन 17 जून, 1997 को 59 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ने 1977-79 और 1989-91 के दौरान क्रमशः छठी और नौवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1962-67 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री शास्त्री एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने "भारत छोड़ो" आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था जिसमें पुर्तगाली पुलिस के अत्याचारों के कारण उनकी दायीं आंख की रोशनी चली गई। किसानों को करों से राहत दिलवाने तथा उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए वे कई बार जेल गये। बाद में मार्च 1975 में मध्य प्रदेश में जन संघर्ष समिति को संगठित करते हुए उनकी बाईं आंख की रोशनी भी चली गई और वह पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो गए।

नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली। वे संसदीय राजभाषा समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति तथा विधि औरर न्याय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री का निधन 20 जून, 1997 को 70 वर्ष की आयु में भोपाल में हुआ।

श्री इरास्मो डी सिक्वेरा ने 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवीं लोक सभा में तत्कालीन गोवा, दमन और दीव के मामीगोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री इरास्मो डी सिक्वेरा एक प्रख्यात विद्वान थे और वह अनेक भारतीय और विदेशी भाषाएं धाराप्रवाह बोलते थे। उनकी रचनाओं में "माइ कंटरी एण्ड मी" सम्मिलित है। अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखीं।

श्री सिक्वेरा एक योग्य संसदविद् थे तथा वह 1968-69 के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

श्री सिक्वेरा ने देश विदेश की यात्राएं की थीं। वह एक बहुत ही सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे।

श्री सिक्वेरा का निधन 16 जुलाई, 1997 को 58 वर्ष की आयु में गोवा में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और

मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा के सदस्य अब दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय मैंने प्रश्न काल को स्थगित करने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* महोदय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दलितों पर बहुत से अत्याचार किए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से 12 लोग मारे गये हैं।. ..*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलदाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरी इस सदन से मांग है कि लालू सरकार को बर्खास्त करो।...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी ज्ञानोबाराव माने (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि लालू को गिरफ्तार करो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, महाराष्ट्र सरकार को शीघ्र ही बर्खास्त किया जाए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.19 बजे

इस समय श्री पृथ्वी राज दा॰ चव्हाण और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

पूर्वाह्न 11.19 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाड़ी : महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। यह सब क्या हो रहा है। यह शर्मनाक है। क्या भारत की संसद का स्तर वोट क्लब के बराबर है ? क्या भारत की संसद और आम गलियों में कोई अंतर नहीं है? इस संसद के स्तर को आम गलियों के स्तर पर लाने में क्या आप ग्लानि महसूस नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे पास उन सभी सदस्यों के नामों की सूची है जो जोर-जोर से नारे लगा रहे हैं। मुझे आपको निलंबित करने का कष्टदायी निर्णय लेना पड़ेगा। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापिस जाएं। मेरी दलों के नेताओं से अपील है कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। हर चीज की एक सीमा होती है आप इस संसद को सड़क के स्तर पर नहीं ला सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस तरह के सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मैं ऐसे सदन का अध्यक्ष होने में लज्जित अनुभव करता हूं। मैं ऐसे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस देश में क्या हो रहा है ? आप लोग देश को हतोत्साहित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि मैं सदन को स्थगित नहीं कर रहा हूं। मैं यहां दिन भर और रात भर बैठा रहूंगा। यदि आप सदन से उठकर जाना चाहें तो जा सकते हैं, किंतु मैं दिन-रात यहीं बैठा रहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थानों पर वापिस जायेंगे और मेरी बात सुनेंगे। क्या चर्चा करने का यही तरीका है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइये। मैं आपसे बात करूंगा। पहले वापिस अपने स्थानों पर चले जाइये। कृपया वापिस जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं, श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाएं। मैं आपसे बात करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? कृपया सुनिए। आपके नाम से मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। मेरे पास एक नोटिस है जो कि श्री शरद पवार द्वारा दिया गया है तथा एक नोटिस श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण द्वारा दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझसे पूछा कि आपके नोटिस की क्या स्थिति है ? आपने मुझसे नहीं पूछा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। 200 लोग खड़े हुए हैं। श्री शरद पवार खड़े हो सकते थे। एक के बाद एक सभी खड़े हो सकते थे। मैं सभी को अनुमति दे सकता हूं। मैंने सोचा और इस मामले पर गृह मंत्री जी से भी चर्चा की। मैंने स्वयं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से बात भी की। आपके प्रस्तावों के बारे में मैं अवगत हूं। आप अपने प्रस्ताव की स्थिति के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। एक स्थगन प्रस्ताव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से आया है। नियम 184 के अधीन आपका भी एक प्रस्ताव है। आपने अपने प्रस्ताव की स्थिति के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं समझी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसको करने का कोई तरीका होता है। संसदीय लोकतंत्र में हमारे देश का अटूट विश्वास है। कृपया इस विश्वास को न तोड़ें। मेरा आपसे अनुरोध है कि देश के लोगों को हतोत्साहित न करें। हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। सभा पटल के निकट आकर शोर मचाना, यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। क्या मैंने इंकार किया है ? कृपया अपने सदस्यों को अनुशासन में रखिए। क्या मैंने किसी के भी प्रस्ताव को मना किया है ? आप में इतना भी धैर्य नहीं है कि आप अपने प्रस्ताव की स्थिति जानें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस देश के नेता हैं। आप सदन की गरिमा के रक्षक हैं। पूरे देश का हममें विश्वास है। कृपया उचित व्यवहार करें। यह मेरी अपील है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपका प्रस्ताव उद्धृत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। सर्वप्रथम स्थगन प्रस्ताव से संबंधित मेरे पास चार नोटिस हैं, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा और एक श्री जी० वेंकटस्वामी जी द्वारा दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं उसी पर आ रहा हूं। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, एक श्री प्रमोद महाजन द्वारा, एक श्री जार्ज फर्नांडीज द्वारा, एक श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा और एक श्री मधुकर सरपोतदार जी द्वारा। नियम 184 के अधीन एक अन्य नोटिस श्री शरद पवार जी द्वारा दिया गया है जो कि महाराष्ट्र में दलितों पर हुई गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति पर है। हमने राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। सभी इस बात पर एकमत थे कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इन पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। यह किस रूप में होगा, इस पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। किंतु इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। दोनों विषयों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते, प्रो० अजीत कुमार मेहता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हर व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। मेरे पास आपका नोटिस भी है श्री जी० एम० बनातवाला जी, महाराष्ट्र पर एक नोटिस आपने भी दिया है। मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत से नोटिस मेरे पास हैं। मैं अभी इन सभी का नाम नहीं ले सकता।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनका नोटिस पहले मिला है। इसके बाद अन्य बहुत से सदस्यों के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

गृह मंत्री जी किसी और काम से मेरे पास आये थे। मैंने अवसर का लाभ लेते हुए उसी समय उनसे इस विषय पर चर्चा की। हमने क्या चर्चा की है, यह बताने के लिये मैं बाध्य नहीं हूं। किंतु गृह मंत्री जी से मैंने दो विषयों पर राय ली थी। सदन के नेता श्री राम विलास पासवान जी मेरे कक्ष में आये थे और हमने चर्चा भी की थी। राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक के बाद मैंने इस विषय पर उनसे चर्चा की थी। इसीलिए कार्य चल रहा है। यदि आप में से कोई एक, कोई एक नेता खड़ा होकर यह पूछता कि स्थिति क्या है तो सदन की कार्यवाही अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से चल सकती थी। किंतु आप में सुनने और सोचने-समझने का धैर्य नहीं है।

मैं एक बात कहूंगा। मैंने दोनों प्रस्तावों पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव तथा श्री शरद पवार जी द्वारा नियम 184 के अधीन रखे गये प्रस्ताव को चर्चा के लिये स्वीकृत कर लिया जाए। इन दोनों प्रस्तावों को मैं पहले ही स्वीकृत कर चुका हूं। इन पर चर्चा कब होगी इसका निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति करेगी। कल एक बैठक होगी। इसलिए, किसी

भी स्थिति में आज इस विषय को नहीं उठाया जा सकता। दोनों प्रस्तावों को चर्चा के लिए स्वीकृत किया जा चुका है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन

***1. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी राज्यों, जहां बाल श्रम प्रथा विद्यमान है, के मुख्य मंत्रियों को इस प्रथा के उन्मूलन संबंधी प्रगति पर निरंतर निगरानी रखने हेतु वार्ता करने की आवश्यकता पर बल देते हुए पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई सम्बद्ध कार्यक्रम प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बाल श्रम प्रथा कब तक समाप्त कर दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 के अधीन बालकों के नियोजन को अधिनियम की अनुसूची के भाग-क और ख में दिए गए 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में प्रतिषिद्ध किया गया है। रोजगार में प्रवेश की आयु का निपटारा करने के लिए कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियमों आदि जैसे विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में भी प्रावधान रखे गए हैं। कानूनी उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए हैं। परियोजनाओं को चलाकर खतरनाक व्यवसाओं में कार्यरत लगभग 2 मिलियन बालकों की पुनर्वासित करने के लिए अगस्त, 1994 में एक बड़े कार्यकम की घोषणा की गई थी। अभी तक खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित किए गए विशेष स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिला दिया जा चुका है।

2. उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.1996 के अपने अधिनिर्णय में कतिपय दिशा-निर्देश दिए हैं जो खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को कार्य से निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के तरीके और गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य दशाओं को विनियमित करने और उनमें सुधार करने के तरीके से भी संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के इन दिशा-निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शन भेजे गए हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को प्रभावी करने के तरीकों को बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न दिशा-निर्देशों को एक समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाना है। भिन्न-भिन्न मंचों पर राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श के माध्यम से खतरनाक व्यवसायों के कार्यरत बालकों के पुनर्वास की प्रगति और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन का प्रबोधन किया जा रहा है। समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए हैं जिसमें प्रभावी कार्यान्वयन और बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने की प्रगति के नियमित प्रबोधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

3. बाल श्रम प्रथा एक जटिल सामाजिक आर्थिक समस्या है। सरकार द्वारा घोषित साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बाल श्रम प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है। पिछले लगभग दो वर्षों से सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के क्षेत्र में एक शुरुआत कर दी है। तथापि सरकार ने देश में बाल श्रम प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है।

एड्स/एच० आई० वी०

***2. श्री राजकेशर सिंह :**

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में एड्स और एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1997 के दौरान आज तक राज्यवार एड्स और एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) एड्स और एच० आई० वी० संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या हैं;

(घ) सरकार ने एड्स और एच० आई० वी० संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिये क्या प्रबंध किए हैं;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू० एन० एफ० पी० ए० सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत को एड्स और एच० आई० वी० रोग को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की चेतावनी दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तथा लोगों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में इन बीमारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बनाई गई अथवा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (छ) एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के फैलाव को कम करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम को 1992 में ही विश्व बैंक के 84 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के साथ देश भर में व्यापक तरीके से शुरू किया गया था। देश में एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि भविष्य में होने वाली मृत्यु, रुग्णता और एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के प्रभाव को कम किया जा सके। इस कार्य योजना के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमता को सुदृढ़ करना :

राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का सृजन किया गया है और यह कार्य कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक राज्य एड्स सेल का सृजन किया गया है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त समितियां गठित की गई हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, और पाण्डिचेरी जैसे कुछ राज्यों ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटियां सृजित की हैं।

2. निगरानी और क्लिनिकल प्रबंध :

एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमण की निगरानी के लिए देश भर में 62 निगरानी केन्द्रों में एच॰ आई॰ वी॰ जांच सुविधाएं मौजूद हैं। ये केन्द्र मेडिकल कालेजों, अनुसंधान संस्थाओं और बड़े अस्पतालों में सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में निर्दिष्ट प्रयोगशालाएं हैं जो असंबद्ध गुमनामी आधार पर संबद्ध अस्पतालों के विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए रक्त के नमूनों की एच॰ आई॰ वी॰ संबंधी जांच करते हैं। रक्त नमूने अधिकांशतः व्यक्तियों के उच्च जोखिम वाले समूह के होते हैं। इन निगरानी केन्द्रों की स्थापना भौगोलिक संवितरण और एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमण के स्रोत की मानीटरिंग करने के उद्देश्य से की गई है।

यौन संचारित रोग क्लिनिक में आने वाले व्यक्तियों और अंतःशिरा औषध का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों जैसे जनसंख्या के विभिन्न उच्च जोखिम वाले समूहों तथा प्रसवपूर्व माताओं जैसे जनसंख्या के वर्ग के बीच एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमण के रुझान की मानीटरिंग करने हेतु प्रहरी निगरानी पद्धति अपनाई गई है इसे देश विभिन्न भागों में इन निगरानी केन्द्रों से संबद्ध 55 प्रहरी स्थलों के जरिए चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1996 और 1997 के दौरान एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमण और एड्स के रोगियों की संख्या नीचे दी गई है :

(i) एच॰ आई॰ वी॰ पाजिटिव रोगियों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य	1/96-12/96	1/96-6/96	1/97-6/97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75	2	403
2.	असम	16	0	19
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3	3	4
5.	बिहार	14	14	7
6.	चंडीगढ़	—	—	—
7.	पंजाब	0	0	61
8.	दिल्ली	266	43	41
9.	दमन व दीव	0	0	0
10.	गोवा	288	57	175
11.	दादरा व नगर हवेली	1	0	0
12.	गुजरात	10	0	80
13.	हरियाणा	83	39	388
14.	हिमाचल प्रदेश	58	58	31
15.	जम्मू व कश्मीर	24	16	6
16.	कर्नाटक	635	12	504
17.	केरल	35	0	0
18.	लक्षद्वीप	2	0	0
19.	मध्य प्रदेश	131	84	45
20.	महाराष्ट्र	7323	3249	5827
21.	मणिपुर	578	199	1095
22.	मिजोरम	7	0	11
23.	मेघालय	4	0	0
24.	नागालैंड	0	0	128
25.	उड़ीसा	61	47	0
26.	पाण्डिचेरी	470	265	337

1	2	3	4	5
27.	राजस्थान	72	18	109
28.	सिक्किम	0	0	2
29.	तमिलनाडु	181	100	649
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	96	72	160
32.	पश्चिम बंगाल	0	0	315
	कुल	10433	4278	10387

(ii) भारत में एड्स रोगियों की संख्या

क्र॰ सं॰	राज्य	1/96-12/96	1/96-6/96	1/97-6/97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19	10	3
2.	असम	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	अंडमान निकोबार दीप समूह	0	0	0
5.	बिहार	1	1	0
6.	चंडीगढ़	—	—	—
7.	पंजाब	0	0	0
8.	दिल्ली	27	13	9
9.	दमन व द्वीव	0	0	0
10.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	104	103	5
13.	हरियाणा	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
16.	कर्नाटक	12	0	29
17.	केरल	26	20	6
18.	लक्षद्वीप	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	6	5	53
20.	महाराष्ट्र	520	245	785
21.	मणिपुर	55	28	122
22.	मिजोरम	0	0	5
23.	मेघालय	0	0	7
24.	नागालैंड	0	0	0
25.	उड़ीसा	0	0	0
26.	पाण्डिचेरी	24	2	4
27.	राजस्थान	0	0	51
28.	सिक्किम	0	0	1
29.	तमिलनाडु	199	127	424
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	48	48	56
32.	पश्चिम बंगाल	11	10	7
	कुल	1052	612	1564

एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमण और एड्स रोगियों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि प्रारंभ में यह संक्रमण अधिक खतरे वाले समूहों जैसे देह का व्यापार करने वालों, अंत:शिरा औषधों का सेवन करने वालों और यौन संचारित रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों तक ही सीमित था। परंतु अब इन संक्रमित समूहों से यह संक्रमण उनके असंदिग्ध यौन सहभागियों और बच्चों में फैल गया है जिसका कारण जानकारी न होना और असुरक्षित यौन आचरण तथा इनके साथ जुड़े हुए अन्य घटक हैं जैसे लोगों, विशेषकर ग्रामीणों का साक्षर न होना और आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन।

नैदानिक रूप से संदिग्ध एड्स रोगियों के निदान और उपचार के लिए डॉक्टरों के कौशल के विकास हेतु "एच॰ आई॰ वी॰/एड्स का नैदानिक उपचार" घटक के अंतर्गत एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 2200 मुख्य प्रशिक्षकों को डॉक्टरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। एड्स उपचार के लिए उत्तरदायी 32 राज्य रोगियों के निदान व उपचार के लिए पता लगाया गया है। अब तक इस घटक के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 40,000 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। सामान्य चिकित्सा व्यावसायियों और प्राइवेट चिकित्सा व्यावसायियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा संघ और क्रिश्चियन मेडिकल एसोएिशन ऑफ इंडिया को भागीदार बनाया गया है।

भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवम्बर, 1992 में सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सरकारी अस्पतालों में बिना किसी भेदभाव के सभी एड्स रोगियों और एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमित व्यक्तियों का उपचार किया जाए।

3. रक्त निरापदता :

रक्ताधान से पूर्व सभी रक्त यूनिटों की एच॰ आई॰ वी॰, सिफिलस हेपेटाइटिस बी और मलेरिया संबंधी अनिवार्य जांच द्वारा रक्त की निरापदता को सुनिश्चित किया गया है। 154 क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्रों की स्थापना, 815 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण, 40 रक्त घटक पृथक्करण सुविधाओं की स्थापना और स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना आदि प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् और राज्य रक्ताधान परिषदों का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

4. यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण :

504 यौन संचारित रोग क्लीनिकों का सुदृढ़ीकरण, प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के साथ यौन संचारित रोगों के लाक्षणिक उपचार को जोड़ना, चिकित्सकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों का प्रशिक्षण, औषध व प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची "आर" को संशोधित करके अच्छी गुणवत्ता वाले कंडोम सुनिश्चित करना इस घटक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं।

5. जन-जागरूकता और सामुदायिक सहयोग :

चूंकि एड्स का कोई उपचार नहीं है, कार्यक्रम में जन-जागरूकता पैदा करके और आचरण में परिवर्तन का लक्ष्य लेकर एच॰ आई॰ वी॰/एड्स संक्रमण के प्रसार को रोकने पर जोर दिया जाता है। एच॰ आई॰ वी॰/एड्स की रोकथाम के लिए जन-जागरूकता पैदान करने के लक्ष्य पहुंचने और सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास किए गये हैं :

— जन संचार के सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए जन-जागरूकता पैदा करना।

— अंत:वैयक्तिक संप्रेषण सहायता सामग्री का विकास।

— गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेना।

— अंत: क्षेत्रीय सहयोग।

— जनसंख्या के विशिष्ट समूहों जैसे देह का व्यापार करने वालों, अंत:शिरा औषध लेने वालों, ट्रक ड्राइवरों व बेकार घूमने वाले बच्चों में प्रायोगिक उपचार उपाय और।

— स्कूल पाठ्यचर्या में एच॰ आई॰ वी॰/एड्स शिक्षा।

ये गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे देश में चलाई जा रही हैं। जागरूकता गतिविधियों का उद्देश्य विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना होता है इनमें संगीत एवं नाटक प्रभाग, नेहरू युवा केन्द्रों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन व लोक मीडिया प्रदर्शन शमिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यू॰ एन॰ एफ॰ पी॰ ए॰, यूनीसेफ, यू॰ एन॰ डी॰ पी॰, यूनिस्को सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्व बैंक "एच॰ आई॰ वी॰/एड्स पर सांझा संयुक्त कार्यक्रम" अर्थात् यू॰ एन॰ एड्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। यू॰ एन॰ एड्स समय-समय पर विभिन्न महाद्वीपों को एच॰ आई॰ वी॰/एड्स पर सूचना प्रदान करता है और जब भी भारत सरकार द्वारा तकनीकी सलाह मांगी जाती है, प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल संबंध

***3. श्री पंकज चौधरी :**
श्री प्रमथेस मुखर्जी

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जून, 1997 में नेपाल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच कौन-कौन से मुख्य समझौते हुए तथा इन समझौतों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इनसे हमारे देश को क्या-क्या लाभ मिलेंगे;

(घ) क्या भारत ने नेपाल को बंग्लादेश तक सीधे पारगमन मार्ग खोलने की अनुमति दे दी है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच अनिर्णीत सभी विवादों का समाधान कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में कहां तक सुधार हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (च) 5 से 7 जून, 1997 तक प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की। यात्रा के दौरान जिन प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए वे इस प्रकार हैं :—

(i) महाकाली संधि के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के लिए अधिकृत कार्यवृत,

(ii) विद्युत व्यापार करार,

(iii) नागर विमानन मामलों से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

पंचेश्वर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट छह माह के अंदर तैयार हो जाएगी और यह परियोजना एक प्रमुख विद्युत संयंत्र के रूप में तैयार की जाएगी ताकि उससे अधिकतम निवल लाभ मिल सके। "विद्युत व्यापार करार" संपन्न होने से, दोनों देशों में विद्युत क्षेत्र के त्वरित और संबंधित विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। नागर-विमानन से संबद्ध समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन में महत्वपूर्ण वृद्धि को सुसाध्य बनाएगा।

फुलबाड़ी के रास्ते बंग्लादेश जाने के लिए एक और पारगमन मार्ग के लिए नेपाल का अनुरोध मान लिया गया था। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि अगले दो महीनों के भीतर तौर-तरीके और कार्य व्यवस्थाएं

तय कर ली जाएंगी। उसके छह माह बाद नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी।

द्विपक्षीय मुद्दों तथा आपसी हित के अन्य मामलों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। यह जानकर संतोष हुआ कि द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित-चिंता के मामलों पर विचारों में समानता है।

इस यात्रा से दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने महामहिम नरेश से मुलाकात की और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द और प्रमुख राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बातचीत की। दोनों देशों ने संयुक्त आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए सद्भावना और अपनी-अपनी सामान्य इच्छा की पुष्टि की जिसमें दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल है।

मूत्र चिकित्सा (यूरिन थैरेपी)

*4. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के अनेक भागों में लोगों द्वारा मूत्र चिकित्सा (यूरिन थैरेपी) का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार मूत्र चिकित्सा की प्रभावकारिता के बारे में अनुसंधान कराने का है;

(ग) क्या सरकार का मूत्र चिकित्सा के बारे में विशेषज्ञों के विचारों का प्रचार करने का भी प्रस्ताव है ताकि लोगों को बिना लागत उपलब्ध इस चिकित्सा से अवगत कराया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) मूत्र चिकित्सा के संबंध में समाचार/पत्रिकाओं में लेख छपते रहे हैं। लेकिन विभिन्न बीमारियों में मूत्र चिकित्सा की चिकित्सीय प्रभावकारिता के बारे में किए गए दावे को प्रमाणित करने हेतु बुनियादी वैज्ञानिक रिपोर्टों/नैदानिक परीक्षणों पर कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित औषधों को चिकित्सीय प्रभावकारिता/उपचारों को सत्यापित करने का कार्य केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषदों का है। ये परिषदें अपनी-अपनी वैज्ञानिक सलाहकार समितियों की सिफारिशों के आधार पर अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करती हैं। वैज्ञानिक वैधता के अभाव में इस समय मूत्र चिकित्सा का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बाल श्रम कल्याण परियोजनाएं

*5. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रम कल्याण परियोजनाएं आरंभ करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संगठनों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता का भारी दुरुपयोग किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान सहायता-अनुदान योजना के अंतर्गत सहायित स्वैछिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत 1994-97 के दौरान गुजरात राज्य से दो स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है। अमृत बाल श्रम कल्याण ट्रस्ट, अहमदाबाद ने मार्च 1994 में योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की। अन्य स्वैच्छिक संगठन अर्थात् गुजरात केलावानी ट्रस्ट, अहमदाबाद को मार्च, 1997 में वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत जारी कुल निधि और शामिल बालकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	जारी निधियां (लाख रुपयों में)	शामिल बालक (संख्या)
1994-95	7.49	2820
1995-96	27.29	4545
1996-97	62.54	7250

स्वैछिक संगठनों द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1994-95 के दौरान सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की सूची

1. दि कांग्रेगेशन ऑफ दि सिस्टर्स ऑफ दि क्रास ऑफ चावनाड, तिरूचिरापल्ली।
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली। (मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिक)।

3. रूचिका स्कूल, भुवनेश्वर।
4. कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद्, बंगलौर।
5. इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल।
6. इण्डिया इन्टरनेशनल रूरल सेंटर, नई दिल्ली।
7. अमृत बाल श्रम कल्याण सोसायटी, अहमदाबाद (गुजरात)
8. विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल।
9. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
10. सेन्ट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, आइजोल, मिजोरम।
11. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली (मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कार्यरत बालकों के लिए कल्याण केन्द्र)।

1995-96 के दौरान सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की सूची

1. दि कांग्रेगेशन ऑफ दि सिस्टर्स ऑफ दि क्रॉस ऑफ चावनाड, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु।
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली।
3. रूचिका स्कूल, भुवनेश्वर।
4. कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद्, बंगलौर, कर्नाटक
5. इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्लोजिकल एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, कलकत्ता, प॰ बंगाल।
6. इण्डिया इंटरनेशनल रूरल सेन्टर, नई दिल्ली।
7. विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल।
8. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद, उ॰ प्र॰।
9. ग्रामीण संसाधन, विकास परिषद्, बक्सर, बिहार।
10. यूनाइटेड क्लब, उज्जैनी, उड़ीसा।
11. जिवारामजी क्लब, उड़ीसा।
12. ग्राम विकास सेवा समिति, इलाहाबाद, उ॰ प्र॰।
13. करीमपुर समाज कल्याण सोसायटी, जिला नादिया, प॰ बंगाल।
14. भारतीय बाल कल्याण परिषद् तमिलनाडु।
15. विजयापुरम प्रजा सेवा समिति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश।
16. बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली।
17. रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश।
18. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान, वैशाली, बिहार।
19. महात्मा गांधी खादी और ग्रामोद्योग समिति, खुर्दा, उड़ीसा।
20. गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान, नालन्दा, बिहार।
21. मिथिला ग्राम विकास परिषद्, दरभंगा, बिहार।
22. कथा, नई दिल्ली।
23. नवचैतन्य अकादमी फॉर यूथ एडवांसमेंट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
24. ऑल इण्डिया संथाल वेल्फेयर एण्ड कल्चरल सोसायटी, नई दिल्ली।

1996-97 के दौरान सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों की सूची

1. दि कांग्रेगेशन ऑफ दि सिस्टर्स ऑफ दि क्रॉस ऑफ चावनाड, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु।
2. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली।
3. कर्नाटक राज्य बाल कल्याण परिषद्, बंगलौर, कर्नाटक।
4. इंडिया इन्टरनेशनल रुरल सेन्टर, नई दिल्ली।
5. विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी, कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल।
6. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद, उ॰ प्र॰।
7. ग्रामीण संसाधन विकास परिषद्, बक्सर, बिहार।
8. यूनाइटेड क्लब, उज्जैनी, उड़ीसा।
9. जिवारामजी क्लब, उड़ीसा।
10. ग्राम विकास सेवा समिति इलाहाबाद, उ॰ प्र॰।
11. करीमपुर समाज कल्याण सोसायटी, जिला नादिया, प॰ बंगाल।
12. यूथ फॉर यूनिटी एण्ड वालंटरी एक्शन, बम्बई।
13. विजयापुरम प्रजा सेवा समिति, चित्तूर, आंध्र प्रदेश।
14. बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली।
15. रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश।
16. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान, वैशाली, बिहार।
17. महात्मा गांधी खादी और ग्रामोद्योग समिति, खुर्दा, उड़ीसा।
18. गोपाल समाज कल्याण प्रतिष्ठान नालन्दा, बिहार।

19. मिथिला ग्राम विकास परिषद्, दरभंगा, बिहार।
20. नवचैतन्य अकादमी फॉर यूथ एडवांसमेंट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
21. ऑल इंडिया संथाल वेल्फेयर एंड कल्चरल सोसायटी, नई दिल्ली।
22. अनएम्पलॉयड यंग वर्कर्स सोसायटी, नई दिल्ली।
23. विलेज री कंस्ट्रक्शन एण्ड डवलपमेंट प्रोजेक्ट, सलेम तमिलनाडु।
24. दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण आवाम औद्योगिक केन्द्र, जिला सरन, बिहार।
25. मानव सेवा सदन, धेंकनाल, उड़ीसा।
26. बागमारी यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, कलकत्ता।
27. भागरा डायमंड क्लब, बुर्द्धवान, प० बंगाल।
28. सोशल एन्वॉयरमेंटल एण्ड रूरल टैक्नोलॉजी काउंसिल पलेल, मणिपुर।
29. मनोरमा महिला मंडल, वैशाली।
30. रामकृष्ण आश्रम, जिला अंगुल (उड़ीसा)
31. नारी चेतना संगठन, सोनीपत, हरियाणा।
32. चन्द्रिका सेवा सदन हकीमपुर, जिला वैशाली, बिहार।
33. तमिलनाडु ग्राम उपभोक्ता संरक्षण परिषद् कवारीपेट्टई, तमिलनाडु।
34. गुजरात केलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात।
35. संस्कृत भाषा विकास परिषद्, सेवापुरी, जिला देवरिया।
36. श्रीमती अम्बिका देवी हाई स्कूल कन्या विद्यालय, मिर्जापुर, उ० प्र०।
37. अखिल भारतीय समाज कल्याण परिषद्, जिला देवरिया, उ० प्र०।
38. मणिपुर वीमेन कोआर्डिनेटिंग काउंसिल, मणिपुर।
39. महुआ महिला विकास संस्थान, वैशाली (बिहार)।
40. सोशल वेल्फेयर ऑफ इंडिया शाहदरा शरीफ, राजोरी, जम्मू और कश्मीर।
41. सुधा महिला समाज कल्याण परिषद्, जिला नालन्दा (बिहार)।
42. बिजनौर सेवा संस्थान, बिजनौर (उ० प्र०)।
43. रूरल हैल्थ आर्गेनाइजेशन, प० सेनापति, मणिपुर।
44. डॉ० अम्बेडकर मैमोरियल शिक्षा सोसायटी, भोपाल (म० प्र०)।
45. डॉ० ए० वी० बालिगा ट्रस्ट, नई दिल्ली।
46. ईखुपत्रिका सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, जिला मिदनापुर (प० बंगाल)।
47. मणिपुर रूरल इंस्टीट्यूट, इम्फाल।
48. समाज कल्याण सेवा समिति, लखनऊ (उ० प्र०)।
49. प्रोजेक्ट स्वराज्य, कटक, उड़ीसा।
50. समता ग्राम सेवा संस्थान, पटना, उड़ीसा।
51. नैस्सादरी, जिला धेंकनाल (उड़ीसा)।

भोपाल गैस त्रासदी से महिलाओं में बांझपन

***6. श्री राधा मोहन सिंह :**
डॉ० रमेश चंद तोमर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित महिलाओं में बांझपन आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की सरकार द्वारा डॉक्टरी जांच करवाई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या प्रभावित महिलाओं और पुरुषों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययनों से गैस के रिसाव द्वारा महिलाओं को गर्भधारण क्षमता पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का पता नहीं चला है। तथापि, अध्ययन से पता चला है कि प्रभावित क्षेत्रों को महिलाओं में गैर प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में गर्भपात की दर अधिक है। भोपाल में गैस के रिसाव से प्रभावित पुरुषों में अप्रजननता का पता लगाने के लिए अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) गैस से प्रभावित क्षेत्र में गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक पुनर्वास के लिए 1990 में 163 करोड़ रुपए लागत की एक पंचवर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी

गई है जिसमें चिकित्सीय पुनर्वास हेतु 77 करोड़ रुपए शामिल हैं। कार्य योजना के चिकित्सीय पुनर्वास घटक का प्रमुख घटक 755 पलंगों की सुविधा वाले चार नए अस्पतालों का निर्माण करना और उन्हें उपकरणों से सज्जित करना था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1997 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए 316 करोड़ रुपए के परिव्यय की एक नई कार्य योजना तैयार की है जिसमें चिकित्सा पुनर्वास घटक पर 246 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विशेषज्ञता सेवाएं (स्पेशलिटी) प्रदान करने हेतु 260 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाना है।

[अनुवाद]

शहरी आधारभूत ढांचा कार्यक्रम

***7. डॉ॰ बल्लभभाई कथीरिया :**

श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में शहरी आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यक्रमों के लिए ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम ने गुजरात में शहरी आधारभूत ढांचे संबंधी कार्यक्रमों के लिए कोई ऋण देने का वचन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जी हां। आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने अपनी स्थापना से लेकर 30.6.97 तक, विभिन्न राज्यों में 3829.05 करोड़ रुपये की हडको ऋण सहायता से, कुल 7154.29 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की 512 शहरी अवस्थापना स्कीमें मंजूर की हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) और (घ) 1.4.1994 से 30.6.1997 के दौरान हडको ने गुजरात राज्य में 111.95 करोड़ रुपए की हडको ऋण सहायता से कुल 160.76 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की 9 शहरी अवस्थापना स्कीमें मंजूर की हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे विवरण II में संलग्न है।

विवरण-I

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत शहरी अवस्थापना स्कीमों का राज्यवार सारांश

(रुपए करोड़ों में)

क्र॰ सं॰	राज्य	स्कीमों की सं॰	परियोजना लागत	ऋण राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55	665.34	433.27
2.	असम	19	176.677	111.31
3.	बिहार	4	31.07	20.60
4.	दिल्ली	8	299.92	184.07
5.	गोवा	1	0.66	0.45
6.	गुजरात	17	423.51	219.66
7.	हिमाचल प्रदेश	4	18.21	10.55
8.	हरियाणा	2	13.96	6.83
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1	0.75	0.52
10.	केरल	41	697.95	403.87
11.	कर्नाटक	42	1462.05	649.51
12.	मेघालय	1	3.97	2.33
13.	महाराष्ट्र	24	935.88	428.47
14.	मध्य प्रदेश	14	89.39	51.96
15.	उड़ीसा	18	168.96	112.12
16.	पंजाब	98	176.20	100.05
17.	राजस्थान	58	356.99	219.12
18.	तमिलनाडु	49	912.83	492.20
19.	उत्तर प्रदेश	38	340.10	213.78
20.	पश्चिम बंगाल	18	379.90	168.38
	योग :	512	7154.29	3829.05

विवरण-II

1.4.1994 से 30.6.1997 के दौरान गुजरात में स्वीकृत शहरी अवस्थापना स्कीमों का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	स्कीम का नाम	राज्य एजेन्सी	परियोजना लागत	ऋण राशि
1.	राजकोट नगर निगम के लिए सोलिड वैस्ट एम॰ एण्ड एस॰ एम॰ इक्विपमैंट की खरीद	राजकोट नगर निगम	176.46	115.75
2.	सूरत के अजुंना और मैसाना में सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	सूरत नगर निगम	2542.00	1769.00
3.	सूरत में 4 लेन वाले उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण	सूरत नगर निगम	3707.81	2595.60
4.	अहमदाबाद में विवेकानंद सेतु का निर्माण	अहमदाबाद नगर निगम	1714.91	1190.00
5.	अहमदाबाद में साबरमती नदी पर महात्मा गांधी सेतु का विस्तार व निर्माण	अहमदाबाद नगर निगम	836.12	585.24
6.	अहमदाबाद में सरदार पटेल सेतु का विस्तार व निर्माण	अहमदाबाद नगर निगम	914.82	640.35
7.	अहमदाबाद की पूर्वी दिशा में 132 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण व विस्तार	अहमदाबाद नगर निगम	2051.66	1436.04
8.	अहमदाबाद की पश्चिम दिशा में 132 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण व विस्तार	अहमदाबाद नगर निगम	1801.12	1252.87
9.	अहमदाबाद शहर में जलआपूर्ति में सुधार	अहमदाबाद नगर निगम	2331.57	1611.09
	योग :		16076.47	11195.94

कुवैत में मुसीबत में पड़ी नर्सें

***8. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :**
श्री टी॰ गोविन्दन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुवैत में 250 भारतीय नर्सों को मुसीबत की स्थिति में छोड़ दिया गया था और उन्हें रोजगार एजेन्सी द्वारा नौकरी तथा वेतन न दिए जाने के कारण भारतीय दूतावास में शरण लेनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग)

कुवैत में रुकी नर्सों के संबंध में

कुवैत में मैसर्स अब्दुल अज़ीज योसित अल-एस्सा, ने मैसर्स संतोष ट्रेवल्स, बम्बई तथा केरल और तमिलनाडु में कार्यरत जनशक्ति एजेंसियों के जरिए 255 नर्सिंग सहायकों की भर्ती की थी। इनमें से 180 नर्सिंग सहायकों ने अपना काम बंद कर दिया था और इन्होंने 22 मई, 1997 को भारतीय राजदूतावास के परिसर में शरण ली थी। उनकी मुख्य मांग यह थी कि कम्पनी को उन्हें 85 केडी वेतन का भुगतान करना चाहिए, जैसा कि भारत में भर्ती के वक्त उनसे मौखिक रूप से वायदा किया था जबकि कम्पनी उन्हें लिखित करार के अनुसार 60 केडी का भुगतान कर रही है।

कुवैत स्थित भारत के राजदूतावास ने भोजन, बसेरा तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की तुरंत व्यवस्था की थी।

राजदूतावास ने कम्पनी प्रबंधकों और नर्सिंग सहायकों के प्रतिनिधियों के बीच बैठकें भी आयोजित कराईं थी। कुवैत के सामाजिक मामले और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की गईं। कम्पनी

वेतन के रूप में 60 केडी से अधिक का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्होंने इस आशय के एक लिखित करार पर हस्ताक्षर किए थे, और नर्सिंग सहायक 85 केडी वेतन से कम पर काम करने के इच्छुक नहीं थे।

35 नर्सिंग सहायक 60 केडी निर्धारित वेतन पर काम पर वापस आ गए, 38 अन्य नर्सिंग सहायक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए टिकटों पर अपने बकाया वेतन लेकर भारत लौट आए। शेष 107 नर्सिंग सहायकों में से कुछ ने सामाजिक मामले और श्रम मंत्रालय अथवा अदालत से अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील नियुक्त करने का फैसला कर लिया तथा उस वकील को अपना मुख्तारनामा देने के पश्चात् भारत वापस आ गए जो कुवैत में उनके मुकदमे की पैरवी करेगा। अन्य नर्सिंग सहायकों ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। उनमें से नौ लोगों ने खुद ही राजदूतावास को छोड़ दिया है, जबकि 98 नर्सिंग सहायक अभी भी राजदूतावास में मौजूद हैं तथा वे परिसर छोड़ने से इंकार करते हैं। सामाजिक और श्रम मंत्री सहित सामाजिक मामले और श्रम मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा दिए गए बार-बार के आश्वासनों के पश्चात् यह सुनिश्चित किया गया कि यदि वे काम पर वापस आ जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से तंग अथवा उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। तथापि, वे इस बात पर अड़े रहे कि वे कम्पनी द्वारा सहमत वेतन अर्थात 85 केडी पर ही काम पर वापस आएंगे।

मौजूदा नियमों के तहत नर्सों को उत्प्रवासन जांच की आवश्यकता से छूट प्रदान है। केवल अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों के मामले में ही, उत्प्रवासन जांच अपेक्षित है। किसी करार को भंग किए जाने की स्थिति में, नियोक्ता देश में निवारण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। अत: प्रचलित विनियंत्रक व्यवस्था में परिवर्तन करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात में अवैध रूप से रह रहे भारतीय मजदूर

***9. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अवैध रूप से रह रहे अनेक भारतीय मजदूरों को संयुक्त अरब अमीरात से निष्कासित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निष्कासित किये गये मजदूरों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें उनका रोजगार पुन: दिलाने में सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) यह अनुमान है कि 1996 में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा घोषित राजक्षमा योजना का लाभ उठाकर लगभग 60,000 भारतीय भारत लौटे थे। राजक्षमा योजना की अवधि जो आरंभ में 01 जुलाई, 1996 से 30 सितम्बर, 1996 तक प्रभावी थी, बढ़ाकर बाद में 31 अक्टूबर, 1996 कर दी गई थी।

भारत सरकार ने कुछ चुने हुए पासपोर्ट कार्यालयों में विशेष काउंटरों की स्थापना की थी ताकि उन व्यक्तियों के यात्रा दस्तावेज शीघ्र जारी किये जा सकें जो आपात प्रमाण-पत्र पर वापस लौटे थे। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन स्थानीय प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए निकट सम्पर्क बनाए रखे रहे कि वापस आने वाले व्यक्तियों पर संयुक्त अरब अमीरात में वापस आने पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सके।

भारत सरकार ने अनुमान लगाया है कि 31 मई, 1997 तक संयुक्त अरब अमीरात में नौकरी हासिल करने के लिए कम से कम 45000 भारतीयों ने उत्प्रवासन स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। इस संख्या में बड़ी संख्या में वे लोग भी शामिल हैं जो पहले संयुक्त अरब अमीरात से वापस आ गए थे। इस स्वीकृति को सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने यहां तक कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों द्वारा की जाने वाली पूर्व जांच के रोजगार अनुबंध की अपेक्षा को भी अस्थगित कर दिया था। ताकि नए सिरे से भर्ती वाले होने लोगों को एक ही खिड़की से स्वीकृति प्रदान की जा सके।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में घटनाक्रम

***10. श्री रघुनंदन लाल भाटिया :**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों को किस दृष्टि से देखती है;

(ख) क्या अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती हुई स्थिति का दक्षिण एशिया की नीतियों पर कोई सीधा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) भारत सरकार ने अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुत प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क, सभ्यतागत और सांस्कृतिक समानता रही है और ये दोनों देश मैत्रीपूर्ण तथा सहयोग के हार्दिक बंधन में बंधे रहे हैं। अत: निरंतर अस्थिरता और अशांति तथा उसके परिणामस्वरूप हुई त्रासदी और संताप सतत् चिंता का कारण बना हुआ है।

अफगानिस्तान में घट रही इन घटनाओं पर सरकार बहुत निकट से निगाह रखे हुए है इनका भारत की सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है तथा ये इस क्षेत्र की शांति और स्थायित्व पर असर डालती है।

सरकार अफगानिस्तान के संबंध में राजनयिक दृष्टि से भी सक्रिय रही है। ऐसी मान्यता है कि भारत के अफगानिस्तान में अहमहित हैं तथा अफगानिस्तान के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में उसने एक भूमिका अदा की है। ईरान की मेजवानी में 29-30 अक्टूबर, 1996 को तेहरान में आयोजित अफगानिस्तान से संबद्ध क्षेत्रीय सम्मेलन में सरकार को आमंत्रित किया था तथा जिसमें सरकार ने भाग लिया था, संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1996 और अप्रैल 1997 में उन देशों की बैठकों का आयोजन किया था जो अफगानिस्तान के बारे में अधिक जानकारी, रुचि और प्रभाव रखते हैं जिनमें भारत को आमंत्रित किया गया था। इसमें सरकार की सहभागिता सकारात्मक और रचनात्मक रही। भारत ने संयुक्तराष्ट्र द्वारा प्रायोजित जनवरी, 1997 में अश्याबात में आयोजित अफगानिस्तान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मंच में भी भाग लिया था। भारत ने उन देशों के साथ निकट संबंध बनाए रखे जिन्होंने अफगानिस्तान के मामलों में दिलचस्पी ली है।

अफगानिस्तान के लिए दवाओं, खाद्य पदार्थ तथा कपड़े और कृत्रिम अंगों की आपूर्ति तथा प्रत्यारोपण के रूप में मानवीय आधार पर हमारा कार्यक्रम जारी रहा। इसके अलावा, भारत ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र के जरिए भी मानवीय आधार पर सहायता देने का वचन दिया है।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय धनराशि का दुरुपयोग

*11. **श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मुख्य मंत्रियों को यह चेतावनी दी है कि यदि राज्यों में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग किया गया तो उनके वार्षिक आबंटनों में भारी कटौती कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत में योजना आयोग की जानकारी में यह बात आयी है कि कई राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए निश्चित धनराशि को अन्य परियोजनाओं पर खर्च कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी पाये गये राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाणूर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य योजनाओं के लिए सामान्य योजना सहायता फार्मूले पर आधारित होती है और इसे ब्लॉक ऋणों/अनुदानों के रूप में दिया जाता है और वह किसी विशिष्ट परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। केवल विशेष राज्यों को सामान्य योजना सहायता का 20 प्रतिशत तक भाग अपने योजना-भिन्न अंतर को पूरा करने के लिए, उपयोग करने की अनुमति होती है। राज्यों को बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बी॰ एम॰ एस॰) और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए भी विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है किंतु ये भी सामान्यत: किसी विशेष परियोजना से जुड़ी नहीं है। तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए॰ आई॰ बी॰ पी॰) के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जो परियोजना आधारित है और राज्य सरकार द्वारा अनुपातिक हिस्से से जुड़ी है। सिंचाई परियोजनाएं मंजूर करने, निधियां जारी करने आदि सहित ए॰ आई॰ बी॰ पी॰ का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ए॰ आई॰ बी॰ पी॰ से निधियों के अन्यत्र उपयोग का कोई मामला योजना आयोग के नोटिस में नहीं आया है।

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो राज्य के अंशदान से जुड़ी है जब तक कि वह 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम न हो और सहायता विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की जाती है जो उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। राज्य सरकारों द्वारा सी॰ एस॰ एस॰ से अन्य परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में योजना आयोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

चीन द्वारा अवैध-रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र

*12. **श्री पी॰ नामग्याल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा राज्यवार और क्षेत्रवार भारत के कुल कितने क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में) पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में काफी आबादी वाला लद्दाख का मनसेर गांव, पवित्र कैलाश पर्वत के उत्तर अथवा उत्तर-पश्चिम की ओर पश्चिमी तिब्बत की सीमा में काफी भीतर स्थित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीन सरकार के साथ विगत में हुई अनेक वार्ताओं में मनेसर गांव का मुद्दा उठाया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जम्मू कश्मीर में चीन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 38000 वर्ग कि॰ मी॰ है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथा कथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के अंतर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,120 वर्ग कि॰ मी॰ भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है।

(ख) और (ग) 1960 में सीमा प्रश्न पर भारत-चीन आधिकारिक स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने मिन्सार गांव का जिक्र किया था। उस समय यह बताया गया था कि यह गांव लद्दाख से लगभग 200 कि॰ मी॰ दूर है और मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग की भूमिका

*13. **श्री सुन्दर लाल पटवा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार योजना आयोग की भूमिका को कुछ ऐसे क्षेत्रों जहां विस्तृत आयोजना की आवश्यकता है, तक सीमित करने और शेष क्षेत्रों के बारे में आयोजना के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों को करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर) : (क) से (ग) योजना आयोग की भूमिका वही बनी हुई है जो योजना आयोग के गठन से संबंधित दिनांक 15 मार्च, 1950 के मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प में उल्लिखित है। तथापि, नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति के अनुरूप नौवी योजना के निरूपण और क्रियान्वयन पर बल दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, योजना स्कीमों के निरूपण और कार्यान्वयन में राज्यों की अधिकाधिक भूमिका का उल्लेख किया गया है। दृष्टिकोण पत्र में विद्युत, चुनी हुई मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं, महत्वपूर्ण संचार और कृषि विकास तथा आधार संरचना आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए विस्तृत क्षेत्रकीय योजनाएं तैयार करने पर भी बल दिया गया है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूरीकरण

***14. श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश में कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को केन्द्रीय योजना के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रोजगार कार्यालयों के समग्र कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) देश में रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या तथा जिन रोजगार कार्यालयों का 1992 तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन॰ डी॰ सी॰) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी केन्द्र प्रवर्तित योजना को वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्र क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रोजगार कार्यालय, राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तथा वे रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने संबंधी कदम उठाते हैं।

केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों को रोजगार कार्यालयों में सुधार करने हेतु सुझाव देती है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(31.12.1996 की स्थिति के अनुसार)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	रोजगार कार्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो	1992 तक कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29	3	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	—	—
3.	असम	50	3	2
4.	बिहार	60	6	4
5.	गोवा	1	—	1
6.	गुजरात	36	7	13

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	92	3	—
8.	हिमाचल प्रदेश	13	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	14	—	—
10.	कर्नाटक	33	5	3
11.	केरल	67	5	2
12.	मध्य प्रदेश	56	9	9
13.	महाराष्ट्र	36	6	6
14.	मणिपुर	9	—	1
15.	मेघालय	10	—	—
16.	मिजोरम	3	—	—
17.	नागालैण्ड	7	—	—
18.	उड़ीसा	33	4	3
19.	पंजाब	43	—	2
20.	राजस्थान	32	3	1
21.	सिक्किम*	—	—	—
22.	तमिलनाडु	31	3	10
23.	त्रिपुरा	4	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	76	13	24
25.	पश्चिम बंगाल	70	4	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—	1
27.	चंडीगढ़	1	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—
29.	दिल्ली	17	3	5
30.	दमन और दीव	2	—	—
31.	लक्षद्वीप	1	—	—
32.	पांडिचेरी	1	—	1
	योग	834	80	117

*इस राज्य में कोई भी रोजगार केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

गुटका सेवन और उत्पादन पर प्रतिबंध

*15. **श्री हरिन पाठक :**
श्री राम नाइक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटका के सेवन से लाइलाज मुंह की बीमारियां हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा सरकार का विचार गुटका के सेवन पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधान बनाने का था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार भी संपूर्ण देश में गुटका के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का तथा इस संबंध में इलैक्ट्रानिक मीडिया आदि द्वारा व्यापक प्रचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गुटका के उत्पादन तथा इसके सेवन पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि गुटका उपभोग और उसके प्रतिकूल प्रभावों के बीच सह संबंध निश्चित करने के लिए प्रणालीबद्ध चिकित्सा/जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन किए जाएं। विशेषज्ञों द्वारा दो से तीन वर्षों की अवधि में किए जाने वाले ऐसे जानपदिक रोग विज्ञानीय तथा पशु-आधारित अध्ययन चलने के दो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार, पान मसाला और चबाने वाले तम्बाकू उत्पादों के लेबलों पर सांविधिक चेतावनी का लिखा जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 1990 से दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पान मसालों और तम्बाकू के उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राज्यों और संघ राज्यों के खाद्य एवं स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इन उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जन-साधारण को शिक्षित करें।

गोवा सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर गुटका, जर्दा आदि जैसे चबाने/खाने वाले तम्बाकू पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक बनाने का कार्य राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भविष्य निधि कार्यालयों में अनियमितताएं

*16. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भविष्य निधि कार्यालयों में बड़े पैमाने पर व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य निधि मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य निधि मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि दावों के निपटान में विलम्ब, अंशदाता के खाते में भविष्य निधि अंशदान को जमा न करवाए जाने, समय पर पेंशन का भुगतान न किए जाने आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए कर्मचारियों की सेवार्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 16 क्षेत्रीय कार्यालय, 54 उप-क्षेत्रीय कार्यालय तथा 7 उप-लेखा कार्यालय स्थापित किए हैं। इन कार्यालयों को भविष्य निधि मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं। पेंशन की नियमित अदायगी के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। अंशदाताओं को तुरंत सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और शिकायतों का आवधिक रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सभी प्रकार से पूर्ण भविष्य निधि दावों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़

*17. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों को अत्यधिक भीड़ की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या की गंभीरता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जिसके कारण यहां उपलब्ध सेवाएं अस्त व्यस्त हो रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) सरकार सरकारी अस्पतालों में अधिक भीड़ की समस्या से अवगत है। यद्यपि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों की संख्या 2694 (1951) से 13692 (1993), औषधालयों की संख्या 5306 (1951) से 28321 (1993) तथा पलंगों की संख्या 117179 (1951) से 834650 (1993) तक बढ़ी है फिर भी वह वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि के तदनुरूप नहीं है जिससे सरकारी अस्पतालों में जो समाज के निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अधिक भीड़ हो रही है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करते हुए राज्यों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

देश में रोग के कुल भार को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य परिचर्या के संवर्धक तथा निवारक पहलुओं पर पर्याप्त जोर दिया गया था। सरकारी अस्पतालों में भीड़ रेफरल प्रणालियों की कमी के कारण भी है जिनके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों तथा जिला स्तर के अस्पतालों में रोगियों की जांच की जा सके। उपकेन्द्र तथा जिला स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा शुरू किया गया है और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सरकारी अस्पतालों में अधिक भीड़ को रोकने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के विभिन्न स्तरों पर रोगियों की उचित जांच तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस परियोजना के अगले चरणों में अधिक राज्यों को कवर करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों के लिए कानून

***18. श्री वी० वी० राघवन :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु केन्द्रीय कानून बनाने में हो रहे असाधारण विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आज की तारीख तक देश में कृषि मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी हां, महोदय।

(ख) प्रस्तावित विधान का आशय कृषि कर्मकारों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करना और उनके लिए कतिपय कल्याण उपायों की व्यवस्था करना है। अभी तक किए गए विलम्ब का कारण इस कार्य की जटिलता, व्यापकता और राज्य सरकारों की पृथक-पृथक धारणाएं जो उनकी अति विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और कृषि जलवायु की दशाओं, कृषीय परम्पराओं और भिन्न-भिन्न राज्यों में व्याप्त नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के कारण उत्पन्न होती हैं/रही हैं।

(ग) और (घ) कृषि कर्मकारों की गणना दस वर्षीय जनगणना में साधारण जनसंख्या के साथ-साथ की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार 74.6 मिलियन कृषि कर्मकार, 110 मिलियन खेतिहर किसान थे और लगभग 6 मिलियन ऐसे कर्मकार थे जो तत्सम्बद्ध कार्यकलापों में नियोजित थे।

मलेरिया उन्मूलन हेतु धनराशि

***19. श्री मुरलीधर जेना** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मलेरिया उन्मूलन हेतु राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि तथा अब तक इसका उपयोग किए जाने संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि आबंटित धनराशि कम है तथा वित्तीय अभाव के कारण उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 की लागत भागीदारी के आधार पर श्रेणी-II केन्द्रीय प्रायोजित योजना/स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय सहायता अनिवार्यत: सामग्री के रूप में अर्थात औषधों, चयनित कीटनाशक और अन्य सामग्री सहायता के रूप में होती है। राज्य सरकार अपने 50 प्रतिशत के भाग में से अपेक्षित स्टाफ, वाहन और अन्य प्रचालनात्मक व्यय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

तथापि, दिसम्बर, 1994 से 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अनेक राज्यों से समय-समय पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट आपाती/महामारिक स्थितियों में राज्य की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार के पास विशेषज्ञों और धन की उपलब्धता के माध्यम से तकनीकी मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामग्री रूप में प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सीमित बजटीय संसाधनों को पूरा करने के लिए एक विश्व बैंक सहायता-प्राप्त करने के लिए मलेरिया नियंत्रण परियोजना देश में 7 मलेरिया स्थानिकमारी वाले राज्यों में 100 जिलों और 19 शहरों/कस्बों को अनिवार्यतः कवर करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर ली गई है। 5 वर्षों की अवधि तक चलने वाली इस परियोजना के लिए 891.04 करोड़ के वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था है जिसे विश्व बैंक (आई॰ डी॰ ए॰ सोफ्ट विन्डो) और भारत सरकार के बीच बांटा जायेगा।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	712.57	251.22	634.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	125.06	295.29	126.90
3.	असम	540.78	2014.62	1660.83
4.	बिहार	385.11	133.08	206.76
5.	गोवा	13.68	4.78	3.46
6.	गुजरात	970.06	848.19	471.75
7.	हरियाणा	341.84	195.32	327.77
8.	हिमाचल प्रदेश	109.68	117.72	119.82
9.	जम्मू और कश्मीर	85.20	15.05	119.13
10.	कर्नाटक	476.65	463.42	853.62
11.	केरल	51.88	51.57	53.65
12.	मध्य प्रदेश	1682.01	1228.26	769.35
13.	महाराष्ट्र	1121.65	1362.77	2405.71
14.	मणिपुर	105.71	350.00	303.28
15.	मेघालय	84.85	322.87	201.97
16.	मिजोरम	79.66	357.29	106.07
17.	नागालैंड	150.11	364.87	122.45
18.	उड़ीसा	236.08	434.76	248.15
19.	पंजाब	377.52	325.12	282.79
20.	राजस्थान	560.59	1196.57	2025.35
21.	सिक्किम	0.80	14.24	39.34
22.	तमिलनाडु	137.35	153.67	150.39
23.	त्रिपुरा	114.65	404.12	300.67
24.	उत्तर प्रदेश	890.78	349.96	941.71
25.	पश्चिम बंगाल	449.64	445.16	772.70
26.	दिल्ली	92.33	349.43	117.88
27.	पांडिचेरी	10.42	23.94	16.12
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	104.96	69.56	94.04
29.	चंडीगढ़	55.20	24.49	46.33
30.	दादरा एवं नगर हवेली	19.56	22.82	12.73
31.	दमन व दीव	7.10	4.08	8.80
32.	लक्षद्वीप	3.23	3.33	2.10
	योग	10095.71	12198.07	13546.25

हज यात्री

***20. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीना में 15 अप्रैल, 1997 को लगी आग में हताहत भारतीय हज यात्रियों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) मृतकों के आश्रितों को भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार द्वारा दिये मुआवजे का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में हज यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न सऊदी अरब की सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सऊदी अरब सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अप्रैल 15 के मीना अग्निकाण्ड में जिन भारतीय हाजियों को मृत घोषित किया गया उनकी सही-सही संख्या 170 है। घायलों की संख्या 424 है। 67 अन्य यात्री लापता हैं।

(ख) भारत सरकार ने मृतकों के निकट संबंधी को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। सऊदी अरब की सरकार ने किसी प्रकार के मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की है।

(ग) जी, हां।

(घ) सऊदी अरब सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। उन्होंने भविष्य में व्यापक उपाय करने तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है।

सरकारी आवास

1. **श्री आई॰ डी॰ स्वामी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों जिनके बच्चे सरकारी कार्यालयों में काम नहीं कर रहे हैं, वे नाम पर सरकारी आवास को नियमित करने के लिए नियमों की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यावरण सुधार योजनाएं

2. **श्री बी॰ एल॰ शंकर** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार संबंधी देश में आज तक कुल कितनी परियोजनाएं कार्यरत हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन 1996-97 में विशेषकर 30 जून, 1997 तक किन-किन परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक कार्य अब भी आरंभ किया जाना है;

(ग) परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का पूरे देश में समान वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) शहरी स्लमों की पर्यावरण संबंधी सुधार स्कीम के तहत विदेशी सहायता से देश में कोई भी परियोजना कार्यरत नहीं है।

स्वास्थ्य बीमा कंपनियां

3. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशा-निर्देशों से आम लोगों को कितना लाभ मिलेगा;

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने 1997-98 के बजट भाषण में संयुक्त उद्यम प्रारंभ करने के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम को समर्थ बनाने तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में कुशल चुनिंदा कंपनियों को आने की अनुमति देने के लिए आवश्यक संशोधन लाने के एक प्रस्ताव की घोषणा की थी। इससे पहले कि सरकार कंपनियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें, सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं को संशोधित करना होगा।

[हिन्दी]

टूथपेस्ट की गुणवत्ता

4. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंत शल्य चिकित्सकों ने चंडीगढ़ में आयोजित सम्मेलन में दांतों और मसूढ़ों की सुरक्षा हेतु भारत में बने टूथपेस्ट की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में बनें टूथपेस्ट की गुणवत्ता की जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में दंत विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया

था जिसमें टूथपेस्टों के विभिन्न ब्रांडों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों और बढ़-चढ़कर किए गए दावों का उल्लेख किया गया था।

(ग) और (घ) भारत में विभिन्न ब्रांडों के फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के 10 नमूनों की जांच और विश्लेषण से पता चला है कि इन उत्पादों के विनिर्माता, औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन निर्धारित विनिर्देशनों का अनुपालन कर रहे थे। ऐसी जांचें एक सतत् कार्यकलाप हैं।

[अनुवाद]

न्यू केन्डा कोयला खान

5. **श्री हाराधन राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ की न्यू केन्डा कोयला खान में 25.1.94 को हुई अग्नि दुर्घटना जिसमें 55 व्यक्ति मारे गये थे, के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस जांच को कराने मे कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) इस आग को बुझाने में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जांच न्यायालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि खान में पिट सं॰ 2 से संलग्न गैलरी की छत पर एकाएक गर्माहट बढ़ जाने के कारण आग लग गई। न्यायालय ने प्रबंधन की ओर से की गई अनेक खामियों की ओर संकेत किया है जो इस प्रकार है :—

1. भूतल को हालेज रोडवे के अंत तक जोड़ने के लिए कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं था।

2. शुरू में कोई आग का टुकड़ा नीचे नहीं गिरा क्योंकि किसी व्यक्ति ने लपट नहीं देखी, हालांकि काला धुआं देखा गया था। यह प्रतीत होता है कि यदि आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया गया होता तो सफलता मिल सकती थी।

3. यह ऐसा मामला है जिसमें तुरंत पीछे हटने का काम बिना किसी हिचकिचाहट के किया जा सकता था क्योंकि आग इन टेक पिट के पास लगी हुई थी।

4. जमीन के नीचे काम करने के लिए जाने वाली सभी कर्मकार स्वबचाव उपकरण नहीं लिए हुए थे।

5. भागने के रास्तों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा गया था और उनकी सूचना कर्मकारों को नहीं दी गई थी।

6. खानों में रेत की कमी थी।

तथापि, जांच न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यह प्रक्रियागत दोष है और इन खामियों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(ख) इस जांच को कराने में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कुल 5,44,261,00 रुपये खर्च किए हैं।

(ग) ई॰ सी॰ एल॰ ने इस आग को बुझाने के लिए अभी तक 6,99,35,987.00 रुपये खर्च किए हैं।

गैर-सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध

6. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर) : (क) जी, नहीं। देश में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के क्रिया कलापों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों का मूल्य

7. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में खुदरा विक्रेता औषधियों का अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं जैसा कि कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अस्पतालों में सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार के माध्यम से कम मुनाफे पर औषधियों की बिक्री के लिए दवाइयों की दुकानें खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) रसायन और पैट्रो रसायन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मौजूदा नीति के अंतर्गत 50 प्रतिशत फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और ऐसे फार्मूलेशन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाते हैं। तथापि, मूल्य नियंत्रण के क्षेत्राधिकार से बाहर वाले फार्मूलेशनों के मामले में कंपनियां अपने मूल्य तय करने में स्वतंत्र होती हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सुपर बाजार सभी औषधें अपनी दुकानों के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहा है।

गरीबी उन्मूलन योजना

8. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों को उनकी दयनीय स्थिति से उबारने के लिए 200 से अधिक योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या इस समय उन सभी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन योजनाओं को कार्यान्वित करने से देश में गरीबी कम हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) से (ग) देश में कार्यान्वित की जा ही प्रमुख गरीबी उन्मूलन स्कीमें हैं : ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰), जवाहर रोजगार योजना (जे॰ आर॰ वाई॰), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई॰ ए॰ एस॰), शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰), गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू॰ बी॰ एस॰ पी॰), और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन, कार्यक्रम (पी॰ एम॰ आई॰ यू॰ पी॰ ई॰ पी॰), उन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (ङ) जी हां, गरीबी अनुमान संबंधी लकड़ावाला विशेषज्ञ समिति के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत वर्ष 1983 के 44.48 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1987-88 में 38.56 प्रतिशत हो गया है तथा वर्ष 1993-94 में पुन: घटकर 35.97 प्रतिशत हो गया।

विवरण

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰)

(i) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰) : 1980 से देश के सभी भागों में कार्यान्वित की जा रही आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम के तहत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों को निधियों का आबंटन किया जाता है।

आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ का उद्देश्य सब्सिडी के रूप में सहायता तथा बैंक ऋण के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे उत्पादक परिसम्पत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सकें तथा सतत् आधार पर गरीबी की रेखा को पार करने हेतु उपयुक्त कौशल का विकास कर सकें। लक्षित समूह में प्रमुखत: छोटे तथा सीमांत किसान, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण दस्तकार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 की कीमतों पर 1100 रुपये की गरीबी की रेखा से नीचे है। लक्षित समूह में कुछ श्रेणियों का कवरेज सुनिश्चित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 50 प्रतिशत महिला 40 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से अपंग 3 प्रतिशत सब्सिडी की उच्चतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपए है, अन्यों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰ पी॰ ए॰ पी॰) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी॰ डी॰ पी॰) क्षेत्रों में 5,000 रुपये और सामान्य क्षेत्रों में 4,000 रुपये हैं। हाल ही में प्रशिक्षित साक्षर युवकों के लिए एक नई क्षेणी शुरू की गई है जिसके लिए देय सब्सिडी परियोजना लागत की 50 प्रतिशत या 75000 रुपये, जो भी कम हो, है। इसके अलावा पांच लाभार्थियों के समूह के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 1.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, कर दिया गया है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डी॰ डब्ल्यू॰ सी॰ आर॰ ए॰) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण उप स्कीमें हैं।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे॰ आर॰ वाई॰) : जे॰ आर॰ वाई॰ एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो 1989 से चल रहा है। जे॰ आर॰ वाई॰ का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना है। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सतत् रोजगार तथा उनके सीधे और लगातार लाभों के लिए ग्रामीण गरीबों के हित में परिसम्पत्तियों का सृजन करना ताकि इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस योजना के तहत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्य तथा संघ राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में जिलों के पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर आबंटन किये जाते हैं, जिसमें जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति कृषि कामगारों, कृषि उत्पादन के विपरीत बराबर भारांश को ध्यान में रखा जाता है। निधियों को (संशोधित वितरण के अंतर्गत) ग्राम पंचायतों, अंतर मध्य श्रेणी पंचायतों तथा जिला पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच 65:15:20 के अनुपात में वितरित किया जाता है।

(iii) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई॰ ए॰ एस॰) : रोजगार आश्वासन स्कीम 2 अक्टूबर, 1993 को 1752 अभिनिर्धारित पिछड़े इलाकों, जो सूखा प्रवण, मरुस्थल, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं तथा जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी, में आरंभ की गई थी इस स्कीम का अब 1997-98 से देश के सभी ब्लॉकों में विस्तार कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अकुशल सार्वजनिक कार्य 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराना होता है जो कम कृषि कार्य के मौसम के दौरान इसकी तलाश में रहते हैं। इसका दूसरा लक्ष्य ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, कल तथा मृदा संरचना कार्य, लघु सिंचाई कार्य,

ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा आंगनवाड़ी तथा लाभान्वित किसानों के निजी जमीन पर बागवानी क्रियाकलाप इस स्कीम के तहत अनुमत्य कार्य है। वर्ष 1995-96 में जलसंभर विकास कार्य आरंभ करने के लिए निधियों का 50 प्रतिशत नियत किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम आवश्यकता आधारित स्कीम है। और इसलिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम कृषि कार्य वाले मौसम के दौरान सार्वजनिक कार्य की मांग के अनुरूप निधियों की मांग कर सकते हैं।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (यू. पी. ए. पी. एस.) : शहरी गरीबी को सुलझाने हेतु शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर निम्न तीन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है :

(क) नेहरू रोजगार योजना,

(ख) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,

(ग) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू. बी. एस. पी.)।

ये सभी योजनाएं 60:40 के अनुपात में (केन्द्र का हिस्सा : राज्य का हिस्सा) विभिन्न यू. पी. ए. पी. एस. के प्रमुख/लक्षण नीचे दिए जा रहे हैं।

नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई.) : शहरी गरीबी द्वारा उपस्थित चुनौती के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा 1989 में नेहरू रोजगार योजना आरंभ की गई थी। यह शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए लक्षित है। (अर्थात 1991-92 की कीमतों के अनुसार 11850 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार) योजना के तीन घटक हैं।

1. शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम (एस. यू. एम. ई.) : एस. यू. एम. ई. गरीबों को उनका कौशल उन्नत करने और स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। जिसकी अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 5000 रुपये और सामान्य लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 4000 रुपये है। परियोजना लागत की शेष राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 15,000 रुपये और सामान्य प्राप्तकर्ताओं के लिए 12,000 रुपये तक की अधिकतम राशि, ऋण के रूप में बैंकों से उपलब्ध होती है। स्कीम सभी शहरी बस्तियों पर लागू है।

2. शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (एस. यू. डब्ल्यू. ई.): एस. यू. डब्ल्यू. ई. का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए शहरी गरीबों के श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी पर रोजगार मुहैया कराना है यह स्कीम एक लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है।

3. आवास और आश्रय स्थल उन्नयन स्कीम (एस. एच. एस. यू.) : एस. एच. एस. यू. का उद्देश्य शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास और आश्रय स्थल उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और निर्माण कौशल का उन्नयन करना है। आवास/आश्रय उन्नयन के लाभ प्राप्तकर्ताओं को इस स्कीम के अंतर्गत 9950 रुपये की उच्चतम सीमा तक ऋण और 1000 रुपये की उच्चतम सीमा तक सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम 20 लाख से नीचे की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों के लिए लागू है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आई. यू. पी. ई. पी.)

शहरी गरीबी समस्याओं, खासकर छोटे नगरों में जहां पर्यावरण और विकास के लिए योजना हेतु संसाधनों की कमी के कारण स्थिति बहुत ही गंभीर है की गंभीरता और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिनांक 15.8.94 को शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आई. यू. पी. ई. पी.) के नाम से एक एकीकृत स्कीम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों और साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों को मिलाकर शताब्दी के अंत तक लक्षित क्षेत्रों में शहरी गरीबी के उन्मूलन के लिए लक्षित कार्यक्रम के सहभागी क्रियान्वयन की परिकल्पना के माध्यम से उपयुक्त कार्यनीति के साथ एक समेकित ढंग से शहरी गरीबी के मूल कारणों पर प्रहार करना है। नये कार्यक्रमों के तहत विशिष्ट लक्ष्य हैं :

(क) सामाजिक क्षेत्रक लक्ष्यों की प्रभावी उपलब्धि,

(ख) सामुदायिक प्राधिकार,

(ग) सतत् समर्थन प्रणाली के माध्यम सें कवरेज नये कार्यक्रम के तहत विशिष्ट लक्ष्य है,

(घ) रोजगार सृजन तथा कौशल उन्नयन,

(ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सुधार और पर्यावरणीय सुधार।

कार्यक्रम के प्रमुख संघटक हैं :

(क) सूक्ष्म उद्यमों और कौशल विकास की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार,

(ख) बुनियादी भौतिक सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार,

(ग) आश्रम उन्नयन,

(घ) सामुदायिक संगठन और प्राधिकार,

(ङ) शहरी स्थानीय निकायों (यू. एल. बीज.) को सुदृढ़ीकरण,

(च) राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि (एन॰ यू॰ पी॰ ई॰ एफ॰) की स्थापना,

(छ) शहरी डाटाबेस के क्रियाकलापों और विकास का प्रशिक्षण।

(ज) गैर सरकारी संगठनों का सम्मिलन।

यह कार्यक्रम 50000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी II नगरों में जिनकी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 345 है, लिए लागू होगा। इस स्कीम का विस्तार उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमांऊ क्षेत्र के 72 जिला नगरों में किया गया है।

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू॰ बी॰ एस॰ पी॰):

यू॰ बी॰ एस॰ पी॰ एक गतिशील प्रक्रिया है जो शहरी गरीबों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाने के व्यापक उद्देश्य से कार्य करता है। इसे सामुदायिक संगठन और गतिशीलता, समुदायों का प्राधिकार, विशेषतौर पर महिलाओं को निर्णय लेने और सामुदायिक प्रबंधक में भूमिका निभाने में सक्षम बनाने और शहरी जो न केवल मलिन बस्तियों बल्कि अनेक दशाओं और स्थानों पर रहते हैं के हेतु मौजूदा क्षेत्रीय कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावीकरण में वृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से हासिल करने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य नये कार्यक्रमों की डिजाइन में गरीबों के अनुकूल अभिमुखीकरण लागू करना और समाज की गंभीर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीन भागीदारी व्यवस्था विकसित करना है।

भारत में शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया। यू॰ बी॰ सी॰ कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अनुभव और शहरी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने वर्ष 1991 में इसे गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं के रूप में संशोधित किया था तथा इसे शहरी स्लम पर्यावरण सुधार (ई॰ आई॰ यू॰ एस॰), नेहरू रोजगार योजना (एन॰ आर॰ वाई॰) और कम लागत की सफाई व्यवस्था जैसे अन्य शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (एल॰ सी॰ एस॰) से एकीकृत किया था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

9. श्री पवन दीवान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार और योजनावार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मांग के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि जारी कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 में मध्य प्रदेश को, गुना जिले में अशोक नगर से इसागार तक सड़क को चौड़ा करने के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 95-96 में, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है। वर्ष 96-97 में कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

(ग) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विभिन्न स्कीमों हेतु वास्तविक जरूरत एवं योजना आयोग के पास संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

10. श्री सौम्य रंजन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1997 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 1056 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

परिवार कल्याण सेवाएं ग्रामीण परिवार केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। उड़ीसा राज्य में 314 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 79 प्रसवोत्तर केन्द्र, 10 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और 8 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किए जाते हैं। राज्यों को ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन केन्द्रों को आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	1995-96	1996-97
	(रुपये लाखों में)	
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1293.00	1961.00
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	925.00	925.00
प्रसवोत्तर केन्द्र	228.00	228.00
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	16.00	15.00
शहरी स्वास्थ्य चौकियां	25.00	24.00

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए नकद प्रोत्साहन

11. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में इलावोथरम गांव को परिवार नियोजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन हेतु चुना था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन दिया गया था;

(ग) क्या प्रोत्साहन राशि गांव के विकास पर व्यय की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में किन-किन जिलों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां अनेक जिले परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं; और

(च) यदि हां, तो अन्य गांवों/जिलों को क्या प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 2.00 लाख रुपये।

(ग) पुरस्कार राशि का उपयोग इलावोथरम गांव में केवल विकास कार्यों के लिए करने का इरादा है।

(घ) आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) अप्रैल, 1996 से परिवार कल्याण कार्यक्रम को गर्भ निरोधक पद्धति से जुड़े लक्ष्य निर्धारण से मुक्त कर दिया है। सामुदायिक अवार्ड योजना के अंतर्गत 14 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 249 जिलों में इतने ही गांवों को जन्म दर, नवजात शिशु मृत्युदर और शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयासों के लिए प्रत्येक को 2.00 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में अस्पताल/औषधालय

12. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कोई अस्पताल/औषधालय खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अवस्थिति-वार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) गुजरात में आठवीं योजना के दौरान विश्व बैंक सहायता से कोई अस्पताल/औषधालय नहीं खोला गया है। तथापि, आई॰ पी॰ पी॰ VII परियोजना, जिसे विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है, के अधीन आठवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात में 578 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

13. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की पहचान के लिए निर्धारित वार्षिक आय की सीमा को 11,850 रुपये (1991 के आंकड़ों पर आधारित) को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस तरह के अनुरोध अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर) : (क) से (ग) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से आर्थिक सीमा को 11850 रुपये बढ़ाकर 15000 रुपये करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विशेष अनुरोध योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ऐसा एक अनुरोध महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। गरीबी रेखाओं को पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही सामान्यतः अद्यतन बना दिया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।

हृदय शल्य चिकित्सा

14. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में निर्धन और निम्न आय वर्ग के हृदय रोगियों के लिए निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा का कोई प्रावधान नहीं है तथा उनसे भारी धनराशि वसूल की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रमण्डल स्तर पर हृदय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) हृदय शल्य चिकित्सा (ओपन और क्लोज्ड दोनों तरह की हृदय शल्य चिकित्सा) के लिए सुविधाएं देश के अधिकतर बड़े सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, स्नातकोतर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ आदि जैसे विशेषज्ञता वाले अस्पताल कोई आपरेशन शुल्क अथवा चिकित्सक शुल्क वसूल नहीं करते हैं लेकिन रोगी को आपरेशन के लिए अपेक्षित सामग्री और उपभोज्य सामग्री के लिए वास्तविक प्रभारों का भुगतान करना होता है।

(ख) से (घ) हृदय शल्य चिकित्सा एक अति विशेषज्ञता वाली क्रियाविधि है जो केवल तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में की जा सकती है जहां अन्य सहयोगी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य विषय है, इसलिए विभिन्न अस्पतालों में जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का काम है।

[अनुवाद]

केरल में पासपोर्ट कार्यालय

15. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कालीकट, त्रिवेन्द्रम और कोचीन स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया और फिलहाल इन कार्यालयों में पृथक रूप से कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों द्वारा गत वर्षों की तुलना में पासपोर्ट के लिये निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) एक तालिकाबद्ध विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केरल में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निपटाए गए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या

क्र. सं.	कार्यालय	1996		1997 (30.6.97 की स्थिति के अनु.)	
		निपटाए गए आवेदन	लंबित आवेदन	निपटाए गए आवेदन	लंबति आवेदन
1.	कोचीन	83107	8590	49212	10263
2.	कोजीकोड	126400	22368	68878	22079
3.	त्रिवेन्द्रम	73600	11475	42873	12578

डी. डी. ए. फ्लैटों का आबंटन

16. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री डी. डी. ए. फ्लैटों के आबंटन के बारे में 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा इसके पश्चात् निर्मित कितने फ्लैटों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) इन फ्लैटों का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1997 के दौरान कितने डी. डी. ए. फ्लैटों का आबंटन किया गया है तथा आबंटितियों से कितनी धनराशि की वसूली की गई है परंतु अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) ने बताया है कि 1992-93 के दौरान एवं उसके बाद निर्मित 3802 फ्लैट अभी तक अनाबंटित पड़े हुए हैं।

(ख) ये फ्लैट, दिल्ली विद्युत बोर्ड से मिलने वाली बिजली के अभाव में आबंटित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) 1997 के दौरान आबंटित फ्लैटों की संख्या 10934 है। डी. डी. ए. फ्लैटों का आबंटन, आबंटितियों से देय राशि की वसूली और कब्जा देना एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे कोई अनाबंटित फ्लैट नहीं हैं, जिनका आबंटितियों ने पूरा भुगतान कर दिया हो और नियमानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर दी हों तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली दे दी गई हो।

अनाधिकृत कब्जा

17. श्री विजय संकेश्वर : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा अन्य अतिविशिष्ट व्यक्ति अभी भी अनधिकृत रूप से सरकारी बंगले/फ्लैटों आदि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक इनके विरुद्ध बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन बंगलों/फ्लैटों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं इनमें से प्रत्येक व्यक्ति से कितनी बकाया धनराशि वसूल की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) ऐसे पांच भूतपूर्व मंत्री और सांसद हैं जो सामान्य पूल वास में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। अन्य वी॰ आई॰ पी॰ लोगों के संदर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एलोपैथी के डॉक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों का उपयोग

18. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलोपैथी के डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिये कई मशहूर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं और अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर भी इन दवाइयों के नुस्खे लिख रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने अर्हता प्राप्त आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों द्वारा एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग करने पर रोक लगाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अर्हता प्राप्त आयुर्वेदिक अथवा होम्यापैथी डॉक्टरों को आपात स्थिति में एलोपैथी दवाइयों का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) पूनम वर्मा बनाम अश्विनी पटेल तथा अन्यों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के 10.5.1996 के निर्णय के अनुसार जो व्यक्ति होम्योपैथिक प्रेक्टीशनर के रूप में पंजीकृत है वह केवल होम्योपैथी की ही प्रेक्टिस कर सकता है। जब वह विधान जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति मेडिकल प्रेक्टीशनर के रूप में पंजीकृत है, केवल होम्योपैथी की प्रेक्टिस करने की अनुमति देता है तो उस व्यक्ति का यह एक सांविधिक कर्त्तव्य है कि वह किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में प्रेक्टिस न करे जिसके लिए अर्हता प्राप्त नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार जो व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता रखता हो तथा राज्य चिकित्सा रजिस्टर/भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत है वह किसी भी राज्य में ऐलोपैथिक पद्धति अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस करने का पात्र है।

अस्पतालों के भवनों का पुनरुद्धार

19. श्री ललित उरांव : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे क्लीनिकों/अस्पतालों के भवनों के पुनरुद्धार हेतु नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्/दिल्ली नगर निगम के पास कितनी योजनाएं लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने बताया है कि सी॰ जी॰ एच॰ एस॰ डिस्पैन्सरियों का नवीकरण न तो नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा और न ही दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया है। अत: इन एजेंसियों के पास कोई स्कीम लंबित होने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घटिया औषधियां

20. श्री अनंत गुढे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया/नकली दवाइयों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है तथा बाजार में उनका विपणन होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में विशेषज्ञ समिति/कार्यबल द्वारा खतरे की संभावना तथा समस्या की विकरालता को देखते हुए निष्पक्ष रूप से इसका आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञों द्वारा आकलन किये गये संभावित खतरे का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन को सुचारु और कारगर बनाकर घटिया दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिये कार्य योजना की कार्यसूची क्या है तथा क्या सरकार खाद्य तथा औषधि अपमिश्रण अधिनियम को राज्य सरकारों की सहायता से प्रभावी ढंग से लागू करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या की नये सिरे से समीक्षा करने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जैसा कि 1993-96 की अवधि के दौरान राज्य औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है, जांची गई औषधों के 10-12 प्रतिशत नमूनों को घटिया किस्म का पाया गया जबकि 0.2 प्रतिशत नमूनों को नकली किस्म का पाया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे घटिया औषधों के विनिर्माण और बिक्री की समस्या को रोकने हेतु अपने प्रवर्तन स्टाफ और औषध जांच सुविधाओं को सुदृढ़ करें। तथापि, जन स्वास्थ्य क्षमता निर्माण परियोजना, जिसके बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है, के अधीन सरकार का केन्द्र और राज्यों में औषध जांच सुविधाओं और औषध निरीक्षणालय स्टाफ में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दक्षिणी ध्रुव में बर्फ का पिघलना

21. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंटार्कटिका में भारतीय दल द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दक्षिणी ध्रुव में बर्फ पिघलकर पानी बन रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तटक्षेत्र के साथ जुड़े महासागर में जल-स्तर बढ़ गया है जिसके कारण तटवर्ती शहरों में खतरा बढ़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय अंटार्कटिक दल द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णायक अध्ययन दक्षिण ध्रुव में नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आई. पी. सी. सी.) 1995 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 100 वर्षों में भूमण्डलीय औसत समुद्र स्तर, 1 से 2.5 मि. मि. प्रतिवर्ष की दर से, 10 सें. मी. से 25 सें. मी. तक बढ़ गया है। बम्बई में इस अवधि के दौरान देखी गई प्रवृति 0.9 मि. मि. प्रतिवर्ष है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन. आई. ओ.) गोवा द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययन दर्शाते हैं कि भारतीय तट-रेखा के साथ-साथ विभिन्न स्थलों पर समुद्र स्तर चढ़ाव 0.53 मि. मि. प्रतिवर्ष की औसत से, लगभग 0.36 मि. मि. से 0.91 मि. मि. प्रतिवर्ष है। समुद्र स्तर चढ़ाव से हो रही है आप्लव वृद्धि के कारण तटीय राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए अभी तक विस्तृत अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(घ) "समुद्र स्तर प्रबोधन तथा प्रतिरूपण" शीर्षक से सरकार ने वर्ष 1990 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत समुद्र स्तर परिवर्तनों के प्रबोधन के लिए पोरबंदर, मर्मगोवा, कावारत्ती, पोर्टब्लेयर, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पाराद्वीप में 8 आधुनिक ज्वार प्रमापी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। समुद्र स्तर चढ़ाव से संबंधित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को सुगम बनाने के लिए नैल्लोर से मछलीपत्तनम तक के अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए 0.5 मीटर की समोच्चरेखा के साथ 1:25,000 पैमाने पर तटीय क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्रण किया गया है।

शहरी रोजगार योजना

22. श्री जयसिंह चौहान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के शहरी क्षेत्र में लागू की गई रोजगार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के शहरी क्षेत्रों में जून, 1997 तक कितने मानव दिवसों का सृजन किया गया;

(ग) इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या विश्व बैंक ने इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) इस मंत्रालय द्वारा गुजरात के शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार के संबंधित दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके नाम हैं : नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई.) तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी. एम. आई. यू. पी. ई.)।

(ख) **एन. आर. वाई.** :

गुजरात में शहरी मजदूरी रोजगार योजना (सूवे) के अंतर्गत 30.6.97 तक 13.05 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए।

पी. एम. आई. यू. पी. ई. पी. :

इस कार्यक्रम में मजदूरी रोजगार का कोई घटक नहीं है।

(ग) **एन. आर. वाई.** : 30.6.97 तक एन. आर. वाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि क्रमशः 3610.11 लाख रुपये तथा 1684.10 लाख रुपये है।

पी. एम. आई. यू. पी. ई. पी. :

गुजरात सरकार को इस कार्यक्रम के तहत जारी किया गया केन्द्रीय अंश इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)
1995-96	583.59
1996-97	315.54500

राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 2,59,51,492/- रुपए तथा 2,04,75,185/- रुपए खर्च किए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रेवल एजेंटो के विरुद्ध कार्रवाई

23. श्री एस. अजय कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, जिन्होंने विदेशों में नौकरी चाहने वाले मजदूरों के साथ धोखाधड़ी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) कर्मकारों की ओर से समय-समय पर धोखाधड़ी और लूटखसोट, ठेके को बदलने, कौशल को कम आंकने, मजदूरी की अदायगी न करने और विलम्ब से करने, ठेका की पूर्व समाप्ति, असंतोषजनक रहन-सहन और कामकाजी दशाएं आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनके संबंध में पुलिस प्राधिकारियों और विदेश स्थित संबंधित मिशनों की सहायता से जांच-पड़ताल की जाती है और प्रत्येक मामले के गुणागुण के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित किया जाना और उसे रद्द किया जाना भी शामिल है। सप्ताह में दो दिन अर्थात् मंगलवार और शुक्रवार को 11.30 बजे पूर्वाह्न से 12.30 अपराह्न तक सार्वजनिक सुनवाई भी की जाती है जिसमें शिकायतकर्ता और भर्ती एजेन्ट दोनों को ही बुलाया जाता है और अधिकांश मामलों में शिकायतों को दूर कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों, 1994, 1995 और 1996 के दौरान भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध 239 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 26 भर्ती एजेन्टों के रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिए गए और एक भर्ती एजेन्ट का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था।

बाल श्रम

24. श्री एन. डेनिस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बाल श्रम को समाप्त करने हेतु सृजनात्मक कार्य के लिए लेखकों को कोई प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें भी इस प्रकार से प्रोत्साहन देती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए 15 अगस्त, 1994 को सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जाती हैं। परियोजना के अंतर्गत खोले गए विशेष स्कूलों में, बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार आदि प्रदान किए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण निधि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए रचनात्मक कार्य हेतु लेखकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है।

भूमि घोटाला

25. श्री राम सागर : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री भूमि घोटाले के बारे में 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि का अभी भी कब्जा लिया जाना है" नामक शीर्षक की मद संख्या (i) के प्रसंग में दिल्ली सरकार ने बताया है कि विकास हेतु भूमि लेने के लए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। इनमें से कुछ अधिसूचनाएं वर्ष 1959 से 1965 के दौरान की हैं। इन अधिसूचनाओं को प्रभावित भूस्वामियों द्वारा कई आधारों पर चुनौती दी गई। यह मामला पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रहा। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों का फैसला सरकार के पक्ष में दिया। शेष मामलों में, सरकार ने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। सभी संबंधित एस. डी. एम./एल. ए. सी. को निर्देश दिए गए हैं कि इन मामलों में ग्रस्त भूमि का कब्जा ले लिया जाए ताकि उस भूमि पर कोई अतिक्रमण न होने पाए।

"धर्मार्थ ट्रस्ट ने ग्राम सभा भूमि हड़पी" नामक मद सं. (ii) के बारे में दिल्ली सरकार ने बताया है कि झड़ौदा कलां की ग्राम सभा भूमि पर बाबा हरिदास लोक सेवा मंडल ने अतिक्रमण किया था। पंचायत विभाग ने रेवेन्यू एसिस्टेंट की अदालत में बेदखली कार्यवाही हेतु आवेदन

किया। इस मामले में दिल्ली भूमि विनियमन अधिनियम (डी॰ एल॰ आर॰ एक्ट) 1954 का धारा 66-ए के तहत अब 25.3.96 को बेदखली आदेश पारित हो गए हैं। संबंधित अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नजफगढ़ पुलिस थाने में एक एफ॰ आई॰ आर॰ भी दर्ज करायी गई है। इसके अलावा इस भूमि का वास्तविक कब्जा लेने के लिए रेवेन्यू एसिस्टेंट के आदेशों को लागू करने के लिए भी संबंधित रेवेन्यू एसिस्टेंट के न्यायालय में आवेदन दायर किया गया।

"भूमि घोटाले से संबंधित फाइलें गायब" नामक मद सं॰ (iii) के बारे में दिल्ली सरकार ने बताया है कि भूमि तथा भवन विभाग के सभी रिकार्ड हर दृष्टि से अद्यतन हैं।

इस मामले में प्रारंभिक जांच पड़ताल के दौरान आर॰ एफ॰ ए॰ तथा विशेष अनुमति याचिका दायर न करने बावत तीन कार्मिकों को प्रथम दृष्टि में दोषी पाया गया था। इन कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

26. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस राशि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किए गए सड़क निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) से (ग) योजना आयोग 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से निधियों का आबंटन नहीं करता। राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं में क्षेत्रकीय शीर्षों के अंतर्गत 20 सूत्री-कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए प्रावधान करती हैं। सड़क निर्माण ऐसी मद नहीं है जिसकी मानिटरिंग 20 सूत्री-कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है।

विशेष लोक शिकायत निवारण तंत्र

27. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय में एक विशेष लोक शिकायत नियंत्रण तंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किस तरह की तथा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है;

(घ) क्या अधिकतर शिकायतें कर्मचारियों के अशिष्ट तथा रूखे व्यवहार को लेकर की गई हैं; और

(ङ) लोगों की बेहतर ढंग से सेवा करने के लिए इस तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। 1 मई, 1997 से पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में अधीक्षक की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति की बैठक प्रत्येक महीने के दूसरे तथा चौथे बुधवार को दोपहार 2.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक होती है जिसमें लोक शिकायतें सुनी जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में एक शिकायत पेटी भी रखी गई है। किसी भी मामले में प्रत्येक दिन शिकायतें निबटाने के लिए पासपोर्ट अधिकारी लोगों से मिलते हैं। यह समिति शिकायत दूर करने के लिए एक पूरक संस्थागत मशीनरी के रूप में थी।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में देरी संबंधी अभी तक केवल 4 शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक मामले में पासपोर्ट सभी दस्तावेज पूरे करने के पश्चात् ही जारी किए गए थे।

(घ) जी, नहीं। तथापि, कर्नाटक राज्य पुलिस सुरक्षा गार्डों के अभद्र व्यवहार के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्हें बदल दिया गया है।

(ङ) पासपोर्ट कार्यालय में समिति को अब लोक शिकायत सैल में प्रोन्नत कर दिया गया है जो केवल लोगों से प्राप्त शिकायतें देखेगी। इसमें लोक शिकायतें दिन-प्रतिदिन आधार पर निबटाई जायेंगी।

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

28. श्री विजय पटेल :
श्री शरत पटनायक :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में श्रम विवाद संबंधी कितने मामले श्रम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) लंबित मामलों के तुरंत निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गुजरात में पीठासीन न्यायाधीशों की अनेक रिक्तियां हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुख कैंसर

29. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुख कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या से भिज्ञ है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व वर्ष की तुलना में गत वर्ष के दौरान मुख कैंसर से पीड़ित कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया है;

(ग) मुख कैंसर के मामलों में वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(घ) मुख कैंसर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) पिछले एक दशक से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रही पांच शहरी जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (मुम्बई, बेंगलूर, मद्रास, दिल्ली और भोपाल) के अनुसार मद्रास में पुरुषों को छोड़कर जिसने बहुत कम वृद्धि दर्शायी है, मुख का कैंसर कुल मिलाकर स्थिर रहा है। तम्बाकू चबाना मुख के कैंसर का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण है। मुख के कैंसर की घटना में आए परिवर्तनों से तम्बाकू के सेवन की आदतों में हुए परिवर्तन को दर्शाए जाने की संभावना है। वर्ष 1995 के दौरान मुखीय कैंसर के रोगियों की संख्या 52,489 थी जिसमें वर्ष 1996 में 53,400 की हलकी-सी वृद्धि का पता चला है।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन सरकार ने कैंसर का शुरू में पता लगाने, जागरूकता पैदा करने और कैंसर का उपचार करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :

(i) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में वृद्धि करना।

(ii) निर्धारित मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलॉजी स्कंधों का विकास।

(iii) देश के विभिन्न भागों में कोबाल्ट थिरेपी सुविधाओं की स्थापना।

(iv) जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना।

(v) रोग का शुरू में पता लगाने और जागरूकता संबंधी कार्यकलापों के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

भारत-पाक वार्ता

30. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1997 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में पाकिस्तान बिल हैव टू वेकेट पी० ओ० के०" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दोनों देशों के बीच हाल में इस्लामाबाद में हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर को एक विवादग्रस्त क्षेत्र कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि जम्मू और कश्मीर के बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं और पाकिस्तान को पाक अधिकृत क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण जम्मू तथा कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। जिस मसले का समाधान निकाला जाना है उसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के उस क्षेत्र को खाली करवाना है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तथा जबरन कब्जा कर रखा है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में भारत की स्थिति से पाकिस्तान को 19 से 23 जून, 1997 तक इस्लामाबाद में हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान अवगत करा दिया गया था। भारत के विदेश सचिव ने 25 जून, 1997 को नई दिल्ली में अपने संवाददाता सम्मेलन में भी इस स्थिति को दोहराया था।

अनधिकृत कब्जा

31. डॉ० बलिराम : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री 26 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

कुष्ठ रोग

32. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन रोगियों के लिए कोई विशेष पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) इस समय देश में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या 0.68 मिलियन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2000 तक एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ का उन्मूलन करना है। देश में सभी 490 जिलों के लिए सभी कुष्ठ रोगियों को मुफ्त उपचार सेवाएं प्रदान करने हेतु बहु औषध थिरेपी स्वीकृत की गई है। सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के जरिए सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि की जा रही है। कुष्ठ का शुरू में पता लगाने के लिए लगातार सम्पर्क सर्वेक्षण, स्कूल सर्वेक्षण और नमूना सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। दुर्गम और पहुंच से परे के क्षेत्रों के लिए कुष्ठ के उन्मूलन हेतु विशेष कार्य परियोजना तैयार की गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं :—

(i) विकलांगताओं को चिकित्सा द्वारा ठीक करना,

(ii) फीजियोथिरेपी सेवाएं,

(iii) प्रोस्थेटिक और साधित्र,

(iv) हाथों, आंखों और पांवों की पुनर्चर्या।

(v) कुष्ठ अल्सर की परिचर्चा। विरूपता और अल्सर परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

ठीक करने योग्य विरूपता की रिकंस्ट्रक्टिव शल्य चिकित्सा इस समय चुनिंदा केन्द्रों में की जा रही है जिन्हें और सुदृढ़ किए जाने का विचार है।

कल्याण मंत्रालय द्वारा आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास किया जा रहा है।

मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता

33. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान मंत्रियों के विवेकाधीन अनुदान से जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान के संबंध में विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महिलाओं की सुन्नत

34. श्री दिलीप संघानी :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या रिपोर्ट-1997 में बताई गई इस स्थिति की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत में कुछ अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं की सुन्नत की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अल्पसंख्यक समूह कौन-कौन से हैं तथा किन-किन स्थानों पर महिला सुन्नत की यह प्रथा प्रचलन में है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी लड़कियों के इस तरह के आपरेशन किये गये;

(ग) महिलाओं के स्वास्थ्य पर महिला सुन्नत का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) महिला जननांगिक छिन्न-भिन्नता के तात्कालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, की गई क्रियाविधि की किस्म और गंभीरता के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

तपेदिक के टीके

35. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :**
श्री एल॰ रमना :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च चण्डीगढ़ ने तपेदिक के उपचार के लिए नया टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बी॰ सी॰ जी॰ का टीका तपेदिक को नियंत्रित कर पाने में अप्रभावी हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस टीके को निरंतर उपभोग में लाए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्षय रोग की प्रसृत अवस्थाओं की रोकथाम हेतु बी॰ सी॰ जी॰ वैक्सीन को प्रमाणित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधीय पौधे

36. **डॉ॰ कृपा सिन्धु भोई** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग जड़ी-बूटी उद्यानों की स्थापना करने/उनका विस्तार करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में प्रयुक्त औषधीय पादपों का पता लगाई गई प्रजातियों की खेती करने और औषधीय पादपों की खेती करने हेतु कृषि-तकनीकी का विकास करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अधीन सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वन उत्पादों के संरक्षण और विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को राज्य वन विभागों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इसी प्रकार कृषि और सहकारिता मंत्रालय औषधीय और सुगंधित पादपों के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और राज्य सरकारों के विभागों के जरिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

जनता दरबार

37. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर जनता दरबार आयोजित करने का उद्देश्य क्या है और इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ख) जनता दरबार में 30 मई को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा समाज के किन-किन वर्गों से ये शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इनमें से कुछ शिकायतों पर कार्यवाही को दूर, अभी तक पावती भी नहीं भेजी गई है; और

(घ) जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने तथा इनकी उपेक्षा न करने हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) प्रधानमंत्री के निवास पर जनता मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे मिल सकें तथा आम जनता की विभिन्न शिकायतों को सुन सकें। इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय के दौरान आम जनता प्रधानमंत्री से आसानी से मिल सकती है।

(ख) से (घ) दिनांक 30.5.97 के जनता मिलन के दौरान प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों से 146 याचिकाएं प्राप्त हुईं जो उनके पास अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए आए थे। सभी प्राप्त हुई याचिकाओं की जांच-पड़ताल कर ली गई है तथा इन्हें निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। दिनांक 30 मई, 1997 को प्राप्त याचिकाओं की स्थिति इस प्रकार है।

प्राप्त पत्रों की संख्या	पत्रों की संख्या जिनकी पावती भेजी गयी	फाइल किए गए पत्रों की संख्या	रिपोर्ट मांगी गयी	मांग पूरी की गई	मांग पूरी नहीं हुई	प्रमाणित नहीं	अन्तरिम उत्तर	रिपोर्ट प्राप्त हुई	अभी रिपोर्ट प्राप्त होनी है
146	126	4	142	2	5	1	5	13	133

बुनियादी सुविधाओं का निजीकरण

38. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनू, 1997 को दिल्ली से प्रकाशित "फाइनंशियल एक्सप्रेस" में "ड्रिकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज में बी प्राइवेटाइज्ड इन मेट्रोज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कब तक इन सुविधाओं का निजीकरण कर दिया जाएगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी आबादी के लिए पर्याप्त स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अपेक्षित संसाधनों के मध्य भारी अंतर के आलोक में शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय इस विषय से संबंधित राज्यों और केन्द्रीय/निजी निकायों के साथ विचार विमर्श करने और निजी क्षेत्र के निवेश/सहभागिता को आकर्षित करने के लिए तरीके और संसाधन/दिशानिर्देश विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने की योजना बना रहा है।

(ग) और (घ) अवस्थापना सुविधाओं को मुहैया कराने में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना सरकार की नीति है। हालांकि, जलापूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए इस मामले में अंतिम निर्णय लेना मुख्य रूप से राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का कार्य है।

सरकारी आवास को किराए पर देना

39. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषरूप से नानकपुरा तथा सरोजनी नगर में अभी भी सरकारी आवासों को गैर-कानूनी ढंग से किराये पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी आवासों को किराये पर देने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) सरोजनी नगर और नानकपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी वासों की घर-घर जाकर जांच कराई गई। जांच रिपोर्टों के आधार पर सरोजनी नगर और नानकपुरा में संदिग्ध उप किराएदारी के क्रमश: 367 और 212 मामलों में "कारण बताओ" नोटिस जारी किए गए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद सरोजनी नगर और नानकपुरा में क्रमश: 143 और 92 मामलों में आबंटन रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। संदिग्ध उप किराएदारी की शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसी जांच पड़ताल करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

खण्डनीय सामग्री के उत्पादन में कटौती संबंधी संधि

40 श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से "खण्डनीय सामग्री के उत्पादन में कटौती संबंधी संधि" के संबंध में भारत का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि सरकार ने उपर्युक्त संधि के अनुसमर्थन के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) भारत की परमाणु सुरक्षा और निरस्त्रीकरण नीति पर इसके क्या विपरीत प्रभाव पड़ेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) जी नहीं। विखंड्य: सामग्री में कटौती संबंधी संधि पर बातचीत अभी आरंभ नहीं हुई है। इस प्रकार अनुसमर्थन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत ने सदैव से हथियारों के प्रयोजनार्थ विखंडण सामग्री के उत्पादन पर सार्वभौमिक और सत्यापनीय रोक लगाने की मांग की है और हमारा यह विश्वास है कि शस्त्र प्रयोजनार्थ विखंड्य सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के संबंध में आपसी बातचीत से तय की गई सार्वभौमिक रूप से अनुप्रयोगनीय और भेद-भाव रहित संधि सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की क्रमिक प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए जिसका लक्ष्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों का पूर्ण रूप से नष्ट करने का है।

डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैटों में संवर्द्धन

41. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :
श्री गोरधन भाई जावीया :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैटों में संवर्द्धन तथा परिवर्तन करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैटों में संवर्द्धन तथा परिवर्तन करने की नई घोषित योजना के अंतर्गत फ्लैटों के मालिकों द्वारा सरकारी भूमि, सड़क, साझा स्थल पर अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा विशेषकर शाहपुरजट में डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैटों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसने अपने दिनांक 5.12.96 के संकल्प सं॰ 101/96 द्वारा यह निर्णय लिया है कि विभिन्न स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा किए गए कुछ परिवर्धन/परिवर्तन क्षम्य परिवर्धन/परिवर्तन समझे जाएं और आबंटन की शर्तों के अंतर्गत आबंटितियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। इस संबंध में दिनांक 13.12.96 के कार्यालय आदेश सं॰ एफ॰ 2(83)/94 को-आर्डि॰ (एच॰) पार्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि शाहपुरजट स्थित डी॰ डी॰ ए॰ फ्लैटों में जब कभी अनधिकृत निर्माण का पता लगता है, दिल्ली नगर निगम अधिनियिम के प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सं॰ एफ॰ 2(83)/94 को-आर्डि॰ (एच॰) पार्ट-I 13 दिसम्बर, 1996

कार्यालय आदेश

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने दिनांक 27.8.96 के संकलन सं॰ 101/96 द्वारा निर्णय लिया है कि विभिन्न स्थानों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा किए निम्नलिखित परिवर्धनों/परिवर्तनों को क्षम्य परिवर्धन/परिवर्तन समझा जाए और आबंटन की शर्तों के अंतर्गत आबंटितियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए।

1. मम्टी को कमरे में बदलना।
2. बरामदे में ग्रिल एवं ग्लेजिंग।
3. आगे के आंगन की दीवार को 7 फुट ऊंचाई तक एवं पीछे की आंगन की दीवार को 10 फुट की ऊंचाई तक जाली/फेंसिंग द्वारा उठाना।
4. आंगन में अतिरिक्त दरवाजे लगाना।
5. दरवाजों एवं खिड़कियों पर जहां रोशनदान न हो वहां इन्हें लगाना।
6. पिछले या आगे के आंगन में दरवाजे लगाना।
7. खिड़कियों की जगह अलमारी लगाना।
8. दरवाजा बंद करना।
9. पानी की टंकी का स्थान परिवर्तन करना/मुंडेर की दीवार 5 फुट की ऊंचाई तक उठाना और पानी की दूसरी टंकी लगाना।
10. यदि कमरे या डब्ल्यू सी छत न हो तो इन्हें खुला शौचालय समझा जाए एवं इनकी अनुमति दी जाए।
11. बालकनी की दीवार एवं छत मुंडेर को ग्रिल या ग्लेजिंग द्वारा 5 फुट या लिटल ऊंचाई तक उठाना।
12. पीछे के आंगन में बाथरूप एवं डब्ल्यू सी का निर्माण।
13. केवल एक मंजिला निर्मित मकानों के मामले में उचित अनुमति लेकर मूल ढांचे को हटाना और उसका पुन: निर्माण करना बशर्ते कि वे भवन उपनिधियों के मानदंडों को पूरा करते हों स्थानीय प्राधिकरण से इसका पूर्व अनुमोदन लिया गया हो।
14. रसोई, बाथरूम एवं डब्ल्यू सी की अवस्थिति को संरचनात्मक सुरक्षा की शर्त पर समुचित पावर कनेक्शन के साथ आपस में बदलना।

15. जहां छत पर जाने के लिए जीना न बनाया गया हो वहां खुले जीने का निर्माण करना।

16. आगे के शीशे के दरवाजों/खिड़कियों को अधिकतम 2 फुट और मौजूदा छज्जे तक आगे बढ़ाना।

17. भूतल क्षेत्र पर आम रास्ते को प्रभावित किए बिना पानी की अतिरिक्त पी॰ बी॰ सी॰ टंकी लगाना।

18. स्कूटर/कार गैराज में संरचनात्मक मजबूती की शर्त पर अधिकतम 2"-6" की गहराई तक पानी की अतिरिक्त टंकी लगाना/बनाना।

19. कमरों में लोफ्ट या शेल्फ लगाना।

20. जलरोधी उपचार वाले फर्श बनाना।

21. आधी ईंट (साढ़े चार इंच) की दीवार को हटाना।

22. आम रास्ते/बरसाती नालों को प्रभावित किए बिना आगे के गेट पर ढलान बनाना।

23. बाहरी खिड़कियों पर 2 चौड़े प्रोजेक्शन तक रोशनदान लगाना।

24. कमरों मे फाल्स सीलिंग।

25. मौजूदा दीवारों में एक्जॉस्ट फैन या एयर कंडीशनर के लिए अधिकतम 2"-6" × 1"-9" आकार का खुला स्थान बनाना।

26. खुली छत को फाइबर ग्लास/ए॰ सी॰ शीट/जी॰ आई॰ शीट/पाइपों एवं मानक ऐंगल आयरन सेक्शन आदि जैसे हलके भार वाली सामग्रियों से 9 फुट ऊंचाई तक स्लोपिंग रूफ्स द्वारा ढकना और शीशे लगाना।

हस्ता/

(केवल के॰ शर्मा)

आयुक्त (आवास)

[हिन्दी]

आधुनिक अस्पताल

42. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता से उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आधुनिक अस्पताल स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में आधुनिक अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी आवास

43. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद उसे आवंटित आवास चार माह तक अपने पास रख सकता था और अब उक्त अवधि घटाकर दो महा कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवधि को फिर से चार माह करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) लाइसेंस शुल्क की साधारण दर के भुगतान पर सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास रखने का अनुज्ञेय अवधि चार महीने थी। इन प्रावधानों को 1.1.97 से परिवर्तित किया गया है और अब यह व्यवस्था की गई है कि साधारण लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास रखने की अनुज्ञेय अवधि दो महीने होगी तथा आगे और दो महीने आवास रखने की अनुमति साधारण लाइसेंस शुल्क की दोगुनी राशि के भुगतान पर दी जाएगी।

राष्ट्रीय शहरी नीति

44. श्री मंगल राम शर्मा : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरीकरण तथा देश में हो रहे आर्थिक सुधारों के संबंध में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय शहरीकरण नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नीति को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य रक्षा संबंध सेवाएं

45. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :
श्री मोहन रावले :
श्री राम बहादुर सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 18 सितम्बर, 1996 के अपने आदेश में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सेवाओं का विकेन्द्रीकरण की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम निदेशों के अनुसार पेंशन भोगियों को निजी अस्पतालों तथा निदान केन्द्रों में नि:शुल्क स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सेवाओं से वंचित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले सरकारी पेंशनभोगियों के मामले में उक्त सुविधा को समाप्त कर देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) 18 सितम्बर, 1996 के आदेशों के अंतर्गत सरकार ने दिल्ली में रेफरल प्रयोजन में 24 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की है जो सेवारत और पेंशनभोगी लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के रूप में हैं। आदेश में विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं और जांचों के लिए प्रतिपूर्ति हेतु पैकेज दरों/अधिकतम दरों का उल्लेख भी है।

सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा को पूर्णत: प्रतिपूर्ति-योग्य रखा जा रहा है और किसी सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

क्षय रोग के उपचार पर व्यय

46. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा क्षयरोग के उपचार पर कुल कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) क्या इस रोग के उपचार के लिए सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि दी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन स्वैच्छिक संगठनों को संगठन-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक संगठनों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षयरोगियों के उपचार पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च नीचे दिये अनुसार है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये)
1994-95	32.15
1995-96	41.19
1996-97	13.63

(ख) और (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को क्षयरोगियों के घरेलू उपचार के लिए केवल क्षयरोग-रोधी औषधियां सप्लाई की जाती हैं।

(घ) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस वर्ष शुरू की गई क्षयरोग नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत संगठनों की भागीदारी हेतु एक स्कीम को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

47. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री नारायण आठवले
श्री संदीपान थोरात :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में लागू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को वर्षवार तथा योजनावार कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों तथा की गई उपलब्धियों के संबंध में उन योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव तथा पाई गई कमियों के प्रकाश में इन्हें पुनर्गठित करने का है ताकि इन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1997-98 के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(च) वर्ष 1997-98 के दौरान इस कार्य योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उपलब्धियों में काफी अधिक प्रगति की है। कुष्ठ की व्यापकता 1981 में 57.1/10,000 जनसंख्या से घटकर मार्च 1987 में 5-8 रह गई है। मलेरिया के रोगियों की संख्या 1976 में 6.47 मिलियन से घटकर 1994 में 2.51 मिलियन रह गई है। क्षयरोग से होने वाली मृत्युदर 1970 में 80 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 1993 में 53 प्रति लाख जनसंख्या रह गई है। दृष्टिहीनता की व्यापकता 1.49 तक घट गई है।

(घ) से (ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन से हुए अनुभव को देखते हुए इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, कार्मिक शक्ति के विकास, बेहतर सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों आदि के संबंध में विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं।

(च) 1997-98 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1994-95 से 1996-97 के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र॰ सं॰	राज्य	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम			राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आबंटन)			राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (व्यय)		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	257.02	423.25	436.29	230.00	224.50	198.00	712.57	251.22	908.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.77	41.03	17.74	30.50	38.50	9.25	125.06	295.29	252.38
3.	असम	36.47	62.45	36.56	112.50	102.50	34.75	540.78	2014.62	1239.61
4.	बिहार	180.75	426.34	374.90	207.00	448.50	152.50	385.11	133.08	236.47
5.	गोवा	3.84	19.15	4.39	11.25	38.75	9.25	13.68	4.78	10.54
6.	गुजरात	77.57	140.18	61.11	282.00	193.75	211.50	970.06	848.19	607.45
7.	हरियाणा	12.54	58.07	8.65	100.50	82.00	28.75	341.84	195.82	388.65
8.	हिमाचल प्रदेश	15.39	53.60	6.80	67.50	66.00	54.25	109.68	117.72	184.00
9.	जम्मू व कश्मीर	8.79	58.29	6.66	80.50	53.00	13.50	85.20	15.05	93.69
10.	कर्नाटक	130.86	250.98	120.70	154.00	199.50	92.25	476.65	463.42	849.68
11.	केरल	109.72	165.35	111.55	95.00	123.00	149.25	51.68	51.57	37.54
12.	मध्य प्रदेश	216.81	372.70	292.54	395.00	273.50	121.00	1682.01	1228.26	708.36
13.	महाराष्ट्र	97.11	163.74	269.31	413.00	392.50	410.00	1121.65	1362.77	1789.54
14.	मणिपुर	6.28	34.02	5.97	18.25	44.00	10.50	105.71	350.00	216.04
15.	मेघालय	10.53	30.54	10.65	18.25	40.50	9.75	84.85	322.87	223.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मिजोरम	14.21	19.60	16.24	18.25	36.25	8.75	79.66	357.29	227.66
17.	नागालैण्ड	6.18	23.44	10.49	18.25	37.25	9.00	150.11	364.87	234.89
18.	उड़ीसा	223.20	355.74	176.40	155.50	108.00	46.25	236.08	434.76	708.68
19.	पंजाब	25.58	53.14	24.49	150.50	99.00	35.50	377.52	325.12	535.86
20.	राजस्थान	58.20	95.78	79.98	187.00	130.00	208.00	560.59	1196.57	805.58
21.	सिक्किम	24.06	22.30	20.24	17.80	37.00	9.25	0.80	14.24	0.94
22.	तमिलनाडु	191.36	382.88	518.98	380.20	276.50	127.00	137.35	153.67	173.58
23.	त्रिपुरा	24.41	33.52	22.99	27.25	41.25	9.75	114.65	404.12	328.20
24.	उत्तर प्रदेश	354.78	476.18	480.43	560.00	868.00	222.00	890.78	349.96	884.37
25.	पश्चिम बंगाल	176.78	280.44	291.15	310.00	190.00	258.00	449.64	445.16	915.15
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8.38	7.37	6.83	20.50	35.25	16.00	104.96	69.56	97.26
27.	चंडीगढ़	10.55	27.83	1.13	23.50	26.25	20.00	55.20	24.49	37.85
28.	दादरा व नगर हवेली	3.54	3.89	1.46	23.25	34.50	16.00	19.56	22.82	5.59
29.	दमन व दीव	3.78	4.60	6.29	18.25	34.25	18.00	7.10	4.08	7.51
30.	दिल्ली	9.31	39.26	5.50	294.00	52.00	171.00	91.33	349.43	248.48
31.	लक्षद्वीप	4.44	3.02	2.14	20.50	34.25	15.00	3.23	3.33	3.33
32.	पॉडिचेरी	11.07	11.92	3.50	10.00	37.75	3.00	10.42	23.94	36.27

(लाख रुपए में)

क्र॰ सं॰	राज्य	*राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम*			*राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम*			*राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (सहायता अनुदान)*		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	89.28	336.93	38.44	257.73	432.00	425.00	9773.20	8752.96	10278.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.80	13.26	3.82	12.19	65.81	80.00	178.93	250.54	180.68
3.	असम	37.56	14.83	1.82	50.37	92.70	100.00	3488.38	3075.38	2850.13
4.	बिहार	53.58	56.52	—	87.00	—	25.00	10272.98	10003.46	7512.42
5.	गोवा	4.82	9.30	—	41.82	—	25.00	166.67	169.22	195.05
6.	गुजरात	55.00	39.00	7.24	129.29	131.26	300.00	5910.79	5536.01	5365.16
7.	हरियाणा	43.43	17.87	—	62.27	—	130.00	2541.11	2213.55	2299.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हिमाचल प्रदेश	21.62	7.73	3.71	87.27	156.75	115.00	1364.70	1195.68	1908.80
9.	जम्मू व कश्मीर	29.41	11.29	—	12.35	—	25.00	3027.19	1299.42	1131.49
10.	कर्नाटक	76.96	44.70	40.97	138.33	120.00	350.00	6974.61	7557.81	9384.68
11.	केरल	93.59	92.03	76.58	100.88	172.62	225.00	3183.61	3335.75	3192.32
12.	मध्य प्रदेश	198.57	357.83	405.07	217.79	137.00	425.00	10385.16	10126.12	9755.89
13.	महाराष्ट्र	225.90	370.33	117.80	292.60	300.00	900.00	9349.27	11171.61	11734.71
14.	मणिपुर	11.72	13.35	8.10	52.50	113.58	200.00	425.96	487.63	475.33
15.	मेघालय	6.84	4.18	—	40.29	18.00	35.00	308.54	385.66	387.47
16.	मिजोरम	13.53	7.19	5.27	56.40	74.00	150.00	194.08	241.89	243.42
17.	नागालैण्ड	8.51	16.88	11.30	67.33	107.00	190.00	292.20	285.24	259.25
18.	उड़ीसा	91.58	236.76	67.18	126.10	—	50.00	6312.40	5365.77	4109.53
19.	पंजाब	41.97	7.62	—	64.50	80.00	225.00	3760.93	2989.72	2734.32
20.	राजस्थान	118.30	322.28	78.62	123.84	90.00	375.00	9621.90	9110.23	9630.26
21.	सिक्किम	1.34	2.33	3.83	17.82	25.00	50.00	222.05	271.85	259.96
22.	तमिलनाडु	105.89	338.07	106.54	277.44	650.00	1700.00	7359.10	7882.94	7428.08
23.	त्रिपुरा	24.80	10.66	11.46	3.00	38.00	50.00	489.93	444.01	447.37
24.	उत्तर प्रदेश	244.80	115.02	725.97	121.00	—	450.00	23783.52	19953.46	18258.64
25.	पश्चिम बंगाल	84.24	13.08	9.71	185.64	288.82	600.00	6447.51	8189.78	8955.90
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.79	5.45	5.74	31.27	50.59	7.00	83.88	100.12	106.32
27.	चंडीगढ़	5.61	4.86	2.00	28.65	51.70	45.91	162.86	150.56	119.62
28.	दादरा व नगर हवेली	0.85	1.41	1.50	25.15	42.00	46.93	38.72	32.80	35.49
29.	दमन व दीव	4.07	1.77	1.50	26.15	43.05	17.00	25.23	34.36	38.80
30.	दिल्ली	22.27	30.06	—	97.73	164.00	19.00	1592.11	2011.05	1863.39
31.	लक्षद्वीप	4.04	1.36	1.50	27.52	53.54	16.71	14.28	17.68	14.52
32.	पांडिचेरी	1.53	2.11	1.30	10.18	55.04	400.00	92.88	128.28	127.27

विवरण-II

1997-98 के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनावार अनुमोदित व्यय

(रुपए करोड़ में)

1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	200.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	75.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	90.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रक कार्यक्रम	70.00
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	100.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	1829.35

[अनुवाद]

विदेशी निधि का निवेश

48. श्री के॰ एस॰ रायुडु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार कोट क्षेत्र के लिए विदेशी निधि एकत्रित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का है;

(ख) यदि हां, गत वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी हां। विदेश मंत्रालय विशेषकर विदेश स्थित अपने मिशनों के माध्यम से भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने में लगा हुआ है। मंत्रालय इस बात को स्वीकार करता है कि आधारभूत सुविधाओं और प्रमुख क्षेत्रों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है और इस तरह अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ इन क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है।

(ख) विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने और उत्साहित करने के लिए पहले ही प्रयास चल रहे हैं इसलिए किसी समय विशेष के लिए परिमाण निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। मंत्रालय के प्रयासों में प्रचार, सेमिनार, प्रदर्शनियां, विदेशों में व्यावसायिक नेताओं के साथ बातचीत और विदेशी निवेशकों को विभिन्न स्तर पर मार्ग-निर्देश और जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। मंत्रालय शीर्षस्थ चैम्बरों और संयुक्त उद्यम साझीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता देता है। हमारे मिशन इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

(ग) निवेश और व्यापार संवर्द्धन के लिए उठाए गए कदमों से भारत की आर्थिक नीतियों संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही विदेशी निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल उदारीकृत आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी जाती है। इनमें प्रचार-सामग्री, भारत आने वाले और विदेशों के जाने वाले शिष्टमंडलों का मार्ग निर्देशन और सहायता, व्यावसायिक सम्पर्कों को सरल बनाना और व्यापार तथा निवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना तथा अपने मिशनों के माध्यम से अपनी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद देना शामिल है। मंत्रालय वाणिज्य संघ के प्रयासों में भी मदद देता है और अन्य संबंधित मंत्रालयों के कार्यों में राजनयिक मदद देता है।

ढाका के साथ रेल सम्पर्क

49. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढाका और कलकत्ता के बीच सीधी बस सेवा तथा दोनों देशों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) कलकत्ता और ढाका के बीच बस सेवा सहित भारत और बंगलादेश के बीच परिवहन सेवा संबंधी प्रश्न बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच मोटर वाहन करार पर वार्ता करने का निर्णय लिया गया है।

जहां तक दोनों देशों के बीच सीधे रेल सम्पर्क का प्रश्न है, इस समय भारत और बंगलादेश के बीच चार अदला-बदली स्थान/रूट परिचालित हैं जहां केवल माल यातायात की अदला-बदली की जाती है। भारत और बंगलादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हुडको का कार्यालय

50. श्री बाजूबन रियान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में हुडको का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) हुडको द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अगरतला में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में त्रिपुरा सरकार से प्राप्त अनुरोध पर पहले हुडको ने विचार किया था तत्पश्चात् हुडको ने राज्य सरकार को बताया था कि हुडको का गुवाहटी स्थिति क्षेत्रीय

कार्यालय त्रिपुरा की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर रहा है। तथापि, त्रिपुरा के कार्यान्वयन अभिकरण के साथ निकट संपर्क स्थापित करने के लिए हुडको द्वारा अगरतला में एक विकास कार्यालय स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(घ) हुडको के निदेशक मंडल द्वारा अभी प्रस्ताव अनुमोदित किया जाना है। हुडको से मामले पर विचार करने तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा।

गुजरात में पेयजल योजना

51. डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार की सहायता से गुजरात में केन्द्र सरकार द्वारा कोई पेयजल योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु अब तक मंजूर की गई तथा प्राप्त की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) गुजरात सरकार ने नीदरलैंड सरकार द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि से गुजरात में पेयजल की योजनाएं आरंभ की हैं।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(i) अमरेली जिले में 9.900 मिलियन डच गिल्डर (अनुदान) की डच सहायता से 728 लाख रुपये की लागत वाली लाठी लिलिया क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना;

(ii) मेहसाना जिले में 33.750 मिलियन (अनुदान) डच गिल्डर की डच सहायता से 2481.20 लाख रुपये की लागत वाली सामी हारिज क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना; तथा

(iii) बानसकांथा जिले में 14.210 मिलियन (अनुदान) डच गिल्डर की डच सहायता से 1045.60 लाख रुपये की लागत वाली सांतालपुर क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात सरकार ने सितंबर, 1996 तक 36.93 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत सरकार को खर्च की गई राशि के 85% की दर से अर्थात 31.39 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

पड़ोसी देशों के साथ लंबित द्विपक्षीय मुद्दे

52. श्री नारायण अठावले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में हमारे पड़ोसी देशों के साथ कतिपय लंबित द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान हेतु कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने तथा सुदृढ़ करने हेतु 1997-98 के दौरान क्या कार्यवाही की जायेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग)

नेपाल और भूटान

1. भारत के प्रधानमंत्री 5 से 7 जून, 1997 तक नेपाल की सरकारी सद्भावना यात्रा पर गए। इससे पूर्व अगस्त 1996 में नेपाल के विदेश मंत्री और फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए थे।

2. भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि, जो पांच वर्ष के लिए वैध थी, को 3 दिसम्बर, 1996 को पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से संशोधित और नवीकृत किया गया था। भारत नेपाल में निर्मित अलकोहल तम्बाकू और प्रसाधन सामग्री जैसी मदों के तीन ग्रुपों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को भारत आने देने, सीमा-शुल्क से मुक्त करने और मात्रिक प्रतिबंध हटा लेने पर सहमत हो गया है। नेपाल के फुलबारी होकर बंगला देश जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग देने संबंधी अनुरोध को भारत ने मान लिया है। यह भी सहमति हुई थी कि दो माह के भीतर रूप रेखा और कार्य व्यवस्था भी निर्धारित की जाएगी। उसके बाद नई व्यवस्थाओं की 6 माह के बाद समीक्षा की जाएगी।

3. प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नागरिक उड्डयन मामलों पर एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ था। यह सहमति हुई कि मौजूदा क्षमता पात्रता को संशोधित करके प्रत्येक दिशा में 4000 सीटों से बढ़ाकर 6000 कर दिया जाए : नेपाली एअरलाइनों को भारत में दो अतिरिक्त प्वाइंटों-बंगलौर और लखनऊ उड़ान भरने की अनुमति दी जाए; भारतीय एलरलाइनों को काठमाण्डू से आगे दो स्थानों पर "फिफ्थ फ्रीडम" यातायात अधिकार दिए जाएं और दोनों पक्षों के लिए एअरलाइनों के बहु प्रयोजनीय उल्लेख की अनुमति दी जाए।

4. भारत के दो निकटतम और मित्र देशों-नेपाल और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा उनका विस्तार करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

पाकिस्तान

पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार के कार्य संभालने के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा ने अपने बधाई पत्र में पारस्परिक हित-चिंता के मुद्दों पर उपयुक्त स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था। इस पहल के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में 28-31 मार्च, 1997 को विदेश सचिव स्तर पर बातचीत पुनः आरंभ हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने

के लिए नई दिल्ली को अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 9 अप्रैल, 1997 को विदेश मंत्री के साथ चर्चा की थी। इसके पश्चात् सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान माले में 12 मई, 1997 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों एक की एक बैठक हुई थी। ये सभी सम्पर्क रचनात्मक और सकारात्मक थे। माले में अपनी बैठक के बाद प्रधानमंत्रियों ने विदेश सचिवों को निदेश दिया था कि वे ऐसे सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए अपनी बातचीत जारी रखें जिनके आधार पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत आगे के लिए कायम रह सके। 19-23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में विदेश सचिवों की बैठक हुई। बातचीत के परिणामस्वरूप एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच चर्चा में आने वाले मुददों को रखा गया और उसके लिए कार्यकारी दल सहित मैकेनिज्म का उल्लेख किया गया। वक्तव्य में दोनों देशों के बीच व्यापक, दूर-गामी और स्थायी बातचीत का प्रावधान है। हम विश्वास, मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशाल मंच पर पाकिस्तान को ले जाने के अपने प्रयासों में इसे पहले कदम के रूप में देखते हैं।

2. भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता का दूसरा दौर सितम्बर, 1997 में होगा।

बंगलादेश

सरकार ने दिसम्बर, 1996 में बंगलादेश की सरकार के साथ "फरक्का में गंगा जल के बंटवारे पर एक संधि" पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. जल संसाधान मंत्री की एक यात्रा और संयुक्त नदी आयोग की 32वीं बैठक बुलाना तय हुआ है। इस बैठक में गंगा जल संधि की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी और जल संसाधन संबंधी आपसी हित के अन्य मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। सुरक्षा से संबद्ध मसलों पर बातचीत को एक संस्थागत रूप देने के प्रयास जारी रहेंगे। त्रिपुरा से चकमा शरणार्थियों को वापस अपने देश भेजने के लिए हम अपनी मदद जारी रखेंगे। हम बंगला देश के साथ व्यापारिक और परिवहन सम्पर्कों को सुधारने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी क्रिया-कलाप बढ़ाए जाएंगे।

श्रीलंका

एक-दूसरे के देश की समुद्र सीमाओं में भटक गये मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं पर श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जनवरी, 1997 में विदेश मंत्री के रूप में श्रीलंका के हित में निर्यात की अनेक मदों पर से मात्रिक प्रतिबंध हटा लेने और टैरिफ कम कर देने की जो घोषणा की थी वह वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच आपसी क्रिया-कलापों के लिए अनुमति दी जाएगी ताकि दोनों देशों के निवेशों को प्रोत्साहित किया जा सके। सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को और भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मालदीव

मौजूदा मधुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के और प्रयास किए जाएंगे। मालदीव को अपने मानव संसाधनों का विकास करने के लिए उसके प्रयासों में सहायता दी जाएगी। इस संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सहायता से मालदीव में दूरस्थ शिक्षा आरंभ करने का प्रस्ताव है।

म्यामां

बेहतर सीमा प्रबंध, सुरक्षा, सीमागत व्यापार और स्वापकों, शस्त्रों और अन्य अवैधानिक जिन्सों की तस्करी को नियंत्रित करने के आशय से भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए म्यामां सरकार के साथ संबंध विकसित किए जाएंगे। ताभू कालेम्यां सड़क के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा।

चीन

हाल के वर्षों में भारत-चीन संबंधों में परिपक्वता और ठोसपन आया है। सीमा संबंधी प्रश्न सहित बकाया मसलों का समाधान करते हुए हमने सभी क्षेत्रों में आपसी लाभप्रद सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। हम रचनात्मक और सहयोगी संबंधों की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन संबंधों को और अधिक मात्रा में आर्थिक और प्रौद्योगिकीय महत्व देने पर सहमत हुए हैं। यह सहमति हुई है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार के महत्वपूर्ण विस्तार के लिए संयुक्त आर्थिक दल की आगामी बैठक बुलाई जाए। भारत-चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-समूह की दोनों देशों के बीच क्रियात्मक सहयोग बढ़ाने के अवसर खोजने के लिए बैठक होगी। दोनों देश सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत कर रहे हैं।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

53. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस आशय का अनुरोध किया है कि वह "जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम परियोजना" के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम और उसका प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए तथा अश्विनी रूरल कैंसर रिसर्च एंड रिलीफ सोसायटी, बारशी द्वारा संचालित टाटा मैमोरियल कैंसर रिसर्च सेन्टर तथा नरगिस दत्त मैमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बारशी को सहायता प्रदान करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त संस्थाओं को सहायता देने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा कब तक के लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

योजनागत आबंटन

54. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश, देश के सबसे अधिक पिछड़े राज्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों राज्यों में पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का विचार इन राज्यों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए उनके योजनागत आबंटन में वृद्धि करने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) और (ख) विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय औसत की तुलना में पिछड़े हुए हैं। राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन के गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में राज्यों के पिछड़ेपन को देखते हुए अधिमानता दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰ पी॰ ए॰ पी.) और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच॰ ए॰ डी॰ पी॰) जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह राज्य बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता के आबंटन के माध्यम से भी लाभान्वित हो रहे हैं। जो इन सेवाओं के प्रावधान के अंतराल को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। इसके अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी, उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता में गरीबों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, इन राज्यों को जो योजना आबंटन किया जाता है उसमें उनके पिछड़ेपन को अधिमानता दी जाती है।

[अनुवाद]

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

55. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल :
श्री संदीपान थोरात :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में राज्य एजेन्सियों के साथ गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इमरजिंग प्रफोमेंस प्रोफाइल सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन असफल हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस असफलता का ब्यौरा क्या है तथा यह समस्या कितनी गंभीर है;

(ङ) उक्त कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा देश में मलेरिया उन्मूलन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के लिए तैयार की गई नई नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्व बैंक तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वर्ष 1997-98 के दौरान प्रभावी रूप से मलेरिया के नियंत्रण हेतु दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवीक्षण सामयिक रिपोर्टों द्वारा, राज्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बार-बार बैठकें करके और भारत सरकार के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के क्षेत्रीय दौरों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। मलेरिया के लिए संशोधित कार्य योजना के कार्यान्वयन को मलेरिया की घटनाएं जो 1976 में 64.7 लाख रोगी प्रतिवर्ष थी, 1984 से कम होकर 20 लाख रोगी प्रतिवर्ष हो गई है।

कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गए हैं :

— दिसम्बर, 1994 से 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

— राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, अस्पतालों, औषधालयों, मलेरिया क्लीनिकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर ज्वर उपचार डिपो, औषध वितरण केन्द्रों में मलेरिया का शीघ्र निदान और उपचार किया जाता है।

— तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशकों और शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी उपायों द्वारा वैक्टर नियंत्रण।

— सक्रिय सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण गतिविधियों को तेज करना।

— मलेरिया और वैक्टर से होने वाले अन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और "मलेरिया नियंत्रण हर व्यक्ति का कार्य" विषय का प्रचार करके इसे देश में जन-आंदोलन बनाने के लिए जून, 1997 से प्रतिवर्ष जून माह को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाना।

विश्व बैंक सहायता के एक विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना पर विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया गया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान 7 राज्यों के 100 जिलों को और 19 शहरों/नगरों जिनमें उच्च स्थानिकमारिता है। शामिल किया जाएगा।

(च) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 1997-98 के बजट अनुमान में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्व बैंक मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि भारत सरकार द्वारा परियोजना के औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् राज्यों को आबंटित की जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया, उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए बजट अनुमान

	राज्य का नाम	धनराशि का आबंटन (लाख रुपए में)
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	779.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	238.74
3.	असम	207.29
4.	बिहार	588.50
5.	गोवा	10.26
6.	गुजरात	684.25
7.	हरियाणा	448.17
8.	हिमाचल प्रदेश	112.06
9.	जम्मू व कश्मीर	92.78
10.	कर्नाटक	542.97
11.	केरल	86.30
12.	मध्य प्रदेश	1115.47
13.	महाराष्ट्र	913.05
14.	मणिपुर	324.52
15.	मेघालय	239.15
16.	मिजोरम	195.47
17.	नागालैण्ड	193.37
18.	उड़ीसा	421.84
19.	पंजाब	356.50
20.	राजस्थान	1449.38
21.	सिक्किम	0.94
22.	तमिलनाडु	427.25
23.	त्रिपुरा	322.71
24.	उत्तर प्रदेश	881.62
25.	पश्चिम बंगाल	465.28
	कुल :	113117.00
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	126.19
2.	पांडिचेरी	23.81
	कुल :	150.00
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	76.42
2.	चण्डीगढ़	34.15
3.	दादरा व नगर हवेली	49.16
4.	दमन व दीव	12.55
5.	लक्षद्वीप	7.72
	कुल :	180.00
	कुल योग :	1213447.00
		1000.00
		300.00
		100.00
		150.00
		15000.00
विश्व बैंक सहायता:		5000.00
		20.000.00

भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद

56. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनू, 1997 के "स्टेट्समैन" में "पाक यूजिंग" एनग्रेट टू सपोर्ट मिलिटेंसी इन इंडिया: स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कदम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को जम्मू व कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की जानकारी है तथा सरकार देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हालांकि इस संदर्भ में सूचना अनुमान पर आधारित है।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति

57. श्री चिंतामन वानगा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सहकारिता आंदोलन की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सहकारिता आंदोलन की स्थिति की पुनरीक्षा करने और भावी निर्देशों के बारे में सुझाव देने तथा माडल राज्य सहकारिता समिति बिल को अंतिम रूप देने के लिए मार्च 1990 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में योजना आयोग ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने मई, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

समिति ने कुछ विद्यमान सहकारिता समिति अधिनियमों के ब्यौरों का अध्ययन किया और महसूस किया कि इन अधिनियमों के कुछ उपबंध प्रतिबंधात्मक प्रकार के हैं। विद्यमान सहकारी अधिनियमों के प्रतिबंधात्मक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और इन उपबंधों को उदार बनाने की आवश्यकता है, को देखते हुए समिति ने सहकारिताओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और जनतंत्रीय कार्यप्रणाली बहाल करने, कम नौकरशाही एवं राजनैतिक हस्तक्षेप के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एक माडल सहकारी अधिनियम की सिफारिश की थी।

माडल सहकारी अधिनियम की कुछ मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. सरकार के पास कोई कानून बनाने की सख्ती नहीं होगी।

2. बोर्ड के अधिक्रमण, सहकारी समितियों के अनिवार्य आमेलन/विभाजन, सहकारी समितियों के उपनियमों में अनिवार्य संशोधन, प्रबंध समिति के संकल्प को वीटो करने/रद्द करने का प्राधिकार, निर्देश जारी करने आदि के लिए रजिस्ट्रार या सरकार को कोई सख्तियां नहीं होंगी।

3. सहकारी संघों को सदस्य सहकारिताओं, विशेषकर नियमित रूप से चुनाव एवं वार्षिक लेखा परीक्षा करना सुनिश्चित करने के लिए अधिक उत्तरदायित्व निभाने होंगे।

4. यह इक्विटी के द्वारा सरकार से निधियां स्वीकार करने के मामले में सहकारिताओं को रोकता है।

5. समय पर चुनाव कराने, लेखों की लेखा परीक्षा आदि के लिए निदेशक बोर्ड उत्तरदायी होगा।

6. माडल एक्ट सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर सहकारिताओं में कार्य करने के लिए रोकता है।

7. माडल अधिनियम अपीलों सहित विवादों के निपटारे के लिए सहकारी ट्रिब्यूनलों के गठन के लिए प्रावधान करता है।

8. माडल अधिनियम अपराधों के लिए कठोर प्रावधान करता है।

समिति द्वारा संस्तुत माडल अधिनियम सभी राज्य सरकारों एवं संघ क्षेत्रों को परिकल्पित किया गया था। इसके बाद जुलाई, 1992 में इस अधिनियम पर सहकारिता के इंचार्ज राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। माडल अधिनियम में निहित सिफारिशों को राज्यों ने सिद्धांत: स्वीकार किया और चरणबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन को भी स्वीकार किया। कुछ राज्यों का यह विचार था कि बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 का संशोधन करके केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। कृषि मंत्रालय बहु-राज्य सहकारिता अधिनियम 1984 के संशोधन/पुनरीक्षा पर संसद की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

डॉ॰ सेनगुप्ता जांच समिति

58. कुमारी उमा भारती : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरनाथ यात्रा के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए गठित डॉ॰ सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संपूर्ण रिपोर्ट 18.12.1996 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) और (घ) सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है तथा जम्मू और कश्मीर की सरकार इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार उचित निवारक/प्रारंभिक कदम उठा रही है, ताकि इस त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो।

एम॰ आर॰ टी॰ एस॰

59. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय को सौंपे जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थानांतरण नीति

60. श्री भक्त चरण दास :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1995 में सरकार को विभिन्न संवेदनशील मामलों पर कार्यवाही करने वाले किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण न किए जाने का निदेश दिया है;

(ख) क्या इसके बावजूद सरकार ने अनेक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जहां तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध है, उसने यह सूचित किया है कि उन्हें वर्ष, 1995 में उच्चतम न्यायालय से इस प्रकार के कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

61. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1997-98 के लिए अनुदान की राशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान की राशि जारी करने का आदेश कब जारी किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इस राशि को जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाझूर): (क) और (ख) व्यय में हुई प्रगति के मद्देनज़र वर्ष 1997-98 की पहली किस्त 205 सांसदों के लिए जारी कर दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसे मामलों जहां कार्यों की स्वीकृति के पश्चात् शेष बची धनराशि 50 लाख रुपए से अधिक हो या जहां से व्यय का विवरण प्राप्त नहीं हुआ हो, में निधियों का निर्मोचन नहीं किया गया है।

विवरण

उन संसद सदस्यों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिसके संबंध में 1997-98 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों की पहली किस्त 21.7.97 तक जारी की जा चुकी है:

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	संसद सदस्यों की संख्या जिनके लिए निधियां जारी की जा चुकी हैं,
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	10

1	2	3
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	6
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	13
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	23
13.	महाराष्ट्र	27
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़ीसा	9
19.	पंजाब	2
20.	राजस्थान	7
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	11
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	53
25.	पश्चिम बंगाल	7
26.	अण्डमान और निकोबार	—
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादर और नागर हवेली	—
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	कुल :	205

जम्मू और कश्मीर को विशेष अनुदान

62. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1996 से अब तक जम्मू और कश्मीर राज्य को कुल कितनी धनराशि विशेष सहायता/अनुदान के रूप में दी गई है;

(ख) यह राशि किन शीर्षों के अंतर्गत दी गई है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त पुलों/विद्यालयों के निर्माण/मरम्मत और आधारभूत संरचना के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालसुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित राशि नीचे दिए अनुसार रिलीज की है :

रू॰ करोड़ों में

मद	1996-97			1997-98	
	आबंटित	1.6.96 से रिलीज की गई राशि	वर्ष के लिए कुल राशि	आबंटित	रिलीज की गई (15.7.97 तक)
1	2	3	4	5	6
1. विशेष केन्द्रीय सहायता	663.00	663.00	663.00	850.00	280.00
2. विशेष योजना ऋण	100.00	92.70	100.00	—	—
3. विशेष योजना सहायता	—	—	—	200.00	64.00
4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	20.68	20.68	20.68	19.79 (अस्थायी)	—

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर विभाग के माध्यम से वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान, सुरक्षा संबंधी खर्च के अंतर्गत 234.99 करोड़ रू. की राशि भी रिलीज की है, जिसमें 1 जून, 1996 के बाद रिलीज की गई 197.79 करोड़ रू. की राशि भी सम्मिलित है।

(ग) उग्रवाद के कारण क्षतिग्रस्त हुई सरकारी सम्पत्ति के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान, 1 जनू, 1996 से, लगभग 24.50 करोड़ रू. की राशि व्यय की गई है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिक

63. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के हजारों बच्चे विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने और इन बच्चों को काम पर लगाने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने देश में बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन, अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में शामिल 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाए जा सकते हैं। कामकाजी बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न अन्य श्रम कानूनों में विधिक प्रावधान हैं। सभी बाल श्रम से संबंधित कानूनों को सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रवर्तन करने का सरकार का प्रयास रहा है। विधिक उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के संबंध में कदम उठाए हैं। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 2 मिलियन बालकों को पुनर्वासित करने के लिए अगस्त, 1994 में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं के अधीन स्थापित किए गए विशेष स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिल किया गया है। इस मुद्दे पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने चर्चा की थी। न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने अधिनिर्णय में अनेक निर्देश दिए हैं जिनमें खतरनाक व्यवसायों में बालकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं द्वारा मुआवजे की अदायगी करना भी शामिल है। सरकार ने इन निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी के अस्पताल

64. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ितों को इलाज करने के लिए भारतीय रेडक्रास द्वारा भोपाल में स्थापित अस्पताल बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा भोपाल गैस-विभीषिका के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय रेडक्रास सोसायटी को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय रेडक्रास सोसायटी से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के शिकार हुए व्यक्तियों का उपचार करने के लिए स्थापित किए गए अस्पतालों को बंद नहीं किया गया है बल्कि इन चिकित्सा केंद्रों में आने वाले रोगियों की संख्या अब कम हो गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सऊदी अरब में भारतीय

65. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों को अत्यधिक परेशान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सऊदी अरब में रहने वाले कुछ भारतीय जनवरी, 1997 से ही गायब हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) सऊदी अरब में भारतीयों को बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किए जाने के कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। मोटे तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय अपने रहन-सहन और कार्य करने की स्थिति से संतुष्ट हैं। सऊदी अरब में रहने वाले लगभग 1.5 मिलियन भारतीयों को देखते हुए मिलने वाली शिकायतें बहुत कम हैं। समय-समय पर जो शिकायतें मिलती हैं उनमें से अधिकांश वेतन का भुगतान न किए जाने, पर्याप्त मुआवजे के बिना लंबी और कठिन कार्याविधि, भारत आने के लिए छुट्टी न देना, प्रायोजकों द्वारा यात्रा संबंधी दस्तावेजों को अपने

पास रोक रखने, संविदा संबंधी बाध्यताओं को पूरा न करने, दुर्व्यवहार इत्यादि के संबंध में होती है।

सऊदी अरब में 1.5 मिलियन भारतीय कामगारों में से अधिकांश उस देश के भीतरी भागों में कार्य करते हैं। रियाद स्थित हमारे राजदूतावास अथवा जद्दाह स्थित प्रधान कोंसलावास को जब भी किसी भारतीय के लापता हो जाने की खबर मिलती है वे उस व्यक्ति को ढूंढ़ने के लिए प्रायोजक से, उस व्यक्ति के परिचित स्थानीय भारतीयों से और सऊदी विदेश मंत्रालय से सम्पर्क करते हैं।

जनवरी, 1997 के बाद से एक प्रमुख मामला जो सरकार के ध्यान में लाया गया है वह श्री बी॰ डी॰ बालिगा से संबंधित था जो 5.2.1997 से लापता थे और ईस्टर्न पेट्रो कैमिकल्स, जुबैल, सऊदी अरब में मैटीरियल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। जांच के दौरान पाया गया कि उन्हें अपने नियोक्ता से संबंधित कुछ दस्तावेजों को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के आरोप में एयरपोर्ट पर रोक रखा गया था। राजदूतावास के प्रयासों से श्री बी॰ डी॰ बालिगा को मुक्त कराया गया और भारत वापस भेज दिया गया।

[अनुवाद]

श्रम कानून

66. श्री अय्यन्ना पटरूधु :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापीकरण की प्रक्रिया तथा श्रम कानूनों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा श्रम कानूनों की आलोचनात्मक समीक्षा करने हेतु नई शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) चालू वर्ष के लिए समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और मौजूदा कानून के स्थान पर नए कानूनों और संशोधनों का अधिनियमन उभरते हुए कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मौजूदा कानूनों में संशोधन करते समय अथवा किसी नए कानून को अधिनियमित करते समय, आम तौर पर राज्य सरकारों के विचार मांगे जाते हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

67. श्री नीतीश कुमार :
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों सहित सभी राज्य सरकारों के विचारों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन प्रमुख परियोजनाओं पर बल दिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवाञ्नूर : (क) से (ग) जी, नहीं। नौवीं योजना को तैयार करने का कार्य अभी योजना आयोग में चल रहा है। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 16.1.1997 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया तथा जिसे विशेषज्ञों, सांसदों, राज्य सरकारों एवं स्वैच्छिक संगठनों आदि के साथ गहन विचार-विमर्श के उपरांत तैयार किया गया था, उन लक्ष्यों तथा मुख्य-प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है, जिन पर नौवीं योजना में जोर दिया जाना है।

बाल श्रम पर प्रधानमंत्री की कार्य योजना

68. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोखिम भरे कार्यों, उद्योगों तथा खानों में संलिप्त बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 15 अगस्त, 1995 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्य योजना के अंतर्गत अब तक वर्षवार क्या प्रगति हुई है तथा योजना के अंतर्गत मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रहीं हैं; और

(ख) संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बनाये गये जोखिम भरे कार्यों से बाल श्रम पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए 15 अगस्त, 1994 को सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। परियोजना के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले अनुमानत: 2 मिलियन बालकों को कार्य से हटाए जाने और अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि के प्रावधानों के साथ उन्हें स्कूलों में रखकर पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले लगभग 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित किए गए विशेष

स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिला दिया जा चुका है।

जबकि सरकार अभी भी इस कार्यक्रम को और जिलों में लागू करने का विचार कर रही थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने अधिनिर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों को हटाए जाने तथा पुनर्वासित किए जाने की विधि और गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों की कार्यदशाओं को बेहतर बनाए जाने तथा विनियमित किए जाने की विधि के बारे में भी अनेक निदेश जारी कर दिए। उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अनेक कार्रवाइयां की गई हैं।

क्लाइमेट सेटेलाइट

69. श्री एल. रमना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में क्लाइमेट सेटेलाइट छोड़ने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय तूफान की पूर्व चेतावनी देकर लोगों की जान बचाई जा सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस प्रकार के उपग्रह के डिजाइन और प्रमोचन की तकनीकी संभाव्यता का पता लगाने के उद्देश्य से जलवायु अध्ययन-क्लाइमेटसैट कार्यक्रम परिभाषा ग्रुप के लिए उपग्रह को परिभाषित करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है। इस समय, विशेषज्ञ समिति भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे विविध भारतीय प्रयोक्ता संगठनों के साथ नजदीकी सहयोग से प्रस्तावित उपग्रह के लिए मिश्रित नीतभार, कक्षा, उपग्रह संरूपण इत्यादि पर कार्य कर रही है।

(ख) वर्तमान में, भारतीय भू-स्थिर इन्सैट उपग्रहों द्वारा प्रदत्त क्रमिक मेघ आच्छादन प्रतिबिम्बों के विश्लेषण से चक्रवातों के आगमन के संबंध में अग्रिम चेतावनी प्राप्त होती रही है। तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्सैट की संचार क्षमता का अलग से उपयोग करते हुए आपदा चेतावनी प्रणाली का उपयोग होता रहा है।

आदर्श गांव

70. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने देश में आदर्श गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्य संबंधी योजना को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां। हुडको ने देश में सभी राज्यों/संघ राज्यों में एक आदर्श ग्राम और आदर्श बस्तियां विकसित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) आदर्श ग्राम/आदर्श बस्ती परियोजना में सापेक्ष दृष्टिकोण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित समुचित सुलभ प्रौद्योगिकियों सहित अच्छे आवास के प्रावधान के साथ-साथ समेकित विकास, ऊर्जा के गैर परम्परागत एवं पुनःनवीकृत किए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और सामाजिक आधारभूत ढांचे का सृजन तथा सामुदायिक सुविधाएं होंगी। आदर्श ग्राम/आदर्श बस्तियों की पहचान एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी जिसमें आवास तथा नगर विकास निगम (हुडकों), राज्य सरकार तथा कार्यान्वयन एजेंसी सक्रिय रूप से शामिल होगी।

(ग) हुडको ने इस स्कीम को अगस्त, 1997 में आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

बिहार में बेरोजगारी

71. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी रोकने के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवाञ्नूर) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी की रोकथाम के लिए कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं की जा रही है। यद्यपि, सरकार पूरे देश में अनेक स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। जिनमें बिहार राज्य को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वःरोजगार की एक स्कीम अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) और मजदूरी रोजगार की दो स्कीमें अर्थात् जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.) हैं। शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना कार्यान्वित है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित है।

[अनुवाद]

तम्बाकू के कारण हृदय रोग

72. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने व्यक्ति तम्बाकू के कारण हृदय रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) सार्वजनिक स्थानों तथा सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तम्बाकू का उत्पादन और तम्बाकू उत्पादों का निर्माण बंद करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) तम्बाकू के कारण हुए हृदय वक्ष रोग से ग्रसित लोगों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि देश में तम्बाकू के कारण होने वाले कोरोनरी हृदय रोगों के खतरों पर तथा उपलब्ध सूचना कोरोनरी हृदय रोग के मौजूदा रोगियों की संख्या को उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाये गये हैं। दोगुने खतरे का अनुमान लगाकर तम्बाकू से होने वाले रोगियों की संख्या लगभग 13 लाख व्यक्ति बैठती है।

(ख) प्रशासकीय अनुदेशों के अंतर्गत भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, सम्मेलन कक्षों, घरेलू हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित चेयरकारों व वातानुकूलित शयन यानों, उप-नगरीय रेलगाड़ियों व वातानुकूलित बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों व जन-सुविधाओं वाली जगहों में धूम्रपान करना वर्जित है।

(ग) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (आई॰ सी॰ आर॰ ए॰) ने एफ॰ सी॰ वी॰ तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों के लिए सरसों, कुसुम्भ, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, रागी, प्याज, लहसुन, व गन्ने जैसी अनेक उपयुक्त वैकल्पिक फसलों का पता लगाया है। तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों में इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों का पुनर्वास

73. श्री सत्यपाल जैन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में 1996-97 में विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार की 1997-98 के दौरान इन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन झुग्गी झोपड़ी निवासियों, जिनका पुनर्वास किया गया है, को अब तक बुनियादी सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (च) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी मजदूरों द्वारा आंदोलन

74. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोढ़ा तथा गोहलपुर (जबलपुर, मध्य प्रदेश) के बीड़ी मजदूरों ने मजदूरी निर्धारित करने तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान संबंधी सरकारी निर्णय के विरुद्ध आंदोलन चला रखा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र

75. श्री आर॰ सम्बासिवा राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के मुकाबले में अपनी तीहरी रणनीति के अंतर्गत अपने सैन्य शस्त्रागार में वृद्धि करने और कूटनीतिक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान का यह निर्णय दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान हुए समझौते का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार पुनः शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान के पास अपनी वैध रक्षा आवश्यकताओं से अधिक सैन्य शस्त्रों का भण्डार है। सरकार को पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों के बारे में हो रहे लगातार दुष्प्रचार की भी जानकारी है। इस प्रकार का दुष्प्रचार शत्रुतापूर्ण प्रचार और उकसाने वाली गतिविधियों से दूर रहने के दोनों देशों के दृढ़ इरादे के अनुरूप नहीं है। इस आशय के इरादे का उल्लेख जून, 1997 में इस्लामाबाद में सम्पन्न विदेश सचिव स्तर की बातचीत के समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में है। सरकार पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के प्रभाव का सावधानीपूर्वक और सतत् रूप से मूल्यांकन कर रही है और राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

भारत-अमरीका संबंध

76. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण के दौर में भारत-अमरीका सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जून, 1997 में विदेश राज्य मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान भारत सरकार और संयुक्त राज्य सरकार ने अभी हाल ही में उपयोगी विचार विमर्श किया है। व्यापक बातचीत करने और विस्तृत संबंध बनाने की दोनों देशों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में परस्पर हित के मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) और (ग) सरकार को सूचना मिली है कि भारत की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के समारोहों के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

77. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश को कार्यान्वित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(च) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) दिनांक 17 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों की राज्यवार कुल संख्या तथा 17 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वास्तविक संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 17 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रिक्ति पर आधारित है, पद आधारित नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सभी रिक्तियों को सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप भरा जाता है।

(च) (ङ) में दिए गए उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण I

(17.7.1997 को स्थिति के अनुसार) भारतीय प्रशासनिक सेवा विद्यमान संवर्ग अधिकारी संख्या

क्र॰ सं॰	संवर्ग	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद (एसडीपी)	केन्द्र सरकार के अधीन पद (सीडीआर) (एसडीपी) का 40% की दर से)	राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (एसडीआर) (एसडीपी का 25% की दर से)	छुट्टी प्रशिक्षण रिज़र्व तथा कनिष्ठ पद (ओआर) (एसडीपी का 20% की दर से)	सीधी भर्ती पद (डीआर) (एसडीपी+ सीडीआर+ एसडीआर+ ओआर-पी क्यू)	पदोन्नति पद (पीक्यू) (सीडीआर+ एसडीपी का 33 1/3%)	कुल प्राधिकृत पद सं॰ (टीएएस) (डीआर+ पीक्यू) (कॉलम (7)+(8))	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	159	64	60	31	240	74	314	311
2.	अरूणाचल प्रदेश गोआ-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	126	50	31	25	174	58	232	232
3.	असम-मेघालय	110	44	31	22	156	51	207	213
4.	बिहार	212	85	53	42	294	98	392	336
5.	गुजरात	116	46	51	23	182	54	236	222
6.	हरियाणा	115	46	28	23	159	53	212	189
7.	हिमाचल प्रदेश	71	28	18	14	98	33	131	125
8.	जम्मू और कश्मीर	61	24	15	12	70	42	112	105
9.	कर्नाटक	127	51	50	25	194	59	253	261
10.	केरल	93	37	23	18	128	43	171	157
11.	मध्य प्रदेश	204	82	51	40	282	95	377	394
12.	महाराष्ट्र	190	76	47	38	263	88	351	357
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	107	43	27	21	149	49	198	160
14.	नागालैंड	35	14	08	07	48	16	64	43
15.	उड़ीसा	108	43	27	21	149	50	199	196
16.	पंजाब	99	40	35	19	147	46	193	189
17.	राजस्थान	141	56	35	28	195	65	260	236
18.	सिक्किम	27	11	07	05	38	15	53	40
19.	तमिलनाडु	175	70	43	35	242	81	323	317
20.	उत्तर प्रदेश	271	108	94	54	401	126	527	534
21.	पश्चिम बंगाल	158	63	40	31	219	73	292	297
	कुल योग	2705	1081	774	534	3828	1269	5097	4914

विवरण II

17 जुलाई 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या

क्र॰ सं॰	संवर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या (अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी अन्य में शामिल हैं)
1	2	3
1.	असम-मेघालय	213
	अनुसूचित जाति	8
	अनुसूचित जनजाति	28
	अन्य	177
2.	आन्ध्र प्रदेश	311
	अनुसूचित जाति	40
	अनुसूचित जनजाति	16
	अन्य	255
3.	बिहार	336
	अनुसूचित जाति	31
	अनुसूचित जनजाति	25
	अन्य	280
4.	गुजरात	222
	अनुसूचित जाति	20
	अनुसूचित जनजाति	9
	अन्य	193
5.	हिमाचल प्रदेश	125
	अनुसूचित जाति	8
	अनुसूचित जनजाति	13
	अन्य	104
6.	हरियाणा	189
	अनुसूचित जाति	31
	अनुसूचित जनजाति	2
	अन्य	156
7.	जम्मू और कश्मीर	105
	अनुसूचित जाति	8
	अनुसूचित जनजाति	5
	अन्य	92

1	2	3
8.	केरल	157
	अनुसूचित जाति	23
	अनुसूचित जनजाति	5
	अन्य	129
9.	कर्नाटक	261
	अनुसूचित जाति	34
	अनुसूचित जनजाति	9
	अन्य	218
10.	महाराष्ट्र	357
	अनुसूचित जाति	40
	अनुसूचित जनजाति	10
	अन्य	307
11.	मध्य प्रदेश	394
	अनुसूचित जाति	39
	अनुसूचित जनजाति	16
	अन्य	339
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	160
	अनुसूचित जाति	6
	अनुसूचित जनजाति	28
	अन्य	126
13.	नागालैण्ड	43
	अनुसूचित जाति	0
	अनुसूचित जनजाति	14
	अन्य	29
14.	उड़ीसा	196
	अनुसूचित जाति	18
	अनुसूचित जनजाति	7
	अन्य	171
15.	पंजाब	189
	अनुसूचित जाति	28
	अनुसूचित जनजाति	0
	अन्य	161
16.	राजस्थान	236
	अनुसूचित जाति	26
	अनुसूचित जनजाति	14
	अन्य	196

1	2	3
17.	सिक्किम	40
	अनुसूचित जाति	4
	अनुसूचित जनजाति	12
	अन्य	24
18.	तमिलनाडु	317
	अनुसूचित जाति	49
	अनुसूचित जनजाति	12
	अन्य	256
19.	उत्तर प्रदेश	534
	अनुसूचित जाति	72
	अनुसूचित जनजाति	14
	अन्य	448
20.	ए॰ जी॰ एम॰ यू॰ टी॰	232
	अनुसूचित जाति	27
	अनुसूचित जनजाति	17
	अन्य	188
21.	पश्चिम बंगाल	297
	अनुसूचित जाति	28
	अनुसूचित जनजाति	12
	अन्य	257
	कुल योग	4914
	अनुसूचित जाति	540
	अनुसूचित जनजाति	268
	अन्य	4106

टिप्पणी :

अन्य वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों का अलग से संकलन केवल वर्ष 1995 में किया गया है। वर्ष 1995 से सेवा में भर्ती किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र॰ सं॰	संवर्ग	वर्ष 1995 से भर्ती किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1.	असम-मेघालय	3
2.	आंध्र प्रदेश	4
3.	बिहार	5
4.	गुजरात	2
5.	हिमाचल प्रदेश	2
6.	हरियाणा	—
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	केरल	1
9.	कर्नाटक	1
10.	महाराष्ट्र	4
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	2

1	2	3
13.	नागालैण्ड	—
14.	उड़ीसा	2
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	3
17.	सिक्किम	1
18.	तमिलनाडु	4
19.	उत्तर प्रदेश	8
20.	ए॰ जी॰ एम॰ यू॰ टी॰	3
21.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल योग	51

[अनुवाद]

बच्चों को अवैध रूप से बेचना

78. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **प्रधानमंत्री** 24 फरवरी, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब में बच्चों को अवैध रूप से बेचने के कार्य में जुड़े संगठित ग्रुप के बारे में की गई ब्यौरे वार जांच का क्या निष्कर्ष निकला है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए गए हैं कि बच्चों को भीख मांगने अथवा अन्य दूसरे कार्यों के लिए विदेश न ले जाया जाए;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8.3.1997 के स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि सऊदी अरब में इस प्रकार के 2000 से अधिक बच्चे हैं जिनमें से अधिकतर लड़कियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पेशे को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : सदन के पटल पर विवरण की एक प्रति रख दी गई है जो 24 फरवरी को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के रूप में संलग्न है।

(क) जेद्दाह तथा मक्का और मदीना के पवित्र नगरों में भीख मांग रहे 124 बच्चों के जनवरी तथा फरवरी 1997 में दो दलों में निर्वासन के पश्चात् दुर्व्यापार में शामिल किसी संगठित गिरोह के कार्य-कलाप के बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार से एक विस्तृत जांच का अनुरोध किया गया है। जांच अभी भी जारी है तथा जांच पर आंतरिक सूचना के अनुसार बच्चे या तो माता-पिता/दूर के संबंधियों या स्थानीय दलालों द्वारा ले गये थे। अधिकतर मामलों में स्वयं अभिभावकों ने वित्तीय लाभ या अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजने के एवज में कुछ क्षतिपूर्ति के लाभ में सऊदी अरब भेजा। किसी बालिका को अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने का कोई आरोप नहीं है। सूचना के अनुसार सभी बच्चे अपने माता-पिता, दूर के रिश्तेदार या स्थानीय दलालों के वैध पासपोर्टों पर गये।

(ख) और (घ) यह सुनिश्चत करने के लिए प्रक्रियाओं को चुस्त बनाया गया है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले बच्चे वास्तव में अपने माता-पिता के साथ जा रहे हैं और वे किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं ले जा रहे हैं। अप्रवासन प्राधिकारियों को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि वे उनके कागजातों की जांच करें जो विकलांग बच्चों को हज के लिए सऊदी अरब ले जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से बच्चों के लिए अलग वीजा/पासपोर्ट जारी करने के मसले पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। 8 मार्च, 1997 के स्टेट्समैन में छपी खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। हालांकि सऊदी अरब में रह रहे 2000 बच्चों जिनमें अधिकतर बालिका हैं, के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। वर्ष 1997 के दौरान अब तक भीख मांगने वाले कुल 226 बच्चों को पांच दलों में सऊदी अरब में वापस भेजा गया है। यह पवित्र जगहों पर भीख मांगने वालों के लिए सऊदी सरकार की धर-पकड़ की कार्रवाई के फलस्वरूप हुआ।

विवरण

सऊदी अरब की राजधानी के प्राधिकारियों ने 130 भारतीय बच्चों, जिनमें से अधिकांश विकलांग थे, को जद्दाह और मक्का तथा मदीना के पवित्र शहरों में उस समय पकड़ा जब वे भीख मांग रहे थे। सऊदी प्राधिकारियों ने रमजान के महीने के दौरान भिखारियों की धर-पकड़ की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में यह कार्रवाई उनकी राष्ट्रीयता का ध्यान किये बिना की। बाद में सऊदी प्राधिकारियों ने इन बच्चों को जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास द्वारा भारत वापस भेजने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज जारी करके उन्हें भारत भेज दिया। उन्हें भेजने की कार्रवाई दो जत्थों में गई अर्थात 13 जनवरी, 1997 को 77 बच्चे (जिनमें 76 बालिकाएं और 1 बालक शामिल था) और 3 फरवरी, 1997 को 47 बालक भेजे, इस प्रकार कुल 124 बच्चे भेजे। इसी प्रकार और 6 बच्चों को पकड़ा गया और उन्हें सऊदी अरब से वापस भेजा जा रहा है।

जद्दाह स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास के कर्मचारियों द्वारा की गई प्राथमिक पूछताछ के अनुसार इनमें से अधिकांश बच्चे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पाए गए। वे बच्चे हज/उमराह वीजा पर सऊदी अरब गए थे जिसकी व्यवस्था उन संगठित गिरोहों ने की जो मानव दुर्व्यापार में संलिप्त हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन गिरोहों को चलाने संबंधी विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार बच्चों के दुर्व्यापार की ऐसी घटनाओं के प्रति अत्यधिक चिंतित है। तीर्थ यात्रियों की असुविधा को कम करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले माता-पिता के साथ उनके वास्तविक बच्चों को ही तीर्थ यात्रा पर भेजने की अनुमति दी जाए। इस बात का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से इस क्रियाविधि को सख्त बनाया जा रहा है कि विदेश यात्रा पर जाने वाले बच्चे वास्तव में अपने माता-पिता के साथ जा रहे हैं और उन्हें अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है। बच्चों को अलग से पासपोर्ट जारी करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इसका समाधान हो सके।

पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में मशीनें और उपकरण

79. श्री राम बहादुर सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में महंगी मशीनें और उपकरण निष्क्रिय पड़े हुए हैं और व्यावहारिक तौर पर रोगियों के न आने से अस्पताल का कार्य वास्तविक रूप से ठप्प हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस इंस्टीट्यूट में व्यय लेखे न रखे जाने तथा अन्य अनियमितताएं बरती जाने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली के क्लीनिकल रिसर्च सेन्टर के साथ सम्बद्ध 20 पलंगों वाली अंतरंग रोगी सुविधाओं के साथ-साथ नैदानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाएं जिनमें औसतन 250-300 रोगी प्रतिदिन आते हैं, के सामान्य रूप से कार्य करने की रिपोर्ट है।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्ष 1994-95 तक संस्थान की लेखा-परीक्षा की गई है और अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तथापि, संस्थान के कार्य-निष्पादन में और सुधार करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान के लिए एक शैक्षिक समिति और एक वित्त समिति का गठन किया जाए।

[हिन्दी]

अवैध कालोनियों को नियमित करना

80. श्री लाल बिहारी तिवारी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने लगभग तीन वर्ष पूर्व/दिल्ली में 1071 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों को अब तक नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.1993 तक दिल्ली में विद्यमान सभी अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रस्ताव प्राप्त कर लिये हैं। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं०-4771/3 में दिल्ली में किसी अवैध कालोनी को नियमित करने बाबत किसी निर्णय अथवा कार्यवाही पर भारतीय संघ सहित प्रतिवादियों पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है। इस प्रकार मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

81. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 मई, 1997 को दिये गये निर्देशानुसार बाल श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने की रूप-रेखा विकसित करने तथा उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए संबद्ध राज्यों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा आदि (याचिकाकर्ता) बनाम भारत संघ, और अन्य (प्रतिवादी) के मामले में रिट याचिका सिविल सं० 12125/84 और 11643/85 में दिनांक 21 फरवरी, 1997 के अपने अधिनिर्णय में सरकार को निर्देश दिया था कि वे एम० सी० मेहता के मामले में उल्लिखित अलग-अलग अधिनियमों द्वारा शासित सभी रोजगारों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के रोजगार को क्रमिक ढंग से समाप्त करने के लिए नीतिगत सिद्धांत तैयार करने के लिए और ऐसे कदमों का पता लगाने के लिए एम० सी० मेहता के मामले में दी गई योजना के अनुरूप हों, अलग-अलग राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रियों और उनके संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों की एक बैठक बुलाएं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर 7-8 जुलाई, 1997 को आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया। सम्मेलन में, एम० सी० मेहता के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकांश राज्यों द्वारा सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकारों ने भी बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में अद्यतन अधिनिर्णय के प्रकाश में निर्देशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई है।

रिट याचिका सं॰ 12125/84 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ को 2 मई, 1997 को सुनवाई के लिए पुनः सूचीबद्ध किया गया था। तथापि, न्यायालय ने इसे शामिल नहीं किया क्योंकि इस मामले को रजिस्ट्री द्वारा सूची से निकाल दिया गया था।

[हिन्दी]

विदेशी राजदूत द्वारा कश्मीर का दौरा

82. चौधरी रामचन्द्र बेंदा :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष सभी विदेशी राजदूतों को कश्मीर का दौरा करने की अनुमति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य एजेंसी ने सरकार को सभी विदेशी राजदूतों को कश्मीर जाने की अनुमति देने की सलाह दी है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने मिशन प्रमुखों सहित राजनायिकों की जम्मू तथा कश्मीर सहित भारत के किसी भी भाग की यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के श्रम संभावना

83. श्री नवल किशोर राय :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से पूर्व देश में उपलब्ध श्रम संभावनाओं का पूरा आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में इनकी कुल संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र में अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(घ) यदि हां, तो उन अन्य प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां असंगठित श्रमिक कार्यरत हैं तथा उनकी अनुमानित संख्या क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिकों की औसत दिहाड़ी का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) श्रम शक्ति प्रक्षेपण अर्थव्यवस्था हेतु समग्र रूप से उपलब्ध है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में श्रम शक्ति के 354 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया।

(ग) और (घ) 1993-94 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 50वें दौर में, कुल रोजगार के औद्योगिक वितरण के अनुमान संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ङ) वर्ष 1992 के दौरान उद्योग एवं स्टेट्स द्वारा औसत दैनिक वेतन दर (पूर्ण) संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण- I

अनुमानित औद्योगिक क्षेत्रवार रोजगार (यूपीएस)-1993-94

	उद्योग	रोजगार (मिलियन)
1.	कृषि एवं अनुषंगी	207.83
2.	खनन एवं उत्खनन	2.69
3.	विनिर्माण	35.62
4.	विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	1.33
5.	निर्माण	11.52
6.	थोक एवं खुदरा व्यवसाय	26.36
7.	परिवहन, भंडारण एवं संचार	10.19
8.	वित्त, अचल सम्पत्ति बीमा तथा व्यापार सेवाएं	3.32
9.	सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	33.13
	कुल:	332.00

स्रोत : एनएसएसओ (50वां दौर-1993-94), मूल परिणाम।

टिप्पण : यूपीएस अर्थात् कामगारों का सामान्य प्रिंसिपल स्टेट्स।

विवरण- II

1992 के दौरान उद्योग एवं स्ट्राटम द्वारा औसत दैनिक/मजदूरी दरें (पूर्णतया)

(रुपए)

क्र॰ सं॰	उद्योग/स्ट्राटम	1992
1	2	3
1.	सूती कपड़ा	62.88
	(i) अहमदाबाद	76.04
	(ii) बंगलौर	68.54
	(iii) बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्र	83.42
	(iv) कोयम्बटूर	81.91

1	2	3
	(v) हावड़ा और कलकत्ता	54.54
	(vi) इंदौर	51.50
	(vii) कानपुर	60.38
	(viii) नागपुर	57.16
	(ix) अन्य	54.58
2.	सीमेंट	79.14
3.	सिगरेट फैक्ट्रियां	71.49
4.	हाइड्रोजेनेटेड तेल	72.73
5.	जूट टैक्सटाइल्स	64.92
	(i) पश्चिम बंगाल	65.14
	(ii) अन्य	64.19
6.	विद्युत मशीनरी का निर्माण	93.95
7.	माचिस फैक्ट्रियां	43.08
8.	पेपर और पेपर उत्पाद	67.72
9.	रेलवे कार्यशाला	89.81
10.	धातुओं (लोहा और इस्पात सहित) की स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग	91.22
11.	साबुन फैक्ट्रियां	73.39
12.	चीनी	66.81
	(i) बिहार	67.93
	(ii) उत्तर प्रदेश	65.41
	(iii) अन्य	69.36
13.	*सिल्क कपड़ा	55.84
	(i) सूरत	56.28
	(ii) जम्मू और कश्मीर	उ० न०
	(iii) अमृतसर	56.41
	(iv) भिवंडी	54.64
	(v) बंगलौर	39.81
	(vi) बम्बई और उसके आस पास के क्षेत्र	67.71
	(vii) अन्य	54.14
14.	ऊनी कपड़ा	59.39
15.	कोयला खान	82.72
16.	लोह अयस्क खान	48.46
17.	मैग्नीज खान	42.65
18.	अभ्रक खान	29.59
19.	कॉफी बागान	22.83
20.	रबर बागान	35.52
21.	चाय बागान	20.44
	(i) दक्षिण भारत	28.56
	(ii) उत्तर पूर्वी भारत	18.56

उ० न० उपलब्ध नहीं।

*क्रमांक 13 से 21 तक के उद्योग 1976 में शामिल किए गए।

स्रोत : श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1996-97

हज तीर्थयात्रा

84. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय तीर्थयात्रियों ने मक्का, पाकिस्तान तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन तीर्थयात्रियों पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार ने 1997 के दौरान मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन तीर्थयात्रियों ने मक्का, पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा की उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	1994	1995	1996
हज यात्री	25685	30503	50346
कैलाश मानसरोवर यात्री	370	350	435
पाकिस्तान गए सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू	5380	5210	5085

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों पर किया गया व्यय निम्न अनुसार है :—

वर्ष	हज यात्रियों की संख्या	किया गया व्यय (रुपये)	प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये)
1994	25685	24.69 करोड़	9612.00
1995	30503	17.95 करोड़	5884.00
1996	50346	42..02 करोड़	8346.00

3. 1996 में सरकार ने तीर्थयात्रियों द्वारा रू. 5000/- प्रति तीर्थयात्री की दर से कुमायूं मण्डल विकास निगम को देय राशि को स्थिर करने का निर्णय लिया। कुमायूं मण्डल विकास निगम ने रुपए 8250/-की कुल लागत वसूल की। इस प्रकार सरकार ने कुमायूं मण्डल विकास निगम को ठहराने, खाने तथा यातायात प्रबंधों के लिए प्रति तीर्थ यात्री 3250/- की सहायता प्रदान की। सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को प्रदान की गई सहायता में चिकित्सा सहायता, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा उ॰ प्र॰ राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा तथा अंगरक्षा कवर, दिल्ली तथा भारतीय सीमा और चीन में यात्रा रूट में पड़ने वाले स्थानों के बीच संचार संबंध तथा तीर्थ यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ सरकारी लागत पर सम्पर्क अधिकारी शामिल हैं।

4. भारत से पाकिस्तान जाने वाले सिक्ख/सहजधारी तथा हिन्दू जत्थों के मामलों में सरकार सभी प्रकार की अपेक्षित सहायता प्रदान करती है, प्रत्येक जत्थे की यात्रा के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुमोदन प्राप्त करती है; विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों/प्राधिकरणों से समन्वय करके यात्रा के लिए वीसा प्राप्त करने के लिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की सूची नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजती है; यात्रा पर जाने/लौटने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन सेवा का प्रबंध करती है; और यह ध्यान में रखते हुए कि जत्थों को अनुमति थोड़े समय के नोटिस पर दी जाती है और जत्थों के प्रस्थान से एक या दो दिन पूर्व ही तीर्थयात्रियों के पासपोर्टों पर वीसा मोहर लगती है; सरकार विशेष मामले के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा शीघ्र जारी करती है; भ्रमणकारी तीर्थयात्री जब किसी प्रकार की सहायता के लिए सम्पर्क करते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से सम्पर्क अधिकारी की व्यवस्था की जाती है।

5. सरकार ने 1997 के दौरान मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या कम करने का निर्णय नहीं लिया है।

हैपाटाइटिस "बी" का टीका

85. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पीलिया की रोकथाम के लिए (पल्स पोलियो अभियान" की भांति हैपाटाइटिस "बी" टीकारण अभियान आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डालर प्रति खुराक की दर पर हैपाटाइटिस "बी" टीका उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस टीके को खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो कितने टीके खरीदे जाने का प्रस्ताव है और इनके कब तक खरीद लिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पीलिया की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) हैपाटाइटिस-बी से बचाव के लिए टीकाकरण को शामिल करने का विचार है यदि नौवीं योजना में इस मंत्रालय को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि प्लाज्मा से तैयार की गई हैपेटाइटिस-बी वैक्सीन प्रति शिशु खुराक 0.5 से 1 अमरीकी डालर में प्राप्त की जा सकती है।

(ग) से (ङ) इस पर निर्णय लेना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(च) पीलिया जिगर का संक्रमण है जो किसी भी प्रकार के हैपेटाइटिस विषाणु से हो सकता है। विषाणु हैपेटाइटिस को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं :—

(i) सभी रक्त दाताओं के लिए हैपेटाइटिस-बी की जांच अनिवार्य है।

(ii) सुरक्षित यौन क्रिया को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिया गया है।

(iii) प्रत्येक इंजेक्शन और आपूतिक शल्य क्रिया उपचार हेतु अलग विसंक्रमित सिरिंज और सूई का इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) केन्द्रीय सरकारी अस्पताल के उन कार्मिकों को हैपेटाइटिस-बी से प्रतिरक्षित करने हेतु निदेश दिए गए हैं जिन्हें अत्यधिक खतरा रहता है।

राज्य सरकारों को भी ऐसे ही उपाए करने की सलाह दी गई है।

(v) अन्य बातों के साथ-साथ पीने के साफ पानी के इस्तेमाल और पर्यावरणिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए संदेशों का प्रचार-प्रसार करके गहन स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को बढ़ावा दिया गया है।

[अनुवाद]

पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

86. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण रेखा के समीपस्थ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदानं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कठुआ और जम्मू जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों को इन सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्। वर्ष 1981 में जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि. मी. तक के क्षेत्रों सहित कुछ क्षेत्रों को, आनंद समिति की सिफारिशों पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया था। बाद में वर्ष 1988 में, छूट गए कुछ अन्य गांवों को भी संबंधित उपायुक्तों की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया। इन क्षेत्रों को सरकारी सेवाओं तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) आनंद समिति ने क्षेत्रों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने हेतु निम्नलिखित घटकों को मानदण्ड माना था :—

(1) क्षेत्र की अगम्यता;

(2) जलवायुविक स्थितियां;

(3) क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति/स्थलाकृति;

(4) साक्षरता की निम्न दर;

(5) चिकित्सा सुविधाओं का अभाव; और

(6) जीवन की मूलभूत जरूरतों जैसे पीने का पानी, बिजली, सिंचाई सुविधाएं, मातृत्व एवं बाल कल्याण क्लीनिकों आदि का अभाव।

पिछड़े क्षेत्रों की सूची में कठुआ जिले के 103 गांव तथा जम्मू जिले के 127 गांव शामिल हैं।

(ग) वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित गांवों सहित उन समस्त गांवों को जो कि उपयुंक्त मापदण्ड को पूरा करते हैं, पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया था। राज्य सरकार के समक्ष किन्हीं अन्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्लाट, फ्लैट इत्यादि का आबंटन

87. श्री शिबु सोरेन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित किये गये फ्लैटों दुकानों तथा भूखंडों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई विशेष आवास योजना यदि कोई हो का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित फ्लैट/प्लाट और दुकानें आबंटित किये हैं। वर्षवार और श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :—

	1994-95	1995-96	1996-97
फ्लैट			
एस. एफ. एस.	155	138	417
एम. आई. जी.	—	466	1200
एल. आई. जी.	147	651	450
जनता	1522	44	917
ई. एच. एस.	407	—	2102
दुकानें	191	255	—

प्लाट : प्लाटों के आबंटन का वर्षवार अलग से कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को प्लाट आंबटित किए गए हैं और उनकी संख्या 4994 है।

(ख) वर्ष 1989 में अम्बेडकर आवास-योजना नामक विशेष आवास स्कीम विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए शुरू की गई।

हज यात्रा

88. श्री ई. अहमद : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीना अग्नि त्रासदी के संदर्भ में निजी टूर आपरेटरों के हाजियों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के प्ररिप्रेक्ष्य में हज यात्रा के लिए एक नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) मीना अग्निकांड को ध्यान में रखते हुए हज तीर्थ यात्रा के संबंध में निजी टूर आपरेटरों के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए सरकार कई उपायों पर सक्रियता से विचार कर रही है।

स्वरोजगार कार्यक्रम

89. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम को तमिलनाडु में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां। यह मंत्रालय शहरी युवाओं के लिए तमिलनाडु में दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी रोजगार कार्यक्रम नामतः नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) **नेहरू रोजगार योजना :** शहरी लघु उद्यम स्कीम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 1989 से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 30.6.97 तक तमिलनाडु में 1,09,500 शहरी गरीबों को शहरी लघु उद्यम स्कीम के अंतर्गत स्वरोजगार अपनाने में सहायता दी गई है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : इस स्कीम में श्रेणी-II शहरों में रह रहे शहरी गरीबों के लिए इसके बहुत से घटकों में से एक घटक स्वरोजगार है। यह स्कीम तमिलनाडु के 41 शहरों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीरी विस्थापित

90. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आतंकवादियों ने जम्मू के उधमपुर जिले में सरकारी स्कूलों के विस्थापित अध्यापकों की गोली मार कर हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर के विस्थापितों को पुनः वापस भेजने के लिए राज्य में उपयुक्त माहौल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विस्थापितों को जबरदस्ती वापस भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 15 जून, 1997 को करीब 1745 बजे जम्मू से गूल आ रही एक यात्री बस को कुछ सशस्त्र आतंकवादियों ने ग्रेट मोड़ के निकट, उद्यमपुर जिले में मूल से 7 कि. मी. पहले रोका। आतंकवादियों ने सभी सवारियों को नीचे उतरने को कहा और अल्पसंख्यक कश्मीरी पण्डित समुदाय के तीन व्यक्तियों को अलग करके उन्हें कुछ दूरी पर ले जाकर गोली मार दी। एक मृतक राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल, गूल का प्रधानाचार्य तथा दो प्राध्यापक थे जो कि गर्मियों की छुट्टियों के उपरांत अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे।

(ग) से (ङ) जम्मू व कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार के गठन के बाद से हिंसा की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। राज्य में सुरक्षा की स्थिति में और सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कश्मीरी पण्डितों की उनके घरों को वापसी और पुनर्वास का मामला राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। राज्य सरकार उनकी वापसी के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है जिसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इस मामले से राजनैतिक-आर्थिक आधार पर निपटा जाना है।

महिलाओं हेतु रोजगार कार्यालय

91. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से नौकरी तलाश रही महिलाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन उनको दी जाने वाली नौकरियों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए अलग रोजगार कार्यालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) महिलाओं हेतु पृथक रोजगार कार्यालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि महिलाओं सहित सभी प्रकार के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए विद्यमान प्रणाली को ही प्रर्याप्त माना गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खिलाफ शिकायतें

92. डॉ॰ मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार माह के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत लोक शिकायत कक्ष द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कक्ष द्वारा निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष शिकायतों की स्थिति क्या है और इन शिकायतों का निपटान करने में हुए विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को गत 4 महीनों के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय के जन शिकायत कक्ष में 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विवरण में क्रम सं॰ 3, 4, एवं 8 पर उल्लिखित 3 मामले निपटा लिए गए हैं। अन्य लंबित जन शिकायत मामलों की स्थिति संलग्न विवरण में है और उनको निपटाया जा रहा है।

के॰ लो॰ नि॰ वि॰ को इन मामलों के शीघ्र निपटान के निदेश दिए गए हैं।

विवरण

1	2	3	4
1.	4/10/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री आर॰ पी॰ शर्मा	पेंशन लाभों का भुगतान न करने बाबत मामले की जांच की जा रही है। मामला अधीक्षण अभियंता, लो॰ नि॰ वि॰, ई॰ सी॰-1 के विचाराधीन है।
2.	4/14/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्रीमती कमलेश रानी	अनुग्रह राशि के भुगतान के बाबत-मामला अधीक्षण अभियंता (मुख्य), नई दिल्ली जोन जेड-IV कार्यालय में विचाराधीन है। उन्होंने अपने 26.6.97 के पत्र द्वारा वेतन व लेखा अधिकारी (एफ॰ जेड॰) से रिपोर्ट मांगी है।
3.	4/15/95-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री वी॰ के॰ सेठी	पेंशन भुगतान आदेश बाबत। मामला निपटा लिया गया है और हमारे का॰ ज्ञा॰ दिनांक 14.5.97 द्वारा इस मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय को उत्तर भेज दिया गया है।
4.	4/16/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्रीमती यशोदा सैनी	अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति बाबत 1 मामला निपटा लिया गया है और हमारे का॰ ज्ञा॰ दिनांक 9.5.97 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय को उत्तर भेज दिया गया है।
5.	4/17/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री एन॰ एल॰ सतीजा	तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन निर्धारण एवं संशोधित वेतन तथा भत्तों के भुगतान बाबत 1 मामले की जांच की जा रही है।
6.	4/18/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्रीमती रामश्री देवी	1961 में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन देने बाबत।
7.	4/19/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री सुखिंदर सिंह	बकाया राशि के भुगतान बाबत 1 अधीक्षण अभियंता (मु॰), एन॰ जेड-I कार्यालय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
8	4/20/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्रीमती शकुन्तला देवी	सेवांत लाभों बाबत 1 मामला निपटा लिया गया है और मंडल सचिवालय को अंतिम उत्तर भेजा जा रहा है।

1	2	3	4
9.	4/22/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री सोम नाथ दास	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत भूतपूर्व कनिष्ठ अभियंता-सेवांत देय लाभ बाबत 1 मामले की जांच की जा रही है।
10.	4/23/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री राजेश कुमार	भावी खरीद के लिए टोर-स्टील आदि की खरीद बाबत सामान्य अनुदेश जारी करना। मामले की जांच की जा रही है।
11.	4/24/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	श्री विनोद कुमार टिक्कु	अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति बाबत 1 नियुक्ति को अनुमोदन दिया जा चुका है। अुनकम्पा आधार पर नियुक्ति के 5% कोटा के प्रतिबंध के कारण नियुक्ति प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है। उनकी प्रतीक्षा सूची संख्या 20 है।
12.	4/25/97-ई॰ सी॰VI/पी॰ जी॰	केन्द्रीय सरकार क्लर्क यूनियन	पूर्वी रीजन में के॰ स॰ से/के॰ स॰ लि॰ से॰ स्टाफ के आनुपातिक वितरण बाबत 1 मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

दुबई जहाज में सवार भारतीय चालक दल का लापता होना

93. श्री थामस हंसदा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई के जहाज पर सवार भारतीय चालक दल 7 जनवरी, 1997 से लापता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी तलाश करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उन लापता लोगों में से अब तक कितने लोगों की तलाश कर ली गई और शेष लोगों की तलाश करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) खबर है कि एम॰ वी॰ थानीवान/करामात नामक एक मालवाहक जहाज जिसमें बेल्जियन झण्डा फहरा रहा था और जिसका मालिक एक ईरानी राष्ट्रिक था, 28.12.96 को संयुक्त अरब अमीरात में अजमान से ईराक की ओर रवाना हुआ। इस जहाज और इसके कर्मियों का आज तक कोई पता नहीं चला है। यह जहाज दुबई के मैसर्स जलील युसुफ ट्रेडिंग कम्पनी का है। इस जहाज के कर्मी दल में पांच भारतीय हैं। इस बात की आशंका है कि ईरान जाने वाले इस जहाज और इसके कर्मियों को ईराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र नौकावरोध का उल्लंघन करते जब्त कर लिया गया होगा।

(ख) और (ग) यह मामला 30 मई, 1997 को सरकार की जानकारी में लाया गया था। दुबई, कुवैत और बगदाद स्थित हमारे मिशनों को सतर्क कर दिया गया है और उनसे संबंधित प्राधिकारियों से सम्पर्क करने के लिए कहा गया है। दुबई स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास ने अपना एक अधिकारी शिपिंग कम्पनी के कार्यालय में भेजा जिसका कार्यालय एक छोटे से कमरे में स्थित था और वहां मौजूद व्यक्ति ने जहाज का पता ठिकाने के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जहाज के मालिक के मोबाइल टेलीफोन पर लगातार घंटी बजती रही जिसे किसी ने नहीं उठाया तथा दुबई स्थित कम्पनी के अधिकारी जहाज के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ हैं। दुबई स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास ने बाद में बताया कि उस क्षेत्र में जहां से जहाज ने प्रस्थान किया था, के क्षतिग्रस्त होने साक्ष्य के अभाव में केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि ईराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र नौकावरोध का उल्लंघन करते हुए इस जहाज को जब्त कर लिया गया होगा। उसके बाद हमने बहरीन स्थित अपने मिशन को कहा है कि वह बहरीन स्थित मल्टीनेशनल इन्टरसेप्सन फोर्स (एम॰ आई॰ एफ॰) को इस जहाज तथा इसके भारतीय कर्मियों का पता लगाने के लिए सम्पर्क करें। इसके अलावा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध भारत का स्थायी मिशन और रियाद स्थित भारत का राजदूतावास इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस जहाज के कर्मियों का पता लगाने के लिए अब तक किए गए प्रयास असफल रहे हैं।

प्रसूति के दौरान मातृ मृत्यु दर

94. श्री विजय हाण्डिक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रसूति के दौरान मातृ मृत्यु दर क्या है;

(ख) क्या गत दशक के दौरान प्रसूति के समय मातृ मृत्यु दर में कमी आई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रसूति के समय मातृ मृत्यु दर के संबंध में दक्षिण एशियाई देश में भारत की स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) भारत तथा अन्य विकासशील देशों में मातृ मृत्यु दर का कोई नियमित और मानक अनुमान नहीं है। 1992-93 में किए गए एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ मृत्यु दर का अनुमान प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 437 लगाया गया है। इस अनुमान के विश्वसनीय मध्यवर्ती आंकड़े 340 से 540 हैं। इसलिए, नियमित और सही अनुमानों के अभावा में विगत वर्षों में देश में मातृ मृत्यु दर के स्तर में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करना संभव नहीं है।

चल रहे मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को अगस्त, 1992 में शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शुरू करके सुदृढ़ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर और रुग्णता दर में कमी लाना है। किए गए उपायों में शामिल हैं : गर्भवती महिलाओं का टेटनस टाक्साइड से प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के निवारण और उपचार के लिए ऑयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, दाइयों का प्रशिक्षण, साफ सुथरे प्रसव सुनिश्चित करने हेतु दाई किट की व्यवस्था, जन्म में अंतराल रखने को बढ़ावा देना और मातृत्व संबंधी जटिलताओं वाली रेफर की गई गर्भवती महिलाओं को आपाती प्रसूति परिचर्या प्रदान हेतु उप जिला स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

दक्षिण एशियाई देशों में अनुमानित मातृ मृत्यु अनुपान इस प्रकार है :

क्रम॰ सं॰	देश का नाम	मातृ मृत्यु दर
1.	भारत	570
2.	बंगलादेश	850
3.	भूटान	1600
4.	नेपाल	1500
5.	पाकिस्तान	340
6.	श्रीलंका	140

मंत्री विवेकाधीन अनुदान

95. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्री विवेकाधीन अनुदान में से गरीब लोगों का इलाज कराने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और लाभ-भोगियों के नाम व उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये व्यक्ति किन रोगों से ग्रस्त थे और किन अस्पतालों में इनका इलाज कराया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख)

वर्ष : 1995-96

क्र॰ सं॰	लाभार्थी का नाम	बीमारी	अस्पताल का नाम	अनुदान राशि
1	2	3	4	5
राज्य : आंध्र प्रदेश		**कुल व्यय-5000/-रुपये**		
1.	श्री पी॰ बी॰ रेड्डी	किडनी	निजाम इंस्टी॰ ऑफ॰ मेडि॰ साइंसेज, हैदराबाद	5,000 रु॰
राज्य : असम		**कुल व्यय-81,000/-रुपये**		
2.	श्री हरी कलोता	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
3.	श्रीमती शोभा खाउंद	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
4.	सुश्री सलमीन बरलासकर	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
5.	बेबी हेलो दास	हार्ट	—तदैव—	4,000/-
6.	कुमारी अरफीन सुल्ताना	किडनी	—तदैव—	20,000/-
7.	श्री खोरोद ककती	हार्ट	—तदैव—	20,000/-

1	2	3	4	5
राज्य : बिहार		**कुल व्यय-4,89,250/-रुपये**		
8.	मास्टर मुरारी	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल, न॰ दि॰	6,000/-
9.	कुमारी नैनी कुमारी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
10.	श्री जी॰ पी॰ सिंह	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
11.	मास्टर राजाराम झा	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
12.	श्री धनंजय कुमार	हार्ट	—तदैव—	4,000/-
13.	श्री रवीन्द्र राम	हार्ट	—तदैव—	4,000/-
14.	मास्टर विकास गिरि	हार्ट	जी॰ बी॰ पंत अस्पताल	6,000/-
15.	मास्टर चमन प्रसाद	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
16.	श्रीमती चित्रा रेखा देवी	कैंसर	—तदैव—	8,000/-
17.	कुमारी पिंकी सिंह	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	18,000/-
18.	मास्टर मनोज तिवारी	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
19.	श्री भीम कुमार भारतीय	किडनी	कर्नाटक नेफरोलाजी एंड ट्रांसप्लेट इंस्टी॰, बंगलौर	8,000/-
20.	श्रीमती रेनु देवी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
21.	श्री सुधीर कुमार	एनकोएटन (एल) हिप्स	डॉ॰ रा॰ म॰ लो॰ अस्पताल	5,000/-
22.	श्रीमती अंजली सिंह	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	5,000/-
23.	श्री सुरेन्द्र	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल, दि॰	10,000/-
24.	श्री विजय कुमार यादव	आंख	—तदैव—	750/-
25.	श्रीमती विनीता सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
26.	श्री मोहन प्रसाद राय	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰, वेल्लोर	10,000/-
27.	श्री देवी लाल	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	4,000/-
28.	श्री वी॰ पी॰ वर्मा	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
29.	श्री चन्द्र प्रकाश	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
30.	श्री डी॰ प्रसाद	हार्ट	—तदैव—	11,000/-
31.	मोहम्मद कमालुद्दीन	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
32.	श्रीमती सुचीत्रा सिंह	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
33.	श्री दिनेश	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
34.	श्री काशी नाथ झा	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
35.	श्री नगेन्द्र प्रसाद	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰, वेल्लोर	20,000/-

1	2	3	4	5
36.	श्री प्रदीप कुमार साहा	किडनी	—तदैव—	20,000/-
37.	श्रीमती मनोरम देवी	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	5,000/-
38.	श्री विनय कुमार	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल, दि०	10,000/-
39.	मास्टर सन्नी	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	8,500/-
40.	श्री बसंत कुमार	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
41.	श्री बैजनाथ चौधरी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
42.	श्री दयाल चंद प्रसाद	कैंसर	कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, कलकत्ता	6,000/-
43.	श्री चतरभुज	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	10,000/-
44.	श्री कैलाश चौधरी	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
45.	श्री कपिल देव शाहा	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
46.	श्री शशी रंजन	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
47.	श्री नूर आलम	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	10,000/-
48.	श्री नितेन रोहताश	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	12,000/-
49.	श्री सुरेश कुमार केसरी	रीनेल	सफदरजंग अस्पताल	5,000/-
50.	श्री जगदीश प्रसाद	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	8,000/-
51.	श्रीमती मीरा देवी	हार्ट	—तदैव—	5,000/-
52.	श्री रंग बहादुर सिंह	टी० बी०	—तदैव—	5,000/-
53.	श्री सुबोध कुमार	किडनी	वैलीगटर अस्पताल, मद्रास	20,000/-
54.	श्री केदार सिंह	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	9,000/-
55.	श्री रघुबीर प्रसाद	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
56.	श्री बल्लीक पासवान	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	10,000/-
57.	श्री ब्रज नंदन पाल	कैंसर	एस० जी० पी० जी० आई० एम०, लखनऊ	4,000/-
58.	श्रीमती रेखा मिश्रा	ब्रेन ट्यूमर	एस्कोर्ट हार्ट इंस्टी० एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली	3,000
59.	श्री जुगेश्वर वर्मा	हार्ट	—तदैव—	15,000/-
राज्य : दिल्ली		कुल व्यय-5,33,500/-रुपये		
60.	श्री जय क्रिती नायल	किडनी	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	20,000/-
61.	मास्टर दीपांशु	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
62.	सुश्री शोभा	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
63.	श्री कारपंत	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	10,000/-
64.	मास्टर गगन	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	8,000/-

1	2	3	4	5
65.	श्री कोशर अंसाली	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
66.	श्रीमती अशरफी देवी	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
67.	श्रीमती कमल सूद	कैंसर	—तदैव—	8,000/-
68.	श्री धरम पाल	कैंसर	—तदैव—	15,000/-
69.	श्री अनिल सचदेवा	किडनी	—तदैव—	20,000/-
70.	मास्टर सुनील पासवान	हार्ट	—तदैव—	8,500/-
71.	श्री सुखदेव राज	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
72.	श्रीमती बिंदु पाठक	किडनी	—तदैव—	20,000/-
73.	सुश्री अनीता	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
74.	सुश्री किरन भगत	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	9,000/-
75.	मास्टर इशान तिवारी	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
76.	सुश्री आशा खुराना	किडनी	जयपुर गोल्डन अस्पताल	15,000/-
77.	श्री कासिम रजा	हार्ट	डी॰ सी॰ एस॰ ए॰ आई॰ आर॰ सैंटर, दिल्ली	20,000/-
78.	श्रीमती संतोष दनदोना	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
79.	श्रीमती चन्द्र कांता	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
80.	कुमारी रचित्रा रम्मया	कैंसर	—तदैव—	15,000/-
81.	मास्टर इशान	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
82.	श्रीमती आशा रानी	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
83.	श्री राम किशोर	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
84.	मास्टर अभिशेक	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
85.	श्री रघुबीर सिंह	किडनी	—तदैव—	20,000/-
86.	श्री मनोज कुमार	किडनी	—तदैव—	10,000/-
87.	श्री हरदेव सिंह	हार्ट	डॉ॰ रा॰ म॰ लो॰ अस्पताल	4,000/-
88.	श्री अनील कालरा	कैंसर	सी॰ एम॰ सी॰, वेल्लोर	20,000/-
89.	मास्टर ब्रीजेश सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
90.	श्रीमती शांति देवी गुप्ता	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
91.	श्रीमती सुशीला सिन्हा	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
92.	श्री हरी किशन	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
93.	श्री मकसूद	हार्ट	एस्कोर्ट हार्ट इंस्टी॰	20,000/-

1	2	3	4	5
94.	मास्टर राहुल सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
95.	श्री डी॰ के॰ बरूंआ	किडनी	सर गंगा राम अस्पताल	20,000/-
96.	कुमारी नीतू गुप्ता	किडनी	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	15,000/-
97.	श्री इंद्र सिंह	किडनी	सर गंगा राम अस्पताल	15,000/-
98.	श्री सी॰ के थापा	किडनी	बतरा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, दिल्ली	20,000/-
राज्य : हरियाणा		**कुल व्यय-2,25,000/-रुपये**		
99.	श्रीमती कांता अरोड़ा	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	15,000/-
100.	श्री प्रेम प्रकाश	किडनी	—तदैव—	15,000/-
101.	बेबी अकांशा अरोड़ा	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
102.	श्री बलबीर सिंह	किडनी	—तदैव—	20,000/-
103.	श्री राजेश सिंह	किडनी	—तदैव—	20,000/-
104.	मास्टर मतीश झा	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
105.	श्रीमती संतोष देवी	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
106.	मास्टर रमेश	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
107.	श्री सदानन्द परूथी	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
108.	श्री अनील कुमार	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
109.	श्री सूरज वालिया	किडनी	पी॰ जी॰ आई॰, चंडीगढ़	20,000/-
110.	श्री सुरेश गाबा	किडनी	सर गंगाराम अस्पताल	20,000/-
111.	श्री स्वामी ब्रह्म प्रकाश	हार्ट	एस्कोर्ट हार्ट इंस्टी॰	20,000/-
112.	श्री जी॰ डी॰ अग्रवाल	किडनी	सर गंगाराम अस्पताल	20,000/-
113.	श्री राजपाल यादव	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
राज्य : हिमाचल प्रदेश		**कुल व्यय-17,000/-रुपये**		
114.	श्रीमती फूला देवी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
115.	श्री अतुल कौशल	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
राज्य : जम्मू व कश्मीर		**कुल व्यय-94,850/-रुपये**		
116.	श्री आर॰ एल॰ विज	हार्ट	बतरा अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, दिल्ली	9,850/-
117.	श्री आर॰ के॰ रैना	हार्ट	नेशनल हार्ट इंस्टी॰ न॰ दि॰	15,000/-
118.	श्री फारूक अहमद	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
119.	श्री दिलावर खान	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
120.	कुमारी अजरा मुजाफर	हार्ट	क्रिसैंट हार्ट इंस्टी॰ श्रीनगर	20,000/-

1	2	3	4	5
120क.	श्री हसबंस लाल	रीनल	पी॰ जी॰ आई॰, चंडीगढ़	10,000/-
राज्य : कर्नाटक		**कुल व्यय-67,000/-रुपये**		
121.	श्रीमती बी॰ एस॰ मंगलम्मा	कैंसर	के॰ ई॰ एम॰ इंस्टी॰, बंगलौर	7,000/-
122.	मास्टर इनील कुमार एस॰ मुलेजी	हार्ट	वानलैस अस्पताल, मिरज	9,000/-
123.	श्री बीरप्पा	किडनी	एम॰ एस॰ रमैय्या इंस्टी॰ ऑफ नेफरोलॉजी, बंगलौर	20,000/-
124.	श्री एस॰ टी॰ सांगोकार	हार्ट	एन॰ एम॰ वाडिया इंस्टी॰ ऑफ कार्डियोलॉजी, पूना	8,000/-
125.	श्री टी॰ एल॰ सतीश	किडनी	सैंट जांच मेडि॰ अस्पताल, बंगलौर	15,000/-
126.	श्री अन्नासाहेब एस॰ कोली	हार्ट	वानलैस अस्पताल, मिरज	8,000/-
राज्य : केरल		**कुल व्यय-71,000/- रुपए**		
127.	श्री पी॰ के॰ राजन	रीनल	कोमारचंद यूरोलॉजी सेंटर, कोचीन	20,000/-
128.	श्रीमती सुषमा कोचुपैपी	कैंसर	पुष्परिसी अस्पताल, तिरुवेला	3,000/-
129.	श्री एच॰ सलीम	किडनी	कौमारचंद यूरोलॉजी सेंटर, कोचीन	20,000/-
130.	श्री पी॰ राजन नायर	हार्ट	डॉ॰ राम॰ म॰ लो॰ अस्पताल	10,000/-
131.	श्री जी॰ वी॰ नायर	रीनल	सी॰ एम॰ सी॰, वेल्लोर	10,000/-
132.	श्रीमती करथीनमीम के॰	कैंसर	—तदैव—	3,000/-
133.	श्री पी॰ जी॰ शुभाकरण	टी॰ बी॰	सैंटोरियम फार चैस्ट डिसीज अस्पताल, तमिलनाडु	5,000/-
राज्य : मध्य प्रदेश		**कुल व्यय-82,000/-रुपए**		
134.	बेबी लुबना	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
135.	श्री शायम किशोर चौधरी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
136.	श्री जीवन लाल साहू	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
137.	मिस रेखा	स्पाइनल	—तदैव—	20,000/-
138.	श्री अरविंद यादव	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
139.	श्री निजामुद्दीन	हार्ट	चिरायु अस्पताल, भोपाल	20,000/-
राज्य : महाराष्ट्र		**कुल व्यय-1,67,000/- रुपए**		
140.	श्री पुरषोतम मित्रा	रीनल	जानकी अस्पताल, औ॰ बाद	20,000/-
141.	श्रीमती फिरदोश शेख	हार्ट	सर जे॰ जे॰ ग्रुप ऑफ अस्पताल बम्बई	9,000
142.	श्री माजिद दलवी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
143.	श्री मुनीर अहमद	हार्ट	के॰ ई॰ एम॰ अस्पताल, बम्बई	20,000/-

1	2	3	4	5
144.	मास्टर मदार कुलकर्णी	हार्ट	जसलोक अस्पताल, बम्बई	20,000/-
145.	डॉ॰ संजय करमकार	हाडकिन	विदेश इलाज के लिए	20,000/-
146.	श्री अनुप कुमार नायर	हार्ट	के॰ ई॰ एम॰, अस्पताल, बम्बई	20,000/-
147.	डॉ॰ खालिद ए॰ एस॰ अंतुले	हार्ट	प्रिसेसअलई खान अस्पताल	20,000/-
148.	श्री अब्दुल सलीम एस॰ हुसैनी	आंख	लक्ष्मी आई अस्पताल, एम॰ एस॰	4,000/-
149.	श्री लायक अहमद	रीनल	जानकी अस्पताल, औ॰ बाद	14,000/-
राज्य : मिजोरम		**कुल व्यय-7,000/-रुपए**		
150.	बेबी मैरीमी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	7,000/-
राज्य : नागालैण्ड		**कुल व्यय-20,000/- रुपए**		
151.	सुश्री खओली	रीनल	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
राज्य : उड़ीसा		**कुल व्यय-32,000/- रुपए**		
152.	श्री प्रहलाद मलिक	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
153.	श्री अक्षय कुमार परिदा	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
राज्य : पंजाब		**कुल व्यय-18,000/-रुपए**		
154.	श्री हंसप्रीत सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
155.	कुमारी रजनी सिंह	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
राज्य : राजस्थान		**कुल व्यय-35,000/-रुपए**		
156.	श्री राम अवतार शर्मा	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	15,000/-
157.	श्री राजा राम यादव	हार्ट	एस॰ एम॰ एस॰ हास्पिटल, जयपुर	10,000/-
158.	श्री जय सिंह	कैंसर	धर्मशिला कैंसर हास्पिटल, दिल्ली	10,000/-
राज्य : तमिलनाडु		**कुल व्यय-58,000/-रुपए**		
159.	श्रीमती एस॰ पटमावथी	हार्ट	विजय हेल्थ सेंटर मद्रास	5,000/-
160.	श्रीमती मीनू शर्मा	रीनल	मद्रास मेडिकल केयर एंड हेल्थ सेंटर, मद्रास	10,000/-
161.	कुमारी जया चित्रा	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पिटल, वेल्लोर	5,000/-
162.	श्री वी॰ शिवा रामाकृष्ण	कैंसर	कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू॰ आई॰ ए॰), मद्रास	6,000/-
163.	श्री ए. राजामणिक्कम	हार्ट	जिपमेर, पांडिचेरी	5,000/-
164.	कुमारी एन॰ ऐश्वर्य	हार्ट	मद्रास मेडिकल मिशन, मद्रास	15,000/-
165.	श्री जय प्रकाश	हार्ट	कोवा मेडिकल सेंटर एंड हास्पिटल कोयंबटूर	12,000/-
राज्य : उत्तर प्रदेश		**कुल व्यय-5,51,000/-रुपए**		

1	2	3	4	5
166.	श्री मदन सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
167.	श्री सुख पाल	हार्ट	—तदैव—	4,000/-
168.	श्रीमती वीना ढींगरा	कैंसर	—तदैव—	6,000/-
169.	कुमारी अलका	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
170.	सुश्री रेखा	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
171.	कुमारी अंसुल	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
172.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	कैंसर	—तदैव—	6,000/-
173.	श्री संजीव कुमार	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
174.	श्री मोहन त्यागी	कैंसर	—तदैव—	7,000/-
175.	श्रीमती उर्मिला शुक्ला	किडनी	कर्नाटक नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टि॰, बंगलौर	10,000/-
176.	श्री मोहन लाल	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
177.	कुमारी मीनू उपाध्याय	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
178.	श्रीमती बीरबाला	कैंसर	—तदैव—	4,000/-
179.	श्री देव प्रयाग मिश्रा	किडनी	—तदैव—	15,000/-
180.	श्री संजय मिश्रा	कैंसर	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	10,000/-
181.	श्री रोहित मेहरोत्रा	कैंसर	टाटा मेमो॰ हास्पि॰ बंबई	10,000/-
182.	श्रीमती माया देवी	हार्ट	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	20,000/-
183.	श्री इंद्र राज भसीन	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	20,000/-
184.	मास्टर तरूण	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
185.	श्रीमती बिमला त्यागी	रीनल	—तदैव—	20,000/-
186.	श्री दिनेश कुमार सक्सेना	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
187.	श्री अब्दुल रहीम	कैंसर	—तदैव—	4,000/-
188.	श्रीमती रामा कांति	हार्ट	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	10,000/-
188ए.	श्री मानक चंद	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
189.	श्री राजेश कुमार	रीनल	पी॰ जी॰ आई॰, चंडीगढ़	15,000/-
190.	श्री बालेश्वर	टी॰ बी॰	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	6,300/-
191.	श्रीमती कमल कुमारी	हार्ट	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	20,000/-
192.	श्री बाबू हुसैन	वी॰ एल॰ सी॰ (फोरआर्म)	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	3,000/-

1	2	3	4	5
193.	मास्टर गोलू पाल	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
194.	श्री जी० के० सिंह	रीनल	विलिंगडन हास्पि० मद्रास	5,000/-
195.	श्री के० के० मित्तल	हार्ट	अ० भा० आ० सं० न० दि०	15,000/-
196.	श्री तुलसी राम	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
197.	बेबी लक्ष्मी	हार्ट	—तदैव—	5,000/-
198.	श्री माधव सिंह	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
199.	श्री रमेश परनामी	हार्ट	सफदरजंग हास्पि० दिल्ली	7,000/-
200.	श्रीमती राजीवती	कैंसर	एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ	2,000/-
201.	मास्टर आशीष कुमार	हार्ट	अ० भा० आ० सं० न० दि०	10,000/-
202.	श्री ओम प्रकाश पाठक	रीनल	एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ	20,000/-
203.	कुमारी स्नेह लता	हार्ट	अ० भा० आ० सं०, न० दि०	4,000/-
204.	श्रीमती मंजू भल्ला	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
205.	श्री तिलकराज खुराना	रीनल	—तदैव—	20,000/-
206.	श्री हर नारायण	रीनल	एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ	6,000/-
207.	श्री अड्डया प्रसाद	कैंसर	अ० भा० आ० स० न० दि०	5,000/-
208.	श्री रणबीर सिंह	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
209.	मास्टर मो० शमीम	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
210.	बेबी अनु व्यास	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
211.	श्री कंवर सिंह	टी० बी०	एल० एच० एम० सी० न० दि०	1,700/-
212.	मोहम्मद अब्दुल्ला	हार्ट	अ० भा० आ० सं० न० दि०	20,000/-
213.	श्री संतोष कुमार	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
214.	मास्टर विवेक पांडे	कैंसर	हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर	8,000/-
215.	श्री महिन्द्र पी० सिंह	रीनल	एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ	15,000/-
राज्य : पश्चिम बंगाल		**कुल व्यय-4,43,500/-रुपए**		
216.	श्री राधिका जे० डी० शर्मा	हार्ट	बी० एम० बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	15,000/-
217.	सुश्री काबेरी सेनगुप्ता	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
218.	श्रीमती श्यामली साहुई	हार्ट	सी० एम० सी० हास्पि० वेल्लोर	5,000/-
219.	श्री अशीत कुमार शील	किडनी	कर्नाटक नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टि०, बंगलौर	8,000/-
220.	मास्टर राज बिस्वास	हार्ट	बी० एम० बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टि०, कलकत्ता	10,000/-

1	2	3	4	5
221.	सुश्री पपन चक्रवर्ती	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
222.	श्री अरूण कुमार दत्ता	किडनी	—तदैव—	15,000/-
223.	सुश्री प्रीतीलाल केशरी	टी॰ बी॰	के॰ एम॰ राय॰ टी॰ बी॰ हास्पि॰, कलकत्ता	2,000/
224.	श्री बीरेन्द्र कुमार सरकार	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ हास्पि॰, कलकत्ता	7,000/-
225.	श्री गोपाल मोदक	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	10,000/-
226.	श्री मलय कुमार दास	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ हास्पि॰, कलकत्ता	18,000/-
227.	श्री कमल कुमार कोले	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	20,000/-
228.	श्री गौर हरिमंडल	किडनी	अपोलो हास्पि॰ मद्रास	20,000/-
229.	श्री परेश चन्द्र डे	हार्ट	मेडिकल कालेज हास्पि॰, कलकत्ता	9,000/-
230.	श्री प्रबीर बोस	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
231.	श्री अरूण कु॰ मोंडाल	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	20,000/-
232.	श्री नाबा कुमार सेन	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
233.	मास्टर बिकास वाल्मिकी	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	9,000/-
234.	मा॰ बिशनु सारखेल	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	15,000/-
235.	सुश्री इंदु पांडे	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
236.	मास्टर बप्पा सरकार	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
237.	कु॰ मोमिता करमाकर	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
238.	श्रीमती काकुली दास	हार्ट	-तदैव-	10,000/-
239.	श्रीमान बप्पी राय	हार्ट	मेडि॰ का॰ हास्पि॰ कलकत्ता	10,000/-
240.	श्रीमती मीरा हालदार	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	9,000/-
241.	मास्टर पलाश बाग	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
242.	कु॰ पिंकी पारमानिक	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
243.	श्री सुबीर कुमार मुखर्जी	रीनल	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	20,000/-
244.	श्री सैयद अब्दुल रहमान	हार्ट	मेडि॰ का॰ हास्पि॰, कलकत्ता	9,000/-
245.	श्री तरुण राय सिन्हा	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	10,000/-
246.	मा॰ कल्याण चक्रवर्ती	हार्ट	—तदैव—	15,000/-
247.	श्री रामा बोस	हार्ट	मेडि॰ का॰ हास्पि॰, कलकत्ता	16,000/-
248.	श्रीमती सुतापा चौधरी	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	12,000/-
249.	कु॰ बन्हीसिखा बैतालिक	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰, वेल्लोर	9,000/-

1	2	3	4	5
250.	कुमारी सरबानी दास	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	10,000/-
251.	मोहम्मद आरिफ	किडनी	सेवियन क्लि॰ प्रा॰ लि॰ कल॰	20,000/-
252.	श्रीमती साधना करमाकर	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	12,000/-
253.	सुश्री मिस्ती मजुमदार	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	15,000/-

वर्ष 1996-97

क्रम॰ सं॰	लाभार्थी का नाम	बीमारी	अस्पताल का नाम	अनुदान की रकम
1	2	3	4	5
राज्य : आंध्र प्रदेश		**कुल व्यय-10,000/-रु॰**		
1.	मास्टर चौधरी ए॰ रमेश	कैंसर	विष्णु चिल्ड्रन हास्पिटल मछलीपट्टनम	10,000/-
राज्य : असम		**कुल व्यय-48,000/-रु॰**		
2.	कुमारी स्तुति कुमारी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
3.	श्री अजित सूत्रधार	किडनी	महावीर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद	20,000/-
4.	श्री जी॰ सी॰ बोराह	स्पॉडीलाइटिस	असम मेडिकल कॉलेज एंड हास्पि॰ डिब्रूगढ़	20,000/-
राज्य : बिहार		**कुल व्यय-12,43,000/-रु॰**		
5.	मास्टर हैप्पी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
6.	श्री श्रीनाथ मेहता	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
7.	श्री शशिकांत गौतम	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
8.	मास्टर विकास यादव	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
9.	डॉ॰ मथुरा प्रसाद	किडनी	महावीर हास्पि॰ एंड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद	20,000/-
10.	कुमारी तरन्नुम	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
11.	श्री आलोक कुमार	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
12.	श्री शेषनाग सिंह	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
13.	श्री संजय कुमार सिंह	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
14.	श्री रविंदर सिंह	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
15.	श्री संजय कुमार	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
16.	श्री रवि प्रसाद वर्मा	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
17.	श्री उदय कुमार	रीनल	—तदैव—	20,000/-
18.	श्री मृदुल कुमार	रीनल	पी॰ जी॰ आई॰, चंडीगढ़	20,000/-

1	2	3	4	5
19.	श्री चंद्रिका सिंह	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
20.	श्री मुनेन्द्र प्रसाद सिंह	हार्ट	—तदैव—	11,000/-
21.	श्री उदय शंकर	हार्ट	—तदैव—	6,000/-
22.	श्री राजेश कुमार राय	रीनल	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	20,000/-
23.	श्रीमती फूल कुमारी देवी	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पि॰ वेल्लोर	20,000/-
24.	कुमारी सविता कुमारी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ स॰, न॰ दि॰	20,000/-
25.	श्री देवानंद सिंह	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
26.	श्री विनय कुमार	हार्ट	—तदैव—	12,500/-
27.	श्री चन्द्र किशोर	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
28.	श्री अभय कुमार	हार्ट	—तदैव—	5,000/-
29.	श्री अशोक	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
30.	मास्टर विक्की	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
31.	श्री सी॰ एस॰ चौबे	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
32.	श्रीमती मुन्नी देवी	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
33.	श्री संजय कुमार	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
34.	श्री संजय कुमार झा	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
35.	श्रीमती आशा देवी	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
36.	श्री एच॰ एन॰ पासवान	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
37.	श्रीमती तारा देवी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
38.	श्री राजेश कुमार	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
39.	श्री हरीन्दर	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
40.	मिसेस शोभा कुमार	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
41.	मास्टर एम॰ के॰ सिंह	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-
42.	श्री मोहन कुमार	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-
43.	श्री कन्हैया तिवारी	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
44.	श्री सुनील कुमार	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
45.	मो॰ हसीब हुसैन	—तदैव—	—तदैव—	13,000/-
46.	श्री प्रमोद कुमार	—तदैव—	—तदैव—	10,000/-
47.	श्री प्रभात कुमार	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-

1	2	3	4	5
48.	श्री राघव प्रसाद सिंह	—तदैव—	—तदैव—	4,5,000/-
49.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
50.	श्री राम दयाल सिंह	क्षयरोग	—तदैव—	20,000/-
51.	मास्टर मयूर	हृदय	—तदैव—	9,000/-
52.	श्री मनोज कुमार	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
53.	श्री धर्मेन्दर कुमार तिवारी	रीनल	—तदैव—	20,000/-
54.	श्री विकास कुमार	हृदय	—तदैव—	9,000/-
55.	श्री सचिदानन्द साह	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
56.	श्री दलीप मिश्रा	रीनल	—तदैव—	20,000/-
57.	श्रीमती अन्जू मिश्रा	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
58.	श्री सुशील कुमार	हृदय	—तदैव—	20,000/-
59.	श्रीमती विमला कुमार	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
60.	श्रीमती अनवारी बेगम	—तदैव—	—तदैव—	5,000/-
61.	कुमारी नेहा	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-
62.	श्री राजेश कुमार	—तदैव—	—तदैव—	4,000/-
63.	श्रीमती मीना देवी	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
64.	श्री हरी लाल यादव	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
65.	मो॰ सानुल्लाह	—तदैव—	—तदैव—	16,000/-
66.	श्रीमती लल्ली वर्धन	रीनल	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, बेल्लोर	18,000/-
67.	श्रीमती आशा देवी	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
68.	श्री इन्दरजीत कुमार	रीनल	मलार अस्पताल, मद्रास	12,000/-
69.	श्री धर्मेन्दर सिंह	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	9,000/-
70.	श्री कन्हैया	—तदैव—	—तदैव—	8,500/-
71.	श्री रमेश साह	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
72.	श्री आर॰ के॰ मिश्रा	ब्लड कैंसर	—तदैव—	10,000/-
73.	श्री रुस्ताम	हिम रिप्लेशमेन्ट	—तदैव—	4,000/-
74.	बेबी रिन्की	हृदय	—तदैव—	7,000/-
75.	श्री अभिसेक कुमार	—तदैव—	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	12,000/-

1	2	3	4	5
76.	श्री नौखीज अली	—तदैव—	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
77.	श्री भानू प्रसाद	—तदैव—	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	10,000/-
78.	श्री शैलेश कुमार	—तदैव—	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	5,000/-
79.	श्री एस॰ एन॰ चौबे	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
80.	श्रीमती विना	—तदैव—	—तदैव—	11,500/-
81.	श्री पी॰ एन॰ कुमार	—तदैव—	—तदैव—	7,000/-
82.	श्री नीरज कुमार	रीनल	बिलिंग्डन अस्पताल, मद्रास	15,000/-
83.	श्री सुरेन्दर सिंह	—तदैव—	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
84.	श्री रंजन कुमार	हृदय	—तदैव—	12,000/-
85.	श्री दयानन्द तिवारी	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
86.	श्री गिरिजा सिंह	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
87.	मास्टर सफदार अजीत	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
88.	श्री अनवर हुसैन	हृदय	—तदैव—	20,000/-
89.	श्री मो॰ अफजाल	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
90.	श्री रामनरेश सिंह	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
91.	श्री विभूती भूषण	—तदैव—	—तदैव—	4,000/-
92.	श्री ओम प्रकाश	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
93.	श्री राजू	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
94.	श्री विक्कू साह	—तदैव—	—तदैव—	4,000/-
95.	श्री विक्रम साह	—तदैव—	—तदैव—	4,000/-
96.	श्री जय कुमार	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
97.	श्री अशोक कुमार	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
98.	मास्टर मंजय लाल	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
99.	श्रीमती कलम कुमार सिन्हा	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
100.	श्री नितिन कुमार	—तदैव—	—तदैव—	7,000/-
101.	श्री राम लखन यादव	—तदैव—	जी॰ बी॰ पंत अस्पताल,	10,000/-
102.	मो॰ शमीम	—तदैव—	सफदरजंग अस्पताल दिल्ली	20,000/-
103.	श्री अशोक कुमार	—तदैव—	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
104.	मिस सोनी कुमारी	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-

1	2	3	4	5
105.	श्री मनोज कुमार	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
106.	कुमारी अल्का सिंह	—तदैव—	बी॰ एम॰ बिरला हृदय रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	12,000/-
		कुल : व्यय 3,76,000/- रुपए		
दिल्ली राज्य :				
107.	श्री अजीत सिंह	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	16,000/-
108.	श्री दिनेश कुमार तोमर	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
109.	श्रीमती सोना मंडल	—तदैव—	डॉ॰ रा॰ म॰ लो॰ अ॰ न॰ दि॰	6,000/-
110.	बेबी सेवाना पाल	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
111.	मास्टर अन्नू शर्मा	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-
112.	श्री अश्वनी कुमार	कैंसर	—तदैव—	8,000/-
113.	श्रीमती दया कुमारी	हृदय	—तदैव—	17,000/-
114.	श्रीमती मीना देवी	—तदैव—	—तदैव—	7,000/-
115.	कुमारी नेहा	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
116.	मास्टर सरी	हृदय	—तदैव—	8,000/-
117.	श्री सादिक खान	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
118.	श्री राजू	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
119.	मास्टर विक्रांत	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
120	श्रीमती सुमन मल्होत्रा	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
121.	श्री ओ॰ पी॰ गुप्ता	आई	—तदैव—	1,000/-
122.	श्री रमेश	किडनी	—तदैव—	20,000/-
123.	श्री उमा शंकर	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
124.	बेबी प्रिन्स	हृदय	—तदैव—	8,000/-
125.	मास्टर सत्री	—तदैव—	—तदैव—	16,000/-
126.	श्रीमती आशा देवी	किडनी	जयपुर गोल्डन अस्पताल, दिल्ली	5,000/-
127.	कुमारी बिना बजाज	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	10,000/-
128.	श्री अशीश गुलाटी	किडनी	—तदैव—	10,000/-
129.	[illegible] सपना देवी	हृदय	—तदैव—	12,000/-
130.	मास्टर ध्रुव	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
131.	मास्टर जसवीर	—तदैव—	एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टि॰ एण्ड रि॰ सेंटर, नई दिल्ली	9,000/-

1	2	3	4	5
132.	श्री सुब करण यादव	किडनी	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	20,000/-
133.	मास्टर गोलू	हृदय	—तदैव—	7,000/-
134.	श्रीमती रेखा रानी	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
135.	मास्टर आजाद	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
136.	श्री अजय कुमार	किडनी	—तदैव—	6,000/-
137.	श्रीमती सरीता तिवारी	हृदय	—तदैव—	20,000/-
138.	श्री राम प्रकाश गौड़	किडनी	एल॰ एन॰ जे॰ पी॰ एन॰ अस्पताल, नई दिल्ली।	10,000/-
हरियाणा राज्य		**कुल व्यय : 2,26,500/- रुपए**		
139.	श्री रजनीश	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
140.	मिस दर्शन रानी	हृदय	—तदैव—	20,000/-
141.	मास्टर राहुल	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
142.	श्री सवर चन्द	—तदैव—	—तदैव—	8,000/-
143.	श्री देवेन्दर कुमार	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
144.	श्रीमती रजनी	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
145.	श्री राजेश कौशिक	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
146.	श्रीमती राजबाला	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
147.	मास्टर विशू जैन	—तदैव—	—तदैव—	9,000/-
148.	बेबी हिमाली	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
149.	श्रीमती माया देवी	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
150.	श्री विनोद सिंह	क्षयरोग	एल॰ आर॰ एस॰ इंस्टीट्यूट ऑफ टी॰ बी॰ एण्ड एलायड डिसीज दिल्ली	10,000/-
151.	श्रीमती विना खुराना	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	10,000/-
152.	श्री एम॰ एल॰ गुलाटी	हृदय	—तदैव—	16,000/-
153.	श्रीमती ईश्वर देवी	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
154.	श्री नौवत राम	आई	बी॰ के॰ अस्पताल, फरीदाबाद	5,000/-
155.	मिस संगीता रावत	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	8,000/-
156.	मास्टर राहुल	हृदय	—तदैव—	8,500/-
157.	श्री रत्नाकर	कैंसर	—तदैव—	6,000/-

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर राज्य		**कुल व्यय : 47,000/-रुपए**		
158.	श्रीमती ताहिर	रीनल	अ० भा० आ० सं० न० दि०	9,000/-
159.	श्री अमरनाथ रैना	हृदय	—तदैव—	12,000/-
160.	मिस सभाना	—तदैव—	—तदैव—	10,000/-
161.	मास्टर मुनीर अहमद	—तदैव—	—तदैव—	16,000/-
कर्नाटक राज्य		**कुल व्यय : 44,000/-रुपए**		
162.	श्री असलम पासा	हृदय	सेट जान्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बंगलौर	7,000/-
163.	श्रीमती सरोजमा	—तदैव—	श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बंगलौर	8,000/-
164.	श्री सी० ईश्वर	रीनल	एम० एम० रमैहा इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रो उरोलॉजी, बंगलौर	15,000/-
165.	श्रीमती गीता वाई० प्रभु	कैंसर	जनरल अस्पताल, कुमता	8,000/-
166.	मास्टर डोंगारी एस० यादवाद	—तदैव—	प्राकृती क्लीनिक, कोल्हापुर	6,000/-
केरल राज्य		**कुल व्यय: 43,000/-रुपए**		
167.	श्री डेलो मैथिव	कैंसर	सी० एम० सी० अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-
168.	श्रीमती रुगमिनी अम्मा	—तदैव—	लीसाई अस्पताल, एर्नाकुलम	13,000/-
169.	कुमारी रीनी जोसे	कैंसर	टाटा मेसो० अस्पताल, बम्बई	10,000/-
महाराष्ट्र राज्य		**कुल व्यय: 2,33,000/- रुपए**		
170.	श्री अब्दुल आर० हसवारे	किडनी	देशमुख नर्सिंग होम, रायगढ़	20,000/-
171.	श्री परमोद सालवी	हृदय	के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई	20,000/-
172.	श्रीमती नन्दूतीय बी० पाटिल	—तदैव—	सर जे० जे० ग्रुप ऑफ हास्पिटल, मुम्बई	20,000/-
173.	श्रीमती मल्ती बाई सिरके	कैंसर	रूरल अस्पताल, रायगढ़ एम० एस०	20,000/-
174.	श्री अतुल एम० कोनिलकर	—तदैव—	एस० आई० ओ० एन० अस्पताल एल० टी० एम० जी० अस्पताल, बम्बई	20,000/-
175.	मिस मुगधा कुलकरणी	—डेंटल—	डॉ० अनिल पटवारधन डेंटल सर्जन, अलीबाग, रायगढ़	12,000/-
176.	श्री विजय भीम बचल	हृदय	एन० एम० वैदिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पुणे	20,000/-
177.	श्री अब्दुल सलम हुसैनी	आई	लक्ष्मी आई अस्पताल, पनवेल, एम० एस०	6,000/-
178.	श्रीमती केशरबाई गैकवाड़	हृदय	श्री जे० जे० ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, बम्बई	20,000/-
179.	श्री अब्बास आई० शेफर	स्टोन	आर० जी, स्टोन यूरोलॉजीकल रिसर्च सेंटर, बम्बई	8,000/-
180.	मिस मीनाक्षी गुरपुडे	हृदय	सी० आई० आई० एम० एस०, बम्बई	7,000/-
181.	श्री सैयद मजार अली	कैंसर	मराठवाड़ा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट औरंगाबाद	6,000/-

1	2	3	4	5
182.	श्री गणेश पिन्जारे	रीनल	जानकी अस्पताल, औरंगाबाद	20,000/-
183.	मास्टर तोहिद अतर	कैंसर	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पिटल, वेल्लोर	20,000/-
184.	मास्टर शाहरुख पटान	हृदय	वानलेस हास्पिटल, मिराज	8,000/-
185.	शेख करीम यूसुफ	हृदय	सर जे॰ जे॰ ग्रुप ऑफ हास्पिटल, बम्बई	6,000/-
मध्य प्रदेश राज्य		**कुल व्यय : 46,000/-रुपये**		
186.	श्री कमल	—ब्रेन—	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	3,000/-
187.	श्री मनीशा हरदिया	हृदय	—तदैव—	15,000/-
188.	श्री अमरीश कुमार सेन	किडनी	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰ लखनऊ	10,000/-
189.	श्री मुनेश चौरसिया	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	6,000/-
190.	श्री आनंद बहादुर	हृदय	—तदैव—	12,000/-
मणिपुर राज्य		**कुल व्यय : 39,400/- रुपए**		
191.	श्री जिमी जैम्खोमैंग	—हिप—	जिला अस्पताल, चुराचांदपुर	3,400/-
192.	कुमारी बीना देवी	किडनी	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	16,000/-
193.	श्री पी॰ लोकेन्दर शर्मा	हृदय	सी॰ एम॰ सी॰ हास्पिटल, वेल्लोर	20,000/-
उड़ीसा राज्य		**कुल व्यय : 1,47,000/- रुपए**		
194.	कुमारी मिनाती भुसगर	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
195.	श्री सुदम साहू	हृदय	—तदैव—	12,000/-
196.	श्री भगवान परिदा	—तदैव—	—तदैव—	12,000/-
196.	मिस अनिता प्रधान	—तदैव—	—तदैव—	17,000/-
198.	श्री राजू खण्डेलवाल	किडनी	—तदैव—	20,000/-
199.	श्री एन॰ प्रधान	क्षयरोग	गवर्नमेन्ट अस्पताल, गंजाम	1,000/-
200.	श्री एन॰ सी॰ रौत	किडनी	अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद	12,000/-
201.	मिसेस सबिता दास	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं,॰ न॰ दि॰	9,000/-
202.	श्री लक्ष्मण साहू	हृदय	—तदैव—	20,000/-
203.	श्री सन्तनू के॰ आर॰ पणिग्रही	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	12,000/-
204.	श्री डी॰ गंगाधर	—तदैव—	—तदैव—	20,000/-
205.	श्री जयन्त कुमार साहू	अनेमिया	कमख्यानगर मेडिकल आफिसर धेनकानाल, उड़ीसा	2,000/-
पंजाब राज्य		**कुल व्यय : 1,28,500/ रुपए-**		
206.	कुमारी बरसा रानी	हृदय	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-

1	2	3	4	5
207.	श्री सचिन अरोड़ा	कैंसर	—तदैव—	15,000/-
208.	श्री रमेश कुमार	किडनी	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
209.	श्री रमेश अग्रवाल	किडनी	—तदैव—	20,000/-
210.	मास्टर कशीश	हार्ट	—तदैव—	8,500/-
211.	श्री कश्मीर लाल	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
212.	श्री रवि भूषण	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
213.	श्रीमती सीता देवी	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
214.	श्री हरी शरण	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
215.	मास्टर विक्रम पाल	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
राज्य : राजस्थान		**कुल व्यय : 58,000/- रुपये**		
216.	श्री सुरेश चन्द्र जैन	हार्ट	एस॰ एम॰ एस॰ मेडिकल कालेज एवं अ॰ जयपुर	18,000/-
217.	मास्टर हिमांशु	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं,॰ न॰ दि॰	8,000/-
218.	श्री रति मोह॰	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
219.	श्री बलीगुर रहमान	हार्ट	एस॰ एम॰ एस॰ अस्पताल, जयपुर	12,000/-
राज्य : तमिलनाडु		**कुल व्यय : 42,000/- रुपए**		
220.	श्री राकेश राड्रीज	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-
221.	श्री पी॰ सदाचरन	टी॰ बी॰	सरकारी अस्पताल, राजापलयम	3,000/-
222.	मास्टर डी॰ विकाश	हार्ट	श्री रामचन्द्र अस्पताल, मद्रास	9,000/-
223.	कु॰ ए॰ जी॰ रागिनी	आई	अपोलो आई रिस॰ फाउंडेशन, हैदराबाद	10,000/-
राज्य : त्रिपुरा		**कुल व्यय- 20,000/- रुपए**		
224.	श्री संजय चौधरी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
राज्य : उत्तर प्रदेश		**कुल व्यय- 8,36,720/- रुपए**		
225.	श्रीमती ममता सक्सेना	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
226.	मास्टर सोनू गोयल	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
227.	श्री बापू नंदन राय	रीनल	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	20,000/-
228.	श्रीमती सुरेखा	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	10,000/-
229.	श्री सतीश चन्द्र	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
230.	श्री नरेन्द्र	हार्ट	—तदैव—	5,000/-
231.	श्री अरीफ खान	हार्ट	—तदैव—	20,000/-

1	2	3	4	5
232.	मास्टर स्वर्ण कुमार	हार्ट	—तदैव—	8,500/-
233.	श्रीमती प्रेमा देवी	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
234.	श्री अहमद हुसैन	रीनल	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	10,000/-
235.	श्री कलुवा	कैंसर	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, नई दिल्ली	8,000/-
236.	कु॰ रीना	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
237.	श्री सुभाष सिंह	रीनल	—तदैव—	20,000/-
238.	श्री उमेश कु॰ तिवारी	रीनल	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	12,000/-
239.	श्री संदीप कु॰ पांडे	रूमैटीजम	चिकित्सा विज्ञान सं॰ बी॰ एच॰ यू॰ वाराणसी	12,000/-
240.	श्री मनोज कु॰ महेशवरी	एन॰ एच॰ एल॰	अ॰भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	15,000/-
241.	श्री शमीम अहमद	हार्ट	—तदैव—	17,000/-
242.	श्री दिनेश सिंह	कैंसर	—तदैव—	4,000/-
243.	श्री हरेन्द्र सिंह	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
244.	श्री मुकेश के॰ चतुर्वेदी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
245.	श्री अशोक कुमार	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
246.	श्री अली अहमद	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
247.	श्रीमती अंजना	रीनल	—तदैव—	20,000/-
248.	श्री अफशाद अली	हार्ट	—तदैव—	15,000/-
249.	श्री राम दास	कैंसर	—तदैव—	10,000/-
250.	मास्टर बब्लू	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
251.	श्री आनंद एस॰ श्रीवास्तव	रीनल	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰, लखनऊ	10,000/-
252.	श्रीमती गणपति देवी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	4,500/-
253.	मास्टर ऋषभ	हार्ट	—तदैव—	8,500/-
254.	श्री मोबिन खान	रीनल	—तदैव—	20,000/-
255.	श्रीमती सरस्वती सचन	कैंसर	जे॰ के॰ कैंसर सं॰, कानपुर	15,000/-
256.	श्री मनोज कुमार	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
257.	श्रीमती इंदिरा पाठक	कैंसर	—तदैव—	15,000/-
258.	श्री सुभाष पाठक	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
259.	मास्टर अरूप कुमार	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
260.	श्रीमती विमलेश	हार्ट	—तदैव—	12,000/-

1	2	3	4	5
261.	कु॰ जवली सिंह	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
262.	श्री मोह॰ सलीम	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
263.	मास्टर सौरव	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
264.	मास्टर सौरव गुप्ता	हार्ट	—तदैव—	7,000/-
265.	श्री विशाल	रीनल	—तदैव—	20,000/-
266.	मोह॰ उबैद सिद्दकी	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
267.	कु॰ दीप्ती मिश्रा	हार्ट	—तदैव—	15,000/-
268.	श्रीमती लक्ष्मी गौतम	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
269.	मास्टर रोहित	हार्ट	—तदैव—	9,000/-
270.	श्री नवद अहमद	कैंसर	—तदैव—	15,000/-
271.	श्री राम कुमार	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
272.	श्री रफत मियान	टी॰ बी॰	—तदैव—	1,720/-
273.	श्री आर॰ पी॰ जयसवाल	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
274.	श्री सर्वजीत सिंह	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
275.	श्री एस॰ आर॰ रावत	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
276.	कु॰ शमीम	कैंसर	—तदैव—	5,000/-
277.	श्री अवदेश नारायण	किडनी	—तदैव—	12,000/-
278.	श्री राकेश कुमार	किडनी	—तदैव—	20,000/-
279.	श्री रूस्तम	हिप	—तदैव—	4,000/-
280.	श्री ठाकुर दास चंचल	हार्ट	जी॰ बी॰ पंत॰ अस्पताल, दिल्ली	6,000/-
281.	श्री दलीप	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	7,000/-
282.	श्री बशक	टी॰ बी॰	सरकारी अस्पताल, गाजीपुर	3,000/-
283.	श्री विमल कुमार	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	11,000/-
284.	श्री मनोज कुमार	कैंसर	—तदैव—	20,000/-
285.	श्री अजय कुमार	किडनी	—तदैव—	15,000/-
286.	मास्टर सुयश	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
287.	श्री शैलेश निगम	किडनी	एस॰ जी॰ पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ एस॰ लखनऊ	20,000/-
288.	श्रीमती शशी वर्मा	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
289.	श्री दिनेश चन्द	हार्ट	—तदैव—	7,000/-

1	2	3	4	5
290.	मास्टर शिव कुमार	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
291.	श्री मेघ राज	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	7,000/-
292.	बेबी हर्षत	हार्ट	—तदैव—	8,580/-
293.	श्री पुरूषोत्तम लाल	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
294.	श्री सरोजुद्दीन	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
295.	श्रीमती वंदना गुप्ता	किडनी	मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजीकल अस्पताल, नाडियाड	20,000/-
राज्य : पश्चिम बंगाल		**कुल व्यय-8,18,146/-रुपए**		
296.	श्री नवीन चन्द्र दास	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	20,000/-
297.	मास्टर रंजीत बिश्वास	हार्ट	सी॰ एम॰ सी अस्पताल, वेल्लोर	10,000/-
298.	मास्टर प्रार्थिटा डे	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	10,000/-
299.	श्री देबशीश करमाकर	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-
300.	कु॰ अरबिला खातून	हार्ट	मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता	6,000/-
301.	कु॰ अली चक्रवर्ती	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	10,000/-
302.	कु॰ बिना दास	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	12,000/-
303.	श्री बसंत मित्रा	किडनी	—तदैव—	20,000/-
304.	श्री शंकर डे	किडनी	—तदैव—	20,000/-
305.	श्रीमती गीता राय	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	9,000/-
306.	श्री अब्दुल सलाम	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	12,000/-
307.	मास्टर श्याम पडा राना	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	7,000/-
308.	श्री अर्जुन पत्रा	टी॰ बी॰	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	5,646/-
309.	श्रीमती शांति चक्रबर्ती	हेमी पार्किंसन	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	5,000/-
310.	श्री प्रभात कु॰ गराई	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
311.	श्रीमती मीरा छत्री	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
312.	श्री जगन्नाथ अरी	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰अस्पताल, वैल्लोर	20,000/-
313.	श्री बिटन दास	पेरी प्लीजिया	—तदैव—	4,000/-
314.	श्री श्यामल बिश्वास	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
315.	कु॰ रेनू गांगूली	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	7,000/-
316.	श्री बिकास दास	आई	अपोलो आई रिसर्च फाउंडेशन, हैदराबाद	6,000/-
317.	श्री टिंकू सरकार	कैंसर	मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता	10,000/-
318.	मास्टर नित्यानंद एस॰	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	12,000/-

1	2	3	4	5
319.	श्री श्यामल मेटे	हार्ट	—तदैव—	10,000/-
320.	श्री मृत्युंजय साहा	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
321.	कु॰ मधुमिता दास	हार्ट	—तदैव—	8,500/-
322.	श्री श्यामल के॰ दास	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
323.	श्री तरूण अद्घया	हार्ट	—तदैव—	20,000/-
324.	श्री तरूण कुमार डे	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-
325.	श्री दुर्बशा शर्मा	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
326.	श्रीमती अलो ब्रह्मा	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
327.	श्री मनोजित गुहा	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	12,000/-
328.	श्री टी॰ एन॰ बेनर्जी	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	20,000/-
329.	कु॰ अनिता सरकार	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
330.	मास्टर असीम मजूमदार	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
331.	कु॰ रंजिता सरकार	किडनी	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-
332.	श्री हरप्रसाद दास	हार्ट	पीयरलैस अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	16,000/-
333.	श्रीमती रोमा गांगुली	हार्ट	गांधी मेमो॰ अस्पताल, कल्यानी	9,000/-
334.	मास्टर सुप्रीवो नंदी	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
335.	श्री किश्मत अली	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	5,000/-
336.	मास्टर रकियूव जे॰ हुसैन	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,500/-
337.	श्री उमा शंकर	किडनी	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰ न॰ दि॰	20,000/-
338.	कु॰ सोनाली बारिक	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	20,000/-
339.	मास्टर शंभू साहा	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
340.	श्रीमती सविता मुकर्जी	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	7,000/-
341.	श्री नितीश चक्रवर्ती	हार्ट	वुडलैंड अस्पताल, कलकत्ता	12,000/-
342.	मास्टर सौरभ मोडक	कैंसर	हेमोफिलिया सोसायटी, कलकत्ता	5,000/-
343.	श्रीमती दपर्ण भास्कर	हार्ट	एन॰ आर॰ एस॰ मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, कलकत्ता	10,000/-
344.	श्रीमती बिना पानी सेन	कैंसर	एसेम्बली ऑफ गाड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	10,000/-
345.	कु॰ सरिता कुंडु	ब्रेन ट्यूमर	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	7,000/-
346.	श्री राजेश राधाकृष्ण	किडनी	मेडिकल, कालेज अस्पताल, कलकत्ता	10,000/-
347.	श्री गोपाल दास	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	12,000/-
348.	मास्टर विजय दास	हार्ट	—तदैव—	20,000/-

1	2	3	4	5
349.	श्री सुदेव विश्वास	हार्ट	गांधी मेमो॰ अस्पताल, कल्याणी	12,000/-
350.	श्री राजेश करमाकर	हार्ट	सी॰ एम॰ सी॰ अस्पताल, वेल्लोर	12,000/-
351.	श्री निधी राम राय	हार्ट	अ॰ भा॰ आ॰ सं॰, न॰ दि॰	6,000/-
352.	सुश्री अभिशेखा करमाकर	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	9,000/-
353.	श्री तरूण कु॰ मित्रा	हार्ट	एन॰ आर॰ एस॰ मेडि॰ एंड अस्पताल, कलकत्ता	9,000/-
354.	श्री बिशोप पामेर	किडनी	वुडलैड अस्पताल, कलकत्ता	10,000/-
355.	मास्टर प्रसेनजित मल्लिक	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
356.	श्री सुकुमार चटर्जी	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
357.	श्री उत्पल मंडल	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
358.	श्री तमल मंडल	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
359.	श्री तपस कुमार सेन	हार्ट	—तदैव—	12,000/-
360.	मास्टर महबूब आलम	हार्ट	—तदैव—	8,000/-
361.	श्री काजल बैनर्जी	हार्ट	एस॰ एस॰ के॰ एम॰ अस्पताल, कलकत्ता	20,000/-
362.	श्री मिलान घोश	हार्ट	मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, कलकत्ता	13,000/-
363.	मास्टर स्वप्न कु॰ हजरा	हार्ट	सी॰ एम॰ सी अस्पताल, वेल्लोर	9,500/-
364.	श्री सिताराम जादव	हार्ट	गांधी मेमो॰ अस्पताल, कल्यानी	12,000/-
365.	मास्टर अंकुश अग्रवाल	हार्ट	बी॰ एम॰ बिरला रिसर्च सेंटर, कलकत्ता	8,000/-
366.	श्री सुकुमार मंडल	किडनी	सी॰ एम॰ सी अस्पताल, वेल्लोर	20,000/-

कुडम कुलम परमाणु विद्युत परियोजना

96. श्री जगमोहन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडम कुलम परमाणु विद्युत परियोजना की प्रति मेगावाट अनुमानित विद्युत उत्पादन लागत कितनी है; और

(ख) परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत कितनी है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की लागत के ब्यौरे, वहां उत्पादित होने वाली प्रति मेगावाट बिजली की अनुमानित लागत सहित, के बारे में लगभग 2 1/2 वर्षों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद पता चलेगा। इस परियोजना के पहले यूनिट को पहली बार कंक्रीट डालने के लगभग 6 1/2 वर्षों बाद और दूसरे को उसके 1 वर्ष बाद चालू किया जा सकता है।

हैदराबाद का विकास

97. श्री सुब्रहमण्यम नेलावाला :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेगा सिटी योजना के अंतर्गत हैदराबाद के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि के आबंटन में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में नौवीं योजनावधि के दौरान योजना के विकास के लिए और धनराशि के आबंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा मेगा सिटी योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार की नौवीं पंचवर्षीय योजना की पहली किश्त कब तक जारी कर दी जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) नवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अत: अभी यह बताना संभव नहीं है कि मेगा सिटी योजना के अंतर्गत हैदराबाद के विकास के लिए धनराशि नियत की गई है तथा उसे बढ़ाया गया है अथवा नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए नवीं योजना के दौरान नियत कुल धनराशि तथा पहली किश्त जारी किए जाने का समय अभी नहीं बताया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार

98. श्री वी. एल. शंकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तथा 30 जून, 1997 तक कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गर्भाशय और स्तन की कैंसर

99. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फेफड़े के कैंसर की तुलना में गर्भाशय और स्तर के कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस प्रकार के कैंसर के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2001 तक गर्भाशय के कैंसर के मामलों की संख्या 100000 तक हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार गर्भाशय और स्तन कैंसर के बारे में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारत में गर्भाश्य, स्तन व फेफड़ों का कैंसर होने के मामलों की सूचना नेमीतौर पर इकट्ठी नहीं की जाती। कैंसर की घटनाओं पर ऐसी सूचना केवल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के माध्यम से ही उपलब्ध होती है जो सारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मुम्बई, बंगलौर व चेन्नई स्थित रजिस्ट्रियों के आंकड़े गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं दशाति जबकि स्तन कैंसर की घटनाओं में इन रजिस्ट्रियों में थोड़ी वृद्धि दर्शायी है। चेन्नई में 1982 और 1992 के बीच पुरुषों व महिलाओं दोनों में फेफड़े के कैंसर में वृद्धि का पता चलता है।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम पर आधारित आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1996 में लगभग 77,000 महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर तथा 71,000 महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ। 1996 के लिए फेफड़े के कैंसर के रोगियों की संख्या लगभग 30,000 होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कैंसर की जल्दी पहचान, जागरूकता पैदा करने व उपचार के लिए नीचे दी गई योजनाएं शुरू की हैं :—

(i) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में वृद्धि करना।

(ii) निर्धारित मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलॉजी विंगों का विकास।

(iii) देश के विभिन्न भागों में कोबाल्टथिरेपी यूनिटों की स्थापना।

(iv) जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना।

(v) जल्दी पहचान एवं जागरूकता के लिए गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता।

राजस्व घाटा

100. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन तथा निगरानी संबंधी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्य योजनाओं को तब तक मंजूरी न देने का भी निर्णय किया है जब तक वे अपने राजस्व घाटे को कम करने पर सहमत न जाएं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार आज तक राजस्व घाटे वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) किस सीमा तक नौवीं योजना में सरकार के राजस्व घाटे को कम किए जाने की आशा है;

(ङ) योजना आयोग द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं;

(च) क्या योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए वार्षिक योजना का निर्धारण कर लिया है; और

(छ) यदि हां, तो गत वर्ष की वार्षिक योजना से यह कितनी अधिक है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा योजना आकार का अनुमोदन करने से पूर्व, चतुर्मासी प्रगति रिपोर्टों, राज्यों के दौरों तथा आयोग एवं राज्य सरकारों के मध्य चर्चा के माध्यम से राज्य सरकारों के भौतिक एवं वित्तीय दोनों तरह के निष्पादन एवं मानिटरिंग स्थिति का जायजा लिया जाता है।

(ख) और (ग) आयोग का मुख्य जोर व्यर्थ जाने वाले गैर-योजना राजस्व व्यय को कम करने पर है, न कि, राजस्व घाटे को कम करने की बजाय विकासात्मक योजना व्यय में कटौती करने तथा उसी से चालू राजस्व अधिशेष (बी॰ सी॰ आर॰) में सुधार लाने पर।

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में गैर योजना राजस्व व्यय (एन॰ पी॰ आर॰ ई॰) में निम्नतम संभव सीमा के स्तर तक कटौती करने पर विचार किया गया है तथा राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि इस दिशा में उपयुक्त तरीके अपनायें।

(च) और (छ) 1997-98 हेतु आंध्र प्रदेश का वार्षिक योजना परिव्यय 3533 करोड़ रु॰ निश्चित किया गया है। यह 1996-97 के 2989 करोड़ रु॰ के मुकाबले 18.2% की वृद्धि को दर्शाता है।

केरल में हैजा

101. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत मानसून मौसम के दौरान केरल के तटवर्ती क्षेत्र विशेषरूप से अलेप्पुझा जिले में हैजा के फैलने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने गत अनुभव को मद्देजनर रखते हुए चालू वर्ष के दौरान हैजा के फैलने को रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तथा राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कलकत्ता के वैज्ञानिकों के एक दल ने केरल के तीन जिलों नामतः अलेप्पुझा, पालघाट और कोझीकोडे का अगस्त 1996 के पहले हफ्ते में दौरा किया। गहन जांच के बाद पाया गया है कि हैजे के फैलने का कारण हैजा सूक्ष्म जीवों के साथ जल स्रोत का प्रदूषित होना था। दल द्वारा राज्य सरकार को आगे होने वाले प्रकोपों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय सुझाए गए।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को इस वर्ष ऐसे प्रकोपों के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करने की सलाह दी गई है। प्रस्तावित उपायों में जल गुणवत्ता मानिटरिंग, जल आपूर्ति व सीवरेज पाइपों का रख रखाव, खाद्य स्वच्छता सहित सामान्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और जन स्वास्थ्य शिक्षा सहित औषधों का पर्याप्त स्टॉक रखना शामिल है।

[हिन्दी]

स्मारकों में परिवर्तित किए गये आवास

102. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली में कितने राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में परिवर्तित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के आवास को स्मारक में परिवर्तित करने पर विचार करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) (i) तीन मूर्ति हाउस : श्री जवाहर लाल नेहरू के नाम।

(ii) 1, सफदरजंग रोड तथा 1 अकबर रोड : श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लंबित परियोजना को स्वीकृति

103. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लकड़ावाला समिति की

सिफारिशों की समीक्षा किये जाने के पश्चात् राज्य को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दों पर प्रधान मंत्री के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इन मुद्दों का ब्यौरा क्या है, जिन पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवाङ्नूर) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा उठाया गया मुद्दा सरकार द्वारा प्रायोजित खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के मूल्य मंदी प्रभाव को दूर करते हुए लकड़ावाला पद्धति के अंतर्गत राज्य गरीबी अनुपात को पुनः अनुमानित करने से संबंधित था।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न संबंधित मंत्रालयों को भिजवा दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों को भरना

104. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग के अधीन विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) रिक्तियों का पदवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	अनु. जाति	अनु. जनजाति
वैज्ञानिक/इंजीनियर	—	01
वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक	02	10
ट्रेड्समेन	15	05
हैल्पर्स	05	04
आशुलिपिकीय स्टॉफ (कर्मचारी)	02	05
कार्यालय स्टाफ	05	02
वाहन चालक	04	06
कुल :	33	33

(ग) आरक्षित रिक्तियां विशेष रोजगार कार्यालय को अधिसूचित कर दी गई हैं। इसके साथ ही, रिक्तियों को भरने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं।

(घ) सरकार के निर्देशों के अनुसार, विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) योग्य अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता तथा कुछ चयनित उम्मीदवारों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करना पदों के रिक्त रहने के मुख्य कारण हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में रिक्त पड़े पद

105. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में शीर्ष स्तर के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन पदों को भरने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्रीय भंडार के महाप्रबंधक के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) और (छ) हाल ही में, केन्द्रीय भंडार के महाप्रबंधक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच की गई और प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

अंटार्कटिक में अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

106. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंटार्कटिका क्षेत्र के बारे में अध्ययन पूरा करने के लिए वहां जाने वाले भारत और विदेशी दलों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या समय-समय पर अंटार्कटिका क्षेत्र में जाने वाले भारतीय दल के सदस्यों के स्वास्थ्य पर अंटार्कटिका के पर्यावरण के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) भारत द्वारा अंटार्कटिक के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) मानव स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन 1989 से किए जा रहे हैं। शोध का परिणाम दर्शाता है कि भारतीय अंटार्कटिक दल के सदस्यों ने, अंटार्कटिक की कठोरशीत दशाओं में सात दिनों के भीतर ही शीत परिवेश के प्रति अच्छा मनोवैज्ञानिक अनुकूलन दिखाया है। यद्यपि जैवनियतकालिकता, जो शरीर की उपापचयी, हारमोनल, निद्रा-जाग और मनौवैज्ञानिक काल अनुक्रम क्रिया को नियमति करती है, के विषमकालन को पैदा करने वाले कुछ मनोशारीरिक परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन अस्थायी, क्षणिक और प्रतिवर्ती हैं।

विदेशों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपचार पर व्यय

107. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री अन्नासाहिब एम. के पाटिल :
श्री मोहन रावले :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपचार हेतु विदेश भेजे गए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के उपचार पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता की कोई सीमा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपचार हेतु विदेश भेजने के लिए मापदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश के अस्पतालों में मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपचार के लिए व्यय मापमान और पात्रता, जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य हकदार होगा, फिलहाल किसी सहायता प्राप्त चिकित्सीय परिचर्या योजना के अधीन लागू विदेश मंत्रालय के उसी ग्रेड के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के व्यय के मापमान और पात्रता के सदृश होगा। विदेश में उपचार कराने के मामलों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 11 के अधीन डील किया जाता है जिसके अनुसार एक सरकारी सेवक उक्त नियमों के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चिकित्सा विशेषज्ञों की स्थाई समिति की सिफारिश पर विदेश में उपचार कराने के लिए पात्र है।

(ङ) "स्वास्थ्य" एक राज्य विषय है। अपने-अपने राज्यों के अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं को सुदृढ़ करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहर लाल स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी जैसी विशेषज्ञता वाली संस्थाएं स्थापित की हैं जहां उन्नत तृतीयक परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

विदेश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उपचार पर व्यय

क्र॰ सं॰	नाम और पदनाम		किया गया व्यय
1	2		3
वर्ष 1994-95 के दौरान			
1.	डॉ॰ संजय सिंह संसद सदस्य (राज्य सभा)		2,75,807.00 रुपये
2.	श्री सीता राम केसरी		9,73,454.00 रुपये
	कल्याण मंत्री	अमरीकी डालर	10,094.29
		यूके पौंड	889.68
3.	श्रीमती शीला कौल शहरी विकास मंत्री		5,20,372.00 रुपये
4.	श्री चरनजीत लाल शर्मा संसद सदस्य (लोक सभा)		सूचना संबंधित विभाग से मांगी जा रही है।
5.	श्री अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री		8,90,305.00 रुपये
वर्ष 1995-96 के दौरान			
1.	श्री पी॰ उपेन्द्र संसद सदस्य		5,36,181.00 रुपये
2.	श्री ए॰ के॰ पांजा		47,94,263.00 रुपये
	कोयला राज्य मंत्री		(1994-95 में किए गए उपचार का व्यय शामिल है)
3.	श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ		4,74,860.00 रुपये
	रेल मंत्री	यूके पौंड	54,885.88
4.	श्री एम॰ एम॰ हाशमी संसद सदस्य (राज्य सभा)		1,01,513.00 रुपये
5.	श्रीमती सुरज कंवर साह पत्नी श्री महाराजा महेन्द्र शाह संसद सदस्य		सूचना संबंधित विभाग से मांगी जा रही है।
6.	श्रीमती मनजीत कौर	यूके पौंड	21,480.35
	पत्नी श्री बूटा सिंह, मंत्री		(हवाई यात्रा को छोड़कर)
7.	श्री कांशी राम संसद सदस्य		9,90,653.00 रुपये
8.	श्री सुख राम राज्य मंत्री		23,21,636.00 रुपये
9.	श्री अंकुश राव आर॰ टोपे संसद सदस्य (लोक सभा)		सूचना संबंधित विभाग से मांगी जा रही है।
10.	श्री रामनिवास मिर्धा संसद सदस्य (लोक सभा)		15,88,241.00 रुपये

1	2	3
11.	श्री कैलाश नारायण सारंग संसद सदस्य (राज्य सभा)	13,55,906.00 रुपये
12.	श्री तेज सिंह राव भोंसले संसद सदस्य	6,32,399.00 रुपये
13.	न्यायमूर्ति श्री एस॰ आर॰ पांडियन अध्यक्ष, पांचवां वेतन आयोग	1,88,414.00 रुपये
वर्ष 1996-97 के दौरान		
1.	श्री जी॰ सी॰ सक्सेना भूतपूर्व राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर	3213.52 अमरीकी डालर
2.	डॉ॰ (मिसेज) राजिन्दर कुमारी बाजपेई उपराज्यपाल, पांडिचेरी	34,432.00 अमरीकी डालर
3.	श्री वी॰ पी॰ सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री	5,19,656.00 रुपये
4.	डॉ॰ महफूज अहमद सदस्य, सूचना और वित्तीय पुनर्संचना अपील प्राधिकरण	1,50,000.00 रुपये

[अनुवाद]

रुग्णता सहायता निधि

108. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में रुग्णता सहायता निधि की स्थापना की गई है तथा इन राज्यों द्वारा धन किन स्रोतों से जुटाया गया;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को उक्त निधि के लिए सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ग) कितने लाभार्थियों को उक्त निधि से सहायता प्राप्त हुई तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) त्रिपुरा, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने रुग्णता सहायता निधि स्थापित की है। 1996-97 के दौरान राज्यों द्वारा संगृहित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम		संगृहित निधियां
1.	त्रिपुरा	4 करोड़ रुपये
2.	मध्य प्रदेश	10 करोड़ रुपये
3.	कर्नाटक	10 करोड़ रुपये
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1 करोड़ रुपये

(ख) केन्द्रीय सरकार ने रुग्णता सहायता निधि के लिए 1996-97 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निम्नलिखित सहायता अनुदान स्वीकृत किया है :

राज्य का नाम		स्वीकृत निधियां
1.	त्रिपुरा	2 करोड़ रुपये
2.	मध्य प्रदेश	5 करोड़ रुपये
3.	कर्नाटक	5 करोड़ रुपये
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	50 करोड़ रुपये

(ग) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बी॰ डी॰ एस॰/एम॰ डी॰ एस॰ डिग्रियों को मान्यता

109. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

(क) क्या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने भारतीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई बी॰ डी॰ एस॰ एम॰ डी॰ एस॰ डिग्रियों को मान्यता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आज तक विशेषकर महाराष्ट्र में परिषद द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां से प्रदत्त डिग्रियों को मान्यता दी गई है;

(ग) क्या परिषद ने उन विश्वविद्यालयों के उत्तीर्ण हुए दंत चिकित्सा स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के पंजीकरण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारें निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपना रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को इस आशय का कोई ज्ञापन महाराष्ट्र के दंत चिकित्सा स्नातकों की ओर से प्राप्त हुआ है कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार उनका पंजीकरण नहीं कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस मामले को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) किसी भारतीय विश्वविद्यालय की बी॰ डी॰ एस॰/एम॰ डी॰ एस॰ डिग्री को केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिश पर मान्यता प्रदान की जाती है और इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी की जाती है।

(ख) ऐसे विश्वविद्यालयों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता रखने वाला व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अपना नाम दंत चिकित्सकों के रजिस्टर में दर्ज कराने का पात्र होगा।

(ङ) से (च) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने महाराष्ट्र में पुणे विश्वविद्यालय, अमरावती विश्वविद्यालय और शिवाजी विश्वविद्यालय की बी॰ डी॰ एस॰ डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है। इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

दंत चित्सिक

(अनुसूची)

अनुसूची (भाग-1)

(धारा 10 की उप धारा (1) और (2) देखें)

भारत में प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा अर्हताएं

प्राधिकारी अथवा संस्था	मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्ति
1	2	3
1. बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स, कलकत्ता डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कलकत्ता	लाइसेंसिएट इन डेंटल साइंस - यदि 1 मई, 1941 से पूर्व प्रदान की गई हो।	एल॰ डी॰ एस॰ सी॰, कलकत्ता
2. स्टेट मेडिकल फैकल्टी, बंगाल कलकत्ता	लाइसेंसिएट इन डेंटल साइंस - यदि 30 अप्रैल, 1941 के बाद प्रदान की गई हो।	एल॰ डी॰ एस॰ (एस॰ एम॰ एफ॰) बंगाल
3. सिटी डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कलकत्ता	लाइसेंसिएट एन डेंटल साइंस - यदि यह ऐसे व्यक्ति को 31 मार्च, 1940 से पूर्व प्रदान की गई हो, जिसने— (I) उस संस्था में दो वर्षों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। (II) पहले दंत चिकित्सक के रूप में कार्य किया हो अथवा ऐसे चिकित्सक जिसने उस संस्था में एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो।	एल॰ डी॰ एस॰ (सी॰ डी॰ सी॰) कलकत्ता

नोट : यहां पर समय-समय पर संशोधित अनुसूची दी गई है। चूंकि बहुत-सी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, उनके राजपत्र संदर्भ इस पाद टिप्पणी में शामिल नहीं किए गए हैं।

1	2	3
4. बम्बई विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ बम्बई
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	—प्रोस्थटिक डेंटिस्ट्रि	एमडीएस (प्रोस्थ॰) बम्बई
	— पेरीडॉंटिया	एमडीएस (पेरिआ) बम्बई
	— ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओरल सर्जरी) बम्बई
	— अर्थोडॉंटिया	एमडीएस (अर्थो) बम्बई
	— डेंटल रेडियोलोजी	एमडीएस (ओरल मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड रेडियोलोजी) बम्बई
	— पेडोडॉंटिक्स	एमडीएस (पेडो॰) बम्बई
	— आपरेटिव डेंटिस्ट्रि	एमडीएस (आपरेटिव) बम्बई
	— डेंटल पैथालॉजी एंड बेक्टरियोलोजी	एमडीएस(ओरल पैथालोजी एंड माइक्रोवाइलोजी) बम्बई
5. कालेज ऑफ फीजिशियन एंड सर्जन, बम्बई	साइर्सेसिएट इन डेंटल साइंस	एलडीएस(सीपीएस) बम्बई
6. नायर हास्पिटल डेंटल बोर्ड,	लाइर्सेसिएट इन डेंटल साइंस	एलडीएस (नायर) बम्बई
7. ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी	बैचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यदि वर्ष 1948 से पूर्व प्रदान की गई हो	बीडीएस (ईस्ट पंजाब)
8. लखनऊ विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ लखनऊ
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	— प्रोस्कोडॉंटिक्स	एमडीएस (प्रोस॰) लखनऊ
	— पेरिओडॉंटिक्स	एमडीएस (पेरियो) लखनऊ
	— अर्थोडॉंटिक्स	एमडीएस (अर्थो॰) लखनऊ
	— ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओरल सर्जरी) लखनऊ
	— पेडोडॉंटिया एंड प्रीवेंटिव डेंट्रिस्टी	एमडीएस (पेडो॰) लखनऊ
9. मद्रास विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ मद्रास
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	— ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओरल सर्जरी) मद्रास
	— पेरिओडेंटोलॉजी	एमडीएस (पेरियो) मद्रास
	— आपरेटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (आपरेटिव) मद्रास
	— अर्थोडेंटिया	एमडीएस (अर्थो॰) मद्रास
10. कलकत्ता विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ कलकत्ता
11. पंजाब विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ पंजाब
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	— पेडोडोन्टिया एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (पेडो॰) पंजाब
	— डेंटल प्रोस्थेसिस एंड क्राउन एंड ब्रिज वर्क	एमडीएस (प्रोस॰) पंजाब
	— यदि 31 दिसम्बर, 1970 से पूर्व प्रदान की गई हो	
	(III) पेडोडोनिया एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (पेडो॰) पीजीआईएमईआर

1	2	3
	— यदि मई, 1980 में या इससे पूर्व प्रदान की गई हो। भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग की 27.8.84 की अधिसूचना सं॰ 12017/6/83- पीएमएस) द्वारा बाद में और संशोधन किए गए। — यदि 1978 में या इसके बाद की गई हो।	
12. पंजाबी विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ पंजाबी
13. उसमानिया विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी एमडीएस ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलोजी, एमडीएस (ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलोजी) उसमानिया	बी॰ डी॰ एस॰ उसमानिया
14. केरल विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी (II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी — आपरेटिव डेंटिस्ट्री — प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री — पेरिओडोन्टिआ — अर्थोडोन्टिया — ओरल पैथालोजी एंड माइक्रोबायोलोजी	बी॰ डी॰ एस॰ केरल एमडीएस (ओपरेटिव) केरल एमडीएस (प्रोस॰) केरल एमडीएस (पेरिओ) केरल एमडीएस (अर्थो॰) केरल एमडीएस (ओरल पैथोलोजी एंड माइक्रोबायोलोजी) केरल
15. मैसूर विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी (II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी — आपरेटिव डेंटिस्ट्री — अर्थोडोन्टिया — पेरिडोन्टिया — ओरल सर्जरी — प्रोस्थेटिक	बी॰ डी॰ एम॰ मैसूर एमडीएस (आपरेटिव) मैसूर (यह अर्हता तभी मान्य होगी जब 19.2.1975 से प्रदान की गई हो) एमडीएस (अर्थो॰) मैसूर एमडीएस (पेरि॰) मैसूर एमडीएस (ओरल सर्जरी) मैसूर एमडीएस (प्रोस्थेटिक) मैसूर
16. पटना विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी (II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	बी॰ डी॰ एस॰ पटना एमडीएस (प्रोस्थे॰ डेंटिस्ट्री) पटना
17. बंगलौर विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी (II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी — अर्थोडोन्टिक्स — आपरेटिव डेंटिस्ट्री — ओरल सर्जरी — पेरिओडोन्टिया — ओरल डाइग्नोसिस एंड डेंटल रेडियोलोजी	बी॰ डी॰ एस॰ बंगलौर एमडी (अर्थो॰) बंगलौर एमडी (आपरेटिव) बंगलौर एमडीएस (ओरल सर्जरी) बंगलौर एमडीएस (पेरियो॰) बंगलौर एमडीएस (ओरल डाइग्नोसिस एंड डेंटल रेडियोलोजी) बंगलौर
18. इंदौर विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ इंदौर

1	2	3
19. गुजरात विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ गुजरात
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	— प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	एमडीएस (प्रोस्थ॰) गुजरात
	— पेरिडोन्टिया	एमडीएस (पेरि॰) गुजरात
	— ओरल पैथालोजी एंड बैक्टिरियोलोजी	एमडीएस (ओरलपैथ॰ एंड बैक्टिरियोलोजी) गुजरात
20. गुरुनानक विश्वविद्यालय	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ गुरूनानक
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	— पेडोडोन्टिया एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (पेडो॰) गुरूनानक
	— डेंटल प्रोस्थेसिस एंड क्राउन एंड ब्रिजवर्क	एमडीएस (प्रोस्थ॰) गुरूनानक
21. नागपुर विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ नागपुर
22. मंगलौर विश्वविद्यालय	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	
	—ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओरल सर्जरी) मंगलौर
	— पेरिओडोन्टिक्स	एमडीएस (पेरिओडेन्टिक्स) मंगलौर
	— प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री	एमडीएस (प्रोस्थेडेंटिस्ट्री) मंगलौर
	— पेडोडोन्टिया	एमडीएस (पेडोडेंटिया) मंगलौर
	— अर्थोडोन्टिया	एमडीएस (अर्थो.) मंगलौर
	— बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बीडीएस मंगलौर
23. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी —आपरेटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (आपरेटिव डेंटिस्ट्री) बनारस
24. अन्नामलाई विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ अन्नामलाई
25. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय
26. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	एमडीएस (देवी अहि॰ विश्वविद्यालय) 14.3.1953 से
27. दिल्ली विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ दिल्ली
28. गुवाहाटी विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ गुवाहटी
29. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ मराठवाड़ा
30. कालीकट विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ कालीकट नोट—मेडिकल कालेज कालीकट के डेंटल विंग के प्रशिक्षित/प्रशिक्षणाधीन छात्रों के संबंध में सितम्बर में या उसके बाद प्रदान की गई हो।
31. राजस्थान विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ राजस्थान
32. गोवा विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी — यह अर्हता पहली जून, 1986 को या इसके बाद मान्य दंत चिकित्सा अर्हता होगी।	बी॰ डी॰ एस॰ गोवा

1	2	3
33 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी — अर्थो डोन्टिक्स — यह अर्हता तभी मान्य होगी जब यह पहली मई, 1989 को या इसके बाद प्रदान की गई हो (सं. बी-12018/2/90-पीएमएस दिनांक 3 मई, 1990)	एमडीएस (अर्थो.) अ. भा. आयु. संस्थान नई दिल्ली
34. डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, मद्रास	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, मद्रास
	(II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी — ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओ.एस) डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, मद्रास
ये अर्हताएं 24 सितम्बर, 1987 को या उसके बाद से मान्यता प्राप्त अर्हता होगी	— पेरिओडेंटोलोजी	एमडीएस (ओपरेटिव) डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल, यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, मद्रास
	— आपरेटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (आपरेटिव) डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु मद्रास
	— अर्थोडोन्टिया	एमडीएस (अर्थो.) डॉ. एम. जी. आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु मद्रास
35. कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़	बेचलुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. कर्नाटक (यह अर्हता पहली मई, 1989 को या उसके बाद मान्य होगी)
36. उत्कल विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. उत्कल
37. मगध विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. मगध
39. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. दरभंगा
39. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. कुरुक्षेत्र 24.11.93 को या इसके बाद।
40. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	(I) बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी (II) मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी. डी. एस. मणिपाल
	— ओरल सर्जरी	एमडीएस (ओरल सर्जरी) मणिपाल
	— पेरिओडोन्टिक्स	एमडीएस (पेरि.) मणिपाल
	— प्रोस्थोडोन्टिक्स	एमडीएस (प्रोस्थो.) मणिपाल
	— अर्थोडॉन्टिया	एमडीएस (अर्थो.) मणिपाल
	— कन्सर्वेटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (कन. डेंटिस्ट्री) मणिपाल
	— पेडोडोन्टिया	एमडीएस (पेडो.) मणिपाल
	— ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलोजी	एमडीएस (ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलोजी) मणिपाल

1	2	1	3	2	4	3
				— कम्यूनिटी डेंटिस्ट्री	एमडीएस (कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री) मणिपाल	
41.		गुलबर्गा विश्वविद्यालय	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी		बी॰ डी॰ एस॰ गुलबर्गा	
42.		नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी		बी॰ डी॰ एस॰ नार्थ बंगाल	
43.		कुवेम्पु यूनिवर्सिटी, शिमोगा	(I)	बेचुलर ऑफ डेंटल सर्जरी	बी॰ डी॰ एस॰ कुवेम्पु	
			(II)	मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी		
				— पेरिओडोन्टिया	एमडीएस (पेरि॰) कुवेम्पु	
				— कन्सर्वेटिव डेंटिस्ट्री	एमडीएस (कन॰ डेंटे॰) कुवेम्पु	
				— ओरल एंड मेक्सिलोफेसियल सर्जरी	एमडीएस (ओरल एंड मेक्सि॰ सर्जरी) कुवेम्पु	
				— अर्थोडोन्टिक्स	एमडीएस (अर्थोडोन्टिक्स) कुवेम्पु	
				— प्रोस्थेटिक डेंस्टिडेंटिस्ट्री	एमडीएस (प्रोस्थ॰ डेंटि॰) कुवेम्पु	

[अनुवाद]

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र

110. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :
श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :
श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी :
डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "वाशिंगटन पोस्ट" में प्रकाशित इस समाचार से अवगत है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर प्रक्षेपास्त्र तैनात किया है;

(ख) यदि हां तो क्या भारत ने इस समाचार का खण्डन किया है;

(ग) क्या प्रकाशित समाचार का मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न करना तथा दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में भी व्यवधान उत्पन्न करना है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है कि यह सूचना किस प्रकार अमरीकी एजेंसी को प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा 14 जून, 1997 को जारी किया गया विवरण जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पृथ्वी मिसाइलें तैनात नहीं की हैं, संलग्न है।

विवरण

हमने वाशिंगटन पोस्ट में छपी पाकिस्तान की सीमा के निकट पृथ्वी मिसाइलों की तैनाती संबंधी रिपोर्टों को देखा है। सरकार ने पहले ही साफ तौर पर कहा है कि पृथ्वी मिसाइलों को तैनात नहीं किया गया है। हम संयुक्त राज्य के साथ जैविक वार्ताओं के आदान-प्रदान के ब्यौरे संबंधी वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टों के अन्य पहुलओं को साफ तौर पर अस्वीकार करते हैं क्योंकि यू झूठे, शरारतपूर्ण तथा दुरभ्रेरित हैं।

वाशिंगटन पोस्ट के समाचार में इस तथ्य की कोई गोपनीयता नहीं है कि ये रिपोर्ट संयुक्त राज्य की आसूचना तथा अधिकारिक सूत्रों से लीक हुई सूचना पर आधारित है। यह हमारा अनुभव रहा है कि ऐसी रिपोर्टें मनगढ़ंत हैं तथा जानबूझ कर भ्रम फैलाने वाली हैं। ऐसी रिपोर्टों पर विस्तृत तौर पर टिप्पणी करके उन्हें महिमामंडित करने की कोई सरकारी प्रथा नहीं है।

सरकार की स्पष्ट नीति है कि पृथ्वी या अन्य ऐसे मामलों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय हमारी स्वतंत्र विदेशी नीति तथा सुरक्षा हितों पर आधारित हैं। यह उल्लेख किया गया है कि कोई आसन्न संकट नहीं है, इसलिए इसकी तैनाती का कोई कारण नहीं है।

[हिन्दी]

गंगा बैराज पर कार्यरत बाल श्रमिक

111. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा बैराज कानपुर (उ॰ प्र॰) पर कार्य कर रहे बाल श्रमिकों की जानकारी है जिसके गले में पट्टा बांधा हुआ है और प्रतिदिन 8-10 घंटे कार्य कराने के पश्चात् 8 से 10 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस कार्य हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के दल द्वारा फरवरी और मार्च, 1997 में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गंगा बैराज स्थल पर किसी भी बाल श्रमिक को कार्य करते नहीं पाया गया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ढांचागत सुविधाओं की समीक्षा

112. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनिवार्य सेवाओं के निजीकरण में शामिल व्यक्तियों को दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस तरह की समीक्षा की जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर) : (क) और (ख) विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों/सुविधाओं की पुनरीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अवसंरचना सुविधाओं की भारी मांग और संसाधनों की कठिनाई पर विचार करते हुए सरकार कुल आवश्यकता के एक हिस्से को प्रदान करने में ही समर्थ होगी। अत: अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान में प्राइवेट क्षेत्रक को शामिल करना आवश्यक है। परंतु प्राइवेट क्षेत्रक की भागीदारी अलग-अलग अवसंरचना क्षेत्रक की विशेषताओं पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे अवसंरचना क्षेत्रक हैं जहां उत्पादन या प्रतिफल लम्बे समय के बाद प्राप्त होता है और तुरंत प्रतिफल की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रकों में अधिकांश निवेश सरकारी क्षेत्रक को करना होता है। बिजली, दूरसंचार, परिवहन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाओं को सरकारी कार्रवाई या प्राइवेट क्षेत्रक की भागीदारी के द्वारा बढ़ाने/उनमें सुधार करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालय समय-समय पर नीतियां तैयार करते हैं।

पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट को मान्यता न देना

113. श्री पी. नामग्याल :
श्री वी. वी. राघवन :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री अय्यन्ना पटरुघु :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के पाठ्यक्रमों को मान्यता न देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों की ओर से इंस्टीट्यूट के कार्यकरण के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो चिकित्सकों द्वारा की गयी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इंस्टीट्यूट के कार्यकरण के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या चिकित्सकों सहित इस संकाय के आधे से अधिक व्यक्ति गैर-चिकित्सा संदर्भ के हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार संस्था की मान्यता समाप्त करने के बजाए संकाय के गैर-चिकित्सीय संवर्ग के कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान, दिल्ली के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश इस आधार पर की है कि संकाय सदस्यों की एक बनी संस्था गैर-मेडिकल व्यक्तियों की है। भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान के कार्यकरण के बारे में संस्थान के डॉक्टरों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, तीन माननीय संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्राप्त हुआ था जिसमें मौजूदा उपकरण तथा उपलब्ध पलंगों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने तथा संस्थान को बेहतर उपयोग के लिए जांच करने और संस्थान के निदेशक के रूप में किसी चिकित्सक की नियुक्ति के सुझाव दिए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने इसकी नैदानिक तथा प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय तथा शिक्षा विभाग के ध्यान में लाया गया है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद् की नवम्बर, 1995 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल संकाय सदस्यों, जिनमें संस्थान के निदेशक शामिल हैं, का संबंध गैर-नैदानिक संवर्ग से है।

(च) और (छ) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का आकलन

114. श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री के॰ पी॰ सिंह देव :
श्री थावर चन्द गेहलोत :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में कितने बाल श्रमिक थे;

(ग) उन बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये आकलन के अनुसार क्या सन् 2000 तक बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर तीन गुना हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ख) बाल श्रम के संबंध में प्रमाणित जानकारी दसवर्षीय जनगणना के दौरान प्राप्त की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कार्य कर रहे बालकों की कुल संख्या 11.28 मिलियन है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने अधिनिर्णय में अनेक दिशानिर्देश भी दिए हैं जिनमें कामकाजी बालकों का सर्वेक्षण कराया जाना भी है। सर्वेक्षण का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग दो मिलियन बालकों को पुनर्वासित करने के संबंध में अगस्त, 1994 में एक बड़े कार्यक्रम की घोषण की गई थी। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बालकों को पुनर्वासित करने के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन परियोजनाओं के अधीन स्थापित किए गए विशेष स्कूलों में लगभग 1.05 लाख बालकों को पहले ही दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कामकाजी बालकों को कार्य से निकालने और उन्हें पुनर्वासित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने हाल ही में वर्ष 2000 तक बाल श्रम की व्यापकता के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, सरकार बाल श्रम पद्धति को उसके सभी रूपों में क्रमिक ढंग से समाप्त करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

बाल श्रम समाप्त करना

115. श्री हरिन पाठक : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 800 करोड़ रुपये की एक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए 15 अगस्त, 1994 को सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी। परियोजना के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले अनुमानत: 2 मिलियन बालकों को कार्य से हटाए जाने और अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि के प्रावधानों के साथ उन्हें स्कूलों में रखकर पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस प्रयोजनार्थ 850 करोड़ रुपए की धनराशि अपेक्षित होगी जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले लगभग 1.5 लाख बालकों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है।

जबकि सरकार अभी भी इस कार्यक्रम को और जिलों में लागू करने का विचार कर रही थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.12.96 के अपने अधिनिर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों को हटाए जाने तथा पुनर्वासित किए जाने की विधि और गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों की कार्य दशाओं को बेहतर बनाए जाने तथा विनियमित किए जाने की विधि के बारे में भी अनेक निदेश जारी कर दिए। उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों ने पहले ही कार्रवाइयां की हैं।

अतिक्रमण

116. श्री राम सागर : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इन क्रोचिंग एंड इललीगल कॉस्ट्रक्शंस झा पैनल इनडिक्ट्स बीजेपी एमएलए, कांगमैन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में कहा गया है कि उप राज्यपाल द्वारा गठित मदन झा समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण में दिल्ली विधान सभा के एक सदस्य और एक स्थानीय नेता के शामिल होने का आरोप लगाया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट उप राज्यपाल को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि समिति की सिफारिशों पर कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी है।

(ग) दिल्ली सरकार ने बताया है कि झा समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के मामले में वह कार्रवाई कर रही है।

होम्योपैथी कालेजों को बंद किया जाना

117. श्री के. सी. कोंड्ड्या : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने बंगलौर में सरकारी होम्योपैथी कालेज को बंद करने तथा आगामी शैक्षिक वर्ष में नये प्रवेशों को रोकने संबंधी आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त कालेज को खोलने तथा नये दाखिला देने संबंधी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने गवर्नमेंट होम्योपैथी कालेज, बैंगलोर का निरीक्षण करने पर पाया कि कालेज निर्धारित अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करता है। परिषद् ने कालेज में आगे प्रवेश पर रोक लगा दी है। तथापि, निरीक्षण के दौरान केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा बताई गई कमियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने होम्योपैथी चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक डिग्री के लिए, केवल वर्ष 1997-98 के शैक्षिक-सत्र के लिए, प्रवेश देने हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उड़ीसा में मजदूरी का भुगतान न किया जाना

118. श्री मुरलीधर जेना : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अधिकतर उद्योग अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं और श्रम न्यायालय विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करवाने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योगपतियों द्वारा श्रम काननों का कड़ाई से अनुपालन हो, क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लोकपाल विधेयक

119. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोकपाल विधेयक पर आम सहमति तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध निर्माण

120. डॉ. बलिराम : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री 5 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पेट्रोल पम्प मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ) सरकारी भूमि पर 12 पेट्रोल पम्प डीलरों ने अतिक्रमण किया था, जिनमें से 2 मामलों में अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष मामलों में भूमि एवं विकास कार्यालय का प्रस्ताव है कि संबंधित तेल कंपनियों की एक बैठक बुलाई जाए और उन्हें सरकारी भूमि से अतिक्रमण तत्काल हटाने की सलाह दी जाए। जैसा कि अतारांकित प्रश्न सं. 1823, दिनांक 5.3.97 में उत्तर दिया गया था कि 53 पेट्रोल पम्पों में से जिन्होंने पम्पों में अनधिकृत निर्माण किया था, 17 मामलों में पुनः प्रवेश के आदेश जारी किए गए हैं और सार्वजनिक परिसर बेदखली

अधिनियम के अंतर्गत इन्हें बेदखल करने संबंधी कार्यवाही सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में लंबित है।

2 पेट्रोल पम्पों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि॰ वि॰ प्रा॰) इनका आबंटन रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है।

[अनुवाद]

भूमि हड़पना

121. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री भूमि हड़पने के बारे में 4 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 1812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ (उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्र से मोती निकालना

122. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य मूल्यवान वस्तुओं को नुकसान पहुंचाए बगैर समुद्र तल से मोती निकालने के लिए एक उन्नत विधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन): (क) और (ख) मोती समुद्र स्तर से नहीं निकाले जाते बल्कि समुद्र संस्तर में रहने वाले ऑयस्टरों से निकाले जाते हैं। मोती सामान्यत: गोताखोरों द्वारा निकाले जाते हैं, जो समुद्र के अन्य जन्तुओं को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना, ऑयस्टरों को पकड़ते हैं। भारत में मोती 2 स्थानों, नामत: मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में तैयार किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में तमिलनाडु तथा गुजरात सरकारों द्वारा नियंत्रित अंतिम मोती की खेती क्रमश: 1961 एवं 1967 में की गई। मोती के लिए ऑयस्टर भण्डारों में प्राकृतिक मोती ऑयस्टर संस्तर अच्छे नहीं थे इसलिए अगले वर्षों में मोती निकालने की अनुमति नहीं दी गई।

(ग) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान (सी॰ एम॰ एफ॰ आर॰ आई॰) ने अपतट तैरते हुए बेड़ों में तथा तट पर टैंकों में ऑयस्टरों की अपने शरीर में मोती उत्पादित करने की क्षमता का उपयोग करके मोतियों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों का एक पैकेज विकसित किया है। गल्फ की खाड़ी में प्राकृतिक मोती ऑयस्टर भण्डार के पुनर्भरण के लिए सी॰ एम॰ एफ॰ आर॰ आई॰ ने 1990 के प्रारम्भ से ही टूटीकोरीन के सी॰ एम॰ एफ॰ आर॰ आई॰ स्फूटनशाला में उत्पादित लारवा/मोती ऑयस्टर का अण्डा तैयार करके एक समुद्र रेंचन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो इन्टरप्राइजेज

123. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान स्कीम ऑफ अर्बन माइक्रो इन्टरप्राइजेज के अंतर्गत लोगों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया और इनकी वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(ख) लक्ष्य से कम उपलब्धि के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सूमे के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों के लक्ष्य और उपलब्धियों के विवरण नीचें दिये गये हैं :—

वर्ष	लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सं॰		प्रशिक्षित/प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों की सं॰	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	1,16,807	1,25,308	40,042	42,436
1996-97	87,120	1,28,899	29,852	45,587

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं आयी है।

[हिन्दी]

हुडको द्वारा उत्तर प्रदेश को ऋण

124. श्री अशोक प्रधान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण से शुरू किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा आवास निर्माण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद् को कितनी ऋण राशि प्रदान की गई ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) हुडको द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। उधार लेने वाली एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे हुडको की ऋण सहायता से शुरू की गई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भेजें। हुडको ऋण के अहरण को उधार लेने वाली एजेंसी द्वारा सूचित भौतिक/वित्तीय प्रगति से जोड़ा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यों की समय-समय पर एजेंसियों के साथ सम्पर्क करके समीक्षा करता है। परियोजनाओं का निरीक्षण स्कीम की मंजूरी के समय निर्धारित समय-सूची के अनुसार भी किया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हुडको द्वारा विभिन्न एजेंसियों की मुहैया कराए गए ऋणों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

(रू. लाखों में)

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	स्वीकृत ऋण राशि		
		1994-95	1995-96	1996-97
1.	उत्तर प्रदेश आवास विकास बोर्ड	2110.28	1228.70	1310.74
2.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	शून्य*	शून्य*	शून्य*
3.	बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण	140.26	#	#
4.	ग्रेटर नोएडा	—	—	1441.33
5.	नोएडा	—	—	—

*कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि एजेंसी 1993 से ऋण वापस करने में दोषी है।

#कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि एजेंसी 1994 से दोषी है।

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका संबंध

125. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए भारत-श्रीलंका के बीच किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा श्रीलंका के साथ आगे संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) 1997 के दौरान 19 से 22 जनवरी, 1997 तक कोलंबो में हुए भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र में दोनों देशों के बीच पूंजी-निवेश के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक करार संपन्न हुआ था। इस करार में दोनों देशों के बीच पूंजी-निवेश के अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए कानूनी संरचना मुहैया कराने का प्रावधान है और राष्ट्रीय तथा अधिकतम अनुकूल राष्ट्र का व्यवहार, क्षतियों के मुआवजे, निवेश के प्रत्यावर्तन, और विवादों के निपटान का भी प्रावधान है। इसी बैठक के दौरान जनवरी, 1996 में श्रीलंका को दी गई ऋण शृंखला के अन्तर्गत 15 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किश्त भी दी गई। यह ऋण श्रीलंका को भारत के माल के आयात करने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) इसी बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 1996, 1997 तथा

1998 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए। सरकार ने जाफना में राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में अप्रैल, 1997 में श्रीलंका के विदेश मंत्री के भारत आने पर तथा मई, 1997 में माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान उच्चस्तरीय बातचीत हुई।

विद्युत उत्पादन

126. श्री राम नाईक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि क्या थी और नौवीं योजना के लिए योजना आयोग के कार्यदल द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य क्या रखा गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण रहे हैं और नौवीं योजना में इन कारणों को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या योजना आयोग ने कार्यदल से लक्ष्य को कम करके यथार्थ स्तर पर लाने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) आठवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1996-97 में ऊर्जा उत्पादन का अनुमान सेवा प्रदायक तंत्रों से 418.21 बिलियन यूनिट लगाया गया था जिसके लिए 30538 मे॰ वा॰ की क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में क्षमता वृद्धि की उपलब्ध 16422.6 मे॰ वा॰ थी। वर्ष 1996-97 के दौरान विद्युत उत्पादन 394.5 बिलियन यूनिट था। नौवी योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत से संबंधित कार्यदल ने 1997-2002 की अवधि के दौरान 57734.7 मे॰ वा॰ की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता का आकलन किया था।

(ख) आठवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि में कमी के मुख्य कारण परियोजना प्रबंध में कमी, बाह्य सहायित परियोजनाओं से संबंधित समस्या, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, निधियों की कमी और उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब आदि हैं। इन कारणों को दूर करने के लिए नौवी योजना में प्रस्तावित उपाय इस प्रकार होंगे :

(1) राज्य और केन्द्रीय सेवा प्रदायक तंत्र चालू और अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करेंगे और नयी परियोजनाओं के लिए भी कदम उठायेंगे।

(2) इन प्रयत्नों की अनुपूर्ति निजी क्षेत्रक में नयी परियोजनाओं से की जाएगी। निजी क्षेत्रक की भागीदारी को महत्वपूर्ण तरीके से शामिल करने के लिए प्राइवेट पार्टियों के चयन में सुस्पष्टता एवं शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) चूंकि पिछले वर्षों में पनबिजली के हिस्से में कमी आती रही है अत: यथासंभव, कम से कम समय तक अंतर्गत चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्रक हेतु पर्याप्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। बड़ी परियोजनाओं और छोटी परियोजनाओं के सापेक्ष लाभों का एक लागत-लाभी विश्लेषण किया जाएगा और नयी परियोजनाओं के चयन में पर्यावरणीय पहलुओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जाएगा। पन-बिजली परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्रक को शामिल करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों एवं रियायतों के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। पन बिजली परियोजनाएं प्राइवेट पार्टियों को देने से पहले राज्य सरकारें इन परियोजनाओं की पूरी जांच-पड़ताल भी सुनिश्चित करेंगी।

(4) परमाणु विद्युत क्षमता में वृद्धि पूर्व आशाओं के अनुरूप नहीं रही है। इस मुद्दे को इसकी समग्रता में समझने की आवश्यकता है क्योंकि परमाणु ऊर्जा के मामले में इसको अन्ततः काफी किफायती विकल्प के रूप में अपनाने की क्षमता है।

(5) विद्युत उपस्करों के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा

127. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशीराम राणा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में चूककर्ता प्रतिष्ठानों से 1 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार कुल कितनी राशि वसूल की जानी है;

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत उक्त चूककर्ता प्रतिष्ठानों पर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) प्राधिकारियों ने बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार विभिन्न चूककर्ता प्रतिष्ठानों से क॰ रा॰ बी॰ और क॰ भ॰ नि॰ के रूप में क्रमशः 312.11 करोड़ रुपये और 567.96 करोड़ रुपये वसूल किए जाने हैं।

(ख) औ॰ एवं वि॰ पुनर्नि॰ बोर्ड के पास पंजीकृत प्रतिष्ठानों के विरुद्ध क॰ रा॰ बी॰ देय राशि में 102.61 करोड़ रुपये और क॰ भ॰ नि॰ देय राशियां 109.04 करोड़ रुपये बकाया हैं।

(ग) चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया देय राशियां वसूलने के लिए क. रा. बी. अधिनियम, 1948 और क. भ. नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार और जहां आवश्यक होता है भा. दं. सं. की धारा 406/409 के अन्तर्गत भी आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। औ. एवं वि. पुनर्नि. बोर्ड के पास पंजीकृत प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू करने के पूर्व उनसे पुर्वानुमति भी प्राप्त की जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

128. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा कराये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण तथा वहां डाक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है। कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता जनसंख्या नियमों पर आधारित है। योजना आयोग के नियमों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। इन नियम के अनुसार अनुमानित 22349 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1991 की जनगणना के अनुसार अपेक्षित हैं तथा 30.6.1996 को 21854 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विद्यमान हैं। योजना आयोग के नियमों के अनुसार कुछ राज्यों में उपलब्ध अधिशेष अवसंरचना को नजर अंदाज करते हुए देश में लगभग 2003 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अन्तराल है।

1991 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के राज्य-वार विवरण संलग्न हैं।

(ग) अनुमोदित नियमों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है। तथापि राज्य सरकार को उनकी सामाजिक-आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए नियमों को शिथिल करने की छूट है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपेक्षित संख्या तथा कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के मध्य अन्तराल को पाटने के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुमान तैयार किए गए हैं। बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवसंरचना में अन्तराल को भरने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य का विषय होने के कारण इन केन्द्रों में डॉक्टरों की भर्ती एवं तैनाती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। संविदात्मक आधार पर भी डॉक्टरों की रिक्तियां भरने के लिए, यदि आवश्यक हो, समय-समय पर राज्य सरकारों को सुझाव दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991 की जनगणना के अनुसार अपेक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1707
2.	अरुणाचल प्रदेश	37
3.	असम	726
4.	बिहार	2637
5.	गोवा	23
6.	गुजरात	1028
7.	हरियाणा	414
8.	हिमाचल प्रदेश	162
9.	जम्मू व कश्मीर	196
10.	कर्नाटक	1072
11.	केरल	721
12.	मध्य प्रदेश	2020
13.	महाराष्ट्र	1756
14.	मणिपुर	57
15.	मेघालय	77
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	54
18.	उड़ीसा	1062
19.	पंजाब	476
20.	राजस्थान	1247
21.	सिक्किम	14

1	2	3
22.	तमिलनाडु	1237
23.	त्रिपुरा	96
24.	उत्तर प्रदेश	3723
25.	पश्चिम बंगाल	1726
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	7
27.	चण्डीगढ़	2
28.	दादरा व नगर हवेली	7
29.	दमण व दीव	2
30.	दिल्ली	32
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	10
	कुल :	22349

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय

129. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय केन्द्र सरकार के कितने अस्पताल और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का केरल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का कोई नया औषधालय या केन्द्र सरकार के अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कालीकट और एर्णाकुलम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय स्थापित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राज्य की राजधानी तिरुवनन्तपुरम में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तीन औषधालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केरल राज्य सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

तम्बाकू का सेवन

130. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकसित देशों में तम्बाकू के सेवन में 1.1 प्रतिशत की कमी आयी है जबकि भारत में प्रतिवर्ष इसमें 2.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में किए गए आकलन के अनुसार देश में तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में प्रतिदिन लगभग 5500 व्यक्ति जुड़ जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने तम्बाकू विरोधी अभियान के प्रभाव की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी कब तक समीक्षा कर ली जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पिछले दशक के दौरान विकसित देशों में शुरू किए गए तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, उन देशों में तम्बाकू का उपयोग कम हो गया है। इस बारे में भारत के लिए कोरे विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि अप्रत्यक्ष आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में पिछले 8 से 10 वर्षों के दौरान तम्बाकू के उपयोग में वृद्धि हुई है।

(ग) गोवा और बैंगलूर के युवकों में तम्बाकू की आदत बढ़ने के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों पर आधारित अनुमान दशति हैं कि देश में प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग शुरू करने वाले नए लोगों की संख्या 7,300 से 17,000 के बीच है।

(घ) और (ङ) कार्यक्रमों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने लोगों को तम्बाकू के उपयोग के प्रति हतोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

[हिन्दी]

सीतापुर प्लाइवुड मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड

131. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ऑफ सीतापुर प्लाइवुड मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड सीतापुर ने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अपना अंशदान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नियोक्ताओं द्वारा आज की तारीख तक इसमें कितनी धनराशि जमा की जानी है तथा इस धनराशि को जमा कराये जाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) उक्त धनराशि को समय से जमा न किये जाने पर नियोक्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वित्तीय संकट की वजह से, मै० सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स लिमि० ने भविष्य निधि राशियों के भुगतान में चूक की है।

(ग) और (घ) क० भ० नि० संगठन के अनुसार, प्रतिष्ठान पर 11.93 लाख रु० बकाया है। आवश्यक राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और नियोजन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायतें दर्ज कराने की स्वीकृत भी प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

अनधिकृत कालोनियां

132. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की 1073 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित प्लाटों की खरीद-फरोख्त को नियमित न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, भारत संघ सहित प्रतिवादियों द्वारा दिल्ली में किसी अनधिकृत कालोनी को विनियमित करने के लिए, किसी भावी निर्णय या की जाने वाली कार्रवाई पर, अगले आदेशों तक रोग लगा रखी है। तथापि, अपने आदेश, दिनांक 9 दिसम्बर, 1996 में न्यायालय ने सचिव, शहरी विकास विभाग, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निदेश दिया। समिति को अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करनी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि भूमिहीन एवं बेघर लोगों को प्लाट 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं। इन प्लाटों का क्रय-विक्रय आबंटन के नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करने से समाज के कमजोर वर्गों को प्लाटों के आवंटन का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की बकाया धनराशि की वसूली

133. प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इसके द्वारा विदेशों में आरम्भ की गई परियोजनाओं के संबंध में करोड़ रुपये की बकाया धनराशि की वसूली के लिए मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग) एन० वी० सी० सी० लि० द्वारा लीबिया और इराक में आरम्भ की गयी परियोजनाओं वावत 31.3.97 की स्थिति के अनुसार 134.69 करोड़ रुपये के ब्याज के दावे को छोड़कर 126.82 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। लीबिया से बकाया राशि प्राप्त करने की दृष्टि से अप्रैल, 1995 में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मण्डल ने लीबिया का दौरा किया था। एन बी सी सी लि० ने भी भारत सरकार के राजनायिक माध्यम के साथ लीबिया में एक स्थानीय एजेंट की नियुक्ति की है। जहां तक इराकी बकाया धनराशि का संबंध है शेष बकाया धनराशि को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया है।

आदिवासी बाल श्रमिक

134. कुमार फ्रिडा तोपनो : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी बाल श्रमिकों का पता लगाया गया है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

छोटे कस्बों का विकास

135. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रयोजित योजनाओं जैसे छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत दिवस, निर्धनों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं, प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कम लागत वाली सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को आबंटित धनराशि के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गयी धनराशि में विषमता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन राज्यों को धनराशि जारी करने में प्राथमिकता देती है जहां जनसंख्या अधिक है और ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के तहत धन-राशि के नियतन की प्रक्रिया इस प्रकार है :—

(i) **छोटे तथा मझोले शहरों का समेकित विकास (आई० डी० एस० एम० टी०)**

इस स्कीम के तहत धन-राशि के नियतन हेतु मुख्य मानदण्ड ऐसे कस्बों में रह रही देश की कुल आबादी का अनुपात प्रत्येक राज्य में छोटे तथा मझोले कस्बों की आबादी है।

(ii) **शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें (यू० बी० एस० पी०)**

उपलब्ध निधियां विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों को शहरी गरीबी की व्याप्ति के आधार पर नियमित की जाती है। तथापि, संघ राज्यों को न्यूनतम धन-राशि स्वीकृत न करने को सुनिश्चित करने के लिए छोटे-छोटे राज्यों और संघ राज्यों के लिए एक न्यूनतम फर्शीस्तर निर्धारित किया गया है।

(iii) **प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी०)**

पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० के तहत निधियों का नियतन (i) शहरी गरीबी की व्याप्ति और (ii) राज्य/संघ राज्य विशेष में कस्बों की संख्या के आधार पर होता है।

(iv) **सिर पर मैला ढोने वालों की विमुक्ति के लिए कम लागत की सफाई स्कीम :**

इस स्कीम के तहत निधियों का राज्यवार कोई नियतन नहीं है। हडको द्वारा स्कीमों की समग्र कस्बा आधार पर स्वीकृति के पश्चात् केवल ढांचा खड़ा करने तक के निर्माण हेतु ऋण और सब्सिडी साथ-साथ दी जाती है। केन्द्रीय सब्सिडी भी हडको के माध्यम से दी जाती है। ऋण और सब्सिडी लाभार्थी की आय पर इस उद्देश्य के साथ आधारित होता है कि सब्सिडी केवल निम्न आय वर्गों को ही मुहैया हो।

(ख) और (ग) आई० डी० एस० एम० टी० केन्द्र सरकार से वास्तविक रिलीज निम्नलिखित पर निर्भर करती है :—

(i) पूर्व में जारी निधियों के उपयोग सहित परियोजना कार्य निष्पादन (ii) राज्य अंश की उपलब्धता (iii) प्रस्तावित परियोजनाओं इत्यादि की स्कीम के दिशा-निर्देशों के साथ समान रूपता आदि पर निर्भर करती है। अगस्त, 1995 में आई० डी० एस० एम० टी० स्कीम के संशोधन से पूर्व केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की गई समग्र धन-राशि आसान ऋण के रूप में मुहैया कराई गई थी। तदनुसार कुछ राज्यों से कोई अधिक मांग नहीं थी जब कि कुछ अन्य राज्यों ने स्कीम का पूरा फायदा उठाया जिससे कुछ असमानताएं हुईं। तथापि, संसोधित आई० डी० एस० एम० टी० स्कीम के तहत केन्द्रीय अंश अनुदान के रूप में जारी किया जा रहा है और उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

जहां तक कम लागत स्वच्छता, यू० बी० एस० पी० और पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० का संबंध है, विभिन्न राज्यों को निधियां जारी करने में कोई असमानता नहीं है। तथापि, निधियां, राज्यों/संघ राज्यों के समग्र कार्यनिष्पादन की शर्त पर जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) (1) **आई० डी० एस० एम० टी०** :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या वाले राज्यों को निधियां जारी करने के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती चूंकि आई० डी० एस० एम० टी० गरीबी उपशमन की स्कीम नहीं है।

(2) **यू० पी० एस० पी०** : बड़े राज्यों को निधियां उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किये गये अनुसार संवितरित की जाती हैं।

(3) **पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी०** : गरीबी की व्यापकता और शामिल किये गये कस्बों की संख्या के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की बड़ी संख्या वाले राज्यों को वरीयता दी जाती है।

(4) **कम लागत स्वच्छता** : वरीयता, (i) पहले के शुष्क शौचालयों वाले (ii) जहां सिर पर मैला ढोने वालों की बड़ी संख्या है अथवा (iii) जहां पर बड़ी खुली जगह पर मल त्याग किया जाता है, ऐसे कस्बों को दी जाती है।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका संबंध

136. श्री चित्त बसु :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री दो सप्ताह के लिए अमरीका के दौरे पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उक्त दौरे के प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) विदेश राज्य मंत्री श्री सलीम शेरवानी ने 23-30 जून, 1997 तक संयुक्त राज्य की सरकारी यात्रा की।

(ख) और (ग) यह यात्रा भारत सरकार और संयुक्त राज्य की सरकार के बीच इस वर्ष की पहली उच्च स्तरीय सम्पर्क यात्रा थी। विदेश राज्य मंत्री ने एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रॉब तलबाट और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बरगर से मुलाकात की। उन्होंने निकट पूर्व तथा दक्षिण एशियाई कार्य समिति के अध्यक्ष, सीनेटर सैम ब्राउनबैक और रैंकिंग अल्पसंख्यकों के नेता, सीनेटर चार्ल्स रॉब के साथ-साथ सिनेट के सदस्यों तथा सदन के प्रतिनिधियों से भी भेंट की। कांग्रेस सदस्य और हाउस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष श्री बेंजामिन गिलमेन ने भारत से संबंधित सम्मेलन में भारतीय मंत्री का स्वागत किया और अमरीकी भारतीयों ने उनके सम्मान में मध्याह्नतर के भोज का आयोजन किया।

इन बैठकों के दौरान, परस्पर हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ के मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 25 जून, 1997 को एक नई प्रत्यपर्ण संधि पर भी हस्ताक्षर किए। इसका अनुसमर्थन हो जाने पर यह संधि संयुक्त राज्य और यू॰ के॰ के बीच 1931 में हुई प्रत्यर्पण संधि का स्थान लेगी जिस पर भारत ने सहमति व्यक्त की थी और जो भारत और संयुक्त राज्य के बीच इस समय लागू है। यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और स्वापकों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए भारत अमरीका विधि प्रवर्तन सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

[हिन्दी]

सिद्ध पद्धति के बारे में प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां

137. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के व्यक्ति सिद्ध पद्धति के तमिल भाषा में लिखित प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां तमिलनाडु से जर्मन ले गए हैं और इन्हें जर्मनी के मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को उपयोग हेतु भारत वापस लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक वापस मंगवा लिया जाएगा ? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जर्मन में हाले स्थिति मार्टिन लूथर विश्व विद्यालय के पास तमिल में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की पांडुलिपियां नहीं हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं के रिक्त पद

138. डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल विंगों में कार्यरत नियमित और तदर्थ सहायक अभियन्ता, कार्यकारी अभियन्ता, अधीक्षक अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता और डी॰ जी॰ की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) ऊपर उल्लिखित पदों में सिविल और इलेक्ट्रिकल विंगों में अलग-अलग कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कब तक सभी रिक्त पदों को भर लिया जाएगा और सभी तदर्थ कार्यकारी अभियन्ताओं को नियमित कर दिया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण-विभाग में दीर्घकालीन रिक्तियों पर तदर्थ प्रोन्नति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) नियमित पदोन्नति, जिसमें तदर्थ पदोन्नति को नियमित करना भी शामिल है, के मामलों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी होने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें संघ लोक सेवा आयोग तथा ए॰ सी॰ सी॰ के क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों के मामले में ए॰ सी॰ सी॰ जैसे संगठन/अभिकरण शामिल हैं।

(घ) फिलहाल तदर्थ पदोन्नति केवल कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में ही हैं। केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा तथा केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा (ग्रुप ए) जिसमें कार्यपालक इंजीनियर का ग्रेड भी शामिल है, के लिए संशोधित भर्ती नियम 29.10.96 को अधिसूचित किए गए थे। 29.10.96 से पूर्व की गई तदर्थ पदोन्नतियों को नियमों के अनुसार नियमित करने हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को पहले ही भेज दिया गया है 29.10.96 से पूर्व की रिक्तियों को नियमित करने की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही 29.10.96 के बाद से होने वाली रिक्तियों को संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर भरा जा सकेगा। एक बार यह कार्रवाई पूरी होने के बाद भविष्य में तदर्थ पदोन्नति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

विवरण

पद	वर्तमान संख्या		रिक्तियों की सं.
	नियमित	(तदर्थ)	
1	2	3	4
अपर महानिदेशक	0	0	7
मुख्य इंजीनियर (सी)	43	0	1
मुख्य इंजीनियर (ई)	7	0	1

1	2	3	4
अधीक्षक इंजीनियर (सी)	157	0	0
अधीक्षक इंजीनियर (सी)	48	0	0
कार्यपालक इंजीनियर (सी)	97	339	132
कार्यपालक इंजीनियर (ई)	47	96	38
सहायक इंजीनियर (सी)	1516	0	252
सहायक इंजीनियर (ई)	637	0	45

नीम हकीम

139. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री पवन दीवान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ चिकित्सक नीम-हकीम पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे नीम-हकीमों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) देश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में इन नीम-हकीमों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नीम-हकीमों की प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई कानून बनाने और उन्हें दंडित करने का है;

(ङ) क्या फर्जी तथा अनधिकृत संस्थानों द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों को प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) देश में नीम हकीमों की संख्या का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में इस आशय की दांडिक व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है कि राज्य चिकित्सा पंजिका में नामांकित चिकित्सक को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी राज्य में चिकित्सा कार्य नहीं करेगा तथा इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अथवा जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दंड दिये जा सकते हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनर्हक चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। जाली प्रमाण-पत्र रखने वाला व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है और उपयुक्त कानून के उपबंधों के अन्तर्गत उसे दण्डित किया जा सकता है। जाली डिग्री जारी करने वाले संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दंडनीय है।

[हिन्दी]

नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास में भारत विरोधी भावनाएं

140. कुमारी उमा भारती : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1997 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "नेपाल में पाक दूतावास भारत विरोध का केन्द्र" की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में नेपाल सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) उक्त अखबार के लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। जून, 1997 में प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान मिलकर कार्य करने तथा आतंकवाद के संकट का सामना करने के लिए दोनों देशों ने अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने गृह सचिवों को शीघ्रातिशीघ्र मिलने का निर्देश दिया ताकि इस संबंध में कोई समझ बूझ विकसित की जाए। उन्होंने अपनी इस वचनबद्धता को भी दोहराया कि वे अपने क्षेत्रों का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे जो उनके एक दूसरे की सुरक्षा के विरुद्ध या प्रतिकूल हो। उन्होंने सीमा प्रबंध पर संयुक्त कार्य दल की बैठक को शीघ्रातिशीघ्र बुलाने की भी इच्छा व्यक्त की।

[अनुवाद]

संघातिक स्वास्थ्य सेवाएं

141. श्री भक्त चरण दास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीषण अग्नि त्रासदी ने केन्द्रीयकृत संघातिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना पिछले पन्द्रह वर्षों से लंबित है और इसे वास्तविक रूप देने के लिए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इस परियोजना को पुनः चालू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली के लिए एक केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा स्थापित करने की एक परियोजना का व्यय वित्त समिति द्वारा 1984 में अनुमोदन किया गया था और इसका वित्तीय परिव्यय लगभग 16 करोड़ रुपए था। तथापि, विभिन्न कारणों से, जिनमें धन की व्यवस्था भी शामिल है, परियोजना अभी तक नहीं चलाई जा सकी है। दिल्ली में दुर्घटनाओं की उच्च प्रतिशतता को देखते हुए अक्तूबर 1996 में जापान की सम्भावित सहायता से दिल्ली में अभिघात केन्द्र स्थापित करने की परियोजना तैयार की गई है। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कब्जे में 14.34 एकड़ भूमि है जहां पर नया निर्माण करना सम्भव है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन एक केन्द्रीयकृत दुर्घटना अभिघात केन्द्र कार्य कर रहा है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को एम्बुलेंस सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने "दिल्ली में अभिघात केन्द्र की स्थापना" की एक नई योजना भी संस्थापित की है जिसके लिए उन्होंने 1997-98 की वार्षिक योजना में सांकेतिक परिव्यय का प्रावधान किया है।

सरकारी पेंशन योजना से छूट

142. श्री सनत मेहता : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ संगठनों ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार पेंशन योजना, 1995 में छूट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह छूट मांगने के क्या कारण हैं;

(ग) निगरानी प्राधिकरण का नाम क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मै० इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी गुजरात, नर्मदा वैली फर्टिलाइजर लि०, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लि०, आदि के कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से छूट मांगी है। योजना के पैरा 39 के अन्तर्गत, उस प्रतिष्ठान के संबंध में छूट पर विचार किया जा सकता है जिसके कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रदान किए लाभों की तुलना में समान पेंशन लाभों के हकदार हैं अथवा उनके अधिक अनुकूल हैं। योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से छूट के आवेदन पत्र की संवीक्षा करने और उसे सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। अभी तक निर्धारित चैनल के माध्यम से सरकार को कोई छूट आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को सीधे प्राप्त आवेदन पत्र में क० भ० नि० संगठन के पास योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रमिकों को राहत दिया जाना

143. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में उद्योगों के हटाए जाने के उच्चतम न्यायालय के निदेश के फलस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों को राहत के तौर पर छह महीने की मजदूरी के तत्काल भुगतान का आश्वासन दिया गया है;

(ख) क्या बेरोजगार हुए श्रमिकों को राहत देने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मई, 1995 में एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें केन्द्रीय श्रम मंत्री, दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री, दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास/उनको रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप दिल्ली से बाहर शिफ्ट किए गए उद्योगों के कामगारों/कर्मचारियों को देय कानूनी देयों की अदायगी किए जाने के प्रश्न को महत्व दिया है।

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 8.5.1997 को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के कारण उत्पन्न विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें केन्द्रीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल, मुख्य मंत्री, दिल्ली राज्य के उद्योग और श्रम मंत्री उपस्थित थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों से प्रभावित हुए उद्योगों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उपलब्ध औद्योगिक भूमि की अवस्थिति/उपलब्धता और दरों के संबंध में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लेटेक्स में परिवार कल्याण के लिए उत्पादों की खरीद

144. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स से परिवार नियोजन के लिए उसके उत्पादों की खरीद पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे केरल में हिन्दुस्तान लेटेक्स के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

'(ग) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन उपायों से संबंधित सभी उत्पादों को हिन्दुस्तान लेटेक्स जैसे सरकारी उपक्रमों से खरीदने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकताओं की प्रतियोगी बोली निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से अन्तिम रूप दी गई दर-संविदाओं के आधार पर अधिप्राप्ति की जाती है। तथापि, आदेश देते समय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाती है और कीमत वही रखी जाती है।

[हिन्दी]

बेरोजगार - नौवीं पंचवर्षीय योजना

145. श्री नीतीश कुमार :
प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से पहले देश में बेरोजगारी की समस्या का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में और अंत में देश में बेरोजगार युवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) देश की रोजगार एवं बेरोजगारी की समस्या का मूल्यांकन सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) द्वारा उनके 50वें दौर (1993-94) में किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के नवीनतम व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य प्रिंसिपल स्टेट्स के अनुसार 8.995 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति होने का अनुमान है। बेरोजगारी संबंधी वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

हांग-कांग में रहने वाले भारतीय

146. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1997 की हांग-कांग चीन को सौंपे जाने के बाद भारतीय मूल के अधिसंख्य व्यक्तियों के भारत लौट आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितने भारतीय हांग-कांग में बसे हुए हैं; और

(ग) क्या भारतीयों को उस क्षेत्र में रहने के लिए सौहार्दपूर्ण परिस्थितियां बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन से कोई आश्वासन मांगा गया है अथवा चीन ने भारत को कोई आश्वासन दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि हांगकांग में रह रहे भारतीय मूल के बड़ी संख्या में व्यक्तियों के चीन द्वारा 1 जुलाई, 1997 को प्रभुसम्पन्नता पुनः हासिल कर लेने के बाद से भारत लौटने की संभावना है।

सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय हांगकांग में भारतीय मूल के लगभग 28,000 व्यक्ति रह रहे हैं जिनमें से लगभग 22,000 के पास भारतीय पासपोर्ट हैं और शेष के पास या तो ब्रिटेन के अथवा किसी तीसरे देश के पासपोर्ट हैं।

चीन के अधिकारियों और हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों ने हांगकांग के आर्थिक विकास और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भारतीय समुदाय के योगदान की प्रशंसा की है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री तुंग बी-ह्वा ने हमें आश्वासन दिया है कि वे भारतीय समुदाय का हांगकांग में स्वागत करना जारी रखेंगे।

हार्ड वेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार

147. श्री एल० रमना : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने कां कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) का विचार हार्डवेयर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश का भावी अन्तरिक्ष कार्यक्रम क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकासात्मक उपयोगों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। तथापि, इस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित क्षमताओं का उपयोग विश्व बाजार का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए अन्तरिक्ष विभाग के व्यावसायिक अंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना सितम्बर, 1992 में की गई थी। एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन विश्व स्तर पर अन्तरिक्ष हार्डवेयर के प्रयोक्ताओं के साथ संबंध स्थापित करती रही है तथा इसने पहले ही भू-प्रणालियों और अन्तरिक्ष प्रणालियों के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति हेतु कुछ ठेके प्राप्त किए हैं। इसमें आंकड़ा अभिग्रहण और हार्डवेयर संसाधन, उपग्रह यांत्रिकी पुर्जे, जड़त्वीय प्रणालियां, नोदन अवयव इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन ने अमेरिका के एस॰ आई॰-इयोसैट के साथ एक व्यावसायिक करार पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके अंतर्गत भारत के भारतीय सुदूर संवेदन (आई॰ आर॰ एस॰) उपग्रहों से आंकड़ों का अभिग्रहण तथा विश्व स्तर पर उनका विपणन किया जाता है। अन्तरिक्ष विभाग ने वर्ष 1998 में भारत द्वारा प्रमोचित किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2ई (इन्सैट-2ई) पर ग्यारह 36 मेगा हर्त्स सी-बैण्ड प्रेषानुकर क्षमता के समतुल्य लीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, इन्टेलसैट, के साथ भी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) भारत का आगामी अन्तरिक्ष कार्यक्रम उन्नत आई॰ आर॰ एस॰ तथा इन्सैट उपग्रहों के माध्यम से दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंध और संसाधनों के सर्वेक्षण आदि के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष सेवाओं की निरन्तरता बनाए रखने तथा उसकी अभिवृद्धि के लिए अभिप्रेत है। ध्रूवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी॰ एस॰ एल॰ वी॰) तथा भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी॰ एस॰ एल॰ वी॰) के साथ तद्नुरूपी प्रमोचन क्षमताओं का निर्माण किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के शरणार्थी

148. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण पिछले 10-15 वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों को राज्य छोड़ने पर विवश होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने राज्य में अपनी सम्पत्तियों को छोड़ दिया और देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं;

(ग) प्रत्येक कैम्प या शहर में रह रहे लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा ऐसे शरणार्थियों को क्या सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों की संख्या का विवरण-I संलग्न है।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू मानदण्डों/नियमों के अनुसार और उनके संसाधनों के अनुसार, राहत उपलब्ध कराती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राहत की दरों को दिखाने वाला एक विवरण-II संलग्न है। कश्मीरी प्रवासियों को शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। शिविरों में रह रहे प्रवासियों को मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बिजली, जल आपूर्ति इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में रह रहे जम्मू और कश्मीर के परिवार

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
1.	जम्मू	28,561
2.	दिल्ली	19,338
3.	हिमाचल प्रदेश	115
4.	हरियाणा	722
5.	चंडीगढ़	142
6.	पंजाब	420
7.	उत्तर प्रदेश	500
8.	मध्य प्रदेश	50
9.	कर्नाटक	60
10.	गोवा	90
11.	तमिलनाडु	21
12.	महाराष्ट्र	124
13.	राजस्थान	54
14.	आन्ध्र प्रदेश	51
		50248

विवरण-II

विभिन्न राज्यों में राहत की मात्रा

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 450 रु॰ की नगद राहत दे रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 रु॰ प्रति माह प्रति परिवार है और जरूरतमंद प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 9 किलोग्राम चावल और

दो किलोग्राम आटा और प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी।

इसके राहतों के अलावा, प्रवासियों को उनकी सम्पत्ति को हुए नुकसान के लिए अनुग्रहपूर्वक राहत दी जा रही है जो अचल सम्पत्ति को हुए नुकसान का 50/- के बराबर है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रु. है।

दिल्ली

दिल्ली में, जो प्रवासी स्वयं प्रबन्ध करके रह रहे हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 450 रु. की नगद राहत, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 रु. है, दी जा रही है और शिविरों में रह रहे प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 300 रु. की नगद राहत, जिसकी अधिकतम सीमा 1200 रु. हैं और अनाज, जिसमें निम्नलिखित मदें हैं, दी जा रही हैं :—

1. चावल — 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 32 किलोग्राम है।
2. आटा — प्रति व्यक्ति 2.5 किलोग्राम जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 10 किलोग्राम प्रति माह है।
3. चीनी — प्रति व्यक्ति 625 ग्राम, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार प्रति माह 2.5 किलोग्राम है।
4. दालें — प्रति व्यक्ति 750 ग्राम, अधिकतम 3 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
5. मिट्टी का तेल — 15 लीटर प्रति परिवार प्रति माह।
6. खाद्य तेल — 750 ग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 3 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
7. आलू — 5 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
8. प्याज — 1.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 5 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।
9. नमक — 50 ग्राम प्रति व्यक्ति, अधिकतम 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार, रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं जैसे बर्तन इत्यादि की खरीद के लिए प्रति परिवार 1500 रु. की एक मुश्त अदायगी और प्रति माह प्रति परिवार 750 रु. की नगद सहायता दे रही है।

राजस्थान

राजस्थान सरकार 500 रु. प्रति माह प्रति परिवार की नगद राहत सहायता दे रही है।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश

पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार चार या चार से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 460 रु. की दर से नगद राहत दे रही है और इसके अलावा, बर्तन, बिस्तर इत्यादि की खरीद के लिए 860 रु. की एक मुश्त सहायता दे रही है।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 200 रु. की नगद राहत दे रही है। उन्हें राशन कार्ड और सर्दियों में कम्बल दिए जाते हैं।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन फरवरी 1994 से प्रति माह प्रति सदस्य 250 रु. की दर से नगद राहत का भुगतान कर रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 1000 रु. प्रति परिवार है, इसके अलावा शिविरों में ठहरे हुए आप्रवासियों को दूध, ब्रेड, राशन और मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है और जो अपनी व्यवस्था स्वयं करके रह रहे हैं उन्हें 375 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दे रही है जिसकी अधिकतम सीमा 1500 रु. प्रति माह प्रति परिवार है।

हरियाणा

हरियाणा सरकार डिग्री स्तर तक मुफ्त शिक्षा सुविधाएं (केवल शिक्षा शुल्क), अस्थायी राशन कार्ड, सामुदायिक आवास, मुफ्त चिकित्सा सहायता (केवल बहिरंग रोगी विभाग) दे रही है।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों पर नियंत्रण

149. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी अस्पतालों की लॉबी के समक्ष असहाय है क्योंकि इन अस्पतालों में आपरेशन सैलाइन, बिस्तर, विभिन्न प्रकार की जांच और एक्सरे आदि के लिए कोई दरें निर्धारित नहीं की गई हैं और मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने के समय तक प्रत्येक बात गोपनीय रखी जाती है तथा शुल्कों का निर्धारण मरीज की स्थिति के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा निजी अस्पतालों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) चूंकि "स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, इसलिए निजी अस्पतालों के कार्यकरण को विनियमित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार सहित कुछेक राज्य सरकारों के अवश्य ही निजी चिकित्सीय प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए भूमि उपयोग के कानूनों सहित

अपने स्वयं के ही कानून/नियम हैं। दिल्ली उपचर्यागृह नियम, 1953 के नियम 3 के अन्तर्गत दिल्ली के उपचर्या गृहों को स्वागत द्वार पर अपने प्रभारों की अनुसूची प्रदर्शित करना अपेक्षित होता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में नकली दवाइयों की आपूर्ति

150. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अधिकारी के निर्देश के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालय विख्यात तथा प्रमाणिक दवाई कंपनियों के बजाय नकली तथा निष्प्रभावी दवाइयां खरीद रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि विख्यात और सुस्थापित कंपनियों की केवल प्रमाणिक दवाई ही इन औषधालयों द्वारा वितरित की जाएं;

(ग) यदि हां, तो इस तरह की व्यवस्था कब तक हो जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी कि वो स्थानीय खरीद के माध्यम से विख्यात कंपनियों की प्रमाणिक दवाई प्राप्त कर सकें;

(ङ) यदि हां, तो कब तक इस प्रावधान को लागू किये जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार नकली दवाइयों के प्रयोग के कारण हुई शारीरिक क्षति तथा मृत्यु की भरपाई किस तरह करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपनी फार्मूलरी में दी गई सभी औषधियां गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो से इस प्रमाण-पत्र के साथ प्राप्त करती है कि उनकी पूर्व जांच की गई है और वे मानक गुणवत्ता वाली हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मूलरी में दी गई औषधियों को विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से बनी समिति की सिफारिशों पर फार्मूलरी में शामिल किया जाता है और उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यदि विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किसी औषधि के उपलब्ध न होने पर उस औषधि को लाभानुभोगी को आपूर्ति के लिए व्यक्ति के नुस्खे के लिए स्थानीय कैमिस्ट के माध्यम से खरीदा जाता है।

[अनुवाद]

विस्थापित कश्मीरी लोगों की वापसी

151. श्री चमनलाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के विस्थापित लोगों की वापसी के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं;

(घ) विस्थापित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए प्रति माह कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उद्देश्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि विस्थापितों के लिए प्रदान की गई तत्काल राहत राशि सभी विस्थापितों को नहीं दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1996 में राज्य में विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित करने के उपरांत एक लोक प्रिय सरकार द्वारा कार्य-भार ग्रहण करने के बाद से राज्य सरकार कश्मीरी प्रवासियों को अपने-अपने घरों को वापस लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है क्योंकि इस समस्या से राजनैतिक-आर्थिक आधार पर निपटना है। राज्य सरकार ने राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति तथा वित्तीय आयुक्त (योजना और विकास) के नेतृत्व में एक उप-समिति का गठन किया है जो एक कार्य-योजना तैयार करेगी।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र, वहां पर रह रहे प्रवासियों को प्रचलित मानदण्डों/नियमों के आधार पर अपने-अपने संसाधनों के अनुसार, राहत उपलब्ध कराती है/उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों 1993-94 से 1995-96 के दौरान राहत पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय की गई राशि लाखों में
1993-94	3053.37
1994-95	3941.37
1995-96	3554.23

(ङ) और (च) ऐसी कोई घटना जानकारी में नहीं आई है जहां अनुगृह राहत निकाल ली गई हो लेकिन प्रवासियों को न दी गई हो।

पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा

152. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के किन-किन जिलों और क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) उन क्षेत्रों जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, को पिछड़ा क्षेत्र घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले पिछड़ा क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की सभी शर्तें पूरी करते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) से (ङ) वित्त अधिनियम औद्योगिक रूप से पिछड़े अधिसूचित जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के मामले में आरंभिक 5 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत कर छूट देता है यदि उपक्रम 1.10.94 से 31.3.1999 तक वस्तुओं अथवा पदार्थों का विनिर्माण अथवा उत्पादन शुरू कर देता है अथवा शीतगृह संयंत्र अथवा संयंत्रों को प्रचालित कर देता है। यह कर छूट आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क के अंतर्गत शत-प्रतिशत कर छूट प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए वित्त मंत्रालय में दो अध्ययन दल गठित किए गए थे। इन अध्ययन दलों ने क्रमश: 1994 और 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिसूचित करने के लिए इन दलों की रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

विदेशी छात्रों को छात्रवृति

153. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के माध्यम से मित्रतापूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने की नीति के भाग के रूप में पड़ोसी/विकासशील देशों के विदेशी छात्रों को अवसर तथा छात्रवृति प्रदान करने संबंधी वर्तमान योजना का विस्तार करने, उन्हें सुदृढ़ तथा पुनर्गठित करने के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को प्रदत्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकलन और योजना क्या है;

(घ) क्या योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादन की यथार्थपूर्ण ढंग से समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1997-98 की कार्य योजना क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को लगभग एक हजार छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है : (i) सामान्य सांस्कृतिक, (ii) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, और (iii) चुनिन्दा पड़ोसी देशों के लिए विशेष योजनाएं। अपने पड़ोसी देशों के छात्रों को और अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास के रूप में 1996-97 से रजत जयन्ती छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नेपाली छात्रों को 25 और छात्रवृत्तियों की पेशकश की जा रही है।

(ग) इन छात्रवृत्ति योजनाओं पर कुल 8.5 करोड़ खर्च हुआ। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र प्रभाग-विदेशी छात्रों के लिए कल्याण क्रियाकलाप :

(लाख रुपयों में)

I.	**छात्रवृत्ति योजना 1996-97**	
1.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना	150.00
2.	राष्ट्रकुल	40.00
3.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	250.00
4.	पारस्परिक क्रियाकलाप	1.00
5.	श्रीलंका राष्ट्रिक	54.00
6.	मारीशस	45.00
7.	बंगलादेश	130.00
8.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् छात्रवृत्ति	20.00
	कुल छात्रवृत्ति योजना :	690.00
II.	अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कल्याण क्रियाकलाप	35.00
III.	नेपाल को सहायता तथा रजत जयन्ती योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति	50.00
IV.	कोलम्बो प्लान योजना के टी सी एस के तहत छात्रवृत्ति	45.00

(घ) और (ङ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य योजना तथा वित्त समिति, भारत के उप-राष्ट्रपति जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के पदेन अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति सहित इसकी विभिन्न समितियों के तहत कई सतत् और आवधिक समीक्षाएं की जाती हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की एक वार्षिक स्थिति समीक्षा तथा दीर्घकालीन संदर्शी नीति आयोजना के रूप में दोनों प्रकार से अलग से समीक्षा करता है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट जो इस समय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का एक अंग है, समीक्षा के लिए संसद के साथ-साथ विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति को प्रस्तुत की जाती है। संसद और स्थायी समिति की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाता है।

मिनरल वाटर की गुणवत्ता

154. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नकली एजेंसियों द्वारा बाजार में लाए गए "मिनरल वाटर" की गुणवत्ता के बारे में की गई अनेक शिकायतों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या बाजार में उपलब्ध "मिनरल वाटर" में मिनरल की निर्धारित न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से गुणवत्ता/मानदंडों की जांच की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा मिनरल वाटर के नाम पर साधारण पेय-जल को अत्याधिक कीमत पर बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) नकली एजेंसियों द्वारा मिनरल वाटर के विपणन के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा नियम 1955 का संचालन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा नियम के उपबंधों के अन्तर्गत निर्धारित मिनरल वाटर के मानक मिनरल मात्रा की न्यूनतम सीमा का उल्लेख नहीं करते क्योंकि मिनरल मात्रा स्रोत से स्रोत तक परिवर्तित होता है। तथापि, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के अनुसार मिनरल वाटर के मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे बाजार में बेचे जाने वाले मिनरल वाटर की गुणवत्ता के बारे में सतर्कता बरतें।

विवरण

ए-32-मिनरल वाटर :

1. प्राकृतिक मिनरल वाटर का अर्थ है, झरने, उत्नुत कूप, जमीन खोदे गए कूप अथवा भूमिगत स्रोत जैसे स्वच्छ प्राकृतिक अथवा जमीन खोदे गए स्रोतों से न कि सार्वजनिक जल आपूर्ति से सीधे प्राप्त किया गया मिनरल वाटर है। यह जल गन्दगी, अनुपयुक्त पदार्थ अथवा किसी अन्य अवयवों, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, से मुक्त होगा। इसे पैकेजिंग के लिए वल्क कन्टेनर अथवा पैक करने से पहले किसी अन्य संसाधन में लाया ले जाया नहीं जायेगा।

2. पुष्ट मिनरल वाटर का अर्थ उस पानी से है, जो साफ पीने के पानी, जिसे मिश्रित, मिनरल लवणों से उपचारित/पुष्ट किया जा सके, के किसी भी स्रोत से लिया गया हो।

मिनरल वाटर को साफ और विसंक्रमित बोतलों (कन्टेनरों) में पैक किया जायेगा।

मिनरल वाटर निम्नलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा, अर्थात :—

टर्बिडिटी (से अधिक नहीं) (एन॰ टी॰ यू॰)	5
कुल डिज़ाल्व्ड सोलिड्स (से अधिक नहीं) मिग्रा॰/1	1500
पी॰ एच॰ वैल्यू	6.5-8.5
कॉपर (सी॰ यू॰) मिग्रा/1) से अधिक नहीं	1.0
लौह (जैसे एफ॰ ई॰)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.3
नाइट्रेट (जैसे संख्या 3-मिग्रा 0/1 से अधिक नहीं)	4.5
अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.2
फ्लोराइड (जैसे एक)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	1.5
मरकारी (जैसे एच॰ जी॰)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.001
कैडमियम (जैसे सी॰ डी॰) मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.01
आर्सेनिक (जैसे ए॰ एस॰)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.05
सायनाइड	अनुपस्थित
लीड (जैसे पी॰ बी॰) मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.05
मिनरल आयल	अनुपस्थित
क्रोनियम (जैसे सी॰ आर॰) मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	0.05
क्लोराइड्स (जैसे सी॰ आई॰) मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	200
सल्फेट्स (एस॰ ओ॰)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	250
अल्कामिनिटी (जैसे एच॰ सी॰ ओ॰)-मिग्रा/1 (से अधिक नहीं)	600
यस्टि एवं मोल्ड काउन्ट	अनुपस्थित
ई॰ कोली	अनुपस्थित
सल्मोनेला एवं शिगेला	अनुपस्थित
क्लोस्ट्रिडियम वेल्चि सी वोटुनिम	अनुपस्थित
बेसीलस सेरस	अनुपस्थित
विबरियो कोलेरी और वी पाराहीमोलीटिक्स	अनुपस्थित

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का अन्तरण

155. श्री जयसिंह चौहान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों को फ्लैट मालिकों द्वारा व्यावसायिक भवनों में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गैर कानूनी निर्माण से दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की मौलिक संरचना नष्ट हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या किन कदमों के उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) डी० डी० ए० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसे उदाहरण उनके ध्यान में आए हैं जहां फ्लैटों का इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है गत तीन वर्षों में डी० डी० ए० में करीब 1645 शिकायतें मिली हैं।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में अनधिकृत निर्माण/परिवर्तनों के कारण डीडीए फ्लैटों का मूल स्वरूप खो गया है। जिन मामलों में भवन की सुरक्षा प्रभावित हुई है और सामिलात स्थल का अधिक्रमण हुआ है उनमें डी० डी० ए० द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ङ) किसी अनधिकृत निर्माण/दुरुपयोग का पता चलते ही पट्टा बिलेख/आबंटन तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में काडर समीक्षा

156. श्री जगमोहन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सात पूर्वोत्तर राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के कितने काडर हैं;

(ख) क्या लघु काडर क्षमता और तीव्र विकास की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या सरकार सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का संयुक्त काडर गठित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित संवर्ग विद्यमान हैं :—

(i) असम तथा मेघालय के लिये एक संयुक्त संवर्ग,

(ii) मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिये एक संयुक्त संवर्ग,

(iii) गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों के लिये एक संयुक्त संवर्ग तथा,

(iv) नागालैंड के लिये एक पृथक संवर्ग

(ख) संवर्गों के छोटे होने से राज्य की कार्यकुशलता तथा तीव्र विकास पर कोई असर नहीं पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस संबंध में किसी भी पूर्वोत्तर राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

कर्नाटक में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

157. श्री बी० एल० शंकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (31 मार्च, 1997 तक) के दौरान उनमें से कितने नए औषधालय खोले गए;

(ग) उक्त राज्य में वर्ष 1997-98 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के कुल कितने औषधालयों को खोलने की संभावना है; और

(घ) इन औषधालयों को खोलने के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) इस समय के० स० स्वा० यो० के अंतर्गत राज्य की राजधानी-बंगलौर में 10 एलोपैथिक औषधालय, एक बहु-क्लीनिक, एक दन्त चिकित्सा एकक और एक होम्योपैथिक और 2 आयुर्वेदिक एकक और 2 प्रयोगशालाएं हैं। ये सुविधाएं वर्ष 1994-95 से पहले स्थापित की गई थी।

(ग) और (घ) 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक के० स० स्वा० यो० के औषधालय खोलने की बात को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

जैवनाशकों का प्रभाव

158. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छरों के डिंभकों को मारने के लिए वर्ष 1992 में रूस से लगभग 50 मीट्रिक टन जैवनाशकों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सेन्ट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड ने इस प्रकार के जैवनाशकों के आयात संबंधी प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत

कर दिया कि उस जैवनाशक का मानव स्वास्थ्य पर्यावरण और भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आवश्यक विवरण विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास भी उपलब्ध नहीं था;

(ग) यदि हां, तो यह आयात करने का क्या औचित्य था;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आंत्रशोथ

159. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषित पानी पीने के कारण निजामाबाद जिले के कई भागों में खतरनाक "वायरल" ज्वर आंत्रशोथ फैल गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह खतरनाक आंत्रशोथ वारंगल में भी फैल गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रोग से इन जिलों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(घ) क्या अप्रैल, मई और जून, 1997 में इस रोग से अन्य राज्य भी प्रभावित हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस रोग से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार दी गई सूचना के अनुसार निजामाबाद जिले के नगर निगम के शहरी क्षेत्र और कोटगीर मंडल जठरांत्रशोथ से प्रभावित हुए थे।

(ख) जी नहीं। वारंगल जिले का केवल एक गांव संदूषित मछली के कारण विषाक्त भोजन से प्रभावित हुआ था।

(ग) अप्रैल, 1997 से जून, 1997 के दौरान निजामाबाद से 341 रोगियों की सूचना मिली लेकिन कोई मौत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(घ) और (ङ) गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा और अण्डमान और निकोबार द्वीप से तीव्र अतिसार रोगों (जठरात्रशोथ सहित) की घटनाओं की सूचना मिली है। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छ जल आपूर्ति, पुनर्जलपूरण चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसे नियंत्रण और निवारक उपाय किए जाते हैं।

आरक्षित श्रेणियों के लिए पद

160. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं उनमें कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को भर्ती किया गया;

(ख) क्या इस समय विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कुछ आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है तथा पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग और उसके यूनिटों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियों को और उनमें नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

कुल नियुक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की सं.	अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की सं.
3629	849	467

(ख) जी, हां।

(ग) इस विभाग और इसके यूनिटों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए थे। विशेष प्रयासों के बावजूद कुछ पद इसलिए नहीं भरे जा सके क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं इस बैकलाग को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

I. परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके यूनिटों में रिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों का ब्यौरा बताने वाला विवरण

क. वैज्ञानिक पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वैज्ञानिक अधिकारी	17	18

ख तकनीकी पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. वैज्ञानिक सहायक	14	38
2. ड्राफ्ट्समैन	6	7
3. ट्रेड्समैन	25	68
कुल	45	113

ग. प्रशासनिक पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. हिन्दी अनुवादक	1	1
2. उच्च श्रेणी लिपिक	3	5
3. आशुलिपिक	3	8
4. अवर श्रेणी लिपिक	16	30
कुल	23	44

घ. अनुषंगिक पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. स्टेशन अधिकारी (अग्नि सेवा)	1	1
2. उप अधिकारी (अग्नि सेवा)	2	1
3. सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	10
4. नर्स	3	2
5. फायरमैन	6	6
6. ड्राइवर	17	7
7. चौकीदार	7	10
8. हेल्पर	5	11
कुल	42	48

II. परमाणु ऊर्जा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों का ब्यौरा बताने वाला विवरण

(क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	वरिष्ठ प्रबंधक	1	2
2.	प्रबंधक	0	3
3.	उप प्रबंधक	4	1
4.	सहायक प्रबंधक	6	3
5.	वैज्ञानिक सहायक	3	3
6.	आशुलिपिक	3	7
7.	नर्स	2	4
8.	हिन्दी अनुवादक	0	1
9.	कनिष्ठ भंडारी	0	1
10.	संयंत्र/बायलर प्रचालक	0	15
11.	दंत तकनीकविद्	0	1
12.	प्रशिक्षणार्थी (प्रचालक/अनुरक्षण/पर्यवेक्षक)	15	20
13.	अवर श्रेणी लिपिक	2	7
14.	ड्राईवर	1	0
15.	ट्रेड्समैन	0	5
16.	फायरमैन	1	0
	कुल	38	73

ख. इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रमशः रिक्त 88 और 175 पद नीचे दिए अनुसार हैं :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग "क"	58	34
वर्ग "ख"	5	3
वर्ग "ग"	14	59
वर्ग "घ"	11	79
कुल	88	175

ग. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

		अनुसूचित जाति	*अनुसूचित जनजाति*
1.	सहायक अधीक्षक (वैद्युत)	2	—
2.	सहायक प्रबंधक (कानूनी)	1	—
3.	पर्यवेक्षक (ड्राइंग)	1	—
4.	कल्याण अधिकारी	1	—
5.	बिजली मिस्त्री "ग" आर्मेचर वाईंडिंग	1	—
6.	वाईंडिंग इंजन ड्राइवर	1	—
7.	सहायक फोरमैन	2	1
8.	सहायक भंडारी	2	1
9.	फिटर "ख"	1	—
10.	बढ़ई "क"	2	—
11.	अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	1	2
12.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	—
13.	प्रचालन प्रशिक्षणार्थी	3	—
14.	स्नातक प्रचालन प्रशिक्षणार्थी (रसायन/सी॰ पी॰ डी॰)	3	1
15.	सहायक भंडार अधिकारी	—	1
16.	पर्यवेक्षक (रसायन)	1	1
17.	फोरमैन (यांत्रिकी)	—	1
18.	ट्रेड्समैन "घ"	—	2
19.	ट्रेड्समैन ग/घ (यंत्रीकरण)	—	1
20.	खनन मेट "ग"	—	1
	कुल	23	12

घ. इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

		अनुसूचित जाति	*अनुसूचित जनजाति*
1.	वरिष्ठ प्रबंधक/उप महाप्रबंधक	2	1
2.	सहायक प्रशासन अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी	4	1
3.	स्नातक अभियांत्रिकी प्रशिक्षणार्थी	2	2
	कुल	8	4

[हिन्दी]

तेल का रिसाव

161. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो जहाजों के महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होकर डूबने के कारण जापान से लगने वाले समुद्री जल में भारी मात्रा में तेल के रिसाव को मद्देनजर रखते हुए समुद्र में तेल के रिसाव की ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत से लगे समुद्री जल में इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) जलयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने/पुराने हो जाने के कारण तट पर रुक जाने के परिणामस्वरूप महासागर में कहीं भी तेल रिसाव हो सकता है। इस प्रकार के तेल रिसावों को रोकने वाले प्रमुख तत्व हैं—सुरक्षित नौसंचालन और जलयान के निर्माण में दोहरे तल वाले आवरण आदि जैसे सुरक्षा उपायों का समावेश करना। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन तट-रक्षक (कोस्टगार्ड) के माध्यम से भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्रों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव दुर्घटना को रोकने के लिए राष्ट्रीय तेल रिसाव आकस्मिकता योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय तेल रिसाव आकस्मिकता योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं (क) तेल रिसाव का पता लगाना अथवा जलयानों के संचालन से संबंधित ऐसी घटनाओं जिनके कारण तेल रिसाव हो सकता है, के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त और प्रभावी प्रणालियां विकसित करना, (ख) प्रदूषण को रोकने अथवा दूषकों के फैलने को नियंत्रित करने के लिए द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, (ग) जन स्वास्थ्य और कल्याण तथा समुद्री पर्यावरण के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित करना, (घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषकों की सफाई के लिए उपयुक्त तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए और बरामद सामग्री का पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य ढंग से निपटान किया जाए। तेल रिसाव होने की स्थिति में राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान जैसी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं से लिए गए वैज्ञानिकों के एक दल और घटना स्थल का दौरा किया जाता है ताकि समुद्री पर्यावरण, वनस्पतिजात और प्राणिजात पर तेल रिसाव के प्रभाव का घटना स्थल पर ही मूल्यांकन किया जा सके।

दीर्घ अवधि तक प्रवास के लिए वीसा

162. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए दो वर्षों का वीसा दिये जाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक आवाजाही को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) अन्योन्य आधार पर भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 10 वर्षीय वैधता वीजा के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दंत चिकित्सा डिग्री को मान्यता न देना

163. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आस्ट्रेलिया तथा ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गयी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा डिग्रियों को मान्यता नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए किन्हीं विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान विदेश सचिव सतर की वार्ताएं

164. प्रो. पी. जे. कुरियन :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री शिवराज सिंह :
श्री पी. नामग्याल :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री दत्ता मेघे :
डॉ. कृपासिन्धु भोई :
श्री बी. एल. शंकर :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :
श्री ई. अहमद :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री भक्त चरण दास :
श्री विनय कटियार :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री हंसराज अहीर :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री पी. सी. थामस :
श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :
श्री सनत मेहता :
श्री बी. के. गढ़वी :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री पी. आर. दासमुंशी :
श्री नारायण अठावले :
श्री रनजीब बिसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तर की तीसरे दौर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के दौरान उठाए गए और समाधान किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में मुख्य उपलब्धि क्या रही और दूसरे दौर की वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या वार्ता के दौरान जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर पाकिस्तान का रवैया क्या रहा;

(च) अगले दौर की वार्ता कहां और कब होगी; और

(छ) दोनों सरकारों द्वारा सभी बकाया मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (छ) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर पर फिर से शुरू हुई बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में 19-22 जून, 1997 को हुआ था। बात-चीत के निष्कर्ष पर 23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ था।

दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मसलों को हल करने का निर्णय लिया था : (क) विश्वासोपादक उपायों सहित शान्ति और सुरक्षा, (ख) जम्मू और कश्मीर, (ग) सियाचिन, (घ) आतंकवाद और औषधियों का अवैध व्यापार, (ज) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, (झ) विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन। इन सभी मसलों का समोजित तरीके से हल निकालने के लिए उपयुक्त स्तरों पर कार्यकारी दलों सहित एक तंत्र का गठन करने के लिए भी सहमत हुए, उपरिलिखित (क) और (ख) से सम्बद्ध मसलों पर विदेश सचिव स्तर पर कार्यवाही की जाएगी जो सभी कार्य दलों के कार्यों को समन्वित और कार्य में हुई प्रगति पर भी नजर रखेंगे। दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध विरोधी दुष्प्रचार और भड़काने वाली गतिविधियों से बचने के लिए हर संभव उपाय करने पर भी सहमत हुए।

संयुक्त वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक, रचनात्मक और स्थायी बात-चीत के आधारों का प्रावधान है। यह ऐसी रूपरेखा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। हम इसे विश्वास, मित्रतापूर्ण और सहयोग के संबंध बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान को एक विशाल मंच पर लाने के अपने प्रयासों की दिशा में बढ़े हुए कदम के रूप में मानते हैं।

यद्यपि बातचीत मुख्यतः भावी चर्चाओं के लिए रूप-रेखाओं और तंत्र-रचना पर केन्द्रित रही किन्तु जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के सक्रिय प्रोत्साहन के बारे में भी अपनी चिन्ताएं स्पष्ट रूप से बताई गई थीं और पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से फिर से अवगत कराया गया। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर अपनी पहले वाली स्थिति दोहराई।

विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर अगला दौर नई दिल्ली में 1 सितम्बर, 1997 में होगा। बैठक की सही तारीखें पारस्परिक परामर्श से तय की जाएंगी।

बंगलौर में डेंगू के मामले

165. श्री के० सी० कोंडय्या : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बंगलौर शहर में डेंगू के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता लगाया गया तथा कितने रोगियों की मृत्यु हो गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर शहर में स्थित सरकारी अस्पतालों में इस रोग के उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो डेंगू के रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए संघ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान बेंगलूर शहर में रिकार्ड की गई चार मौतों सहित 28 डेंगू रोगियों की पुष्टि की गई।

(ग) और (घ) जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है बेंगलूर में डेंगू/डी० एच० एक रोगियों के प्रबंधन तथा उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि डेंगू रागियों का वेहतर ढंग से पता लगाने तथा प्रबंधन के लिए उपकरणों सहित जिला अस्पतालों तथा राजकीय मेडिकल कालेज अस्पतालों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है।

बाल श्रम संबंधी कार्यशाला

166. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हौजरी और सरकारी उद्योगों में बाल श्रम समाप्त करने संबंधी कार्यशाला कोयम्बटूर में जनवरी, 1997 में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने देश में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग मांगा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, उद्योग संगठनों, व्यवसाय संघों, नियोजन संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे समाज के सभी भागीदारों को शामिल करके भारत में बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए सरकार का प्रयास रहा है। विभिन्न सामाजिक भागीदार, श्रमजीवी बच्चों के लाभार्थ नीति निर्माण और पुनर्वास उपायों के क्रियान्वयन स्तर दोनों में शामिल हैं। बाल श्रम के बारे में सरकार की नीति के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुकूल प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

क्षय रोग

167. श्री मुरलीधर जेना :
श्री सौम्य रंजन :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार अनुमानतः कितने व्यक्ति क्षय रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) देश में क्षय रोग की रोकथाम के लिए आरम्भ किये गये अथवा आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को दी गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग की गयी वास्तविक धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रमों को लागू करने के पश्चात् क्षय रोग को नियंत्रित करने के संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) हमारे देश में क्षय रोग की घटना दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 1.3 है और देश भर में इस घटना-दर में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। शुरू से ही इस कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के साथ समेकित किया गया है और इसे जिला क्षय रोग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिक हैं और इनमें निदान के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। देश में 446 जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में क्षय रोगियों को नैदानिक और उपचार संबंधी सुविधाएं (क्षय रोग रोधी औषधों की निःशुल्क आपूर्ति सहित) निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। 446 में से 292 जिले अल्पावधि रसायन चिकित्सा औषधें प्रदान कर रहे हैं।

85 प्रतिशत की स्वस्थता दर प्राप्त करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को 13.85 मिलियन जनसंख्या पर मार्गदर्शी परीक्षण किया गया है। मार्गदर्शी परियोजना के परिणामों से प्रोत्साहित होकर सरकार ने 271.21 मिलियन जनसंख्या को कवर करते हुए 102 जिलों में चरणवार ढंग से संशोधित कार्यनीति का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त संशोधित कार्यनीति शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करके 203 एस॰ सी॰ सी॰ जिलों को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता वस्तुगत रूप में अर्थात् क्षय-रोधी औषधों और एक्स-रे फिल्म रोलों की आपूर्ति की जाती है। 1995-96 और 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार आबंटन और वस्तुगत रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान करने में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1997-98 के लिए किए गए आबंटन संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(ङ) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मृत्यु-दर अनुपात 1970 के 80/100000 जनसंख्या से कम होकर 1993 में 53/100000 जनसंख्या रह गया है। इसके अतिरिक्त गम्भीर प्रकार का बाल्यावस्था क्षय रोग कम हो रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पता लगाए गए नये क्षय रोगियों और उपचार पर रखे गए रोगियों के बारे में उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	पता लगाए गए नए क्षय रोगी और उपचार पर रखे गए रोगी
1991-92	12.97 लाख
1992-93	15.39 लाख
1993-94	13.59 लाख
1994-95	12.49 लाख
1995-96	13.89 लाख
1996-97	14.54 लाख

मार्गदर्शी स्थानों में कार्यान्वित किए गए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.85 मिलियन जनसंख्या में 82 प्रतिशत की स्वस्थता दर की औसतन उपलब्धि का पता चलता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आबंटन व्यय 1995-96 से 1996-97 तक

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 आबंटन	1995-96 वास्तविक	1996-97 आबंटन	1996-97 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
क.	**राज्य**				
1.	आंध्र प्रदेश	224.50	414.31	198.00	17.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.50	5.76	9.25	0.69
3.	असम	102.50	71.57	34.75	42.87
4.	विहार	448.50	273.92	152.50	141.59
5.	गोवा	38.75	7.13	9.25	6.63
6.	गुजरात	193.75	445.69	211.50	11.74
7.	हरियाणा	82.00	80.75	28.75	0.12
8.	हि॰ प्र॰	66.00	9.18	54.25	5.11

1	2	3	4	5	6
9.	ज॰ और क॰	53.00	57.17	13.50	0.19
10.	कर्नाटक	199.50	191.06	92.25	15.06
11.	केरल	123.00	47.58	149.25	118.02
12.	म॰ प्र॰	273.50	191.65	121.00	152.17
13.	महाराष्ट्र	392.50	916.38	410.00	23.24
14.	मणिपुर	44.00	3.31	10.50	4.01
15.	मेघालय	40.50	6.67	9.75	10.64
16.	मिजोरम	36.25	3.06	8.75	6.16
17.	नागालैंड	37.25	11.29	9.00	3.21
18.	उड़ीसा	108.00	151.19	46.25	0.08
19.	पंजाब	99.00	37.70	35.50	18.78
20.	राजस्थान	130.00	312.88	208.00	13.03
21.	सिक्किम	37.00	6.88	9.25	2.85
22.	तमिलनाडु	276.50	265.01	127.00	13.61
23.	त्रिपुरा	41.25	12.96	9.75	3.01
24.	उत्तर प्रदेश	868.00	442.44	222.00	59.48
25.	पश्चिम बंगाल	190.00	83.58	258.00	86.17
	उप-योग	4143.75	4049.12	2438.00	756.09
ख.	**विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र**				
26.	पांडिचेरी	37.75		3.00	2.15
ग.	**विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र**				
27.	अं॰वनि॰ द्वीपसमूह	35.25	-	16.00	1.43
28.	चण्डीगढ़	26.25	-	20.00	1.06
29.	दा॰ व नगर हवेली	34.5	-	16.00	0.00
30.	दिल्ली	52	70.86	171.00	15.28
31.	दमन व दीव	34.25	-	8.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	34.25	-	15.00	0.00
	उप-योग	216.50	70.86	256.00	17.77
घ.	**स्वैच्छिक**				
	संस्थाओं को सहा॰	87.00	-	100.00	
ङ	**सेंट्रल सेक्टर**				
	स्वा॰ शिक्षा	64.00	-		
च.	**प्रशिक्षण**	40.00	-		
	20 नए जिलों में				
	कार्यक्रम कार्यान्वयन	11.00			
ज.	**हैड क्वार्टर में टी॰ बी॰ सैल**				47.66
झ.	**टी॰ बी॰ सोसायटीज को अनुदान सहा॰**				539.82
	कुल योग	4600.00	4119.98	2797.00	1363.49

** संबंधित राज्यों/संघ क्षेत्रों के व्यय में इसे शामिल किया गया है।

* स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-राज्यवार विवरण में व्यय के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

विवरण-II

वर्ष 1997-98 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन

(राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य	सामान्य संघटक	विश्व बैंक, सहायता-प्राप्त रा॰ क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक अतिरिक्त संघटक के रूप में विदेशी सहायता संघटक	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.35	3.15	5.50
2.	बिहार	3.00	4.28	7.28
3.	गोवा	0.04	0.00	0.04
4.	गुजरात	1.02	2.46	3.48

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	0.62	0.00	0.62
6.	हिमाचल प्रदेश	0.10	0.33	0.43
7.	जम्मू और कश्मीर	0.29	0.00	0.29
8.	कर्नाटक	1.38	2.13	3.51
9.	केरल	0.46	2.19	2.65
10.	मध्य प्रदेश	2.38	3.30	5.68
11.	महाराष्ट्र	2.29	3.90	6.19
12.	उड़ीसा	1.19	1.54	2.73
13.	पंजाब	0.76	0.00	0.76
14.	राजस्थान	1.46	2.50	3.96
15.	सिक्किम	0.01	0.00	0.01
16.	तमिलनाडु	1.86	2.66	4.52
17.	उत्तर प्रदेश	5.01	6.88	11.89
18.	पश्चिम बंगाल	1.58	4.38	5.96
	उप-योग	25.80	39.70	65.50
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए				
19.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.00	0.10
20.	असम	2.30	1.12	3.42
21.	मणिपुर	0.09	0.11	0.20
22.	मेघालय	0.20	0.00	0.20
23.	मिजोरम	0.08	0.00	0.08
24.	नागालैंड	0.13	0.00	0.13
25.	त्रिपुरा	0.30	0.00	0.30
	उप-योग	3.20	1.23	4.43
बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र :				
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.24	0.00	0.24
27.	चंडीगढ़	0.52	0.00	0.52
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.11	0.00	0.11
29.	दमण एवं दीव	0.08	0.00	0.08
30.	लक्षद्वीप	0.05	0.00	0.05
	उप-योग	1.00	0.00	1.00
विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र :				
31.	पांडिचेरी	1.00	0.00	1.00
32.	दिल्ली	0.00	1.06	1.06
	उप-योग	1.00	1.06	2.06
	स्वैच्छिक संगठन	1.00	0.00	1.00
	सामग्री अनुदान के अन्तर्गत कुल आबंटन	32.00	42.00	74.00
33.	जिला क्षय रोग सोसाइटियों को नकद अनुदान		12.00	12.00
34.	मुख्यालय में क्षय रोग कक्ष (नकद अनुदान)		4.00	4.00
	कुल योग	32.00	58.00	90.00

खान दुर्घटनाएं

168. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खानों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक दुर्घटना में कितने श्रमिक मारे गये हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खानों में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे और इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी हैं :—

वर्ष/खनिज	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1994		
कोयला	156	241
धातु	57	80
तेल	4	6
1995		
कोयला	137	219
धातु	58	66
तेल	8	8
1996		
कोयला	133	149
धातु	62	72
तेल	9	10

टिप्पणी : वर्ष 1996 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

ये दुर्घटनाएं मुख्य रूप से छत के गिरने दीवाल के गिरने, रोप हॉलेज, डम्परों और ट्रकों, व्यक्तियों पर विस्फोटकों के गिरने और वस्तुओं आदि के गिरने के कारण हुईं।

(ग) खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी उपबंध विहित हैं। सुरक्षा कानूनों की सतत् पुनरीक्षा की जाती है और समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधन के लिए परिपत्रों के रूप में दिशा निर्देश भी जारी करता है। खान प्रबंधनों का इन उपबंधों का पालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी, सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी के लिए खानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करते हैं और चूक के मामले मे खान अधिनियम, 1952 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाइ करते हैं।

इन कानूनी उपायों के अलावा, सरकार इस संबंध में अन्य अनेक पहलों को बढ़ावा दे रही है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(क) खान में सुरक्षा सम्मेलन,

(ख) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन,

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता,

(घ) विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय पुनरीक्षाएं,

(ङ) कामगारों को प्रशिक्षण,

(च) सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का आयोजन,

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सुरक्षा पर व्यय

169. श्री अशोक प्रधान :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में और अखिल भारतीय स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार 31 मार्च, 1997 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुरक्षा औषधियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 1997-98 में उपरोक्त स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई अथवा खर्च किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से उपलब्ध सूचना के अनुसार जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय और इसके साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह व्यय परिवार कल्याण पर होने वाले व्यय को छोड़कर है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी क्षेत्रों सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 1997-98 का योजना परिव्यय इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

स्वास्थ्य	970.20
परिवार कल्याण	1829.35
भा॰ चि॰ प॰ एवं होम्योपैथी	35.30

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय/राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र के परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

वर्तमान कीमतों पर वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी व्यय : स्वास्थ्य (लाख रुपये में)			पहली अक्तूबर को जनसंख्या (लाखों में)			स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति सरकारी व्यय (रुपए में)		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992	1993	1994	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	33245	38973	46580	684.33	396.37	708.28	49	56	66
2.	अरुणाचल प्रदेश	2202	2395	2691	8.99	9.21	9.44	245	260	285
3.	असम	12041	14183	13909	232.11	237.21	242.32	52	60	57
4.	बिहार	27759	30311	33729	894.69	914.47	934.28	31	33	36
5.	गोवा	2823	3156	3205	12.07	12.30	12.55	234	257	255
6.	गुजरात	21758	26898	31730	425.22	432.82	440.42	51	62	72
7.	हरियाणा	7890	8163	9932	170.59	174.31	177.99	46	47	56
8.	हिमाचल प्रदेश	7881	8758	10526	53.28	54.29	55.32	148	161	190
9.	जम्मू व कश्मीर	13649	13914	16699	79.97	81.78	63.63	171	170	200
10.	कर्नाटक	30328	27192	33467	461.32	468.43	475.40	66	58	70
11.	केरल	23893	28326	28734	297.60	301.77	305.94	80	94	94
12.	मध्य प्रदेश	26953	33492	38316	683.72	697.51	711.20	39	48	54
13.	महाराष्ट्र	49930	54401	63309	814.25	830.40	846.75	61	66	75
14.	मणिपुर	2299	2407	3224	19.06	19.50	19.96	121	123	162
15.	मेघालय	3160	3396	3334	18.40	18.83	19.27	172	180	173
16.	मिजोरम	2007	2387	2801	7.25	7.47	7.71	277	320	363
17.	नागालैंड	3120	4185	4110	12.71	13.12	13.54	245	319	304
18.	उड़ीसा	13352	14410	18335	326.06	332.08	338.15	41	43	54
19.	पंजाब	18888	20432	21468	207.81	210.87	213.74	91	97	100
20.	राजस्थान	26871	27638	34055	455.50	465.24	474.90	59	59	72
21.	सिक्किम	1520	2290	2370	4.28	4.41	4.56	355	519	520
22.	तमिलनाडु	47157	51092	54604	567.67	573.26	578.77	83	89	94
23.	त्रिपुरा	3063	3316	3406	28.59	29.25	29.93	107	113	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	उत्तर प्रदेश	59982	69629	69104	1431.45	1456.91	1482.28	42	48	47
25.	पश्चिम बंगाल	43354	45042	50152	699.63	711.75	723.82	62	63	69
26.	दिल्ली		13003	15919	103.13	106.81			126	149
27.	पांडिचेरी	2106	2570	2859	8.34	8.51	8.69	253	302	329
28.	केन्द्र	74869	69741	79632						
	योग	562100	621700	698200	8718.43	8879.20	9039.56	64	70	77

स्रोत : 1. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
2. जनसंख्या हेतु महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी :—स्वास्थ्य पर व्यय में रक्षा सेवाओं पर चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यय शामिल नहीं है।
विधान सभा सहित संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
दिल्ली में 1993-94 के वित्तीय वर्ष से विधान सभा है।

[अनुवाद]

कैंसर रोग निदान के लिए नई तकनीक

170. डॉ॰ कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोग के निदान के लिए किसी नयी तकनीक की खोज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन अस्पतालों में नयी तकनीक का प्रयोग किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) कैंसर रोगी के इलाज के लिए उपयोग में लाए गए उपस्करों की लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से प्राप्त सूचना के आधार पर हाल ही में कैंसर के उपचार में किसी पूर्णत: नई तकनीक का आविष्कार नहीं किया गया है। उपचार में विद्यमान मोडलिटीज में संशोधन को सम्पूर्ण विश्व में आरम्भ किया गया है।

इकनॉमिक सेन्सस

171. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को उल्लिखित करने वाले "इकनॉमिक सेन्सस" को प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1950 में बनाए गए अधिनियम द्वारा विनियमित सांख्यिकी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि एकत्र किए गए आंकड़े यथार्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या विभाग का विचार सन् 1997 के अंत तक "इकनॉमिक सेन्सस" का चौथा संस्करण प्रकाशित करने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी आर्थिक गणना नवम्बर-दिसम्बर, 1997 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गणना में कृषि (फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को छोड़कर) और कृषीतर दोनों आर्थिक कार्यकलापों में कार्यरत सम्पूर्ण देश के सभी उद्यमों को कवर किया जाएगा। इससे उद्यमों की अवस्थिति, कार्यकलाप का प्रकार, संकार्य की प्रकृति, स्वामित्व, प्रयुक्त पावर-ईंधन, वित्त का स्रोत और लिंग के अनुसार रोजगार आदि के बारे में मूल सूचना प्राप्त होगी और यह बाद के वर्षों में शुरू किए जाने वाले विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए एक प्रतिचयन ढांचा प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 की सं॰ 32) नामक एक अधिनियम है, जिसका अभी तक संगठित औद्योगिक क्षेत्र से आंकड़ा संगृहीत करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस अधिनियम में आर्थिक कार्यकलापों के संगठित और असंगठित (कृषीतर) दोनों क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसके क्षेत्र को बढ़ाने हेतु संशोधन किया जा रहा है। प्रत्युत्तर न देने वालों के लिए दण्ड प्रावधानों को भी और कठोर बनाया जा रहा है।

(ङ) चौथी आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य को दिसम्बर, 1997 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। गणना के अनन्तिम परिणामों को क्षेत्र कार्य के पूरा हो जाने के छ: सप्ताहों के भीतर जारी करने की योजना है।

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शुल्क

172. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा के विद्यार्थियों के लिए नामांकन शुल्क और कैपिटेशन शुल्क (शैक्षणिक) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुल्क निर्धारण के संबंध में निजी चिकित्सा महाविद्यालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वसूल किए जा रहे अधिक कैपिटेशन शुल्क, नामांकन शुल्क और अन्य शुल्कों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(च) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उच्चतम न्यायालय के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार ने देश में निजी चिकित्सा कालेजों के लिए फीस की अधिकतम सीमा निम्नलिखित तरह से नियत की है जो 1997-98 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी :

भुगतान-सीटें : 1.10 लाख रुपये की धनराशि प्रति छात्र प्रतिवर्ष (12 महीनों) फीस के रूप में देय होगी। उन कालेजों, जिनके पास अपनी स्वयं की अस्पताली सुविधाएं नहीं हैं। इस धनराशि में से 20,000/- रुपये की राशि प्रति छात्र प्रतिवर्ष (नियत) और उन कालेजों, जिनके पास अस्पताली सुविधाएं अंशतः हैं, के मामले में 7000/- रुपये (नियत) प्रति छात्र प्रतिवर्ष अस्पताल चलाने वाले सरकारी प्राधिकरण को ऐसे चिकित्सा कालेजों द्वारा उपयोग की गई अस्पताली सुविधाओं के लिए वापिस देने होंगे।

निःशुल्क/मेरिट सीटें : 13,000/- रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष फीस के रूप में देय होंगे।

उपर्युक्त सीमा के भीतर लगाई जाने वाली वास्तविक फीस संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित की गई, राज्य समितियों द्वारा नियत की जायेगी।

(ग) और (घ) निजी चिकित्सा कालेजों के लिए उच्चतम न्यायालय/सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फीस ढांचे का अनुपालन करना अपेक्षित है।

(ङ) और (च) जी नहीं।

(छ) किसी भी चिकित्सा कालेज द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने की बात को न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी

173. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में अपनी गतिविधियां चला रहे आतंकवादियों ने अब अपनी गतिविधियां राजोरी और पुंछ जैसी शान्तिपूर्ण जिलों को अस्त-व्यस्त करने के लिए इन जिलों में शुरू कर दी हैं, जहां वे अब अपने अड्डे बना रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दो जिलों में आतंकवादी किस प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ) सरकार को, जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रयासों तथा खबरों की जानकारी है। ऐसी गतिविधियों और मंसूबों पर प्रभावपूर्ण ढंग से काबू पाने के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं। उठाये गए कदमों में, सीमा/सीमा रेखा पर निगरानी बढ़ाना, ग्राम रक्षा समिति इत्यादि के माध्यम से स्थानीय पुलिस तथा इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई एवं गहन भागीदारी इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना शामिल है। गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखी जा रही है, जिसका गहराई से प्रबोधन किया जा रहा है।

मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल

174. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार यमुना नदी मच्छरों का एक प्रजनन स्थल बन गई है जिससे खतरनाक जापानी एनसेफेलाइटिस के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा किए अध्ययनों के अनुसार यमुना नदी का नदीय क्षेत्र जापानी एनसेफेलाइटिस

के मच्छरों तथा वैक्टरों के प्रजनन के लिए अनुकूल है। सुअरों, प्रवर्धक परपोषी (एम्पलीफायर होस्ट) की सीमित संख्या के मद्देनजर जापानी एनसेफेलाइटिस के फैलने के अवसर न्यूनतम हैं।

तथापि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्टरों के प्रजनन स्थलों का उन्मूलन करने के लिए पेड़ पौधों को साफ करने तथा लार्वा-रोधी परिचालनों, यमुना के नदीय क्षेत्र में गाद निकालने तथा सफाई अभियान चलाने के लिए कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय दिल्ली नगर निगम के उन कीट विज्ञानियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है जो यमुना क्षेत्र में इस जोखिम से लड़ रहे हैं।

ग्रामीण जनसंख्या का पलायन

175. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लगातार सूखा के कारण वहां की ग्रामीण जनसंख्या का उड़ीसा के कस्बों में विशेषकर पश्चिम उड़ीसा के कस्बों में पलायन हो रहा है जिसके कारण वहां अपराध दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम उड़ीसा के कस्बों में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) इस विभाग को अपराध दर के बारे में ऐसी किसी सूचना की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय उड़ीसा सहित देश भर में नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी रोजगार कार्यक्रम चला रहा है।

नेहरू रोजगार योजना : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए शहरी लघु उद्यम स्कीम (सुमे) तथा मजदूरी रोजगार स्कीम (सुवे) चलाई जा रही है। उड़ीसा राज्य को 1989-90 से लेकर आज तक 1829.52 लाख रुपये का केन्द्रीय धन जारी किया गया है तथा वर्ष 1997-98 के लिए 205.88 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 11 शहर नामत: भद्रक, बोलांगिर, बृजराज नगर, बरीपाड़ा, जेयपुर, झारसुगदा, सुनाबेडा, बारागढ़, भवानी पटना तथा जतानी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों के लाभ के लिए कई घटकों में से एक घटक स्वरोजगार का है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

176. डॉ. ए. के. पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के 50 प्रतिशत पदों को कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अभियन्ताओं में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय सिविल और इलेक्ट्रिकल, दोनों स्कंधों में परीक्षा कोटे के अंतर्गत सहायक अभियन्ता के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा चालू वर्ष में उपरोक्त सभी रिक्त पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1992 के पश्चात् ऊपर उल्लिखित परीक्षा आयोजित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कोटे में सहायक इंजीनियर (सिविल) के 364 और सहायक इंजीनियर (विद्युत) के 62 रिक्त पद शामिल हैं। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने बावत संघ लोक सेवा आयोग को 15.7.97 को एक मांग पत्र भेजा जा चुका है।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1992 से परीक्षा नहीं ली गई है क्योंकि आयोग ने आगामी परीक्षा लेने से पहले सहायक इंजीनियर पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी थी। भर्ती नियमों में संशोधन तैयार कर 21.6.97 को अधिसूचित किए गए हैं।

बिना बारी का आवंटन

177. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि. वि. प्रा.) ने "दिल्ली में आवास न होने" के आधार पर बिना बारी के फ्लैटों का आबंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दि० वि० प्रा० ने फ्लैटों का इसी आधार पर बिना बारी का आबंटन करने संबंधी अन्य आवेदकों का अनुरोध नामंजूर कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि० वि० प्रा०) ने सूचना दी है कि "दिल्ली में मेरा कोई मकान नहीं है" के आधार पर गत पांच वर्षों के दौरान कोई डीडीए फ्लैट बिना बारी आधार पर आबंटित नहीं किया गया है। डी डी ए फ्लैटों का बिना बारी आधार पर आबंटन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारी प्राप्त समिति, जिसमें शहरी कार्य और रोजगार मंत्री अध्यक्ष और उप राज्यपाल दिल्ली सदस्य के रूप में हैं, द्वारा किया जाता है। बिना बारी आबंटन के लिए पूर्ण दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1993 में जारी किये गये थे जिनमें 1997 में संशोधन किया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बुनियादी सुविधाएं

178. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए जाने वाले उद्योगों के आदेश से प्रभावित उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में वैकल्पिक भूखण्डों के आवंटन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पानी, बिजली और परिवहन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे लघु उद्योगों और कारखानों को वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और भूमि आबंटन के संबंध में प्राप्त सुझावों/ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है या किए जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेपाल में आई० एस० आई० की गतिविधियां

179. श्री मोहन रावले :
डॉ० मुरली मनोहर जोशी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई० एस० आई०) ने नेपाल के अनेक सीमावर्ती नगरों में अपने ठिकाने बनाए हैं और भारत के साथ नेपाल के अत्यधिक पोरस बार्डर का फायदा उठा रही है;

(ख) क्या प्रधानमंत्री ने जून, 1997 के पहले सप्ताह में नेपाल की यात्रा की थी और नेपाल के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तानी गुप्त एजेंटों की गतिविधियों के बारे में भारत की चिन्ता से नेपाल को अवगत कराया था; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार को विदेशों से भारत के विरुद्ध निर्देशित दुर्भावनापूर्ण एजेंसियों की गतिविधियों की जानकारी है। जून, 1997 में प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान आतंकवाद के संकट के विरुद्ध गहन कार्य करने तथा संघर्ष करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने गृह सचिवों को इस संबंध में परस्पर समझबूझ विकसित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही बैठक करने के लिए निदेश दिए। उन्होंने एक-दूसरे की सुरक्षा के विरुद्ध निदेशित अथवा प्रतिकूल गतिविधियों के लिए अपने-अपने प्रदेश का इस्तेमाल करने की अनुमति न देने की अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीमा प्रबंधन "संयुक्त कार्यदल" की बैठक शीघ्र आयोजित किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूरों को आवास

180. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में नोहटा में बीड़ी मजदूरों के लिए आवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और कमजोर वर्गों के लिए घरों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से नोहटा के बीड़ी कर्मकारों के लिए 50 मकानों के निर्माण को पहले ही वित्तपोषित किया है। सागर, जो कि एक संबद्ध प्रशासनिक प्रभाग है, के अन्य स्थानों पर इन मकानों और इसी प्रकार की श्रेणियों के अन्य मकानों का निर्माण किए जाने हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए 1 करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। जबकि नोहटा में मकानों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो गया है, अन्य स्थानों पर मकान निर्माण का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार

181. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री रामसागर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार उन वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित कर रहा है जो विनिर्माताओं से अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों से प्राप्त की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने के कारण क्या हैं;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय भंडार में निविदाओं के माध्यम से प्रवेश पाने के बाद वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं;

(घ) क्या ये पार्टियां विनिर्माता हैं अथवा प्राधिकृत वितरक हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करवाने और निविदाओं के माध्यम से इन वस्तुओं को मंगाने की बजाए विनिर्माताओं से अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों से उन्हें सीधे मंगवाने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार की अनुमोदित क्रय-नीति के अनुसार सरकारी विभागों में बिक्री हेतु लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुएं और दालें, मसाले, कपड़े धोने का साबुन आदि जैसी करियाना वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के आधार पर प्राप्त की जाती हैं। ऐसी वस्तुओं की निविदाओं का मूल्यांकन करते समय विनिर्माताओं और उनके प्राधिकृत वितरकों को तरज़ीह दी जाती है बशर्ते कि उद्धृत दरें प्रतिस्पर्धात्मक हों। ऐसी वस्तुएं जिनके लिए विनिर्माताओं तथा उनके प्राधिकृत वितरकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते, उन्हें तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य निम्नतम दरों वाली निविदाओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार 15.7.97 को केन्द्रीय भंडार के, विनिर्माताओं और उनके प्राधिकृत वितरकों सहित आपूर्तिकर्ताओं की संख्या 622 है।

(ङ) निविदा माध्यम से वस्तुओं की प्राप्ति वित्तीय-मर्यादा मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है और यह आपत्तियों से मुक्त है। यह पद्धति सभी आपूर्तिकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करती है और वस्तुओं की प्राप्ति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सुनिश्चित करती है। इस नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस मामले में कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय भण्डार
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति
संदर्भ तिथि 15.7.97

खातों की सूची

क्र.सं.	एकाउंट कोड	खाताधारी का नाम
1	2	3
1.	ए 00001	अम्बे लेबोरेट्रीज (रजि.)
2.	ए 00002	अरावली लीजिंग लि.
3.	ए 00003	अंकित एंटरप्राइजिज
4.	ए 00004	एपेक्स इण्डिया आई. एन. सी.
5.	ए 00005	अग्रवाल ट्रेडर्स
6.	ए 00007	आय के लाइट्स इण्डिया
7.	ए 00008	अपोलो फर्नीसर्स
8.	ए 00010	ए. के. इन्डस्ट्रीज
9.	ए 00011	अहमद ओमरभाय
10.	ए 00012	एसियन सेल्स कॉरपोरेशन
11.	ए 00014	अमर तारा लि.
12.	ए 00018	अकिनको
13.	ए 00019	अभिसोल इण्डिया
14.	ए 00020	एल्पाइन इंडस्ट्रीज
15.	ए 00021	आदित्या टेक्नोलोजी प्रा. लि.
16.	ए 00023	आदिनाथ फूड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
17.	ए 00025	अरिस्टोक्रेट मार्केटिंग (मित्तल इंटरप्राइजेज)
18.	ए 00026	अपोलो स्टील इंडस्ट्रीज
19.	ए 00027	अप्सरा इंडस्ट्रीज

1	2	3
20.	ए 00028	अशोक मसाला कम्पनी
21.	ए 00029	आर॰ डी॰ ओवरसीज
22.	ए 00030	अतश इंडस्ट्रीज
23.	ए 00031	अपार लि॰
24.	ए 00032	अक्षिता इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज
25.	ए 00036	अशोक पेपर प्रोडक्ट्स
26.	ए 00037	एटैची हाउस
27.	ए 00038	अलंकार डिस्ट्रीब्यूटर्स
28.	ए 00039	अदिति इंजीनियर्स
29.	ए 00040	अनिल इंडस्ट्रीज
30.	ए 00041	अंकित बिजनेस सेंटर प्रा॰ लि॰
31.	ए 00042	अजमेरा कारपेट्स
32.	ए 00043	आनंद फर्नीसर्स
33.	ए 00044	अमर ट्रेडिंग एजेन्सी
34.	ए 00045	एंड्रयू यूले एण्ड कं॰ लि॰
35.	ए 00046	एरिसकेल्स कम्पनी
36.	ए 00047	आस्ट्राई एशियन कैमिकल (इण्डिया) प्रा॰ लि॰
37.	ए 00048	एशियन कोटेड पेपर्स प्रा॰ लि॰
38.	ए 00049	आडो विजो प्रा॰ लि॰
39.	ए 00050	आहार इन्टरनेशनल इण्डिया प्रा॰ लि॰
40.	ए 00051	अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स लि॰
41.	ए 00052	अतुल कुमार अंकुर कुमार
42.	ए 00053	अरूण ट्रेडिंग कम्पनी
43.	ए 00054	अन्नपूर्णा इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
44.	ए 00055	औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि॰
45.	ए 00056	आरको मारकेटिंग
46.	ए 00057	ऑडियो डिवाइसिज
47.	ए 00058	अशोक फ्लोर मिल्स
48.	ए 00059	अनुपम उद्योग
49.	बी 00001	भारत पेपर उद्योग
50.	बी 00002	बंगाल केमिकल एण्ड फर्मा लि॰
51.	बी 00003	बी॰ सी॰ आर॰ स्टेशनरी डिवीजन
52.	बी 00004	बलारपुर इंडस्ट्रीज लि॰
53.	बी 00005	भारत स्टेशनरी उद्योग
54.	बी 00006	बुद्धराजा एसोसिएट्स
55.	बी 00007	बंसल सन्स
56.	बी 00008	ब्रुक बांड इण्डिया लि॰
57.	बी 00009	ब्रुक बांड लिप्टन इण्डिया लि॰
58.	बी 00010	बुद्धराजा एजेन्सीज प्रा॰ लि॰
59.	बी 00011	न्यू भगत सुगर डिपो
60.	बी 00012	बक्शी ट्रेडिंग कार्पो॰ इंडिया
61.	बी 00013	बेडेकर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
62.	बी 00014	बत्रा एसोसिएट्स
63.	बी 00015	भारत इन्टरप्राइजेज
64.	बी 00016	भारत लोक हाउस
65.	बी 00017	ब्लो प्लास्ट लिमिटेड
66.	बी 00018	बीईई इलैक्ट्रोनिक्स मशीन लिमिटेड
67.	बी 00019	भगत एजेन्सीज
68.	बी 00020	बी॰ के॰ कोम्पलैक्स
69.	बी 00021	बी॰ डी॰ रेफ्रिजरेशन
70.	बी 00022	बी॰ के॰ एन्टरप्राइजेज
71.	बी 00023	भारती टेलीकोम लिमिटेड
72.	बी 00024	हरादमा ऑफ इण्डिया लिमटेड
73.	बी 00025	भारत सप्लाई कम्पनी
74.	बी 00026	भूजन माई कृपा राम
75.	बी 00027	बी॰ पी॰ एल॰ लिमिटेड
76.	बी 00028	बिली बूट पॉलिस कम्पनी
77.	बी 00029	ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज

1	2	3
78.	बी 00030	बंसल ट्रेडर्स
79.	बी 00031	बेबी सोप लिमिटेड
80.	बी 00032	भारतीय चर्म उद्योग संस्थान
81.	बी 00033	ब्यूटी केयर कोस्मेटिक्स
82.	बी 00034	बीकन्ड
83.	बी 00035	बत्सारा हाइजीन प्राडक्टस लिमिटेड
84.	बी 00036	बजाज सेल्स एजेन्सी
85.	बी 00037	बिहारी लाल दर्शन लाल
86.	सी 00001	कैपिटल क्रोकरी हाउस
87.	सी 00002	कोलगेट पाल्मोलिव (इण्डिया) लिमटेड
88.	सी 00003	कास्मोस इण्डिया लिमटेड
89.	सी 00004	कैस्केड काउन्सिल टैक॰ (प्राइवेट) लिमिटेड
90.	सी 00019	चम्पा लाल प्रेम चन्द जैन
91.	सो 00020	कम्प्यूटर वेयर
92.	सी 00022	चावला मार्केटिंग लिमिटेड
93.	सी 00024	चाणक्य एण्ड कम्पनी
94.	सी 00026	चड्ढा स्टेशनरी
95.	सी 00027	कम्पीटेंट मार्केटिंग (प्राइवेट) लिमटेड
96.	सी 00028	क्राउनपोर बूलन मिल्स
97.	सी 00029	क्रिमिका एग्रो फूड्स लिमिटेड/क्रिमिका फूड प्रोडक्ट्स
98.	सी 00052	कम्यूनिकेशन एण्ड सिस्टम्स इंजीनियरिंग प्रा॰लि॰
99.	सी 00053	सी॰ ए॰ हैरीशन एण्ड कम्पनी
100.	सी 00054	चेतन डाईस्टस इन्डस्ट्रीज
101.	सी 00055	क्लासिक ट्रेडर्स
102.	सी 00056	चीफ स्टेशनरी मार्ट
103.	सी 00057	क्राउन स्टील फैब्रिकेटर्स
104.	सी 00058	चर्म कला एयूएसएस लिमिटेड
105.	डी 00001	दुर्गा इलैक्ट्रिक वर्क्स
106.	डी 00002	दिल्ली पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
107.	डी 00003	दिल्ली ट्रेडर्स
108.	डी 00004	दयाल सेल्स कारपोरेशन
109.	डी 00005	दिल्ली सेफ वर्क्स
110.	डी 00006	ढींगरा सेल्स (प्रा॰) लिमिटेड
111.	डी 00007	डाबर इण्डिया लिमिटेड
112.	डी 00008	डायमण्ड मार्केटिंग कम्पनी
113.	डी 00009	दिल्ली चेसलियर होम
114.	डी 00010	दशान्त सेल्स
115.	डी 00011	दिल्ली कौन॰ कारपोरेशन डब्ल्यू॰ स्ट्रोक्स लि॰ (अपना बाजार)
116.	डी 00013	डी॰ आर॰ डिस्ट्रीब्यूटर्स
117.	डी 00014	डी॰ राज एंड कंपनी
118.	डी 00015	डी॰ वी॰ एस॰/श्रीराम फूड एंड फर्टीलाइजर/सील फूड
119.	डी 00020	डी॰ पी॰ कम्प्यूटर फार्म प्रा॰ लि॰
120.	डी 00021	दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला
121.	डी 00022	डी॰ बी॰ एजेंसी
122.	डी 00023	धर्मसंस मार्किटिंग प्रा॰ लि॰
123.	डी 00024	डाटा सेफ
124.	डी 00025	दिल्ली स्टेट्स सिविल सप्लाई का॰
125.	डी 00028	धींगरा ब्रदर्स
126.	डी 00029	दिल्ली पेपर उद्योग
127.	डी 00030	धींगरा ड्रिस्ट्रिब्यूटर्स
128.	डी 00032	दिल्ली पेपर डिस्ट्रिब्यूटर्स
129.	डी 00034	डी॰ सी॰ एम॰ डाटा प्रोडक्ट्स
130.	डी 00036	दुर्गा मार्किटिंग
131.	डी 00038	डाइसन इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन
132.	डी 00039	डायमंड लेबोरेटरिज (इंडिया)

1	2	3
133.	डी 00040	दिल्ली महिला कल्याण समिति
134.	डी 00041	डी॰ बोनो ऑफिस सिस्टम्स
135.	डी 00042	धूपर सेल्स ऑरगेनाइजेशन प्रा॰ लि॰
136.	डी 00043	डाल्फिन इंडस्ट्रीज
137.	डी 00044	डी॰ एल॰ गोविन्द प्रसाद
138.	डी 00046	दुग्गल ब्रदर्स
139.	डी 00047	दयाल फुटवेयर प्रा॰ लि॰
140.	डी 00048	डिलाईट कॉम लि॰
141.	डी 00049	डिलाइट हाईटैक फर्नीचर इन्डस्ट्री प्रा॰ लि॰
142.	डी 00050	दिशा मार्किटिंग प्रा॰ लि॰
143.	डी 00051	डालमिया इंडस्ट्रीज लि॰ (प्रा॰)
144.	डी 00052	डेमको इंजीनियरिंग प्रा॰ लि॰
145.	डी 00053	दयाचन्द इंजीनियरिंग (प्रा॰) लि॰
146.	ई 00001	एल्किज़र एंड कम्पनी
147.	ई 00002	एवर शाईन प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज
148.	ई 00003	एलसाईन सिस्टम्स
149.	ई 00004	एसार फॉयल्स लि॰
150.	ई 00005	ईगल ट्रेडर्स
151.	ई 00007	एमक्लेज
152.	ई 00008	एंटल प्रा॰ लि॰
153.	ई 00009	एस॰ के॰ प्लास्टिक्स
154.	ई 00010	एनर्टेक इलैक्ट्रॉनिक्स
155.	ई 00011	एनविरोप्लान
156.	ई 00012	यूरेसिया ट्रेडिंग कम्पनी
157.	ई 00013	एलवारी मेडिको
158.	ई 00014	एफिशियन्ट डाटा प्रोसेसिंग प्रा॰ लि॰
159.	एफ 00001	फ्लैश कम्यूनिकेशन
160.	एफ 00002	फ्रैन्ड्स एलाइट इंडस्ट्रीज
161.	एफ 00003	फ्रेशर एंटरप्राइसिस
162.	एफ 00004	फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
163.	एफ 00006	फेयर डील मार्किटिंग एंड सर्विसेज
164.	एफ 00007	फोर-डी इंटरनेशनल लि॰
165.	एफ 00008	फाइव ओशन्स संप्लाइज एंड सर्विसेज
166.	एफ 00009	फूजिटस आई॰ सी॰ आई॰ एम॰ लि॰
167.	जी 00001	गोला स्टेशनरी
168.	जी 00002	गोयल स्टेशनर्स
169.	जी 00003	गोयल सेल्स कॉरपोरेशन
170.	जी 00004	गोदरेज एंड बॉयसी मैनिफैक्चरिंग क॰ लि॰
171.	जी 00005	गोल्डन मसाला कंपनी रजिस्टर्ड
172.	जी 00006	गोपीराम गंगाराम
173.	जी 00007	जी॰ के॰ एंटरप्राइजिस
174.	जी 00008	गर्ग जनरल ट्रेडर्स
175.	जी 00009	जी॰ एम॰ एच॰ आर॰ (टेकचंद एजेंसी)
176.	जी 00010	जीप इंडस्ट्रीज सिंडिकेट लि॰
177.	जी 00011	गौरव स्टेशनर्स
178.	जी 00013	गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क फैडरेशन लि॰
179.	जी 00014	गुरुसंस कम्यूनिकेशन प्रा॰ लि॰
180.	जी 00015	गेस्टेटनर इंडिया लि॰
181.	जी 00016	गे प्रोड्क्टस
182.	जी 00018	गोल्डेज फर्नीशर्स एंड डैकोरेट
183.	जी 00019	ग्रीन सर्कल एडवर्टाइजिंग मार्किट
184.	जी 00024	गुलशन ब्रांड कैन्डल्स
185.	जी 00025	गुप्ता टी॰ मार्किटिंग
186.	जी 00026	गॉडविन एंटरप्राइसिस
187.	जी 00027	जी॰ के॰ ट्रेडर्स
188.	जी 00028	गौरीशंकर हरिप्रसाद एंड कम्पनी
189.	जी 00029	गलोरियस मार्किटिंग
190.	जी 00030	गोदरेज सोप लि॰

1	2	3
191.	जी 00032	गंगा रोलर फ्लोर मिल्स
192.	जी 00033	ग्लोबल टैली सिस्टम लि॰
193.	जी 00034	गोयल पल्सस मिल्स एंड कॉपरेटिव्स
194.	जी 00035	गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी
195.	जी 00036	ग्रीनोवैल एक्सिव एंड मिनर्लस
196.	जी 00037	गुप्ता सेल्स कॉरपोरेशन
197.	जी 00038	जैनटैक बिजनेस मशीन लि॰
198.	जी 00039	गोल्डन एग्रो प्रोडक्ट्स लि॰
199.	एच 00001	होमाकोल सेल्स कॉरपोरेशन
200.	एच 00002	हरियाणा ट्रेडर्स प्रा॰ लि॰
201.	एच 00003	हनी प्लास्टिक
202.	एच 00004	हिन्दुस्तान लिवर लि॰
203.	एच 00005	हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल कॉरपोरेशन लि॰
204.	एच 00006	हैफैड/हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव एस॰ एम॰ एफ॰ लि॰
205.	एच 00007	हरियाणा डेयरी डैवलपमेंट कॉपरेटिव फैडरेशन लि॰
206.	एच 00009	हंस इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड
207.	एच 00010	हरी संस फर्नीशिंग
208.	एच 00011	हरीराम गुलाबराय एंड संस
209.	एच 00012	एच॰ सी॰ एल॰-हैवलेट पैकर्ड लि॰
210.	एच 00018	हाइटेक फूड
211.	एच 00019	हनी बी नैचुरल-प्रोडक्ट्स
212.	एच 00021	एच॰ सी॰ एल॰ लि॰
213.	एच 00022	हिमाचल मिल्क स्पेशलिटिज लि॰/महान डेयरी
214.	एच 00023	एच॰ सी॰ एल॰ लि॰ रिप्रोग्रैफिक्स डिविजन
215.	एच 00024	हरी एंटर प्राइसिस
216.	एच 00025	हिनिव सर्विसेज प्रा॰ लि॰
217.	एच 00026	एच॰ सी॰ एल॰ ऑफिस ऑटोमेशन लि॰
218.	एच 00027	हैल्थ ऐड्स (इंडिया)
219.	आई 00001	इंडिया पेपर कनवर्ट्स
220.	आई 00002	इंडियन लॉक कम्पनी
221.	आई 00003	इन्डैक्स कोड लि॰
222.	आई 00004	आई॰ टी॰ सी॰ एग्रोटैक लि॰
223.	आई 00006	इंटरनेशनल ट्रेड लिंक
224.	आई 00007	इंडस ट्रेड लिंक्स प्रा॰ लि॰
225.	आई 00008	इंदरा फर्नीशर्स
226.	आई 00013	इमेज़ इंडिया
227.	आई 00014	आइकोन मार्किटिंग प्रा॰ लि॰
228.	आई 00019	इंडियन सेफ फैक्टरी
229.	आई 00020	आई॰ टी॰ एल॰ कम्प्यूटर सर्विस
230.	आई 00021	आई॰ टी॰ एल॰ कम्प्यूटर प्रा॰ लि॰
231.	आई 00022	आई॰ सी॰ आई॰ एम॰
232.	आई 00023	इडाल एनवलप
233.	आई 00024	इंडिया कम्युनिकेशन
234.	आई 00025	इंटर ग्रेड एंड ट्रान्सपोर्ट सर्विस
235.	आई 00026	इंटरनेशनल कम्प्युटर रिबन कारपोरेशन
236.	आई 00027	इमेज मैट्रिक्स
237.	आई 00028	इंडियन ग्लास कम्पनी
238.	आई 00029	इंडियन आर्मी मसकट्री स्टोर
239.	आई 00030	इंटीग्रेटेड इक्वेपमेंट प्राइवेट लि॰
240.	आई 00031	इंस्ट्रिक
241.	आई 00032	इम्पेक्ट ऑटोमोशन सर्विसेज प्राइवेट
242.	आई 00033	आई एम इन्टरप्राइजेज
243.	आई 00034	इंडिया मेडिको इन्सट्रूमेंटर्स
244.	जे 00001	जयश्री इंटरप्राइजेज (इंडि)
245.	जे 00002	जे॰ के॰ मार्केटिंग
246.	जे 00004	जयज ओवरसियज कारपोरेशन
247.	जे 00005	जनता शोप फैक्ट्री (रजि॰)

1	2	3
248.	जे 00006	जग्गु मल एजेंसीज
249.	जे 00008	जे॰ के॰ साइंटिफिक स्पोर्ट्स ट्रेड्स
250.	जे 00009	जयमाता टिम्बर ट्रेडिंग कंपनी
251.	जे 00011	जगजीत इन्डस्ट्रीज लि॰
252.	जे 00013	जय इन्जीनियरिंग वर्क्स
253.	जे 00014	जगदीश मोटर वर्क्स
254.	जे 00016	जे॰ के॰ इन्टरप्राइजेज
255.	जे 00017	जगदम्बा फॉइल्ज
256.	के 00001	करमचन्द थापर एंड ब्रदर्स सी॰ एस॰
257.	के 00002	कोरस इंडिया लिमिटेड
258.	के 00003	कुमार जेनरल ऑर्डस सप्लायर्स
259.	के 00005	केबिका सेल्स
260.	के 00006	कथूरिया सेल्स रजि॰
261.	के 00007	किरण एंड कम्पनी
262.	के 00008	खातिर इन्डस्ट्रीज
263.	के 00009	कोहीनूर केमिकल वर्क्स
264.	के 00011	खुराना ब्रदर्स प्राइवेट लि॰
265.	के 00012	काशीराम पवन कुमार
266.	के 00013	के॰ एस॰ एजेन्सीज
267.	के 00014	कपिल फ्लोर मिल्स
268.	के 00015	कृष्णा पेपर रोलिंग मिल्स
269.	के 00019	के॰ एस॰ एजेन्सीज (विप्रो)
270.	के 00020	कनोडिया ऑयल मिल्स प्राइवेट लि॰
271.	के 00021	किलबर्न रिप्रोग्रॉफिक्स लि॰
272.	के 00022	केरल स्टेट कॉपर कारपोरेशन लि॰
273.	के 00023	किसान प्रोडक्ट्स लि॰
274.	के 00025	के॰ बी॰ इन्डस्ट्रीज
275.	के 00026	कालूराम महादेव प्रसाद
276.	के 00027	काशी फर्नीशर्ज

1	2	3
277.	के 00030	कन्हैया लाल श्रीराम
278.	के 00032	कृष्णा राइस एंड जनरल मिल्स
279.	के 00033	खुशी राम लक्ष्मी नारायण
280.	के 00035	कलवम एंड कम्पनी
281.	के 00036	खन्ना शोप फैक्ट्री
282.	के 00037	कालू कारपेट्स
283.	के 00038	कर्नाटक सेंटर
284.	के 00039	खादी एंड विलेज कमीशन
285.	के 00040	के॰ आर॰ बिस्कुट प्राइवेट लि॰
286.	के 00041	केलविनेटर ऑफ इंडिया लि॰
287.	के 00042	कन्हैया लाल श्रीराम
288.	के 00043	के॰ सी॰ अमृतलाल एंड कम्पनी
289.	के 00044	कृष्णा ट्रेडिंग कारपोरेशन
290.	के 00045	कोहली एंड कम्पनी रजि॰
291.	के 00046	कृति इंटरप्राइजिज
292.	के 00047	कुमार डिटरजेंट प्रा॰ लि॰
293.	के 00048	केशव एजेंसी
294.	के 00049	क्लोविन पॉलीमार्स लि॰
295.	के 00050	क्वालिटी डेकोरेटर्स
296.	एल 00001	लक्ष्मी ग्लास कम्पनी
297.	एल 00002	लक्चर पेन कम्पनी
298.	एल 00003	लथॉम इन्डिया लि॰
299.	एल 00004	लॉयड सेफ कम्पनी
300.	एल 00053	लिप्टन इंडिया लि॰
301.	एल 00054	लिरोनिक प्रा॰ लि॰
302.	एल 00056	लान एसदा इंडस्ट्रीज लि॰
303.	एल 00057	लीडिंग एज कम्यूनिकेशन प्रा॰ लि॰
304.	एल 00058	लक्सर राइटिंग इन्सट्रूमेंट प्रा॰ लि॰
305.	एल 00059	ला मेडब्रास प्रा॰ लि॰

1	2	3
306.	एल 00060	लीफ ऑटोमेशन इण्डिया प्रा॰ लि॰
307.	एम 00001	मित्तल फाइल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी
308.	एम 00002	मैट्रो पाल इण्डिया प्रा॰ लि॰
309.	एम 00003	मल्टीफॉर्म इन्टरनेशनल प्राडक्ट्स
310.	एम 00004	एम॰ सी॰ पेपर प्रा॰ लि॰
311.	एम 00005	एमजीरोक्स लि॰
312.	एम 00006	एम॰ के॰ इंडस्ट्रीज (इण्डिया)
313.	एम 00007	मोदी बिजनेस मशीन
314.	एम 00008	मोदी केयर इंटरप्राइजिज
315.	एम 00009	मित्तल इन्टरप्राइजिज
316.	एम 00010	मोदी सोप फैक्टरी प्रा॰ लि॰
317.	एम 00011	एम॰ जी॰ साहनी एंड कम्पनी दिल्ली लि॰
318.	एम 00012	मक्कड़ ब्रदर्स
319.	एम 00013	एम॰ पी॰ कॉपरेटिव ऑयल सीड ग्रो
320.	एम 00018	मानसरोवर इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
321.	एम 00019	मित्तल एण्ड कम्पनी
322.	एम 00020	मोदी जी॰ बी॰ सी॰ लि॰
323.	एम 00021	मोंगा इन्डस्ट्रीज
324.	एम 00024	मॉडल फर्नीचर्स मार्क
325.	एम 00034	मोन्नार्क इन्जीनियरिंग
326.	एम 00036	एम॰ बी॰ इलैक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर्स
327.	एम 00037	मॉर्डन डेरी लि॰
328.	एम 00039	मिसलिनियस राशन
329.	एम 00040	पाकेट मून्स
330.	एम 00041	मंगल जैन त्रिलोक चन्द जैन
331.	एम 00042	मोदी फ्लोर मिल्स
332.	एम 00043	महावीर मैटल वर्क्स
333.	एम 00044	एम॰ आई॰ सी॰
334.	एम 00045	मिसलिनियस सप्लायर्स एकाउन्ट्स
335.	एम 00047	महावीर इंटरप्राइजेज
336.	एम 00048	मैजिक फूड लि॰
337.	एम 00049	मित्तल सेल कॉरपोरेशन
338.	एम 00050	मथुरादास दौलतराम
339.	एम 00051	मेहरा पेपर एजेन्सी
340.	एम 00052	मरवाह एजेन्सी
341.	एम 00053	मोहित इंटरप्राइजिज
342.	एम 00054	एस॰ एस॰ जी॰ इंटरप्राइजिज
343.	एम 00055	मोनार्क इण्डस्ट्रीज एण्ड इंटरप्राइजिज
344.	एम 00056	मोसर बेयर इंडिया लि॰
345.	एन 00001	नवभारत इंटरप्राइजिज
346.	एन 00002	नेशनल इंडस्ट्रीज
347.	एन 00003	नेफा डाटा आई॰ एफ॰ सी॰ एच॰ प्रा॰ लि॰
348.	एन 00004	न्यू बंगाल स्टोर्स
349.	एन 00005	नैसले इंडिया लि॰
350.	एन 00006	नैफेड प्रोसेस फूड्स
351.	एन 00007	एन॰ सी॰ सी॰ एफ॰
352.	एन 00008	नेटवर्क लिमिटेड
353.	एन 00009	नॉवल्टी ट्रेडर्स
354.	एन 00010	नारीमन इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
355.	एन 00014	नेफेड/नेशनल एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव
356.	एन 00015	नरेन्द्र इंटरनेशनल
357.	एन 00016	न्यू बेयर इंडिया लि॰ कम्पनी
358.	एन 00019	नीलकंठ ट्रेडर्स
359.	एन 00022	न्यू लाइफ स्टेशनरी
360.	एन 00023	एन॰ आई॰ सी॰
361.	एन 00024	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज
362.	एन 00025	नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर इण्डिया लि॰
363.	एन 00027	नीयोकैम इंडस्ट्रीज

1	2	3
364.	एन 00029	न्यू इरा स्टील कम्पनी
365.	एन 00030	न्यूरोन मार्केटिंग प्रा॰ लि॰
366.	एन 00031	नोवा फुट वीयर एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा॰ लि॰
367.	एन 00032	नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स
368.	एन 00033	न्यू एज इंडस्ट्रीज
369.	एन 00034	नव ओर्गा ट्रेडर्स
370.	एन 00035	नारायण दास भगवान दास होलसेल ड्रगिस्ट
371.	ओ 00003	उड़ीसा स्टेट कॉआपरेटिव ऑयल सीइस
372.	ओ 00005	ओम प्रकाश सेट प्रकाश
373.	ओ 00006	ऑफिस अपडेट
374.	ओ 00008	ओरिएंट फैन
375.	पी 00001	पायनीयर इंटरप्राइजिज
376.	पी 00002	प्रियदर्शनी पेपर प्राडक्ट्स
377.	पी 00003	प्रीमियर डुप्लीकेटर्स प्रा॰ लि॰
378.	पी 00004	प्रोक्टर एंड गैम्बल गोदरेज/डिस्ट्रीब्यूसन क॰ लि॰
379.	पी 00005	प्रोक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
380.	पी 00006	पांड्स इंडिया लिमिटेड
381.	पी 00007	पाल्कोस
382.	पी 00008	पैन फूड्स लिमि॰
383.	पी 00009	प्रकाश एजेंसिज
384.	पी 00010	पुरी एंटरप्राइजेस
385.	पी 00011	पंजाब स्टेटकोपरेटिव एस॰ एम॰ एफ॰ लिमि॰
386.	पी 00013	परमा इंजी॰ एंड ट्रेडिंग कं॰
387.	पी 00014	पालजी फूड्स प्रा॰ लि॰
388.	पी 00015	पालजी एंड कं॰
389.	पी 00019	पूजा कैंडल्स
390.	पी 00020	पैन्सी मार्किटिंग एजेंसी
391.	पी 00029	पैरिक कम्प्यूटर्स लि॰/जैस्ट सिस्टम प्रा॰ लि॰
392.	पी 00032	पन्नालाल विनोद कुमार
393.	पी 00035	पोली फर्न इंडिया
394.	पी 00040	प्रेम वाच इलेक्ट्रोनिक्स
395.	पी 00042	पिन्सेल कम्प्यूटर्स प्रोडक्स
396.	पी 00043	प्रकाश ब्रदर्स
397.	पी 00044	पूजा ट्रेडिंग कम्पनी
398.	पी 00045	पॉम कॉस्मैटिक एंड ग्लासिज (प्रा॰ लि॰)
399.	पी 00046	पंजाब रोलर फ्लोर मिल्स
400.	पी 00047	प्रेफैक्सन इंजीनियरिंग कॉपरेटिव
401.	पी 00049	पी॰ के॰ इलेक्ट्रोनिक्स
402.	पी 00052	पाल्कजेज ए
403.	पी 00053	पॉल
404.	पी 00054	पेप्सी स्नेक्स एंड फूड्स मार्किटिंग कम्पनी
405.	पी 00055	प्रकाश प्रिंटर
406.	पी 00056	पॉम ईटेबल्स लिमि॰
407.	पी 00057	पुरीसन्स इंडिया प्राइवेट लि॰
408.	पी 00058	पवन सर्जिकल इन्डस्ट्रीज
409.	पी 00059	पींकी कारपोरेशन
410.	पी 00060	पर्ल ड्रिंक्स लि॰
411.	पी 00061	पी॰ एस॰ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लि॰
412.	पी 00062	पुरी सन्स इंजीनियर्स प्राइवेट लि॰
413.	पी 00063	पोद्दार ऑयल ट्रेड्स
414.	पी 00064	पाइन फार्मा प्राइवेट लि॰
415.	पी 00065	पैन टेलीकॉम प्राइवेट लि॰
416.	पी 00066	प्राइम एजेन्सीज
417.	क्यू 00001	क्वॉलिटी फूड प्रोडक्ट
418.	आर 00001	आर॰ के॰ इन्टरप्राइजेज
419.	आर 00002	रमा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज
420.	आर 00003	रजेन्द्रा इन्टरप्राइजेज
421.	आर 00004	रिलायन्स मार्केटिंग

1	2	3
422.	आर 00005	आर० के० भयाना
423.	आर 00006	आर० एन० चड्ढा एण्ड कम्पनी
424.	आर 00007	राजधानी फ्लोर मिल
425.	आर 00008	आर० बी० इन्टरप्राइजेज
426.	आर 00009	राजस्थान शुद्ध मसाला "एस" भंडार
427.	आर 00010	राजधानी दाल मील
428.	आर 00013	ऑयल फर्नीशर्स
429.	आर 00014	आर० पी० जी० रिकॉन लि०
430.	आर 00015	आर० पी० लॉक्स कम्पनी
431.	आर 00016	रमा एजेन्सीज
432.	आर 00018	रॉयल शेफ कम्पनी
433.	आर 00024	राधिका शेल्स (इंडिया)
434.	आर 00025	ऋद्धि इन्टरप्राइजेज
435.	आर 00026	राजदर्शन लेदर उद्योग
436.	आर 00027	रोहित इन्टरप्राइजेज
437.	आर 00030	आर० एस० स्पाइसेज
438.	आर 00031	रामलाल प्रमोद कुमार
439.	आर 00032	रेमिंगटन रैंड
440.	आर 00033	रीकोप्लास्ट
441.	आर 00034	राजधानी टी सेंटर
442.	आर 00035	आर० के० एंड कम्पनी
443.	आर 00036	राजहंस एजेन्सीज
444.	आर 00037	राजस्थान इन्डस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यूटर
445.	आर 00038	रोहित एजेन्सीज
446.	आर 00039	रॉयल सेल्स कॉपरेटिव लि०
447.	आर 00040	राज एंड पॉल इलेक्ट्रिक कम्पनी
448.	आर 00041	रॉयल इन्डस्ट्रीज
449.	आर 00042	रेज हैण्डलूम वर्क्स
450.	आर 00043	रेडसन टी लि०
451.	आर 00044	रावल वाशिया ऑयल एंड जनरल मिल्स
452.	आर 00045	राजस्थान हैंडीक्रॉफ्ट इम्पोरियम
453.	आर 00046	रिलॉयबल कम्प्यूटर मीडिया कारपोरेशन
454.	आर 00047	रेहान इन्टरप्राइजेज
455.	आर 00048	रॉयल इन्टरप्राइजेज
456.	आर 00049	आर० डी० एम० ट्रेड्स प्राइवेट लि०
457.	आर 00050	राजीव इन्टरप्राइजेज
458.	आर 00051	राम जी लाल शिवप्रसाद अग्रवाल
459.	आर 00052	आर० जी० जनरल ऑर्डर सप्लायर्स
460.	आर 00053	रियल वैल्यू मार्केटिंग सर्विसेज लि०
461.	आर 00054	राजधानी मिलिट्री स्टोर
462.	आर 00055	रेलवे प्रोडक्ट्स इंडिया लि०
463.	आर 00056	राजपुरोहित जी० एम० पी० (आई) लि०
464.	आर 00057	आर० के० जिन्दल एण्ड कम्पनी
465.	आर 00058	आर० पी० जी० पेजिंग सर्विसिज लिमिटेड
466.	आर 00059	राजन एन्टरप्राइजेज
467.	आर 00060	राजधानी फर्नीचर्स (रजिस्टर्ड)
468.	एस 00001	शोरी डुप्लीकेटर्स (प्रा०) लिमिटेड
469.	एस 00002	शाहदरा स्टेशनरी सप्लायर्स
470.	एस 00003	स्वर्ण एन्टरप्राइजेज
471.	एस 00004	सिंघल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
472.	एस 00005	एस० के० नाथ एण्ड सन्स
473.	एस 00006	शैली एण्टरप्राइजेज
474.	एस 00007	शिवा इलैक्ट्रीकल
475.	एस 00008	सूर्या रोशनी लि०
476.	एस 00009	श्री विनायक एजेन्सी
477.	एस 00010	शिल्पी कारपेट उद्योग
478.	एस 00011	सुपर टाइमर्स
479.	एस 00012	एस० सी० तलवार एण्ड कं० (प्रा०) लि०

1	2	3
480.	एस 00013	एस॰ ए॰ एण्टरप्राइजेज
481.	एस 00014	सिमरण मार्केटिंग्स
482.	एस 00015	सुराणा एजेन्सीज
483.	एस 00016	साइपेन केमीकल लि॰
484.	एस 00017	सारंग इन्डस्ट्रीज
485.	एस 00018	स्टेग एजेन्सीज
486.	एस 00019	एस॰ कुमार डिटरजेंट प्रा॰ लि॰
487.	एस 00020	श्री राम ऑयल एण्ड जनरल मिल्स
488.	एस 00021	स्मियक्ला इन बीचम कॉन एच॰ ई॰ एल॰ लि॰
489.	एस 00022	शिवाजी सुगन्धित धूप फैक्टरी
490.	एस 00023	शिक्षा नैचुरल फूड प्रोडक्ट्स
491.	एस 00024	शुद्ध मसाला भण्डार (रजिस्टर्ड)
492.	एस 00025	श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़
493.	एस 00026	एस॰ पी॰ एण्टरप्राइजेज
494.	एस 00027	सरस्वती ट्रेडर्स
495.	एस 00028	शिव ट्रेडिंग कं॰
496.	एस 00029	एस॰ एम॰ डाइचिम लि॰
497.	एस 00030	सूर्या एण्टरप्राइजेज
498.	एस 00031	शिव शक्ति एण्टरप्राइजेज
499.	एस 00032	सुपर स्टील इण्डस्ट्रीज
500.	एस 00033	सचदेवा एण्ड सन्स राइस मिल्स लि॰
501.	एस 00034	साईंडिट एण्ड कैमीकल्स इण्डिया लि॰
502.	एस 00035	स्वास्तिक एरोमेटिक्स
503.	एस 00036	साईं नन्दा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कं॰
504.	एस 00037	एस॰ एम॰ इन्डस्ट्रीज
505.	एस 00038	शर्मा पैकेजिंग प्रा॰ लि॰
506.	एस 00039	स्टार इलैक्ट्रोनिक्स लि॰
507.	एस 00040	शिवम् एण्टरप्राइजेज
508.	एस 00041	एस॰ के॰ प्रिन्टर एण्ड स्टेशनर्स
509.	एस 00043	सेठ ब्रदर्स इन्जीनियरिंग वर्क्स
510.	एस 00044	साउथ इन्डियन कॉफी एण्ड टी
511.	एस 00046	श्री रूप इन्डस्ट्रीज
512.	एस 00049	स्पाइसिज ट्रेडिंग कम्पनी
513.	एस 00050	स्वास्तिक इन्सेंसिज
514.	एस 00051	सुप्रीम पैन्स (रजिस्टर्ड)
515.	एस 00052	शकुन एग्रो (प्रा॰) लि॰
516.	एस 00053	सूर्या ट्यूब्स एण्ड बल्ब्स
517.	एस 00054	सन स्टार कम्यूनीकेशन
518.	एस 00055	श्याम कम्यूनीकेशन सिस्टम्स
519.	एस 00056	संजय ब्रदर्स
520.	एस 00057	सर्व शक्ति दाल एण्ड फ्लोर मिल्स
521.	एस 00058	एस॰ डी॰ एण्ड सन्स
522.	एस 00061	एस॰ एल॰ राज निट वीयर
523.	एस 00068	शार्प डुप्लीकेशन प्राइवेट लिमि॰
524.	एस 00069	शॉ वेलिस कं॰ लिमि॰
525.	एस 00070	श्री चक्रधर इंटरनेशनल
526.	एस 00071	सेठ रामचन्द एण्ड संस
527.	एस 00072	सीताराम एण्ड संस
528.	एस 00073	सुपर री प्रोग्राफिक्स प्रा॰ लि॰
529.	एस 00074	एस॰ एस॰ ब्रदर्स
530.	एस 00075	एस॰ टी॰ सी॰
531.	एस 00076	सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण लिमि॰
532.	एस 00077	स्पेसर्स
533.	एस 00078	सोढी फ्लोरमिल्स
534.	एस 00079	श्रीजेन्स पेपर मिल्स लिमि॰
535.	एस 00080	श्री राम इंस्टीट्यूट्स
536.	एस 00081	सुप्रीम सेल्स एंड मार्किटिंग
537.	एस 00082	शक्ति मैटल इंडस्ट्रीज

1	2	3
538.	एस 00083	सैम एंटरप्राइजेज
539.	एस 00084	सनबीम हैंडलूम
540.	एस 00085	एस॰ एस॰ एंटरप्राइजेज
541.	एस 00086	सूर्या एग्रोमिल्स लिमि॰
542.	एस 00087	स्वरूप पेपर एजेंसी
543.	एस 00088	सुभाग वीडियो कॉरपोरेशन
544.	एस 00089	सिंघन्या संस
545.	एस 00090	सैनी हर्बल प्रा॰ लिमि॰
546.	एस 00091	सैक्युरिटी शॉपी इंडिया प्रा॰ लिमि॰
547.	एस 00092	सैला पेपर मिल्स मिलि॰
548.	एस 00093	सोबती सर्जिकल्स
549.	एस 00094	सुभाग वीडियो कारपो॰
550.	एस 00095	सुधा सेल्स कारपोरेशन
551.	एस 00097	शांति ट्रेडिंग कारपोरेशन
552.	एस 00098	शारदा ट्रेडिंग कम्पनी
553.	एस 00099	सूर्या फूड एंड एग्रो प्रा॰ लि॰
554.	एस 00100	एस॰ आर॰ जी॰ टैक्नोलोजिज एंड सर्विसिज
555.	एस 00101	सोनी सर्जिकल वर्क्स
556.	एस 00102	सॉफटेक इंडिया
557.	टी 00001	टी॰ एस॰ मार्किटिंग इंडिया
558.	टी 00002	टैक्नोमार्क कंसलटेन्सी
559.	टी 00003	टेमस टैक्नोलोजिस लिमि॰
560.	टी 00004	टैक्स पोल इंडस्ट्रीज लिमि॰
561.	टी 00005	त्रिलोकचंद एण्ड संस
562.	टी 00006	टाटा ऑयल मिल्स कं॰ लि॰
563.	टी 00007	टी॰ टी॰ के॰ फर्मा लिमि॰
564.	टी 00008	ट्रेड लिंक्स लिमि॰
565.	टी 00009	दिल्ली कनोडिया ऑयल मिल्स लिमि॰
566.	टी 00010	दीपक ऑयल मिल्स
567.	टी 00012	तरुण उद्योग
568.	टी 00013	ट्रेडर्स
569.	टी 00014	ट्रेनिंग कम अर्निंग सेंटर
570.	टी 00018	तिरुपति हैंड मेड पेपर इंडस्ट्रीज
571.	टी 00019	ट्राइट्रोनिक्स (दिल्ली)
572.	टी 00020	तिरुपति फूड प्रोडक्स
573.	टी 00021	टी॰ एल॰ सिस्टम्स प्रा॰ लिमि॰
574.	टी 00023	थापर एग्रो मिल्स लिमि॰
575.	टी 00024	टेक मार्ट सिस्टम्स कं॰
576.	टी 00025	न्यू सेंट्रल हैंडलूम कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज (प्रोडक्स सोसायटी लि॰)
577.	टी 00026	टी॰ डी॰ भगवान दास
578.	टी 00028	थापर मिल्क प्रोडक्ट लिमि॰
579.	टी 00029	टॉरस टेलीकॉप एंड कंप्यूटर्स
580.	टी 00030	दि डिस्ट्रीब्यूटर्स
581.	टी 00031	टिप टाप फूड टेक॰ (इंडिया)
582.	यू 00001	ऊषा फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि॰
583.	यू 00002	यूनाइटेड इन्टरप्राइजेज
584.	यू 00003	उत्तम स्टोर्स
585.	यू 00004	यूनिक इन्टरप्राइजेज
586.	यू 00005	उमेश ट्रेडर्स
587.	यू 00007	यू॰ पी॰ पशुधन उद्योग लि॰
588.	यू 00008	यू॰ के॰ ट्रेडलिंक
589.	यू 00009	ऊषा पेपर कम्पनी
590.	यू 00010	यूनाइटेड सप्लायर्स
591.	यू 00011	यूनिक एजेन्सीज
592.	यू 00012	यूनिवर्सल ओलियोरेसन्स
593.	यू 00013	उत्तम एजेन्सीज
594.	यू 00014	यूनिक ट्रेड्स

1	2	3
595.	यू 00015	उत्तम जी
596.	वी 00002	वाधवा एजेन्सीज
597.	वी 00003	वी॰ एम॰ इन्टरप्राइजेज
598.	वी 00005	वर्द्धमान केमिकल्स लि॰
599.	वी 00007	वंशज टैक्स
600.	वी 00011	विक्रम स्टेनलेस स्टील (रजि॰)
601.	वी 00012	विमल एण्ड कंपनी
602.	वी 00013	बिन्नी मार्केटिंग कम्पनी
603.	वी 00014	विक्रांत इलेक्ट्रॉनिक
604.	वी 00015	वीडियो कॉन इंटरनेशनल लि॰
605.	वी 00016	विक्टोरिया फूड (प्राइवेट) लि॰
606.	वी 00017	वी॰ के॰ इन्टरप्राइजेज
607.	वी 00018	वर्षा टेट्रर्स
608.	वी 00019	वीनस ट्रेड्स
609.	वी 00020	वी॰ के॰ इन्डस्ट्रीज
610.	वी 00021	वी॰ एस॰ एम॰ एडवांस ऑटोमेशन
611.	वी 00022	विन्दया फार्म्स
612.	डब्ल्यू 00001	वेलब्रिन्स केमीकल्स प्राइवेट लि॰
613.	डब्ल्यू 00002	वंडर वाईट सर्विसेज
614.	डब्ल्यू 00004	डब्लू॰ ए॰ किचन केयर प्रोड्यूसर्स
615.	डब्ल्यू 00005	विश्वकर्मा टेक इन्डस्ट्रीज
616.	डब्ल्यू 00007	विजडम स्टील प्रोड्क्टस
617.	डब्ल्यू 00008	विप्रो इनफोटेक लि॰
618.	डब्ल्यू 00009	वाधवा ट्रेडर्स
619.	डब्ल्यू 00010	वालिया मेडिसीन कॉर्नर
620.	डब्ल्यू 00011	वर्ल्डवाइड टेक्नोलॉजी लि॰
621.	डब्ल्यू 00001	योगेश एजेन्सीज
622.	डब्ल्यू 00002	यमी फूड प्राइवेट लि॰

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आबंटन

182. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आबंटन के बारे में 14 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किस्तों के आधार पर कितने फ्लैटों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या फ्लैटों के हायर परचेज के निर्धारित मानदंडों को सरकार नहीं अपना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) डी॰ डी॰ ए॰ ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किराया-खरीद पर निम्नलिखित आबंटन किये गये थे।

	एम॰ आई॰ जी॰	एल॰ आई॰ जी॰	जनता
1994-95	239	304	1184
1995-96	832	1301	593
1996-97	2279	860	1105

(ख) और (ग) डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आबंटन किये जाते हैं।

सफदरजंग अस्पताल की हालत

183. श्री रामसागर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक क्रमश: 5 और 6 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "वाट इज रोंग विद सफदरजंग हॉस्पिटल एवरीथिंग" और "सफदरजंग इज इन सारी स्टेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सफदरजंग अस्पताल की हालत में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। यद्यपि इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पताल के सामने आने वाली समस्याओं का उल्लेख है उनके मूल कारणों को ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया गया है। अस्पताल में रोगियों की भारी भीड़ होती है जिसमें न केवल रोगी परिचर्या सेवाओं बल्कि सहायता सेवाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) जब भी कोई समस्या प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है वे सेवाएं समय-समय पर बढ़ाई जाती हैं। सफदरजंग अस्पताल के कार्यकरण की समीक्षा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है और पता लगाई गई कमियां दूर करने के लिए कार्यवाही की जाती है। अस्पताल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए बने वार्ड, कार्डियो थौरेसिफ और वेस्कूलर सर्जरी कार्डियोलाजी रक्त बैंक जैसे विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण सहित अस्पताल के सम्पूर्ण विकास के लिए योजना प्रस्ताव तैयार किए हैं।

परमाणु विद्युत निगम के ऋण

184. श्री जगमोहन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्र सरकार की अन्य एजेंसियों और राज्य सरकारों पर निगम की 31 मार्च, 1997 तक बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निगम को अपनी इस देनदारी को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) निगम को पर्याप्त बजटीय सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं; ताकि निगम अपने अल्पावधिक वाणिज्यिक ऋण का निपटारा कर सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) मार्च, 1997 तक राज्य विद्युत बोर्डों पर कारपोरेशन की बकाया राशि 1993.46 करोड़ रुपए है जिसमें देर से भुगतान करने के प्रभारस्वरूप 637.90 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके अलावा, मैसर्स आन्ध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज़ लिमिटेड (ए बी एफ एस एल) और कैनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज (कैनफिना) जो कि क्रमशः आन्ध्र बैंक और कैनरा बैंक की सहायक संस्थाएं हैं, पर 366 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इस प्रकार कारपोरेशन को देय कुल 2359.46 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(ख) और (ग) वर्ष-दर-वर्ष, सरकार इस कारपोरेशन को कुल आवश्यकताओं और सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इक्विटी के रूप में बजटीय सहायता देती आ रही है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिए कारपोरेशन पांच या उससे अधिक वर्षों की भुगतान-तिथि वाले ऋण माध्यमों के जरिए बाजार से उधार लेता रहा है। चूंकि परमाणु विद्युत परियोजनाओं की गेस्टेशन अवधि लम्बी होती है, अतः कारपोरेशन एक से दो वर्षों की भुगतान-तिथि वाले अल्पावधि वाणिज्यिक ऋणों के जरिए धन एकत्रित नहीं कर रहा है।

मलेरिया रोधी कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक सहायता

185. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत को मलेरिया रोधी कार्यक्रम में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा किन-किन प्रमुख कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जा रही है;

(ग) भारत में मलेरिया के प्रकोप पर नियंत्रण हेतु विश्व बैंक ने कुल कितनी परियोजना लागत पर सहमति व्यक्त की है; और

(घ) भारत कहां तक मलेरिया पर नियंत्रण पाने में सफल हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) 891.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के लिए विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सफलतापूर्वक बातचीत कर ली गई है जो 5 वर्ष की अवधि के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस ऋण से कुल परियोजना लागत की लगभग 85 प्रतिशत लागत, और नेट कर कवर हो जायेंगे और शेष राशि बजटीय स्रोतों से भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

यह परियोजना अनिवार्यतः मलेरिया के उच्च स्थानिक मारी वाले 6 प्रायद्वीपीय राज्यों में 100 जिलों और 19 कस्बों/शहरों को कवर करेगी।

कतिपय चल रही कार्य नीतियों को सहायता देने के अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना सिंथेटिक पाइरेथरापूड्स औषधयुक्त मच्छरदानियों, जैव लार्वानाशकों, लार्वाभक्षी मछलियों, डिप्सटिक रक्त परीक्षण तकनीकों, आर्टे मिसिनिन मिश्रण, जनशक्ति विकास, उन्नत सूचना, शिक्षा व संचार कार्यकलापों और संशोधित प्रबन्ध सूचना प्रणाली जैसे नये जैव-अनुकूल उपचारों के उपयोग को सुविधामय बनायेगी।

(घ) मलेरिया नियंत्रण की प्रचालन की संशोधित योजना के कार्यान्वयन योजना से मलेरिया की घटना दर 1976 में दर्ज की गई 6.47 मिलियन रोगी प्रतिवर्ष से कम लाकर 1984 से लगभग 2 मिलियन रोगी प्रतिवर्ष कर दी गई है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए मकान

186. श्री एन. जे. राठवा : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितने मकान बनाए गए तथा शहरी गरीब लोगों को दिए गए;

(ख) इससे राज्यवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इन मकानों को गरीब लोगों को दिए जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपनी निर्धारित प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धताओं के अनुसार विभिन्न आय समूहों के लिए विभिन्न आवास योजनाएं तैयार करती है। केन्द्र सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰ आवास योजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान निर्मित रिहायशी मकानों की संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ख) शहरी क्षेत्रों की ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰ आवास योजनाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या का प्रबोधन केन्द्र सरकार नहीं करती।

(ग) ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰ श्रेणियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा करके सौंपा जाता है। लाभार्थियों को रिहायशी मकान सौंपने के बारे में केन्द्र सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए ई॰ डब्ल्यू॰ एस॰ आवास योजना बावत निर्धारित अनुमानित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। विभिन्न श्रेणी की आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत नियतन से किया जाता है ये आंकड़े केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान 20सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं॰ 14-डी के अंतर्गत ई॰ डब्ल्यू एस के लिए निर्मित रिहायशी मकानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	48082	55034	28042
2.	असम	1412	771	0
3.	बिहार	0	192	0
4.	गोवा	0	0	100
5.	गुजरात	4383	2474	5877
6.	हरियाणा	56	31	0
7.	हिमाचल प्रदेश	15	30	150
8.	जम्मू तथा कश्मीर	2	11	0
9.	कर्नाटक	7846	4572	6650
10.	केरल	19526	30373	17391
11.	मध्य प्रदेश	5559	4254	5658
12.	महाराष्ट्र	4987	1500	2595
13.	मणिपुर	0	0	0
14.	मेघालय	0	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0
16.	उड़ीसा	5539	477	2855
17.	पंजाब	0	388	932
18.	राजस्थान	2911	1382	3869
19.	सिक्किम	-	150	149
20.	तमिलनाडु	7676	7366	7397
21.	त्रिपुरा	507	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	4553	3810	2076
23.	पश्चिम बंगाल	2000	0	4294
संघ शासित क्षेत्र				
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
25.	दमन व दीव	0	0	0
26.	दिल्ली	1763	831	3767
	योग :	116817	113646	91802

विवरण-II

20सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानित लक्ष्य वर्ष 1997-98

क्र॰ सं॰	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सूत्र सं॰ 14 (डी) ई डब्ल्यू एस आवास (रिहायशी मकान)	सूत्र सं॰ 14 (ई) एल आई जी आवास (रिहायशी मकान)	सूत्र सं॰ 15 स्लम सुधार (स्लम बासी)
1.	आन्ध्र प्रदेश	17000*	11000*	14286*
2.	असम	1084*	12*	7000
3.	बिहार	4200	2100	11000
4.	गोवा	200	150	150
5.	गुजरात	2800*	900*	75000*
6.	हरियाणा	350*	950*	99625*
7.	हिमाचल प्रदेश	30*	200*	11250
8.	जम्मू तथा कश्मीर	700*	350*	6000*
9.	कर्नाटक	5000*	2000*	70000*
10.	केरल	100000*	2500*	25000
11.	मध्य प्रदेश	4000*	2500*	116232
12.	महाराष्ट्र	11300	5650	522000
13.	मणिपुर	0*	310*	6250*
14.	मेघालय	0*	0*	5000
15.	मिजोरम	0*	220*	1875*
16.	उड़ीसा	500*	1600*	10000*
17.	पंजाब	1000*	500*	12500
18.	राजस्थान	2000*	1000*	40000
19.	सिक्किम	150	—	1500
20.	तमिलनाडु	2986*	3169*	13500*
21.	त्रिपुरा	150	100	15000*
22.	उत्तर प्रदेश	14000*	15000*	150000
23.	पश्चिम बंगाल	4000*	200*	37000
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50	50	400
2.	दमन एण्ड द्वीव	50	50	0
3.	दिल्ली	3150	3500	50000*
4.	पांडिचेरी	—	—	10000
	योग :	174700	40511	1310568

नोट —लक्ष्यों का तिमाही विवरण प्रथम तिमाही के लिए 10% दूसरी तथा तीसरी तिमाही के लिए प्रत्येक के लिए 25% तथा चौथी तिमाही के लिए 40% है।

*राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर।

पासपोर्ट कार्यालय

187. श्री राधा मोहन सिंह :
डॉ॰ रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए गए;

(ख) इस समय इनमें से कितने कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तीन पासपोर्ट कार्यालय—उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तथा महाराष्ट्र में थाणे में स्थापित किए गए थे। इस समय ये कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा महाराष्ट्र में पुणे में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा विद्यालय

188. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत ऐसे चिकित्सा विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है; और

(ख) ऐसे संस्थानों को उभरने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान न किए गए चिकित्सा कालेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में चिकित्सा कालेजों की बेतहाशा बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखने के अनुक्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में 1993 में संशोधन किया गया है जिसमें चिकित्सा कालेज खोलने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था है।

विवरण

मान्यता प्रदान न किए गए कालेजों की राज्यवार-सूची

क्रमांक	राज्य/चिकित्सा कालेज का नाम
	बिहार
1.	पाटलीपुत्र चिकित्सा कालेज, धनबाद
2.	माता गुजरी स्मारक चिकित्सा कालेज, किशनगंज
3.	कटिहार चिकित्सा कालेज, कटिहार
	हरियाणा
4.	महाराज अग्रसेन आयुर्विज्ञान अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अग्रोहा
	जम्मू और कश्मीर
5.	झेलम वेली आयुर्विज्ञान कालेज श्रीनगर
	महाराष्ट्र
6.	तराना मेडिकल कालेज, न्यू मुम्बई
7.	राजीव गांधी मेडिकल कालेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, कलवाल, थाणे
8.	जवाहर लाल फाउन्डेशन अन्नासाहब चूड़ामल पाटिल स्मारक मेडिकल कालेज, धूले
	राजस्थान
9.	मेडिकल कालेज, कोटा
	तमिलनाडु
10.	पेरुन्दुरे मेडिकल कालेज, पेरुन्दुरे

भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन

189. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) देश में कुछ गैर-सरकारी स्कूल हैं जिन्होंने भविष्य निधि देय राशियों के भुगतान में चूक की है। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार,

चूककर्ता स्कूलों पर 21.46 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी। चूककर्ता स्कूलों से बकाया देयों को वसूलने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8, 14, 14ख के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार और जहां आवश्यक समझा गया है भा॰दं॰ सं॰ की धारा 406/409 के अंतर्गत भी आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

पेयजल की कमी

190. श्री अशोक प्रधान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के विभिन्न राजयों में जलापूर्ति में सुधार लाने के लिए इन राज्यों को कोई विशेष ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए कोई विशेष ऋण नहीं दिया है तथापि, विश्व बैंक, संलग्न विवरण में दी गई जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लिए आई डी ए (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) क्रेडिट और आई बी आर डी (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक) ऋण के तहत सामान्य ऋण सहायता मुहैया करा रहा है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता प्रदत्त जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं की सूची

क्र॰ सं॰	जल आपूर्ति तथा सफाई स्कीमें	लागत (करोड़ रुपयों में)	विदेशी सहायता (मिलियन)	कार्य पूर्ण होने का वर्ष/ सम्भावित तिथि
1.	हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सफाई योजना	337.80	89.80 अमेरिकी डालर	31.3.98
2.	11 चेन्नई जलआपूर्ति न्यू बीरान्नम	421.40	69.4 अमेरिकी डालर	30.6.2002
3.	मुम्बई सीवेज निपटान	1003.80	192.0 अमेरिकी डालर	31.12.2002
4.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलआपूर्ति तथा सफाई स्कीम	319.58	109.90 अमेरिकी डालर	31.12.97
5.	कर्नाटक ग्रामीण जलआपूर्ति तथा सफाई स्कीम	447.20	92.0 अमेरिकी डालर	30.6.2000
6.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलआपूर्ति तथा सफाई स्कीम	783.38	59.60 अमेरिकी डालर	2002

उपर्युक्त परियोजनाओं में शामिल स्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

(i) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद

(ii) चेन्नई

(iii) मुम्बई

(iv) सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, थाने, औरंगाबाद, बीड, लातूर, बुल्डाना तथा चन्द्रपुर।

(v) बंगलौर, मन्डैया, मैसूर, शिमोगा, दक्षिणा, बेल्लारी, गुल्बर्गा, रायचूर, बीदर, बेलगांव, टुमकुर तथा हासन।

(vi) टेहरी, देवरिया, झांसी, बिजनौर, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, ललितपुर, जालौन, अल्मोड़ा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद।

[अनुवाद]

रासायनिक हथियारों का निरीक्षण

191. श्री बी. एल. शंकर :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने रासायनिक हथियारों के भंडार उनके उत्पादन तथा भंडारण सुविधाओं के अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश की सुरक्षा पर ऐसे निरीक्षणों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) कितने देशों ने हाल ही में ऐसा किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) भारत रासायनिक शस्त्र अभिसमय (सी डब्ल्यू सी) का एक ऑशिक पक्षकार राज्य है जो 29 अप्रैल, 1997 को प्रवृत्त हुआ था। इस अभिसमय में राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ घोषणाएं करने की व्यवस्था है। तदनुसार भारत ने जो घोषणाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें अधिसमय द्वारा यथा निदेशित भारत के रासायनिक शस्त्रों के भण्डार और उत्पादन सुविधाओं का विवरण शामिल है। इस संबंध में सरकार का निर्णय भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के प्रति इसकी वचनबद्धता की पूरी-पूरी हिफाजत करता है।

(घ) लगभग 40 देशों ने शस्त्र अभिसमय के अन्तर्गत अपनी-अपनी बाध्यताओं के अनुसार घोषणाएं की हैं।

योजना परिव्यय में वृद्धि

192. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सात पूर्वोत्तर राज्यों सहित 10 विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए वार्षिक योजना आवंटन में भारी वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए इन राज्यों के लिए कुल वार्षिक योजना आवंटन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या योजना आयोग ने विशेष श्रेणी के इन 10 राज्यों को धनराशि 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में आबंटित करने का भी निर्णय लिया है और क्या अन्य राज्यों को धनराशि 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त हुई है;

(घ) गत वर्ष इन राज्यों को किये गये वार्षिक आबंटनों का ब्यौरा क्या है और इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि अधिक है; और

(ङ) इन राज्यों में कार्यान्वयन के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर) : (क) से (ङ) सात पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के दस राज्यों के संबंध में पिछले वर्ष के परिव्यय की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य वार वार्षिक योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय सहायता के लिए आबंटन के लिए गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के अंतर्गत जो 1991 से लागू है, 10 विशेष श्रेणी के राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में है जबकि अन्य राज्यों के संबंध में यह अनुपात 30:70 है। राज्यों को विभिन्न क्षेत्रकों में स्कीमें तैयार करने की स्वतंत्रता है। बशर्ते यह योजना स्कीमों के रूप में चलाने के योग्य हो और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

विवरण

विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय-वार्षिक योजना 1996-97 और 1997-98

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय		1996-97 की तुलना में 1997-98 में प्रतिशत वृद्धि
		1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	520.00*	600.00	15.38
2.	असम	1434.00*	1500.00	4.60
3.	हिमाचल प्रदेश	900.50	1008.00	11.94

1	2	3	4	5
4.	जम्मू व कश्मीर	1250.00	1550.00	24.00
5.	मणिपुर	350.00*	410.00	17.14
6.	मेघालय	370.00*	382.00	3.24
7.	मिजोरम	281.00*	290.00	3.20
8.	नागालैण्ड	290.00*	291.00	0.35
9.	सिक्किम	192.00*	220.00	14.58
10.	त्रिपुरा	370.00*	437.00	18.11

* "झुग्गी झोंपड़ी विकास" के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधान को छोड़कर।

कालीकट विमान पत्तन के लिए हुडको द्वारा ऋण

193. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको द्वारा कालीकट विमानपत्तन के विकास के लिए कोई सहायता/ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए क्या शर्तें हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां। आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने कालीकट एयरपोर्ट के विकास के लिए मालावार अन्तर्राष्ट्रीस हवाई अड्डा विकास समिति (सोसाइटी) को 60 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) इस सोसाइटी ने 60 करोड़ रु० के स्वीकृत ऋण में से अब तक 37.50 करोड़ रु० का ऋण लिया है।

(ग) इस ऋण पर सालाना ब्याजदर 17 1/2% है तथा इसे परियोजना अवधि सहित 9 वर्षों में तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर लिया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

194. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों के कर्मचारी जून, 1997 के दौरान हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी 4.6.97 से 5.6.97 तक हड़ताल पर थे। उनकी मांगें अन्य बातों के साथ-साथ पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की कतिपय सिफारिशों अर्थात् रिक्त पदों की समाप्ति, के० स० स्वा० योजना में स्पलिट ड्यूटी आवर्स, विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने, के० स० स्वा० योजना के कर्मचारियों के लिए क्रेच संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था, के० स० स्वा० योजना के स्वयं के अस्पतालों इत्यादि के खोलने से संबंधित थी।

चूंकि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अभी भी कार्रवाई की जा रही है इसलिए एसोसिएशन को सूचित किया गया कि के० से० स्वा० योजना के कर्मचारियों की कार्य करने की स्थितियों और सुविधा के बारे में उनकी मांगों को उपयुक्त समय में सहानुभूतिपूर्वक प्रक्षेपित किया जायेगा। उन्हें इस बात की भी सूचना दी गई कि हड़ताल को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे रोगी परिचर्या संबंधी सेवाएं जोखिम में पड़ जायेंगी जो के० स० स्वा० योजना का प्रथम कर्तव्य है।

बुनियादी सुविधाएं

195. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सफाई जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं युक्त कस्बों का विकास करने पर विशेष रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में किन कस्बों को विकास के लिए चुना गया है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि जारी की गयी है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य तथा सफाई जैसी न्यूनतम सुविधाओं के साथ कस्बों का विकास करने के लिए केन्द्र की अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि आदिवासी क्षेत्रों में जो कस्बे विकास केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा ग्रामीण पृष्ठ भागों के लिए आर्थिक विकास तथा रोजगार अवसर उत्पन्न करने में सक्षम हैं, उन्हें छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की योजना (आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰) के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। योजना दिशानिर्देश के अनुसार कस्बों का चयन तथा परियोजनाओं को स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आवास को कब्जे में रखना

196. डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी साधारण स्थिति में दिल्ली प्रशासन के आवास लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन) से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बार्डर क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने के बाद तब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक उन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में वैकल्पिक आवास आबंटित नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अस्पतालों की दयनीय स्थिति

197. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19-27 जनवरी, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "द कन्डीशन ऑफ दिल्लीज हास्पीटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कई सरकारी अस्पतालों में धनराशि की कमी के कारण महत्वपूर्ण उपस्कर खराब हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में जिन अस्पतालों का उल्लेख किया गया, वे हैं, सफदरजंग अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, हिन्दू राव अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, राजन बाबू क्षय रोग अस्पताल, संक्रामक रोग अस्पताल, कलावती सरन अस्पताल, दीन दयाल अस्पताल, जी॰ बी॰ पन्त अस्पताल, शाहदरा मनश्चिकित्सा अस्पताल। इनमें से सफदरजंग अस्पताल और कलावती सरन अस्पताल केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं। अन्य अस्पताल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली नगर निगम के नियंत्रण में हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों के कार्यकरण की समीक्षा समय-समय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/मंत्रालय द्वारा और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों के कार्यकरण की समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

"बच्चे उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा कलावती सरन अस्पताल में रैकेट चलाया जा रहा है", के शीर्षक से समाचार के बारे में यह सूचना दी गई है कि पहले इस अस्पताल में बच्चे उठाने की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि, परिवार के पड़ौसी द्वारा इस अस्पताल से वच्चा उठाकर ले जाने की एक घटना होने की सूचना दी गई थी। पुलिस की सहायता से इस बच्चे को बरामद कर लिया गया था।

(घ) से (च) इस समय सभी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरणों की या तो मरम्मत कर दी गई है अथवा की जा रही है जो एक सतत् प्रक्रिया है। इस मामले की हाल ही में समीक्षा की गई है और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपकरणों के उपयुक्त कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि हिन्दू राव अस्पताल अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा है और इस अस्पताल और संक्रामक रोग अस्पताल में उपकरण उपयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

महामारियों के कारण मौतें

198. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में महामारियों के कारण बहुत अधिक संख्या में बच्चे मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बच्चों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन महामारियों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान दिल्ली सरकार को धन उपलब्ध कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दिल्ली सरकार ने वर्षवार उक्त धनराशि किन मदों पर व्यय की; और

(छ) इन महामारियों को रोक पाने में सफलता न मिलने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निर्धनता

199. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं स्वच्छ पेय जल और बुनियादी स्वच्छता संबंधी सुविधाओं से वंचित लोगों के अद्यतन तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निर्धनता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुमान उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) से लगाया जाता है। नवीनतम अनुमान 1993-94 हेतु उपलब्ध है, जो 50वें दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित हैं। इसके अनुसार 1993-94 में गरीबों की संख्या 320.37 मिलियन होने का अनुमान है। पेयजल के प्रमुख स्रोतों पर व्यक्तियों के प्रतिशत वितरण और विभिन्न प्रकार के अस्पतालों-अस्पताल में दाखिल मामलों का प्रतिशत वितरण संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) 9वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर अपनाई गई है जिसके महत्वपूर्ण रूप से गरीबी के स्तर के घटने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह गरीबी उन्मूलन के लिए सीधे राज्य के हस्तक्षेप को जारी रखने और स्वरोजगार और अनुपूरक मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन के अधिक प्रभावी साधन बनाने के उद्देश्य से उन्हें पुनः डिजाइन करने को मान्यता देता है। इन्हें पंचायती राज संस्थाओं के छत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ भी मिलाया जाएगा।

विवरण-I

पीने के पानी के प्रमुख स्रोतों पर व्यक्तियों के वितरण का प्रतिशत

(1986-87)

	स्रोत	ग्रामीण	शहरी
1.	टेप	16.07	72.43
2.	ट्यूबवैल/हैण्ड पम्प	36.49	15.44
3.	पक्का कुआं	38.97	10.26
4.	अन्य	8.47	1.87
	जोड़ :	100.00	100.00

स्रोत : एन एस एस पर 42वां दौर

विवरण-II

विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में दाखिल मामलों का प्रतिशत वितरण

(1986-87)

	अस्पताल का प्रकार	ग्रामीण	शहरी
1.	सार्वजनिक अस्पताल	55.40	59.51
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4.34	0.75
3.	निजी अस्पताल	31.99	29.55
4.	सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे धर्मार्थ संस्थान	1.71	1.91
5.	नर्सिंग होम	4.86	7.04
6.	अन्य	1.70	1.24
	कुल	100.00	100.00

स्रोत : एन॰ एस॰ एस॰ 42वां दौर

[हिन्दी]

गामा नेलिंग प्रणाली

200. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परम्परागत उपचार पद्धतियों की तुलना में श्रेणी-अस्थि का उपचार करने में गामा नेलिंग प्रणाली से चमत्कारी परिणाम आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पद्धति का विवेकपूर्ण प्रयोग करने और इसका प्रचार करने व इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) देश में गामा नेलिंग प्रणाली का उपयोग ऊरु अस्थि (फीमर) भंग के उपचार में चयनित रूप से किया जा रहा है। श्रेणी-अस्थि विकारों के उपचार में इसके इस्तेमाल के प्रभाव के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव

201. श्री जगमोहन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद कितने राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये गये हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इन राज्यों में चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर ली जाये ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के तहत बिहार राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अभी होने हैं।

(ख) बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव न्यायालय में मामला होने के कारण रुके पड़े हैं। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उक्त मामले में निर्णय हो जाने के पश्चात् ही शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकेंगे।

[हिन्दी]

लंबित योजनाएं

202. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार की कितनी योजनाएं आज तक केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई है और मंजूरी हेतु लंबित पड़ी है;

(ख) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं आदिवासियों/ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध है;

(ग) इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिये जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त 11 स्कीमें केन्द्रीय सरकार के पास इसके अनुमोदन के लिये लंबित पड़ी हैं।

(ख) इन 11 स्कीमों में से, चार जनजातीय क्षेत्रों, चार सूखा प्रवण क्षेत्रों और शेष तीन जल-संग्रहण एवं व्यापक कृषि विकास से संबंधित हैं।

(ग) उपर्युक्त स्कीमों के बारे में अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) लंबित स्कीमों की स्वीकृति केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देने में राज्य सरकार की शीघ्रता पर निर्भर करती है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित गुजरात सरकार की विभिन्न स्कीमों की स्थिति

1. *माछू-I सिंचाई का आधुनिकीकरण (मोड)—लागत 11.12 करोड़ रु.*

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया है और सलाहकार समिति ने अगस्त, 1993 में इस पर विचार किया और इसे स्वीकार्य पाया बशर्ते इसे पर्यावरणिक स्वीकृति और राज्य के वित्त विभाग की सहमति मिल जाय। तकनीकी सलाहकार समिति के निष्कर्ष राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। राज्य सरकार को शीघ्र ब्यौरे देने हैं और पर्यावरणिक स्वीकृति के लिए कार्रवाई करनी है।

2. *यू. एन. डी.-II सिंचाई परियोजना—लागत 38.94 करोड़ रु.*

संशोधित परियोजना रिपोर्ट राज्य के अनुपालन और संशोधित लागत अनुमानों के साथ दिसम्बर, 1991 में प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई थी कि परियोजना के विस्तार क्षेत्र को संशोधित किया जा रहा है और तदनुसार लागत अनुमानों को संशोधित किया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार से परियोजना के अद्यतन अनुमानों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

3. *गोमा सिंचाई परियोजना—लागत 47.58 करोड़ रु.*

सलाहकार समिति द्वारा फरवरी, 1997 में परियोजना पर विचार कर लिया गया है और स्वीकृति दी गई है बशर्ते राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो जाय। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. *ओजाट-II जल संसाधन—लागत 59.73 करोड़ रु.*

यह स्कीम अक्तूबर, 1993 में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को अप्रैल, 1996 में भेज दी गई थीं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि केन्द्रीय जल आयोग के निष्कर्षों का अनुपालन शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी राज्य से सूचना

मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

5. मिट्टी सिंचाई को पुनः चालू करना—लागत 14.51 करोड़ रु.

इस स्कीम का योजना आयोग द्वारा पहले 188.44 लाख रु. के लिए 11.8.78 को अनुमोदन किया गया था। इस परियोजना की जांच की गई थी और राज्य सरकार को टिप्पणियां भेज दी गई थीं। राज्य के प्रतिनिधि ने 7.10.96 की त्रैमासिक पुनरीक्षा बैठक में कहा था कि केन्द्रीय जल आयोग के निष्कर्षों का अनुपालन शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

6. वर्तु-II सिंचाई—लागत 30.38 करोड़ रु.

संशोधित रिपोर्ट, जो जून, 1994 में प्राप्त हुई थी, की जांच की गई और उस पर टिप्पणियां राज्य सरकार को अक्तूबर, 1995 में भेज दी गई थीं। राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग के निष्कर्षों का अनुपालन भेजने का अनुरोध किया गया था।

7. नानीबर्सन डब्ल्यू. आर. परियोजना—लागत 32.40 करोड़ रु.

यह स्कीम नवम्बर, 1994 में प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को अक्तूबर, 1995 में भेज दी गई थीं। केन्द्रीय जल आयोग के निष्कर्षों के अनुपालन की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

8. बकरोल जल संसाधन परियोजना—लागत 23.86 करोड़ रु.

यह स्कीम जनवरी, 1995 में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट की जांच की गई और टिप्पणियां राज्य सरकार को जून, 1995 में भेज दी गई थीं। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर अनुपालन प्राप्त हुआ था। परन्तु राज्य से और अधिक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

9. एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना—चालू परियोजना का विस्तार—लागत 32.86 करोड़ रु.

विश्व बैंक द्वारा निधि पोसित एकीकृत जल संभर विकास परियोजना फरवरी, 1991 से साबरकांठा राजकोट, बड़ौदा और भड़ौच इन चार जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और यह 31.3.98 को बन्द हो जाएगी। एक वर्ष के लिए परियोजना के विस्तार से संबंधित दूसरे प्रस्ताव की जांच कृषि मंत्रालय द्वारा की जा रही है। कृषि मंत्रालय के विचार आर्थिक कार्य विभाग को शीघ्र भेज दिये जायेंगे।

10. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिये एकीकृत जल संभर विकास—लागत 85 करोड़ रु.

गुजरात के पंचमहल और साबरकांठा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत जल संभर विकास की एक परियोजना राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई है। परियोजना की जांच की गई है और कृषि मंत्रालय की टिप्पणियां राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई हैं कि वे संशोधित प्रस्ताव भेजें। राज्य सरकार से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

11. व्यापक कृषि विकास परियोजना (एन. ए. ई. पी.)-चरण-III) विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं—लागत 46.08 करोड़ रु.

गुजरात सरकार का 2.7.97 का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय को 16.7.97 को प्राप्त हुआ है और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

***203. श्री जी. ए. चरण रेड्डी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में एक प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी तथा इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग) प्रभावी और उत्तरदायी सरकार से संबंधित कार्य योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्य योजना में मुख्य तीन विषय थे अर्थात् जवाबदेह और नागरिक-मैत्री सरकार, पारदर्शिता और सूचना का अधिकार तथा लोक सेवाओं के निष्पादन और सत्यनिष्ठा में सुधार लाना। इन विषयों के अंतर्गत जिन मसलों पर चर्चा की गई और जिन पर केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है वे निम्न प्रकार हैं :—

(क) नागरिक चार्टर और जवाबदेह प्रशासन,

(ख) प्रभावी और त्वरित लोक शिकायत निवारण प्रणाली,

(ग) चुनी हुई स्थानीय निकायों को शक्ति सौंपना और सेवाओं की विकेन्द्रीकृत डिलीवरी,

(घ) कानून, विनियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा,

(ङ) पारदर्शिता और सूचना का अधिकार,

(च) सरकारी कार्यालयों और सुविधा काउंटरों पर उपलब्ध सूचना तक जनता की पहुंच,

(छ) लोक सेवाओं के लिये नैतिक संहिता,

(ज) भ्रष्टाचार का निवारण और प्रशासन का साफ-सुथरापन, तथा

(झ) पद पर कार्यकाल की स्थिरता और सिविल सेवा बोर्ड की स्कीम।

2. यह सहमति हुई कि प्रत्येक राज्य स्थानीय परिस्थितियों में भिन्नता के लिये समुचित गुंजाइश रखते हुये कार्य योजना को अमल में लाने के लिये कार्रवाई करेगा।

3. सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मुख्य सचिवों और भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो कि कार्य योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगी और केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर विभिन्न निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों हेतु कल्याण योजनाएं

204. श्री अशोक प्रधान : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों से लेकर आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश, विशेष रूप में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं पर अब तक वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के वर्ष-वार कितने श्रमिक इन कल्याण योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

त्रि-राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

205. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने नवम्बर, 1997 में ढाका में त्रिराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को भी इस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य और कार्यसूची क्या है; और

(घ) क्या भारत ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय ले लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) नौवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान मई, 1997 में माले में हुई चर्चा के अनुसरण में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा था जिसमें नवम्बर, 1997 में 'व्यापारियों की गोल-मेज बैठक' का प्रस्ताव शामिल है। यह प्रस्ताव रखा गया कि इस गोलमेज का उद्घाटन भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार तीनों प्रधानमंत्रियों के संयुक्त शिखर सम्मेलन बैठक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अपने उत्तर में प्रधानमंत्री ने व्यापारियों की गोलमेज के प्रस्ताव को आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के हमारे साझे लक्ष्य के लिए उपयोगी बताया है ओर यह भी सुझाव दिया है कि हमारे देश में व्यापारी समूह के शीर्ष निकाय इस पर और विचार कर सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इसमें भाग लेने का निर्णय उपयुक्त समय पर लिया जाएगा।

माले में दक्षेस सम्मेलन

206. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माले में आयोजित दक्षेस सम्मेलन द्वारा सदस्य राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की भावना सुधारने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में की गयी अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माले में आयोजित नवें सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क सदस्य राज्यों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया था और इसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) सार्क के लिए दीर्घावधिक परिकल्पना विकसित करने के लिए और वर्ष 2000 और उससे आगे के लिए सार्क कार्य सूची सहित भावी कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल का गठन करना;

(ii) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तारीख को सन् 2001 ईस्वी तक आगे बढ़ाना तथा सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के तहत तीसरे दौर की व्यापार वार्ताओं के लिए दिशानिर्देश देना;

(iii) वह संकल्प लेना कि सार्क के तीन अथवा अधिक सदस्य राज्यों से युक्त विशिष्ट उप-क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं को सार्क रूपरेखा के भीतर प्रोत्साहित किया जाएगा;

(iv) वर्ष, 1997 को "सहभागी शासन सार्क वर्ष" के रूप में घोषित करना;

(v) वर्ष 2000-2010 को "बाल अधिकार सार्क दशक" के रूप में घोषित करना,

(vi) लोगों से लोगों के बीच और अधिक संबंध संवर्धित करने के लिए सार्क वीजा छूट योजना में व्यक्तियों की नई श्रेणियों को शामिल करना;

(vii) यह सहमति कि अनौपचारिक राजनीतिक परामर्श, सार्क प्रक्रिया के औपचारिक भाग के रूप में न हो, उपयोगी हो सकती है।

(घ) प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दल की पहली बैठक मालदीव में शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। साफ्टा के पारगमन पर अन्तर-सरकारी विशेषज्ञ दल की अपनी पहली बैठक मई, 97 में थिम्पू में आयोजित की गई तथा इसकी दूसरी बैठक सितम्बर, 97 में आयोजित की जाएगी। साप्टा के तहत तीसरे दौर की व्यापार वार्ताओं की पहली बैठक 29 से 31 जुलाई, 1997 तक काठमांडू में आयोजित की जाएगी। उप-क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं के संबंध में सहयोग से संबंधित तौर-तरीकों को अन्तिम रूप दिया जाना है। "सहभागी शासन सार्क वर्ष" मनाने के संबंध में उपयुक्त गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा

207. श्री कृष्ण लाल शर्मा :

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय :

डॉ॰ जी॰ एल॰ कनौजिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में पीलिया जैसी कतिपय बीमारियों के उपचार में कुछ सीमाएं हैं;

(ख) क्या संसद की अंधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को एलोपैथी के साथ अन्य चिकित्सा प्रणालियों की भी जानकारी दी जाए ताकि उन्हें पीड़ित मानवता के हित के लिए अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों की पिछले माह के दूसरे सप्ताह में आयोजित बैठक में भी इस विषय पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी मार्गनिर्देशों का रुझान क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) विभिन्न प्रकार के विषाणुज यकृतशोथ के लिए एलोपैथी (आधुनिक चिकित्सा) में कोई विशिष्ट विषाणु-रोधी औषधि नहीं है। केवल सहायक चिकित्सा प्रदान की जाती है।

(ख) जी, हां। अधीनस्थ विधायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अंतर्गत नियम/विनियम तैयार किए जाएं ताकि चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र बढ़ सके और इसमें देशी चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के प्रारंभिक ज्ञान को भी शामिल किया जा सके।

(ग) समिति की विभिन्न सिफारिशों तथा उनसे संबंधित मामलों पर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ 12 जून, 1997 को हुई बैठक में चर्चा की गई।

(घ) उनका यह विचारित मत था कि एलोपैथी, अर्थात् आधुनिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी चिकित्सा प्रणालियों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि वे पृथक प्रणालियां हैं और प्रत्येक प्रणाली के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तथापि, सामान्य एलोपैथिक अस्पतालों में देशी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना व्यावहारिक पाई गई। इस नीति को चयनात्मक आधार पर अपनाने पर सहमति हुई।

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति

208. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सहायता उपलब्ध कराकर कितने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर) : (क) योजना आयोग गरीबी की घटनाओं का केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुमान लगाता है और न कि राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर।

(ख) गरीबी के अनुमान उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन॰ एस॰ एस॰) से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें 5 वर्षों में किया जाता है। राज्यवार गरीबी की घटनाओं के नवीनतम अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय के 50वें दौर पर आधारित है। दो नवीनतम अवधियों में राजस्थान में गरीबी की घटनाएं 1987-88 में 35.15 प्रतिशत और 1993-94 में 27.41 प्रतिशत के रूप में अनुमानित है।

(ग) और (घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में (राजस्थान राज्य सहित) कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰ आर॰ डी॰ पी॰), जवाहर रोजगार योजना (जे॰ आर॰ वाई॰), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई॰ ए॰ एस॰) है। आठवीं योजना

के दौरान इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया कुल आबंटन और व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजस्थान में 1992-93 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	1992.93 कुल आबंटन	1992.93 व्यय	1992.93 प्रतिशत व्यय	1993.94 कुल आ.	1993.94 व्यय	1993.94 प्रतिशत व्यय	1994.95 कु.आ.	1994.95 व्यय (अनिमंत्र)	1994.95 प्रतिशत व्यय	1995.96 कु.आ.	1995.96 व्यय (अनं)	1995.96 प्रति. व्यय	1996.97 कु.आ.	1996.97 व्यय (अनं)	1996.97 प्रति. व्यय	1992.93 जब 1996.97 कु.आ.	1992.93 जब 1996.97 व्यय (अनं)	1992.93 जब 1996.97 प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आई.आर.डी.पी.	3118.00	3258.25	104.50	4430.00	4213.30	95.11	4393.00	4626.81	105.32	4388.01	4730.24	107.80	4388.01	4102.25	93.49	20717.02	20930.85	101.03
2.	जे.आर.वाई (प्रथम चरण)	15172.01	12246.06	80.71	12961.33	14247.06	109.92	14266.86	13951.90	97.79	18553.85	16430.90	88.56	9146.40	8766.70	95.85	70100.45	65642.62	93.64
	(द्वितीय चरण)	-	-	-	4568.75	1628.85	35.65	4568.75	5957.13	130.39	2271.25	1773.49	78.08	-	-	-	11408.75	9359.47	82.04
3.	ई.ए.एस.	-	-	-	4575.00	926.99	20.26	12375.00	10876.32	87.89	17537.50	14770.06	84.22	12987.50	12609.31	97.09	47475	39182.68	82.53
4.	डी.पी.ए.पी.	514.00	635.70	123.68	771.00	729.92	94.67	853.00	1013.03	118.76	865.00	1001.99	115.84	871.00	458.03	52.59	3874	3838.67	99.09
5.	डी.डी.पी.	3800.00	3650.47	96.06	5700.00	4679.77	82.10	6450.00	6308.84	97.81	5258.00	5689.31	108.20	5258.00	2990.81	56.88	26466	23319.2	88.11

चूंकि ई.ए.एस. के अन्तर्गत राज्यवार आंबटन नहीं किये जाते कुल चारों घनराशि

नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करना

209. श्री आर. साम्बासिवा राव :
श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने संबंधी कार्य में हुई प्रगति के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु हाल ही में योजना आयोग की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं के बारे में भी कोई निर्णय लिया है जिन्हें निधियों सहित राज्यों को अंतरित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को अंतत: कब तक अंतरित किए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी. सवान्नूर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री एवं योजना आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, 9 जून, 1997 को हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची की मदों पर चर्चा की गई :

1. नौवीं योजना के कार्यों की प्रगति
2. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का स्थानांतरण
3. विद्युत पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति
4. गाडगिल फार्मूले पर राज्यों से प्राप्त सुझाव; जानकारी हेतु टिप्पणी

(ग) और (घ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के राज्यों को स्थानान्तरण के विभिन्न पहलुओं तथा स्थानान्तरण की पद्धतियों का हल निकालने पर केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा की प्रक्रिया अभी चल रही है।

प्रत्यर्पण संधि

210. श्री जी. ए. चरण रेड्डी :
श्री सुन्दर लाल पटवा :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री दत्ता मेघे :
श्री कचरु भाउ राउत :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सुरेश कलमाड़ी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह अमरीका और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1931 की संधि का स्थान लेगी जो कि फिलहाल भारत और अमरीका के बीच लागू है;

(घ) यह 1931 की संधि से किस हद तक भिन्न है;

(ङ) क्या इस संधि से दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में सहायता मिलेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उन अन्य राष्ट्रों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, हां।

(ख) नयी संधि की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

— इस संधि के तहत प्रत्येक देश फरार अभियुक्त अपराधियों अथवा एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में एक वर्ष से अधिक अवधि के सजायाफ्ता अपराधियों को प्रत्यर्पित करने के लिए स्वयं बाध्य होगा;

— इस संधि में किसी भी सरकार के लिए दूसरी सरकार के अनुरोध पर फरार अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने की क्रियाविधियों की व्यवस्था है, ताकि फरार अपराधी को फरार होने से रोका जा सके।

— इसमें अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाए जा रहे कैदियों के अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण के लिए कानूनी आधार की भी व्यवस्था है।

— इस संधि के तहत फरार अपराधियों को उनकी राष्ट्रीयता का लिहाज किए बिना प्रत्यर्पित किया जाएगा।

(ग) यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन है और यह संबंधित पक्षों के बीच अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगी प्रभावी हो जाने पर यह संधि अमरीका और युनाइटेड किंगडम के बीच सम्पन्न 1931 के उस प्रत्यर्पण संधि का स्थान लेगी जिसे भारत ने स्वीकार किया था और जो इस समय भारत तथा अमरीका के बीच प्रवृत्त है।

(घ) यह संधि प्रत्यर्पण कानून तथा व्यवहार की मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए दोनों देशों के बीच विधि प्रवर्तन के सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ङ) और (च) यह संधि अन्तर्राष्ट्रीय स्थापक औषधों के अवैध व्यापार, आतंकवाद और अन्य फरार अपराधियों के गम्भीर अपराधों को रोकने की गम्भीर समस्या से दोनों देशों द्वारा मिलकर मुकाबला करने के प्रयासों को सुदृढ़ करेगी। यह व्यापक कानूनी आधार प्रदान करेगी तथा क्रियाविधिक तंत्रों को संवर्धित करेगी ताकि प्रत्येक देश अपराधियों को गिरफ्तार तथा उनका प्रत्यर्पण कर सकें।

(छ) भारत ने कनाडा, यू॰ के॰ नेपाल, भूटान, हालैण्ड, बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड और हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न की है।

इन दोनों देशों के अलावा भारत के तंजानिया, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, पपुआ न्यू गिनी, फीजी, थाईलैण्ड, जर्मनी तथा स्वीडन के साथ प्रत्यर्पण प्रबंध है।

इनसैट-2

211. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्तिशाली एरिएस राकेट की मदद से फ्रेंच गुयाना के कोरू उपग्रह इनसैट-2 श्रेणी का चौथा उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित बड़े भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इससे भारत में संचार तथा टी वी नेटवर्क में कोई वृद्धि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां। इनसैट-2डी उपग्रह को फ्रेंच गुयाना, कोरू से जून 4, 1997 को प्रमोचित किया गया था।

(ख) इनसैट-2डी उपग्रह संतोषप्रद रूप में कार्य कर रहा है तथा यह इनसैट-2ए के साथ 74 डिग्री पूर्व में सहस्थित है। इनसैट-2डी पर लगे सभी प्रेषानुकरों की जांच कर ली गई है तथा उनका कार्यनिष्पादन संतोषप्रद है।

(ग) और (घ) नौवीं योजनावधि के दौरान कुल मिलाकर पद्रंह उपग्रहों/प्रमोचक राकेटों का मिशन प्रस्तावित है। इसमें पांच तीसरी पीढ़ी के भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह शृंखला के उपग्रह शामिल हैं। ये उपग्रह भारत में संचार और टी॰ वी॰ सेवाओं में वृद्धि करेंगे।

(ङ) इस समय, इनसैट प्रणाली में दूरसंचार और टी॰ वी॰ सेवाएं प्रदान करने वाले 80 से अधिक प्रेषानुकर हैं। नौवीं योजनावधि के अंत तक यह संख्या बढ़कर लगभग 130 होने की संभावना है।

राष्ट्रीय रोजगार प्रकोष्ठ

212. श्री संतोष मोहन देव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार प्रकोष्ठ कार्य दल की 31वीं बैठक 20 दिसम्बर, 1996 को हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों तथा रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के बीच बढ़ते हुए अन्तर पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई विशेष कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य-दल की बैठक 20-21 दिसम्बर, 1996 को हुई थी।

(ख) से (घ) अल्परोजगार के उच्च प्रभाव क्षेत्र तथा दैनिक श्रम की वृद्धि को मानते हुए, नौवीं योजना में निर्धनों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त नौवीं योजना के दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार में वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन के मद्देनजर कृषीय तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार राज्य नीति का ऐसा महत्वपूर्ण आयाम है जिससे समान रूप से वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। बेरोजगारी की उच्च दर तथा अल्परोजगार की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में, श्रम गहन सैक्टरों पर केन्द्रित रहते हुए स्वयं विकासात्मक प्रक्रिया में उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा। रोजगार की गुणवत्ता में सुधार केवल तीव्रता से उत्पादकता में वृद्धि, जिसके लिए श्रम उचित दावा रख सकता है, से ही प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर शिक्षा तथा कौशल विकास, दोनों को रोजगार अवसरों का लाभ प्रदान करा सकते हैं। पारम्परिक व्यवसायरत लोगों के लिए कौशल विकास, तकनीकी स्तर में वृद्धि तथा विपणन माध्यम उपलब्ध करवाने के लिये विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

भारत नेपाल शांति समझौता

213. श्री मोहन रावले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत के साथ 1950 के शांति और मैत्री समझौते की समीक्षा करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेपाल द्वारा इस समझौते में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान यह सहमति हुई थी कि दो महीने में होने वाली विदेश सचिवों की अगली बैठक में, 1950 की संधि से संबंधित मुद्दे सहित द्विपक्षीय हित के सभी मसलों पर चर्चा होगी। विशिष्ट पहलुओं यदि कोई हो जिन पर वे चर्चा करना चाहते हों, के बारे में नेपाली पक्ष के विचार को भी बैठक के दौरान सुस्पष्ट किया जा सकता है।

होर्डिंगों को हटाना

214. श्री जगमोहन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न चौराहों, ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक महत्व के सार्वजनिक भवनों तथा छतों के ऊपर बड़ी संख्या में वाणिज्यिक होर्डिंग/विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं;

(ख) क्या इन होर्डिंगों से दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों और मानदण्डों का उल्लंघन होता है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा दिल्ली शहरी कला आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा जारी किए जाने का प्रस्ताव है कि अभी अवैध होर्डिंगों को हटाया जाए और राजधानी के प्राकृतिक दृश्य को विकृत होने से बचाया जाए ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : महोदय, आप ने कहा है कि गृह मंत्री की टिप्पणियां आपको प्राप्त हो गई हैं। गृह मंत्री का क्या वक्तव्य है ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने मुझे लिखित रूप में सूचित किया है कि वह वक्तव्य देने को तैयार हैं। अपराह्न 2.00 बजे गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पर कल चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपका क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव गृहीत कर लिया है।

श्री प्रमोद महाजन : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कल इस पर निर्णय करना उचित नहीं होगा कि सभा कब स्थगित की जाए। स्थगन प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सभी कार्यों को तुरंत स्थगित करके इस पर विचार किया जाएगा। नियम के अनुसार इस पर आज ही अधिक से अधिक अपराह्न 4.00 बजे तक चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आप इसे कल तक ले लिए स्थगित नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। परंतु इसमें समय आदि के आबंटन का प्रश्न आ जाता है। यदि आप मुझे सहयोग दें तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं समय के आबंटन के बारे में एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहता हूं। नेताओं की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि हम बाद में समय के आबंटन पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी बिहार के बारे में नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी भेजी सूचना मिल गई है। मैं आपकी सूचना पर भी विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री दो बजे जवाब देने वाले हैं तो अभी बिहार में केन्द्र के दो मंत्रियों पर हमला किया गया, उस बारे में भी जवाब दिलवायें।

[अनुवाद]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, यदि स्थगन प्रस्ताव ही पहले लिया जाता है तो आप समय के बारे में निर्णय कर सकते हैं। लेकिन पूर्ववर्तिता के क्रम में स्थगन प्रस्ताव को अन्य सभी मुद्दों से वरीयता दी जानी चाहिए। जब भी इसे लिया जाए इसे सर्वप्रथम लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कल लिया जाएगा। यदि सभी दल सहमत होते हैं तो मुझे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज ही बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे विचार से कल ऐसा करना उचित होगा।

(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मेरे विचार से कल प्रश्न काल के पश्चात् स्थगन को लिया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अन्य किसी भी प्रस्ताव से पहले लिया जाना चाहिए, यह स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैंने भी एडजॉर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हो गई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मुझे आपके स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। मैं इसकी जांच कर रहा हूं। मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण (कराड़) : महोदय, दलितों का मुद्दा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)* मुम्बई पुलिस द्वारा दलितों पर गोलीबारी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। इस पर शीघ्र चर्चा की जानी चाहिए। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। यह किसी अन्य मुद्दों की भांति नहीं है। पूरे देश में दलित इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। अतः, कृपया इसे शीघ्र लिया जाना चाहिए। मैंने प्रश्न काल को निलंबित किए जाने का अनुरोध किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी महत्ता ज्ञात है।

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण : कृपया इस प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत शीघ्र लिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी महत्ता जानता हूं। लेकिन हम दो मुद्दों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव को वरीयता मिलती है।

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण : यह दलितों का मामला है जो अधिक महत्वपूर्ण है। दलित इस स्थिति के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की आपत्ति यह है कि कल आपने जो सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई, उसमें हमारी पार्टी को नहीं बुलाया जबकि हम लोगों ने लिख कर दिया है कि हमारा ग्रुप अलग है। हम लोगों की ऐडवाइस नहीं ली गई। यहां बिहार और महाराष्ट्र का मामला आया है। हम लोगों का कहना है कि बिहार के मामले में कितनी बार इस सदन में डिस्कशन होगा ?...*(व्यवधान)*

श्री जी. वेंकट स्वामी (पैद्दापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने हमें वेल से जाने को कहा तो हमने कोआपरेट किया और वेल से वापस चले गए। हमारा कहना है कि मुम्बई में जो दलितों को मारा गया है, वह बहुत गंभीर मसला है। हमारी रेक्वैस्ट है कि आप पहले इसको टेकअप करें। एडजॉर्नमेंट मोशन को आप बाद में लीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट स्वामी, मुझे नियमानुसार चलना है। आपका प्रस्ताव नियम 184 के अंतर्गत है और उनका प्रस्ताव स्थगन के बारे में है। मैंने दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन नियमानुसार स्थगन प्रस्ताव को वरीयता प्रदान की जाती है। यदि आप इस पर एक ही दिन चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे यहां देर रात तक बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। आप पहले मुद्दे पर चर्चा समाप्त करने

के पश्चात् दूसरे मुद्दे पर उसी दिन चर्चा कर सकते हैं। यह सभा के ऊपर निर्भर करता है। आपका प्रस्ताव नियम 184 के अंतर्गत है। श्री शरद पवार, मैं आपको भी सूचित करना चाहता हूं कि आपके प्रस्ताव में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। हम बैठकर उस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : हम आपके साथ कोआपरेट कर रहे हैं। दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, उस पर चर्चा कीजिए। वरना हम हाउस नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अपनी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में हम इस दलित आंदोलन को देख रहे हैं। स्वतंत्रता के इस पचासवें वर्ष में उन्हें इस अत्याचार के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। अतः स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जब हमने राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी तब तक आपने कोई सूचना नहीं दी थी। बाद में आपकी सूचना प्राप्त हुई। मुझे पहले प्राप्त सूचनाओं पर ध्यान देना होगा। अन्य मुद्दों की तुलना में स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जाती है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो वह सभा के द्वारा स्वीकार्य माना जाता है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : बात ऐसी है कि यह जो मुम्बई में दलितों पर हमले हुए, वहां जो हत्याएं हुई हैं, वह मुम्बई तक सीमित नहीं हैं। ये नागपुर, बर्घा, सांगली और गुजरात में भी फैल गई हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और यह भारत सरकार की कांस्टीट्यूशनल रेस्पोन्सिबिलिटी है। इसलिए दलितों को प्रायोरिटी देने की बहुत जरूरत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उस मुद्दे को उठाना संभव होगा। मैंने निर्णय कर लिया है। श्री शरद पवार आपने नियम 184 के अधीन सूचना दी है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : दलितों पर पहले बहस होनी चाहिए। बाद में इनका एडजॉर्नमेंट मोशन लीजिए...*(व्यवधान)* सारे देश के दलित आज आपकी तरफ देख रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : स्थगन प्रस्ताव का कार्य मंत्रणा समिति से कोई संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के दलितों का मुद्दा पूरे राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार को कम नहीं कर रहे हैं। वरन् दलितों पर हो रहे अत्याचारों के फलस्वरूप देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग प्रभावित है। वे भयभीत और उत्तेजित हैं। यह महाराष्ट्र का एक ज्वलंत मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में दलितों की हत्याएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि इस पर नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। चूंकि इस स्थिति में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया इसे स्वीकार करें तथा इस पर चर्चा पहले आरंभ की जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को कम महत्व दिए बिना इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह विभिन्न राज्यों तथा इस देश के लोगों के सभी वर्गों से संबंधित है जो अपने आपको वंचित समझते हैं। उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे इस पर चर्चा पहले करने की अपील करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : ये लोग स्पष्ट नहीं हैं। हम दलितों के समर्थक हैं, हम दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एडजॉर्नमेंट मोशन सारा कार्य स्थगित करके लिया जाता है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री बनातवाला को बोलने की अनुमति दी है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे स्वीकार होगा। परंतु महाराष्ट्र के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है तथा कल भी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि दलितों के संरक्षण के लिए राज्य की जिम्मेदारी तथा विशिष्ट संवैधानिक आवश्यकता को देखते हुए महाराष्ट्र को आवश्यक वरीयता दी जाए। संविधान में दलितों का प्रश्न, कमजोर वर्गों का प्रश्न एक विशेष उल्लेख का मामला है। संविधान के अनुच्छेद 46 में दलितों के संरक्षण के लिए राज्यों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जो भी है, यह मामला अब समाप्त होता है। इस समय अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को अन्य

किसी मामले से अधिक वरीयता देकर उस पर विचार किया जाना चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस पर आपका क्या निर्णय है? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : अध्यक्ष जी, पिछली 22 मई को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक भयानक भूकम्प आया। उसको बहुत बड़ी तादाद में जान-माल की हानि हुई है। अभी तक जिन राज्यों में भूकम्प आये हैं और उसमें जो जानें गई हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : इस भूकम्प में इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और जानें गई हैं लेकिन उसको जबलपुर महानगर प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसकी उपेक्षा की है। जो उपेक्षा की स्थिति जबलपुर में है उससे यह संकट और भी गंभीर होगा और आने वाले समय में इतनी जानें जाएंगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

अपराह्न 12.15 बजे

(श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए)*

सभापति जी, मैं इस सबके लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने वहां मदद नहीं की। हम लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री जब वहां गये थे।

मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए गुनहगार मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे लेकिन उसके बावजूद स्थिति की उचित समीक्षा नहीं की गई, जबलपुर के भूकम्प की स्थिति की गंभीरता पर विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से, सदन का ध्यान दिलाते हुए, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता को संरक्षण देने का प्रयन्त किया है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार पहले इस आपदा से 300 गांव प्रभावित मानती थी, लेकिन आज 3000 गांवों को प्रभावित मान रही है, इससे सिद्ध हो जाता है कि वह त्रासदी दिनो-दिन बढ़ती जा रही है, आज पूरा जबलपुर उससे प्रभावित है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण : कृपया इस मुद्दे पर विचार शुरू करें। आपको स्थगन प्रस्ताव पर फैसला करना चाहिए। इस पर आज चर्चा की जानी चाहिए। दलितों का मुद्दा उठाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, दलितों से संबंधित मामले से अधिक महत्वपूर्ण मामला और कोई नहीं हो सकता। इस मुद्दे को अन्य सभी मुद्दों से अधिक वरीयता दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ यह राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। अन्य मुद्दों को वरीयता कैसे दी जा सकती है ? इस मुद्दे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, हमने बहुत गंभीर मसले की तरफ सदन का ध्यान दिलाया है...*(व्यवधान)* उसे छोड़कर ऐसे हम सदन को नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति, जी बिहार में. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको परमिट नहीं किया, आप बैठिये।

[अनुवाद]

मैं यहां खड़ा हूं। इसलिए, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे सभा की कार्रवाई चलानी है। चिल्लाइए मत। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता तथा नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर भी अपना निर्णय दिया है। मैं इसकी समीक्षा नहीं करने जा रहा हूं; मुझे यह करने का अधिकार नहीं है।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बुलाने वाला हूं जिन्होंने शून्य काल के दौरान मामले उठाए जाने के लिए पहले ही सूचनाएं दे रखी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही श्री प्रहलाद सिंह का नाम

पुकारा है और मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह : सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मसले की तरफ, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में आए भयानक भूकम्प की गंभीरता की तरफ दिलाना चाहता हूं। जबलपुर के भूकम्प की ओर मध्य प्रदेश सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया। उसने भूकम्प पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास की कोई चिंता नहीं की क्योंकि उस घटना को दो महीने बीत जाने के बाबजूद, आज तक वहां कोई राहत कार्य या पुनर्वास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। हमारे निवेदन पर प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे...*(व्यवधान)* वहां जाकर उन्होंने स्थिति को देखा लेकिन आज तक कोई राहत कार्य वहां शुरू नहीं हुए।...*(व्यवधान)*

मुझे यहां दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उस त्रासदी को हुए दो महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी वहां जो वचन देकर आये थे कि मैं बजट बढ़ाऊंगा, प्रभावित लोगों को राहत और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई राहत कार्य या पुनर्वास कार्य आरंभ नहीं किए गए। स्थिति की गंभीरता इसी से आंकी जा सकती है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले 300 गांवों को आपदाग्रस्त मानती थी, लेकिन आज उसने माना है कि 3000 गांव प्रभावित हैं। पूरा जबलपुर महानगर आज भूकम्प की आपदा से भयभीत है। लोग मरणासन्न हो रहे हैं। यहां कभी भी महामारी फैल सकती है। ऐसे गंभीर मसले पर केन्द्र सरकार का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां कहा था कि मैं दिल्ली जाते ही तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाऊंगा, लोगों को राहत और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बरसात के मौसत में पूरे जबलपुर की स्थिति विस्फोटक हो गई है। वहां कभी भी महामारी फैल सकती है जिससे अनेक लोग अकाल के शिकार हो जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे, जान-माल की हानि होगी। यदि ऐसा होता है तो उसकी पूरी जवाबदेही प्रधानमंत्री महोदय की होगी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भूकम्प पीड़ितों की वहां उपेक्षा की जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए जो कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री जी के सामने उसने जो आंकड़े पेश किए, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ही सही माना, सारी स्थिति को मध्य प्रदेश सरकार की आंखों से देखा, उसके कानों से सुना और पूरे जबलपुर को मौत के मुंह में धकेल दिया।

मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां जो वचन देकर आए थे, उन्हें तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। सदन के नेता जब हमारे यहां जबलपुर गए थे, वहां किसी भी जनप्रतिनिधि से वे नहीं मिले...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मेरा आग्रह है कि जो वायदे किए थे, वे पूरे क्यों नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं वे इस बारे में बताएं।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे यहां उपस्थित हैं, मेरे द्वारा उठाए गए विषय पर कुछ जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, कोई भी मुद्दा दलितों के मुद्दे जितना महत्वपूर्ण नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : केरल में मेरे संसदीय क्षेत्र इदुकी में भयंकर बाढ़ आने से 17 लोगों की मृत्यु हो गई। 10 किलोमीटर से अधिक सड़क पानी में डूब गई है। वहां काफी नुकसान हुआ है और पूरा केरल बाढ़ की चपेट में आ गया है। इदुकी के अदिमाली क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है और कल लगभग 17 लोग मर गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 भूस्खलन के कारण जलमग्न हो गया है। इसलिए केन्द्र सरकार को शीघ्र ही कुछ उपाय करने होंगे। न केवल इदुकी बल्कि केरल के अन्य भाग भी बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा केन्द्र सरकार से संकट के इस समय में केरल के लोगों की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध करूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : सर, नागपुर में, मुम्बई में हालत बहुत खराब है। लोग मर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दत्ता मेघे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दिया है। आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि मैं उस बारे में कुछ कहूं ? मैं वह नहीं कर सकता। उन्होंने निर्णय दे दिया है। स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 184 के अधीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है परंतु समय निर्धारित किया जाना है। इसलिए अब सभा की कार्रवाई को बदला न जाए।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती) : महोदय, श्री बनातवाला के नोटिस पर विचार शुरू नहीं किया गया है। श्री बनातवाला ने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हो सकता है श्री बनातवाला का स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ हो।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : सभा के समक्ष दो स्थगन प्रस्ताव हैं। संभवतः दूसरा प्रस्ताव श्री बनातवाला का है जो मुम्बई के दलितों के मामले के बारे में है।

सभापति महोदय : दोनों ही प्रस्ताव हैं परंतु वे अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने दूसरे प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : श्री बनातवाला ने दो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं- एक बिहार मुद्दे से संबंधित है और दूसरा दलितों पर अत्याचार तथा दलितों के विरुद्ध सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग के बारे में है। श्री बनातवाला के स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सर, यह क्या हो रहा है। जब तक आप हमारे मोशन को प्रायर्टी नहीं देंगे, तब तक कैसे काम चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। शून्य काल में उठाए जाने वाले मुद्दे नियमानुसार उठाए जाएं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? कृपया मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न बताइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैडम, अगर आप एक-एक करके नहीं बोलेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं आप सभी चिल्ला रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हां, आपने कहा था कि आप व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : सभापति जी, आपने जीरो आवर अनाउंस किया है और जीरो आवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न इस प्रकार है :

अध्यक्ष महोदय ने नियम 184 तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपना विनिर्णय दिया है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के अन्य भागों में भी बहुत से लोग मारे गये हैं। गृह मंत्री स्थिति का जायजा लेने दुर्घटनास्थल पर गए थे और वहां से लौट आए हैं। बहस शुरू करने से पूर्व मैं माननीय गृह मंत्री की सिफारिशों के बारे में जानना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने जा रहे हैं या नहीं। महोदय, गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हम उनका वक्तव्य चाहते हैं और प्रधानमंत्री से भी तुरंत वक्तव्य चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने जा रहे हैं या नहीं। तत्पश्चात् हम इस पर बहस शुरू कर सकते हैं बिना गृह मंत्री के वक्तव्य के बहस शुरू नहीं की जा सकती। अत: सबसे पहले हम गृह मंत्री जी का वक्तव्य चाहते हैं कि वे धारा 356 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुरेश कलमाडी, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। गृह मंत्री दो बजे वक्तव्य देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए दो बजे तक इंतजार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : वे दो बजे एक वक्तव्य देंगे हमने ऐसा ही सुना है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : दो बजने में अभी डेढ़ घण्टा शेष है। पूरा देश महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या निर्णय लिया जाना है यह जानने के लिए इंतजार कर रहा है।

सभापति महोदय : उन्हें पहले अपना वक्तव्य देने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, यहां व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेश कलमाडी : प्रधानमंत्री जी यहीं हैं। उन्हें पहले वक्तव्य देने दें। यह वक्तव्य दो बजे ही क्यों हो ?...*(व्यवधान)* गृह मंत्री ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिया है। अत: हम चाहते हैं कि वे यहां वक्तव्य दें।...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, आप दो बजे तक सदन को स्थगित कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री वेंकटस्वामी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइये। श्री दत्ता मेघे, आप अपने स्थान पर जाइये। आप मुझे अपना नाम लेने के लिए मजबूर मत करिए। मैं आपकी शिकायत करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, आप सदन को दो बजे तक स्थगित कर दीजिए।

सभापित महोदय : आप मुझे सदन को स्थगित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइये। मैं अनेक बार दोहरा चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव और नियम 184 के अंतर्गत आने वाले मामले के बारे में अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय दे चुके हैं। अब हम शून्य काल के दौरान उल्लेख किए जाने वाले मामलों को ले रहे हैं। सुरेश जी, कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री सुरेश कलमाडी : हम जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं। इतने सारे दलित मारे गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी।

श्री सुरेश कलमाडी : आप दो बजे तक सदन को स्थगित कर दीजिए। केवल दलितों से संबंधित कार्य को लिया जाना चाहिए। दलितों के कार्य को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* हम गृह मंत्री जी से वक्तव्य चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। या नहीं। हम सरकार का रवैया जानना चाहते हैं कि वे सरकार के बारे में क्या करना चाहते हैं। अब हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते हैं, हम महाराष्ट्र सरकार के बारे में सरकार का मत जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)* गृह मंत्री तैयार हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदया, मैं कैसे सुन सकता हूं ?

[हिन्दी]

मैं तो उसी ऑर्डर में जा रहा हूं लेकिन कुछ होता ही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुरेश कलमाडी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप मुझे सदन में बोलने देंगे ?

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, मुझे व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का हक है।

सभापति महोदय : जी हां, परंतु पीठासीन अधिकारी की अनुमति से।

श्री कमरूल इस्लाम : हां। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब क्या आप मुझे बोलने देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको इसकी अनुमति दी थी परंतु अभी तो आप बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर जायेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ? मुझे बोलने दीजिए कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत करें। आपको इस तरह नहीं पेश आना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं, यह क्या करते हैं।

[अनुवाद]

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न भी सुना जाएगा। अब आप मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले आप बैठिये। आप मेरी बात सुनिए। सभी सदस्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 184 का मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुरेश कलमाडी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कमरूल इस्लाम जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री कमरूल इस्लाम : महाराष्ट्र के बारे में श्री जी॰ एम॰ बनातवाला का एक स्थगन प्रस्ताव है जिसका सदन की कार्यवाही में उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिए।

श्री कमरूल इस्लाम : आप कार्यवाही को पूरा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने यह भी कहा है कि स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जायेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अपनी बात रखने का यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : स्थगन प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, "इसे गृहीत किया जाता है।" नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव भी गृहीत किया गया है।

श्री बनातवाला के स्थगन प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष ने उनकी बात सुनी थी परंतु उन्होंने यह नहीं कहा था उन्होंने इसे गृहीत कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री कमरूल इस्लाम : कृपया कार्यवाही वृत्तांत पढ़िए। ...*(व्यवधान)*

सभापित महोदय : यदि आंप यहां मुझे कार्य करने नहीं देंगे तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी। इसका और कोई चारा नहीं है। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो सभा में कुछ भी कार्य नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : इसे दो बजे तक स्थगित कीजिए ..*(व्यवधान)* गृह मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री प्रमथेस मुखर्जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री प्रमथेस मुखर्जी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प॰ बं॰) : सभापति महोदय, नेशनल टेक्स्टाइल मिल के कामगार भूखे मर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकटस्वामी : महोदय, आप जो कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मासिक मजदूरी का भुगतान रोक दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदय, मेरा एक सीधा सा निवेदन है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : सात टेक्स्टाइल मिलों को बिजली की सप्लाई काट दी गई है..*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, नियम 184 के अंतर्गत महाराष्ट्र के मुद्दे पर एक प्रस्ताव है। श्री बनातवाला का स्थगन प्रस्ताव भी महाराष्ट्र पर है। नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पहले ही गृहीत हो चुका है। एक ही विषय पर दो प्रस्ताव नहीं हो सकते हैं चाहे श्री बनातवाला द्वारा कोई स्थगन प्रस्ताव दिया गया हो कि...*(व्यवधान)* इस कारण यह रद्द हो गया है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदय, जब तक गृह मंत्री वक्तव्य न दे दें, सभा स्थगित कर ही जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : यह विषय उठा है।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महाराष्ट्र का जो मसला है, उसको छोड़कर क्या करें, हाउस को यह तय करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)* महोदय, विषय यह है कि टेक्स्टाइल उद्योग में कार्यरत मजदूर कई महीनों से भुखे मर रहे हैं...*(व्यवधान)* मासिक मजदूरी का भुगतान रोक दिया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुखर्जी, आप इस संबंध में पहले ही बोल चुके हैं। आप इसे दोहरा क्यों रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकटस्वामी : लगता है कि हम लोगों को वहां आना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री पी॰ सी॰ थामस को बुलाना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : जब तक कि गृह मंत्री वक्तव्य न दे दें, सभा को स्थगित कर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : माननीय सभापति जी, आप मेहरबानी करके मुझे सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने आपको देखा नहीं। आप जरा ठहरिए। मैंने आपको देखा नहीं, मैं इस तरफ देख रहा था। मैंने पहले उनको बुलाया है, उनके बाद आप बोलिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : यह आप प्रधानमंत्री जी से कहिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : महोदय, सभा स्थगित कर दीजिए... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने एक माननीय सदस्य का नाम बुलाया था और वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*। मैं अपने मित्रों से अपील कर रहा हूं कि वो मजदूरों की समस्याओं को कृपया सुनें...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : दलितों की समस्याओं का क्या होगा?. ..(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेश कलमाडी : हम चाहते हैं कि पहले गृह मंत्री वक्तव्य दें और उसके बाद ही हम सभा की कार्यवाही चलने देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम लोगों की भी कोई सुनेगा या नहीं. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : हम केवल दलितों से संबंधित विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और कुछ नहीं।

सभापति महोदय : मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि दो बजे गृह मंत्री वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : आप तब तक सभा को स्थगित कर दीजिए. ..(व्यवधान) पहले भी कई बार आप सभा को स्थगित कर चुके हैं।

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा संभव नहीं है।

श्री सुरेश कलमाडी : बारह दलित मार डाले गये हैं।

सभापति महोदय : आप सभा में किसी को भी बोलने नहीं देंगे।

श्री सुरेश कलमाडी : यदि हमें दलितों का मुद्दा उठाने नहीं दिया गया तो हम किसी को भी बोलने नहीं देंगे।

सभापति महोदय : नहीं, आपको अपने स्थान पर बैठना होगा। यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें भी मौका दें।

सभापति महोदय : आपको भी चांस मिलेगा।

श्री सुंदर लाल पटवा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : हम लोगों को भी सुना जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : उनका भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : महोदय, हम कपड़ा मज़दूरों की मांग का समर्थन करते हैं। हम गृह मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् उस मुद्दे को ले सकते हैं। हम इसका समर्थन करेंगे...*(व्यवधान)* कुछ मज़दूर मारे जा चुके हैं। रिक्शा-चालकों की नृशंस हत्या की गई है। एक आठ वर्षीय बालक की हत्या की गई है। एक महिला पर आठ गोलियां चलाई गईं ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : इस घटना के बारे में कोई भी अफसोस जाहिर नहीं कर रहा है।

सभापति महोदय : श्री कलमाडी, सभा में व्यवहार करने का एक तरीका होता है।

श्री सुरेश कलमाडी : एक महिला पर बाईस गोलियां दागी गईं। यह भयावह घटना है...*(व्यवधान)* हम केवल गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : सभा के प्रति समुचित सम्मान और आदर दर्शाते हुए और इस घटना को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री को पहले वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सुरेश कलमाडी : गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं। हम वास्तविक मत को जानना चाहते हैं। महाराष्ट्र के

दलितों के बारे में सरकार का वास्तविक मत क्या है ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। मुझे आपका नाम लेकर आपसे चुप रहने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया बैठ जाएं।

श्री सुरेश कलमाडी : दलितों के मुद्दे पर, अगर आप मेरा नाम लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिणी-दिल्ली) : प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वे जवाब दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी भी कैसे बात कहेंगे, कैसे सुनेंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

मैं प्रधानमंत्री को अभी बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : कृपया सभा को स्थगित कर दें.. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : नहीं। हम दलित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : प्रधानमंत्री जी आप सदन में है, कृपया ध्यान दीजिए।...*(व्यवधान)* वहां लोग मरे हैं। मेहरबानी करके दो आंसू बहाने, दो दया के शब्दों कहने की कृपा इस सदन में नहीं करेंगे ?. ..*(व्यवधान)* हजारों-लाखों लोग भूकम्प से पीड़ित, आदिवासी जिले मंडला में, सिवनी में, नरसिंहपुर, में, जबलपुर में, रायसेन जिले में, दमोह जिले में, छिंदवाड़ा में हैं।...*(व्यवधान)* आप दो शब्द कहने की कृपा करेंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी को भी बात कहने के लिए मौका दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं भी इस वेदना का सहभागी हूं...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : प्रधानमंत्री असहाय हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कहें?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप किसी अन्य सदस्य को सदन में बोलने का मौका नहीं देंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, डॉ॰ यू॰ वेंकटेस्वरलू की ओर से मैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल॰ टी॰ 2168/97]

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 इत्यादि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1997 को प्रख्यापित राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 13)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 2169/97]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1997 को प्रख्यापित सरकारी आवासों का बिना बारी के आबंटन (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 14)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 2170/97]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1997 जो 25 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 345 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 2171/97]

अपराह्न 2.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुम्बई में डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किया जाना और पुलिस द्वारा गोलीबारी किया जाना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं हाल ही में मुम्बई में डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने और विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री भुजबल के निवास पर हमले की घटनाओं पर वक्तव्य देना चाहता हूं।

इस माननीय सदन के सदस्य, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उसके बाद 11 जुलाई, 1997 को मुम्बई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर, रामाबाई अम्बेडकर कालोनी में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की घटना के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्यथा पूरी तरह अवगत हैं। उसके बाद से, मेरा मंत्रालय, गतिविधियों का प्रबोधन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को निरंतर सम्पर्क बनाए हुए है। स्थिति को नियंत्रित करने के सहायतार्थ त्वरित कार्रवाई बल की कुछ कम्पनियां भी राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई हैं।

15 जुलाई, 1997 को हुई गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में इस मामले पर सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया और कई सदस्यों ने नोटिस देकर, संसद में इस मामले पर विचार-विमर्श करने की मांग की है।

13 जुलाई, 1997 को राज्य विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री छगन भुजबल पर किए गए हमले सहित मुम्बई में हुई घटनाओं के बाद वहां स्थिति का स्वयं जायजा लेने के लिए मैंने केन्द्रीय गृह सचिव के साथ 15-16 जुलाई, 1997 को मुम्बई का दौरा किया था।

अपने मुम्बई दौरे के दौरान, मैं उस स्थान पर गया, जहां मूर्ति को अपवित्र किया गया था, श्री भुजबल के घर गया और राजावादी अस्पताल की भी दौरा किया, जहां 11 जुलाई, को हुई पुलिस गोलीबारी के दौरान जख्मी हुए व्यक्तियों का इलाज चल रहा था। मेरा राज्य के राज्यपाल के साथ भी बहुत लाभप्रद विचार-विमर्श हुआ। उसके बाद मैं, मुख्य मंत्री और राज्य के उप-मुख्य मंत्री से अलग-अलग मिला और श्री छगन भुजबल के घर पर हुए हमले सहित 11 जुलाई, 1997 के बाद हुई घटनाओं के ब्यौरों पर उनके साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया। शिव सेवा प्रमुख श्री बाल ठाकरे भी मुझसे मिले और कहा कि उन्होंने भुजबल के घर पर हुए हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा की है और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

वहां ठहरने के दौरान, मैंने सभी राजनैतिक दलों और अन्य दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ घटना के बारे में उनके विचार जानने के लिए मुलाकात भी की। सभी घटनाओं, विशेषतौर से श्री भुजबल के घर, जो अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्र में है और जो मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 के अधीन निषेधात्मक आदेशों के अधीन कवर है, पर हुए हमले पर सभी दल, समझे जा सकने वाले कारणों की वजह से अत्यधिक क्षुब्ध हैं। अधिकांश ने, राज्य सरकार में एक सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा, इस प्रकार के हमले की कड़ी निंदा की तथा राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल होने और विपक्ष सहित राजनैतिक दलों के प्रमुख नेताओं सहित समाज के सभी वर्गों की जान व माल की सुरक्षा करने में नाकाम होने पर राज्य सरकार की तुरंत बर्खास्तगी की मांग की।

जैसा कि सदस्यों को मालूम है कि अब राज्य सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग का आदेश दिया है, इसलिए पुलिस द्वारा गोली-बारी करने की घटना के बारे में प्रशासन की भूमिका पर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तथापि, यह तथ्य है कि डॉ० अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसके बाद पुलिस की गोली-बारी की घटना, जिसके कारण अनेकों मौतें हुईं और अनेक लोग घायल हुए, अत्यधिक विक्षुब्ध करने वाली है।

मुख्य मंत्री के साथ हुई मेरी चर्चा के दौरान, मैंने उन पर इस बात के लिए जोर दिया कि जांच आयोग के विचारार्थ विषयों को अत्यधिक व्यापक बनाया जाए ताकि प्रतिमा को अपवित्र करने के जिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी आवश्यक थी। मैंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया कि प्रशासन पूर्णत: निष्पक्ष हो कर कार्य करे तथा यह संदेश तुरंत प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। मुझे जांच आयोग, जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति एस० डी० गुण्डेवार करेंगे, के विचारार्थ विषयों की जानकारी प्राप्त हो गई है तथा वे इस प्रकार हैं :—

(i) क्या डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र करने के लिए कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन जिम्मेदार

है तथा क्या यह साम्प्रदायिक गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से पूर्व-नियोजित था।

(ii) क्या घटना के प्रति जनता की प्रतिक्रिया तात्कालिक थी अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी संगठन द्वारा उकसाने पर हुई।

(iii) क्या पुलिस द्वारा भारी भीड़ से निपटने और इसे तितर-बितर करने के लिए उठाए गए कदम दंगा नियंत्रण की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुरूप और पर्याप्त थे, और क्या अतिशय बल प्रयोग किया गया था और यदि हां तो, इस प्रकार की चूक यदि कोई हो, जवाबदेही तय करना।

(iv) क्या गोलीबारी सहित, बल प्रयोग, उचित था या स्थिति अन्यथा थी।

(v) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले आम या विशिष्ट उपाय।

(vi) उपर्युक्त बारे में सार्वजनिक महत्व का कोई अन्य मामला।

आयोग से दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वहां से वापस आने पर, मैंने श्री भुजबल के घर पर हुए हमले के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को अलग से पत्र लिखा है, जिसमें उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि उनका घर न केवल अति संरक्षित क्षेत्र में स्थित था अपितु श्री भुजबल के घर पर हमले की संभावना की जानकारी एक रात पहले ही हो गई थी और इसके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया था, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद होने के बावजूद यह घटना हो गई। मैंने मुख्य मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मामले के सभी संबंधित पहलुओं की पूर्णतया जांच हो और सभी अपराधियों को सजा मिले।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने शिव सेना के 47 कार्यकर्ताओं को श्री भुजबल के घर पर हमला करने में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए जाने वालों में महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विलास अवचत, दो निगम पार्षद तथा शिव सेना के चार विभाग प्रमुख शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि हमले के दौरान कथित रूप से निष्क्रिय रहने के कारण तीन पुलिस निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के अलावा, इस घटना का प्रभाव गुजरात व कुछ अन्य जगहों पर पड़ा, लेकिन स्थिति अब पूरी तरह काबू में है। मुंबई की घटनाओं के तुरंत बाद, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए कि मुंबई की अपवित्रीकरण की घटना से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जाए। केन्द्र सरकार इस स्थिति को लगातार प्रबोधन कर रही है।

ऐसी आशा है कि राज्य सरकार अपराधियों को दण्डित करेगी तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करेगी, फिर भी माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि मुंबई जैसी घटनाएं वास्तव में चिंता का विषय हैं। दोनों घटनाएं लोगों के बीच बढ़ती असहिष्णुता का संकेत देती हैं जबकि श्री भुजबल के घर पर हमले की घटना, राज्य सरकार तथा पुलिस दोनों की ओर से बरती गई गंभीर लापरवाही का संकेत देती है।

महोदय, आपकी अनुमति से एक-दो मुद्दे और जोड़ना चाहता हूं। एक तो यह कि केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस व्यवस्था के लिए एक नियम पुस्तिका है। इस पुस्तिका में यह निर्देश दिये गये हैं कि आवश्यकता पड़ने पर गोलीबारी आरंभ करने के लिए पुलिस को कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। यदि उन्हें एकत्र भीड़ को तीतर-बितर करना है जैसे कि रामाभाई कालोनी में हुआ, जहां सारी भीड़ हथियार विहीन थी, सभी लोग पूर्णतः निहत्थे थे, तो इस नियम-पुस्तिका के अनुसार पुलिस को सबसे पहले चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलानी चाहिए थी। उसके बाद एक गोली चलाई जा सकती है और कुछ अंतराल के बाद इस आशा से कि भीड़ अब तितर-बितर हो जाएगी, एक और गोली चलाई जा सकती है। इसके बाद ही भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला आदि होने की स्थिति में गोलीबारी आरंभ की जानी चाहिए। किंतु यहां पर पुलिस पर हमले का तो प्रश्न ही नहीं था।

इन सब बातों पर टिप्पणी करने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं क्योंकि वास्तव में यह विषय न्यायिक जांच आयोग का है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा। फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि उस समय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा कोई अन्य साधन प्रयोग में नहीं लाया गया। वे आंसू गैस, लाठी चार्ज या पानी के कैन या फिर इसी तरह के किसी साधन का प्रयोग कर सकते थे।

किंतु पुलिस ने अचानक ही अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप अनेक निर्दोष लोग, जो इस समय अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मारे गये। मैंने उनमें से कई लोगों से बात की थी। वे कालोनी में अपने घरों से अभी बाहर निकल ही रहे थे। यह सुबह का समय था। अभी सुबह के साढ़े छः भी नहीं बजे थे। वे लोग काम करने अपने कार्य-स्थलों की ओर जा रहे थे और उनमें से बहुतों को तो यह मालूम ही नहीं था कि आगे कुछ दूरी पर राजमार्ग की तरफ गोली बारी करने की पूरी तैयारी के साथ एक पुलिस बल खड़ा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आयोग इस बारे में जांच करेगा। मैंने स्वयं भी यह पूछने की कोशिश की कि उस समय वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन था, किसने वास्तव में गोली चलाने के आदेश दिये थे किंतु हमें यह बताने के लिए कोई समर्थ नहीं था। मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वे कहते हैं कि वहां-वहां कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं था। जिने गोली चलाने के आदेश दिए हों।...*(व्यवधान)*

महोदय, दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि शिव सेना प्रमुख श्री बाला साहिब ठाकरे मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने हामी

भर दी। अत: वे राजभवन में अपने भतीजे और पुत्र के साथ मुझसे मिलने आये। इससे पहले उसी दिन वे राज्यपाल जी से भी मिले थे। यदि मुझे यह तथ्य उजागर करने की अनुमति है तो राज्यपाल जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने श्री बाला साहिब ठाकरे से कहा था कि उन्हें राज्यपाल और आम जनता को यह आश्वासन देना होगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साथ ही उन्हें इस गोलीबारी की, प्रतिमा को अपवित्र करने की तथा श्री भुजबल के घर पर हुए हमले की एक वक्तव्य जारी करके निंदा करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जिनसे मैं मिला तथा जो विभिन्न समूहों में मुझसे मिलने आये, वे दलितों पर हुई इस गोलीबारी से ही नहीं अपितु श्री भुजबल के घर पर हुए हमले से भी उतने ही विक्षुब्ध, और नाराज थे। इस कारण से उन्होंने कहा, 'इस प्रकार से.....विपक्ष के नेता के साथ बर्ताव किया जाये।.....सभा में पूर्णतया अव्यवस्था फैली थी। मैं सदन में गया। यह पूर्णरूपेण अस्त-व्यस्त था। श्री भुजबल के अनुसार वे बाल-बाल बचे। उन्होंने कहा, "वे एक कमरे से दूसरे कमरे में उन्हें ढूंढ रहे थे और वह अपने आप को छिपाने के लिए इस कमरे से उस कमरे में और इसी प्रकार एक से दूसरे कमरे में भाग रहे थे।"

जो कुछ भी हुआ इस बारे में राज्यपाल का मत है कि अगर उस मूड़ में वे लोग उस समय उन्हें पकड़ लेते तो परिणाम कुछ भी हो सकता था। इसलिए लोग इससे क्षुब्ध हैं। मैं जानता हूं कि भुजबल की पुरानी भूमिका के कारण शिव सेना के लोग बहुत अधिक उग्र और क्रोधित हैं। हम सभी जानते हैं कि एक समय में वह कैसे लोगों से सम्बद्ध रहे और अब वह किन लोगों से सम्बद्ध हैं इसका कारण है कि उनके ऊपर शिव सेना द्वारा आरोप लगाया गया है कि मुम्बई के अन्य गैंग लीडर से उनका घनिष्ठ सम्बद्ध है।

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : गृह मंत्री उस व्यक्ति, के बारे में गैर जिम्मेदाराना, बयान दे रहे हैं जो सभा में अपने बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री सुरेश कलमाडी : इस प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगाये जा सकते हैं जबकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : इस सभा पर आरोप लगाने का यह कोई औचित्य नहीं है। महोदय, मुझे बहुत खेद है। मुझे गृह मंत्री के वक्तव्य पर अत्यंत खेद है।...*(व्यवधान)* यह विपक्ष के नेता हैं। वह आरोप कैसे लगा सकते हैं ?...*(व्यवधान)* गृह मंत्री को दूसरे सदन के विपक्ष के नेता के बारे में बात करने का कोई अधिकर नहीं है।. ..*(व्यवधान)* उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। उन्हें केवल सच्चाई बतानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : इस घटना की निंदा करने के बजाय, वह एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। मुम्बई में उन्होंने विरोधाभासी वक्तव्य दिया है। यह एक गंभीर मामला है। वह किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। बाद में, वह अगर कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : वह उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। उन्हें अपनी टिप्पणी न करें।... *(व्यवधान)* उन्हें अपने शब्दों को अवश्य वापस लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*। वह अपनी बात पर खेद व्यक्त करें।..*(व्यवधान)*। मुझे खेद है। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों नहीं, कृपया आप मेरी बात सुनें...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : नहीं...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों नहीं। आप मेरी बात सुनिये...*(व्यवधान)*। आप बाद में अपनी बात जारी रख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मुझे खेद है। गृह मंत्री का यह बहुत गैर-जिम्मेदारना वक्तव्य है।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आप मुझे बात पूरी करने दें, अथवा क्या मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊं ?...*(व्यवधान)* आप चिल्लाते रहें।. ..*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कलमाडी : मैं गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेनी पड़ेंगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अगर विदड्रा होगा तो पूरा स्टेटमेंट विदड्रा होगा। आपने मजाक बना रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपने नेता की बात नहीं मानते हैं।. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर इनके खिलाफ कोई शब्द होगा

तो वह इर्रिस्पोन्सिबल बात है और इतनी देर से हम सुन रहे हैं तो यह रेस्पान्सिबल है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दास मुंशी : महोदय, गृह मंत्री मुख्य मंत्री मनोहर जोशी के बजाय बाल ठाकरे से ज्ञान कैसे ले सकते हैं जबकि राज्य में कानून-व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मुख्य मंत्री द्वारा गृह मंत्री को सूचित किया जाना चाहिए। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जनतंत्र में मुख्य मंत्री होम मिनिस्टर को आश्वासन देते हैं, बाल ठाकरे नहीं। होम मिनिस्टर बाल ठाकरे को आश्वासन देते हैं यह हाउस का रिकार्ड कह रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री बाल ठाकरे कानून व्यवस्था का निर्णय करने के लिए संवैधानिक प्राधिकारी हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा (छिन्दवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस समर्थन की यह कीमत चुकाने को तैयार है कि ये डिक्टेट करें वैसा स्टेटमेंट आप इस सदन में दें ?...*(व्यवधान)* समर्थन की यह कीमत देना चाह रहे हैं क्या ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तरपूर्व) : उपाध्यक्ष जी, मुम्बई की स्थिति पर गृह मंत्री कुछ पढ़ा हुआ और कुछ मौखिक बयान दे रहे हैं। उसमें ढेर सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसके साथ हम सहमत होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उसके साथ असहमत हों लेकिन जरूरी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मुझे लगता है कि जब तक गृह मंत्री हमारी आलोचना कर रहे थे, तब तक यहां नारे बाजी हो रही थी।

जब गृह मंत्री उनके नेता के बारे में सत्य कहने पर उतरे और एक ऐसा नेता जिसने नाथूराम गोडसे की स्टेच्यू लगाने की मांग की थी और जिसने दलितों के स्पर्श किए हुए हुतात्मा स्मारक को गंगाजल से धोया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों साइड की बात होगी। कृपया गृह मंत्री को अपनी बता पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : जिस व्यक्ति ने कहा कि गांव-गांव में गोडसे के स्टेच्यू खड़े किये जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, कृपया अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : दलित बंधु वहां गये थे इसलिए इन्होंने हुतात्मा चौक को गंगाजल से धोया था। यही है इसका दलित प्रेम।

उपाध्यक्ष महोदय : हां आपकी बात समाप्त हो गई है, अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुम्बई में श्री भुजबल के कुछ तत्वों के साथ सम्बद्ध होने का आरोप मेरा नहीं है। यह मैंने नहीं लगाया है। मैं केवल उस आरोप के बारे में बता रहा हूं जो मुम्बई में शिव सेना के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है और प्रैस में भी मैंने यही बताया।

श्री सुरेश कलमाडी : क्या इसका कोई औचित्य है ? सभा का नेता कौन है ?...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरी बात यह है कि, कुछ सदस्य बाल ठाकरे से मेरी मुलाकात अथवा जो बातें उन्होंने मुझसे कही जैसे कि मैंने बताया है, पर ऐतराज कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उनसे मिलकर मैंने कोई गलती की है। आखिर वह महाराष्ट्र में शासन करने वाले संगठन के एक दल के सुप्रीमो हैं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, उनसे सभी लोग कई बार मिल चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह मैं नहीं जानता। प्रश्न यह है कि वह उनसे मिले या नहीं मिले। अगर वे उनसे मिलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कांग्रेस के लोग मगरमच्छ

के आंसू बहा रहे हैं। बिहार के अंदर कितने दलित मारे गये, कितनी हत्याएं हुई यह उन लोगों का साथ दे रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : शरद पवार के मुख्य मंत्रित्वकाल में 112 लोग जो दलित थे, उनको नागपुर के पास मार डाला गया और उनको मुख्य मंत्री देखने तक नहीं गये थे। यह दलितों की बात करते हैं। उस समय यह मुख्य मंत्री थे और यह इनके राज्य में हुआ था।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं या बैठ जाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ चिंताएं व्यक्त की गई कि केन्द्र राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से बाल ठाकरे ने यह मेरे लिए कहा था। वह जानना चाहते थे कि हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए मैंने उन्हें बताया कि भविष्य में सभी कुछ उन पर और उनकी सरकार की कार्यशैली पर निर्भर है। मैंने कहा : "उत्तरदायित्व आपका है। आपका व्यवहार कैसा है और आप कार्य कैसे करते हैं इसके बाद केन्द्र निर्णय लेगा कि क्या किया जाये और क्या नहीं।" इस पर उन्होंने कहा "मैं निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूं" यह बात और है कि वे अपने आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं उनके आश्वासन के बारे में बताना चाहता हूं जो उन्होंने दिया.....कि मैं बात का ध्यान रखूंगा कि पुनः ऐसी बातें न हों मेरे साथियों ने जो किया मैं इसकी कटु आलोचना करता हूं जहां तक भुजबल के घर का संबंध है, उन्होंने कहा : "हां मैं मानता हूं कि इसके लिए मेरे साथी जिम्मेवार हैं। इनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी निंदा करता हूं और सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करता हूं।" मैं नहीं जानता हूं कि हमारे भाजपा सहयोगी क्या कह रहे हैं। मेरे विचार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा नहीं की. ..*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : उन्होंने की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह अच्छा है। यही हुआ था। जहां तक गोलीबारी का संबंध है तो हमें न्यायिक जांच की रिपोर्ट तक इंतजार करना होगा। मुझे पहले से कुछ नहीं कहना चाहिए। दूसरा, जहां तक श्री भुजबल के घर पर हमला करने का संबंध है तो निःसंदेह ऐसा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसकी भर्त्सना और निंदा की गई है और मुझे मुम्बई में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भर्त्सना न की हो। मुझे विश्वास है कि ऐसी घटना फिर नहीं होने दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि शिव सेना के नेता का अपने दल के लोगों पर पूरा प्रभाव और नियंत्रण है और भविष्य में वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे ऐसा व्यवहार कभी न करें। क्योंकि ऐसी घटनाओं से आम आदमियों के मन में चिंता घर कर जाती है। आखिरकार वह विपक्ष के नेता हैं और यदि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम नागरिक स्वाभाविक रूप से ही असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन चर्चा करेंगे। डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अगली मद पर आ चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सक्षम हैं। वह खुद ही बोल सकते हैं। उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश कलमाडी : उपाध्यक्ष जी, पवार जी का प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है ?

श्री शरद पवार (बारामती) : अभी गृह मंत्री जी ने मुम्बई में दलितों पर हुए हमले की घटना पर जो बयान दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्वाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं ?

श्री शरद पवार : दलितों पर इस तरह के हमले सिर्फ मुम्बई में नहीं हुए, नागपुर में भी हुए, अकोला में भी हुए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्वाइंट ऑफ आर्डर पर ही बोलिये।

श्री शरद पवार : महाराष्ट्र सरकार के एश्योरेंस के बारे में यहां कहा गया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं अभी पूछ रहा हूं।

श्री शरद पवार : पूरे देश में दलित लोगों की हालत ऐसी ही है।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्वाइंट ऑफ आर्डर के अलावा कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अपराह्न 2.34 बजे

इस समय, श्री शरद पवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के इस वक्तव्य से हमें निराशा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.35 बजे

इस समय, श्री जी॰ एम॰ बनातवाला सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में अनेक लोगों की मौत होने और घायल होने का उल्लेख किया है। कितने लोग मारे गए हैं ? हमें यह जानने का अधिकार है कि इसमें कितने लोग मौत के शिकार हुए तथा कितने लोग घायल हुए हैं।

अपराह्न 2.35 1/4 बजे

इस समय श्री ई॰ अहमद सभा-भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 2.36 बजे

मध्य प्रदेश में भूकम्प

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप शायद 377 फिर से लेने जा रहे हैं। आज सबेरे जब 377 आरंभ हुआ था, तो हमारे मध्य प्रदेश के मित्र श्री प्रहलाद जी ने और भी अन्य मित्रों ने जबलपुर में अर्थक्वेक का मामला उठाया था। वहां बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए हैं। वे उस समय शायद चर्चा के उत्तर के रूप में या आश्वासन के रूप में कुछ कहना चाहते थे, मगर सदन स्थगित कर दिया गया। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सहानुभूति प्रकट करें और आश्वासन दें कि वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए जो भी सहायता आवश्यक होगी वह देने में केन्द्र की सरकार कोताही नहीं करेगी।

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अब भी यह कहना चाह रहा हूं, जो मैं सुबह यह कहना चाह रहा था कि जो अर्थक्वेक जबलपुर में आया था और जो उससे नुकसान हुआ है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो जख्मी हुए हैं, उसके मुतल्लिक हमें बहुत चिंता है और लोगों के साथ हमदर्दी भी है। सेंटर की तरफ से मैं वहां गया था और जो सहायता देने की जरूरत थी वह दी गई है। उसके अलावा कुछ और मसले पैदा हुए हैं जैसे रिलीफ के बाद आगे रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए। मुझे जो आनरेबल मैम्बर्स यहां बैठे हैं, उनमें से बहुत से वहां मिले भी थे। खासकर के दोनों तरफ के लोग मिले थे। वहां के मुख्य मंत्री भी आए थे। उनसे भी बात हुई थी। हमने अपने हिसाब से काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद की है। लेकिन साथ ही मैं यह विश्वास भी दिलाता हूं कि और मदद भी की जाएगी। यहां पर मेरे पास इस समय तो यह सूचना नहीं है कि सेंटर से कितने रुपए दिए गये हैं, मगर मैं यह सूचना सदन को बाद में दे सकता हूं। जो रुपया सेंटर की तरफ से दिया गया है उसके अलावा हुडको की तरफ से वहां पर लोगों को मकान बनाने के लिए भी कर्ज़ा दिया गया है। और आज मैं फिर सदन में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अलावा और भी जो मदद की जरूरत होगी वह पूरी की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि वहां जो कुछ हुआ है, जिन लोगों की प्रापर्टी बर्बाद हुई है, जिनके लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है और जिनके रिश्तेदार या नातेदार मकान गिरने से मर गए हैं, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। यहां भारत के बहुत से हिस्सों में पिछले सालों में भूकम्प आए थे। पहले लातूर में आया था और अब यहां आया है। इसके कुछ साल पहले बिहार में भी आया था और दिल्ली में झटके लगते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिन्दुस्तान बहुत बड़े सिसमिक जोन के अतर्गत आता है और तरह-तरह के सिसमिक जोन्स हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिर्फ जब भूकम्प आ जाएगा उसके बाद सहानुभूति तक ही सोंचेगे या यह बताएंगे कि हिन्दुस्तान की इस बड़ी समस्या के बारे में सरकार की नीति क्या रहेगी ? अगर भूकंप टिहरी में आ गया, तो टिहरी डैम का क्या होगा ? नमर्दा के इसी इलाके में आया तो आगे चलकर इन डैमो का क्या होगा ? यह बड़ा गंभीर सवाल है।

मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जबलपुर के बारे में सहानुभूति व्यक्त

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की है और उसमें भी आपने आश्वासन दिया है कि आप सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में गौर करें। यह साधारण सवाल नहीं है। हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भूकम्प से प्रभावित होने की बात वैज्ञानिक करते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना बयान दे।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (इडुक्की) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भूकम्प के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री ए. सी. जोस : केरल में परसों बीस लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 9 से 10 किलोमीटर सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह शून्य काल नहीं है। मैंने मात्र एक मुद्दा उठाने की अनुमति दी है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आए भूकम्प के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कहा गया, मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री का ध्यान केरल में परसों हुए भू-स्खलन की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, करीब बीस लोगों की मौत हो गई है और करीब दस किलोमीटर सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल सरकार और भू-स्खलन के शिकार व्यक्तियों को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कल रात सांसदों की एक बैठक में वहां का विवरण दिया। मैंने उनसे सवाल किया था और आपसे भी मेरा निवेदन है कि वहां की प्रैस, पब्लिक, आम जनता व जो राजनीतिक लोग हैं, उनके नुकसान का आंकलन पांच हजार से छह हजार करोड़ रुपये के बीच में है। मुख्य मंत्री जी ने आपको जो मेमोरेन्डम सबमिट किया है उसमें नुकसान का आंकलन कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपये का बताया है और 248 करोड़ रुपये की उन्होंने आपसे सहायता मांगी है। आपने उनको अभी तक 40 या 45 करोड़ रुपये की सहायता दी है जैसा उन्होंने विवरण दिया है। आंकलन अंडर एस्टीमेटिड है, मांग अंडर एस्टीमेटिड है और आपकी सहायता वहां के हालात को देखते हुए बहुत ही नगण्य है। आप स्वयं वहां पधारे हैं और लातूर से कहीं व्यापक, मतलब भूकम्प का जो व्यास है, वह अधिक है। यह ठीक है कि मृत्यु संख्या कम है। लातूर में ठंड के दिनों में भूकम्प आया था और लोग पक्के मकानों में सोये हुए थे। मकान गिरने से नरसंहार ज्यादा हुआ। यहां गर्मी का मौसम था और लोग कच्चे मकान होने के कारण घरों के बाहर सोये हुए थे इसलिए सौभाग्य से 50-54 के लगभग मृत्यु संख्या है। परंतु जो व्यास है, पांच-छह जिलो, जबलपुर, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन और बालाघाट आदि में इस भूकम्प की असर है। इतने बड़े पैमाने पर धन हानि, मकान की, भू-सम्पत्ति की हानि जो वहां हुई है, उसको देखते हुए कल भी हमने निवेदन किया कि जो आंकलन है वह अंडर एस्टीमेटिड है, डिमांड अंडर एस्टीमेटिड है। आप इसको अपने तौर पर दिखायें कि वास्तव में वहां कितना नुकसान हुआ है।

जब प्रधानमंत्री जी वहां पधारे तो उनसे वहां की जनता से मिलने की बात हुई। मुख्य मंत्री के सहयोगी ने एक महिला कांस्टेबिल को सामने खड़ा कर दिया। वह कह रही थी कि सब ठीक है। बड़ी सहायता मिल रही है, वह मिल रही है, यह मिल रही है आदि। आपके सामने जो महिला बातचीत कर रही थी वह वहां की कांस्टेबिल है। यह जो लीपापोती करने की कोशिश है और अपनी बड़ी बहादुरी बताने की कोशिश है कि हम सब कर लेंगे और हमने सब कर लिया है, तो यह स्थिति का वास्तविक चित्रण नहीं है।

प्रधानमंत्री जी आप स्वयं चाहे तो अपनी किसी एजेंसी से दिखायें, जांच करवायें। लगभग पांच हजार का एस्टीमेट है जबकि 900 करोड़ रुपये का उनका आंकलन है और 250 करोड़ रुपये की कुल मांग है जिसमें आपने 40 करोड़ रुपये दिया है। वहां बहुत उपेक्षा हुई है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की है और जो मदद का आश्वासन दिया है उसमें मैं अपने को शरीक करते हुए यह बताना चाहता हूं कि कल मैं पार्टी के कार्यक्रम से वहां गया था। उस इलाके के कई गांवों में गया। गांव वालों की एक आम शिकायत थी कि उनको अब तक सिर्फ 100-100 रुपये ही मिले हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ऐसा नहीं है।

श्री इलियास आजमी : पैसा तो केन्द्र सरकार देती है लेकिन उसके साथ-साथ राहत के कामों में जो बड़े पैमाने पर घपला हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुका है, उन पर भी नजर रखने की कोई मशीनरी प्रधानमंत्री जी अगर बना सकें तो अच्छा होगा। गांव वालों ने बताया है कि उन्हें अभी तक 100 रुपया ही मिला है। 100 रुपये में क्या होता है ? मैं सदन का कोई टाइम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो पैसा राहत के लिए जाता है, उसके लिए कोई ठोस इंतजाम होना चाहिए। जो बेचारे मुसीबतज़दा हैं, उन तक वह पैसा पहुंचे न कि बीच में लोग इधर-उधर कर दें। 100 रुपये का कोई मायने नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप रिपीट मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री

द्वारा वहां का दौरा करने तथा सभी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तथा सभा को सभी सहायता उपलब्ध कराने हेतु आश्वस्त करने के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में यह ऐसे मामले हैं जिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है और कभी-कभी तदर्थ रूप से निपटाया जाता है। मैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी के इस कथन से सहमत हूं कि एक ऐसी विनाशकारी घटना से निपटने के लिए हमारे पास एक अंतर्निर्मित प्रणाली होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसे रोका जा सकता है। क्योंकि मैं आपके जैसा एक भौतिकीविद् नहीं हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एडवांस जानकारी मिल जाये, इतना ही हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः क्या किया जा सकता है ? मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अंतर्निर्मित तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। ऐसा किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी उचित कदम उठाये जाने चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि अनेक ऐसी घटनायें हुई हैं जो गंभीर चिंता का कारण बनीं और उस संदर्भ में अनेक माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

महाराष्ट्र में आये भूकम्प के संदर्भ में भी हमें शीघ्र चर्चा करनी चाहिए थी।

मुझे उम्मीद है कि आप माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श कर चर्चा के लिए शीघ्र समय निर्धारित करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैंने स्वयं जबलपुर जाकर उन भूकम्प पीड़ितों की दुर्दशा को देखा भी है, उनकी व्यथा को सुना भी है। मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहती हूं कि भूकम्प तो प्राकृतिक आपदा के कारण आया था लेकिन राहत कार्य में वहां का प्रशासन जिस तरह की सुस्ती कर रहा है और खास तौर से राहत की जो नीति घोषित कर रहा है, उसे बार-बार बदल रहा है, उससे वहां के लोग ज्यादा परेशान है। जबलपुर के लोगों को 3000 रुपये प्रति मकान देकर उन्होंने अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। घोषित नीति यह थी कि उन लोगों को 15,000 रुपये दिए जायेंगे जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन जिस दिन हम गए, उसी दिन मुख्य मंत्री ने यह घोषणा बदल दी और कहा कि 15,000 रुपये बारिश के बाद दिए जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता, इससे ज्यादा कोई गलत नीति नहीं हो सकती थी। अगर 15,000 रुपये बारिश से पहले मिल जाते तो कम से कम वे बारिश के मौसम से तिरपाल की छत तो अपने यहां लगा सकते थे।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को केवल यह कहना चाहती हूं कि जो भी राहत कार्य वहां के प्रशासन ने किए हैं, आप उनसे उसकी एक सूची मंगवाएं और अपनी निगरानी में उस राहत कार्य को बंटवाने का काम करें। जो नीति प्रशासन बनाता है, उसे अमली जामा पहनाएं, उसे बार-बार बदलकर वहां के लोगों को और ज्यादा परेशान न करें। यह बात मैं दर्ज कराना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष जी, विनम्रता से विषयांतर करके एक वाक्य में मैं एक बात और कहना चाहती हूं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। एक विषय हम आज सुबह उठाना चाहते थे। कल जो 9-10 साल का बच्चा तरूण पुरी मां-बाप की आंखों के सामने से उठा लिया गया है, 36 घंटे हो गए, अभी तक उसका पता नहीं चला। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि दिल्ली के कानून-व्यवस्था के मसले उठते रहे हैं लेकिन कल जैसा मसला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे हमदर्दी है। मुझे खेद है कि मैं इसे शून्य काल में नहीं बदल सकता। ठीक है, मुझे उस केस से हमदर्दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनके माता-पिता की दुर्दशा आप देख नहीं सकते। उनकी आंखों के सामने से उनका बच्चा नकाबपोश लोग उठाकर ले गए। गृह मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रही हूं। अभी तक बच्चे का पता नहीं चला। कोई रैनसम कॉल नहीं आई। कृपा करके दिल्ली पर कृपा करें, उस मां-बाप पर कृपा करें। इतना बता दें कि उस केस में क्या हुआ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र ने एक बड़ी दुखद घटना के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि कल सुबह दिन-दहाड़े एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। मैंने शीघ्र पुलिस अधिकारियों, गृह मंत्रालय के अधिकारियों और सभी जांच एजेंसियों से सम्पर्क किया। मैंने बच्चे के पिता से भी बात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें गारंटी दी कि भारत सरकार अपराधियों को ढूंढ निकालने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मेरे विचार से यह किसी दल या संगठन का मामला नहीं है। यह मानवीय विचारण तथा कानून और व्यवस्था का मामला है। मैं यह आश्वासन देता हूं तथा यह गारंटी देता हूं कि भारत सरकार बच्चे का पता लगाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं भूकम्प के संदर्भ में बोलने के लिए अंतिम सदस्य को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। उन्हें पहले बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद आए थे। उस दिन भी प्रधानमंत्री जी से कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्वास और अन्य राहत कार्यों के बारे में जो भी अपनी नीति बनाई है, वह नीति ही नहीं है, उसमें पूर्णतया अदूरदर्शिता है और अमानवीयता है। मैं आडवाणी जी के उस कमेंट्स पर यहां कहना चाहता हूं कि एक आपराधिक उपेक्षा सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहां राहत कार्य ठीक चल रहे हैं। मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं। इसमें लंबी चर्चा होगी और चर्चा के बिना जबलपुर भूकम्प की गंभीरता को नहीं आंका जा सकता। जहां पर भूकम्प का केन्द्र था, वहां से 9 किलोमीटर के बाद एक आदिवासी जिला मंडला लगता है। जबलपुर जिले के रेवेन्यू (राजस्व) सीमा को हमने आपदाग्रस्त कर दिया। 9 किलोमीटर बाद यह आदिवासी जिला जहां पर दो सौ, ढाई सौ रुपये मिल रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लेकिन वहां किसी भी आदिवासी को दो सौ, ढाई सौ रुपये से ज्यादा नहीं मिले। उसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार निर्णय नहीं कर सकी। उसमें सरकार ने प्रारंभ में कहा कि 300 गांव प्रभावित हैं। आज वे 3200 हो गए। पूरा महानगर है और आज की तारीख तक यह तय नहीं हो पाया कि पूरे जबलपुर क्षेत्र के कितने जिले, कितने गांव उससे प्रभावित हैं। उसके बाद हम सरकार की यहां तारीफ करेंगे तो चर्चा करने कहां जाएं। यह सदन तय करेगा। भूकम्प के अनेक बिंदु हैं, वे आर्डिनैंस फैक्ट्रियां जिनमें खाली 3000 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है और उससे जुड़े रक्षा संस्थान, वहां पर बांध हैं, उनसे जुड़ी समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त हो चुका है, वह अलग है। जो आवासहीन हैं, जो बरसात में मकान धंसने के बाद मारे जाएंगे।

इन सारी परिस्थितियों पर लंबी चर्चा होगी। उस पर प्रधानमंत्री महोदय से मैं कहता हूं, मेरा आरोप है कि जो भी अपराध हुआ है या जो भी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, उसकी जवाबदेही केन्द्र सरकार की है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दी है, जिसने अमानवीय व्यवहार भूकम्प पीड़ितों के साथ किया है। यह मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : गुजरात में भी यही हालत हुई है और उसके कारण हम आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बी॰ ए॰ सी॰ तय करेगी कि इस पर डिस्कशन हो सकता है या नहीं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : गंभीर है, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब भी दिया है। मैं मानता हूं कि गंभीर है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : विदेशियों ने भी इस पर काफी कुछ किया है। गुजरात में जो भी हादसा हुआ है, वह बहुत ही गलत हुआ है। राज्य सरकार ने उनका समर्थन करके निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया है।

अपराह्न 2.55 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में रतलाम रेलवे स्टेशन पर "रेक पाइंट" सुविधा बनाए रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक दृष्टि से रतलाम का विशेष महत्व है। पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन व मुंबई दिल्ली के मध्य स्थित होने से यह एक व्यापारिक केन्द्र भी है। अतः रेलवे की दृष्टि से अपने आपमें यह जंक्शन महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि विगत दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा रतलाम की रेक पाइंट सुविधा (भले ही वह इस रूप में घोषित या विज्ञापित न हो) बंद कर दी गई है, जिसके कारण क्षेत्र के न केवल व्यापारियों को अपितु किसानों के सामने भी भारी परेशानी है, क्योंकि उर्वरक, सहकारिता विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। जिससे समय-समय पर किसानों को खाद की प्राप्ति होती रही है। इससे किसानों की समय पर रासायनिक उर्वरक की प्राप्त में विलम्ब होकर उन्हें भारी हानि होगी। रेलवे की राजस्व की हानि के साथ कृषि उत्पादन पर भी विपरीत असर होगा।

रेक लदान की सुविधा से इस जिले की चीनी मिलों को भी सुविधा है तथा सोया उद्योग को भी डी॰ ओ॰ सी॰ भेजने में कठिनाई नहीं होती थी। रासायनिक उर्वरक के साथ गेहूं, चना, उड़द आदि ऐसी वस्तुएं हैं, जिनका रेक लोड अथवा हाफ रेक लोड में पूरा उपयोग भारतीय खाद्य निगम, आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग द्वारा होता रहा है। रतलाम में उपयुक्त केन साइडिंग की व्यवस्था न होते हुए भी आम लोगों को पर्याप्त सुविधा है।

रतलाम रेक क्षमता वाला स्टेशन है तथा कभी भी रेक खाली होने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। रतलाम के पास मंदसौर, जिसमें कई सीमेंट फैक्टरियां हैं, उनके द्वारा भी समय-समय पर इसका पूरा उपयोग हुआ है। उक्त सुविधा हटा लेने से जहां हजारों लोगों को असुविधा होगी, वहीं मजदूरों की बेकारी का प्रश्न भी खड़ा होगा, जो असंतोष का कारण हो सकता है।

अतः रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रेक पाइंट सुविधा बहाल की जाये।

(दो) उत्तर प्रदेश में आगरा और निकटवर्ती जिलों में दूरसंचार विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता

प्रो॰ ओमपाल सिंह 'निडर' (जलसेर) : उपाध्यक्ष जी, दूरसंचार विभाग में विशेषकर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, महामाया नगर एवं फरुखाबाद जिलों में इस विभाग की हालत बहुत खराब है। कई-कई माह तक टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं। बार-बार शिकायत करने पर भी ठीक नहीं होते। टेलीफोन कनैक्शन देने में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। देहाती क्षेत्र में हालत और भी खराब है। गरीब किसानों का खुले-आम शोषण हो रहा है। टेलीफोन केन्द्रों का खराब रहना एक आम बात हो गई है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दूरसंचार व्यवस्था में सुधार कराये और सांसदों की समिति से उक्त जिलों में जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों को दण्डित कराए।

(तीन) **चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में नवीनगर विद्युत परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने की आवश्यकता**

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रालय की सहायता से पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा नवीनगर में 2000 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना हेतु दिनांक 30.08.1996 को विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थी। विश्वव्यापी निविदा के प्रत्युत्तर में आठ पक्षों ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये। विकासकर्ताओं की पूर्व अर्हता सम्बन्धी निविदाएं 28 नवम्बर, 1996 को खोली जानी थी, लेकिन विकासकर्ताओं द्वारा कोयले के सम्बद्ध खान से व्यावहारिकता का स्पष्टीकरण मांगा गया, जो विभाग द्वारा नहीं दिये जाने के कारण कोई बोली प्रस्तुत नहीं की गई।

मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की विद्युत समस्या के समाधान हेतु इस परियोजना को कार्यरूप देने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। कोयला खान बिहार में उपलब्ध है, फिर भी नवीनगर ताप विद्युत परियोजना हेतु अच्छी कोलियारी को सम्बद्ध करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से विनम्र आग्रह है कि बिहार के गम्भीर विद्युत समस्या के समाधान के लिए नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का तत्काल कार्य कराया जाये और इसका इसी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) **केरल में एक नया पश्चिमी तट रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता**

श्री ए॰ सम्पत (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से एक नया पश्चिमी घाट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कोजीकोड या कोचीन में हो, स्थापित किए जाने की जोरदार मांग रही है। यद्यपि केरल में यात्री भाड़े तथा मालभाड़े मे होने वाली आमदनी लगातार बढ़ रही है फिर भी यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं बहुत कम हैं। वहां पर गाड़ियां और डब्बे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। त्रिवेन्द्रम-कलकत्ता जैसी लम्बी दूरी की नई गाड़ियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अभी तक उनकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। केरल में रेलवे की विकासीय समस्याओं का एकमात्र समाधान वहां एक नया रेलवे जोन स्थापित किया जाना है। केरल सरकार ने भी ऐसा एक नया जोन बनाए जाने का अनुरोध किया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केरल में एक पश्चिमी घाट रेलवे जोन स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(पांच) **तमिलनाडु के सेलम जिले में इडापाडी ग्राम में जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक सम्पर्क सड़क का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता**

श्री के॰ कंडासामी (रासीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इडापाडी गांव, जो तमिलनाडु के सेलम जिले की कंगावाली पंचायत यूनियन के अंतर्गत पच्चमलाई गांव के साथ जुड़ा हुआ है, में कोई उचित सड़क सुविधा या मार्ग नहीं है। आदिवासी, जो यहां के प्रमुख निवासी हैं, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक, दोपहर के भोजन के आयोजक और उचित मूल्यों की दुकानों के मालिक सड़क सुविधा न होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं लाने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम मौजूद है परन्तु इसे समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। अब सामान इत्यादि को गधों पर या आदमियों द्वारा सिर पर ढोया जाता है जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इडापडी गांव में सड़क सुविधा प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये ताकि वहां के लोग शान्तिपूर्वक रह सकें।

(छ:) **दिल्ली-बरेली-लखनऊ के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है। चार चीनी मिलों, इफको, आंवला, उर्वरक इकाई, सिन्थेटिक्स एंड केमिकल्स सहित कई बड़े उद्योग हैं। बरेली की महत्ता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा बरेली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है, परन्तु अभी तक दिल्ली से बरेली के लिए कोई सुविधाजनक ट्रेन नहीं है। इस कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है। पिछले काफी समय से दिल्ली, बरेली, लखनऊ या दिल्ली, बरेली-नैनीताल (काठगोदाम) के मध्य शताब्दी ट्रेन चलाए जाने की स्थानीय जनप्रतिनिधि व निवासी मांग करते आए हैं तथा पूर्व में स्वयं तत्कालीन रेल राज्य मंत्री जी ने अपने बरेली प्रवास के दौरान शताब्दी ट्रेन चलाए जाने की मांग को स्वीकारा था, परन्तु अभी तक इस संबंध में उपयुक्त निर्णय नहीं लिया जा सका है।

मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-बरेली-लखनऊ के मध्य शताब्दी ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आज देशभर की विभिन्न वस्त्र मिलों की सभी पार्टियों—कांग्रेस, भाजपा, सी॰ पी॰ आई॰, सी॰ पी॰ आई॰ (एम), फार्वर्ड ब्लॉक, जनता दल इत्यादि की ट्रेड यूनियनें यहां आई हुई हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कानपुर और अन्य सभी राज्यों में वस्त्र मिलों के बंद किए जाने से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

पूरे देश में एन टी सी और बी ए सी जैसी अनेक मिलों के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनीतिज्ञों का ध्यान इस ओर दिलाने की मांग कर रहे हैं कि वे उन मिलों को पुनः खोलने में सहायता करें जिससे वे लोग अपने काम पर वापस जा सकें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड से हजारों की संख्या में नौजवान यहां पर आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो-आवर नहीं है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने सब लोगों को एलाउ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो एलाउ नहीं किया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महाराजा साहब बहुत नाराज बैठे हैं। इनको अपनी बात कहने का मौका दें।

[अनुवाद]

श्री मानवेंद्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तराखंड का गठन करने के लिए लखनऊ से तीन संकल्प आए हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने लालकिले से यह घोषणा की थी कि यह मांग पूरी की जाएगी। परंतु, अब गृह मंत्री जी कहते हैं कि वे एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं और इसे लखनऊ में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। मैं चाहता था कि अध्यक्ष महोदय पीठासीन होते—क्योंकि वह भलीभांति जानते हैं कि जब असम राज्य का द्विभाजन किया गया था उस समय यद्यपि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था परन्तु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के इस विरोध को अस्वीकार कर दिया था और एक अलग राज्य बना दिया था। अब गृह मंत्री कहते हैं कि 'हम इसे उत्तर प्रदेश में भेजेंगे'। ऐसा क्यों किया जा रहा है ? राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए पहले ही अपनी खुली स्वीकृति दे रखी है। अब यह बहाना लगाया जा रहा है कि इसे लखनऊ को भेजा जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वह भारत सरकार को यह निर्देश दें कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करके इसे सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत करें जिससे इसे पारित करके उत्तराखंड राज्य बनाया जा सके। इसे लखनऊ भेजने की आवश्यकता नहीं है। कृपया सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : हम, आपकी और सदन की जो भावना है सरकार को बतला देंगे।

अपराह्न 3.03 बजे

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में की गई थी। यह एक स्पेशल इन्स्टिट्यूशन होगा और भारत सरकार का प्रतिष्ठान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करेगा, दोनों ही स्थितियों में इस बैंक के द्वारा मदद की जाएगी, यह इसका उद्देश्य था। मीडियम-टर्म और लोंग-टर्म एक्सपोर्ट क्रैडिट के लिए भी यह बैंक मदद करेगा और लाइन्स ऑफ क्रैडिट-टू-बैंक क्या होगी, इस संबंध में भी मदद करेगा। व्यापार की उन्नति के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, वह जानकारी देने में भी वह बैंक मदद करेगा। इस बैंक की मूल भावना यही थी। यहां पर मेरा निवेदन करना है कि इस समय यह बैंक निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है। भारत सरकार के पक्ष में काफी डिविडेंड्स इस समय यह बैंक देने जा रहा है। बैंक काफी लाभप्रद है। आप इस बैंक की राशि को पांच अरब रुपए से बढ़ाकर 20 अरब रुपए करने जा रहे हैं। आप जब चाहें, इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि रिजर्व बैंक का इस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक पर कहीं किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

उस सारे नियंत्रण को भी आप लागू करें और रिजर्व बैंक का नियंत्रण इन सारे बैंकों पर होना बहुत जरूरी है, यह मेरा आपसे निवेदन है। बाकी मेरा यह कहना है कि 31 मार्च, 1995 को बैंक में कुल संसाधन 36.07 मिलियन रुपए थे। इसमें भारत सरकार के पूर्ण अंशदान के 4.40 मिलियन रुपए चुकता पूंजी और 13 वर्षों के दौरान संचित 3.12 मिलियन रुपयों की आरक्षित निधि इसमें शामिल थी। अब यह जो बैंक काम कर रहे हैं उसमें जो इनडिविजुअल लोग हैं उनको यहां पर मदद करने का प्रावधान किया गया है। जो प्रावधान किया गया है उसमें मेरा यह कहना है कि इसमें राजस्थान के साथ पक्षपात किया गया है। आपने अन्य स्टेट्स में उपलब्ध कराए हैं, कर्नाटक स्टेट को 1993-94 में 194 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 472 करोड़ रुपए और यदि क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो मार्च, 1995 तक 941 करोड़ रुपए की रकम दी है। उसी तरह महाराष्ट्र राज्य को पहले 214 करोड़ रुपए तथा 1994-95 129 करोड़ रुपये दिए और यदि क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो 259.5 करोड़ रुपए दिए। वैसे ही आपने राजस्थान राज्य को 1994-95 में केवल 31.5 करोड़ रुपए दिए और यदि क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो 32.7 करोड़ रुपए की रकम दी है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप राजस्थान के साथ भी न्याय करें। आप अन्य राज्यों को दे रहे हैं वह बात अलग है लेकिन आप राजस्थान राज्य

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

के साथ भी न्याय करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार से यदि आज बैंकों के घोटाले का जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूं कि वह कम नहीं होगा। इसमें मेरा आपसे यह कहना है कि ये जो बैंक हैं इन सारे बैंकों के घोटाले आपके सामने हैं। आज जब देश आजाद हो चुका है और हम 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं ऐसे में यदि इस प्रकार से यहां पर एक्सपोर्ट होता रहा तो स्वदेशी वस्तुओं का नाश होगा। भारतवर्ष में जो स्वदेशी वस्तुएं बन रही हैं मैं समझता हूं कि हमको उन वस्तुओं के आधार पर बाहर वाले बैंकों को यहां पर कारोबार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर स्वदेशी वस्तुएं बनेंगी तो देश पनपेगा और हम जो 15 अगस्त को 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं इसलिए इस समय इस संबंध में आपके लिए विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस समय आप स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला जो महात्मा गांधी जी का सपना था उसको आप पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए इस वर्ष आजादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस संबंध में आपके लिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से मुझे कोयले के बारे में कहना है। आपने पहले कोयले पर 85 प्रतिशत रियायत दी, उसके बाद कम करते-करते 18 प्रतिशत पर आ गए। लेकिन आज हिन्दुस्तान भर में जो कोयला पैदा होता है उसे खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, यह स्थिति यहां पर हो गई है। इसलिए आप थोड़ा सा कोयले के बारे में भी विचार करें।

मुझे अखबार के बारे में भी थोड़ा सा कहना है। आज जिस अखबार की बहुत आवश्यकता है उस अखबारी कागज की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। विदेशी अखबारी कागज आने की वजह से भारतवर्ष में जो कागज का उत्पादन होता है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी समाचारपत्रों में जो अखबार काम में आता है उस पर भी आप विचार करेंगे।

यही स्थिति लोहे के बारे में है, अभी जिसका जिक्र लोग कर रहे थे। आज हिन्दुस्तान के जितने भी कल-कारखाने हैं, चाहे वह इन्दौर में हों, कानपुर में हो, राजस्थान के किसी हिस्से में हो या उत्तर प्रदेश में हो, आज वे सब कल-कारखाने डूब रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वहां के मजदूर भूखे मर रहे हैं और कल-कारखाने बंद होने के कारण लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। लोगों की हालत बहुत ही खराब है, इस संबंध में भी आप निश्चिन्त रूप से विचार करेंगे। वेतन न मिलने के कारण लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय आयात-निर्यात बैंक में जितने कर्मचारी लगे हैं उनके बारे में भी आप विचार करें।

मुझे उम्मीद है कि मैंने जो काफी रचनात्मक सुझाव आपके सामने रखे हैं जिस समय आप उत्तर देंगे उन सबका निश्चित रूप से समावेश करते हुए इस बिल को यहां पर पास कराने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 3.09 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं।)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदया, हमारे बैंकिंग क्षेत्र में निर्यात-आयात बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसे कमोवेश सफल कहा जा सकता है। तथापि, कई क्षेत्रों में कुछ समस्याएं हैं। मैं इस संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव भी करना चाहता हूं। जिस तरह की सेवाएं निर्यात-आयात बैंक प्रदान करता है उसी प्रकार की सेवाएं हमारे देश के दूतावासों में भी आरम्भ करके इस सेवा को मजबूत किया जाना चाहिए। निर्यात की संभावनाओं, बाजार अध्ययन इत्यादि तथा लोगों की नियुक्ति यदि आवश्यक हो तो बैंकों से दूतावासों में नियुक्ति करके, निर्यात क्षेत्र में सुधार करने या उसकी मदद करने में लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में हो सकता है।

निर्यात-आयात बैंक की शाखाएं नहीं हैं परन्तु कुछ राज्यों में इसके केवल प्रतिनिधि कार्यरत हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस पर विचार करें कि क्या राज्यों में प्रतिनिधि कार्यालयों की शाखाएं खोली जानी चाहिए या नहीं तथा कम से कम दो राज्यों उड़ीसा और केरल जैसे दो राज्यों जहां प्रतिनिधि कार्यालय तक नहीं हैं और जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं में इस बैंक की शाखाएं खोलने पर भी वित्त मंत्री तथा बैंक प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

मैंने कहा था कि कम से कम एक दृष्टि से यह सफल रहा है। बैंकों में केवल 137 कर्मचारी हैं तथा संशोधन से पूर्व 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी थी और वे इससे इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह एक संकेत है कि अगर कुछ काम ठीक ढंग से करना है तो क्या करने की आवश्यकता है। यह इस बैंक में काफी अच्छी कार्य संस्कृति का संकेत देता है परन्तु कुछ क्षेत्रों में समस्या है। इस तरह के बैंक में भी, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस बात से अवगत होंगे कि गैर निष्पादनकारी परिसम्पति 28.71 प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)* यह एन॰ पी॰ ए॰ है। यह सच है परन्तु फिर भी यह गैर-निष्पादनकारी परिसम्पतियों का यह स्तर चिन्ता का विषय है तथा हमें इसके प्रति सावधान रहना होगा। अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे बहुत अच्छा प्रमाणपत्र दिया है कि इसने पूंजीगत पर्याप्तता मानदण्ड इत्यादि प्राप्त कर लिया है।

अब मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि उधार देने का कार्यक्रम कमजोर होता जा रहा है जबकि संशोधन आधार का विस्तार करने के लिए है। मैं आपको अपने पास उपलब्ध आंकड़े दूंगा। कई प्रस्ताव बदलते परिप्रेक्ष्य के कारण भी हो सकते हैं। 1992-93 से 1996-97 के बीच प्रस्तावों की संख्या में कमी आई है। 1992-93 में 157 प्रस्ताव थे और अगले वर्ष ये कम होकर 69 हो गए फिर 87 तथा उसके बाद 65 और 1996-97 में 31 दिसम्बर को इनकी संख्या केवल 37 रह गई है। कहीं तो त्रुटि है। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि भुगतान और स्वीकृतियों में वृद्धि हो रही है जो इस

बात का संकेत देते हैं कि प्रति इकाई भुगतान बढ़ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि बैंकों की भी समस्या है। इस बैंक के लिए मैकिन्से एण्ड कन्सलटैंट्स द्वारा भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें 1995 में की गई थीं। अब हमारे देश में अधिकांश निर्यात लघु क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह हमारे औद्योगिक निर्यात का 40 प्रतिशत है फिर भी इस बैंक का उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह कोई साधारण बैंक नहीं है क्योंकि यह केवल वित्त पोषण करता है। यह सलाहें देता है। यह सूचना इत्यादि देता है। निदेशक मंडल में लघु उद्योगों का कोई प्रतिनिधि तक नहीं है। मेरे विचार से यह बड़ी कमजोरी है। इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि निदेशक मंडल में न केवल लघु उद्योग का प्रतिनिधि होने चाहिए बल्कि निदेशक मंडल में होने वाले विशेषज्ञों में कुछ और अधिक विशेषज्ञ होने चाहिए।

संशोधनों के अन्य प्रस्ताव भी हैं। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वे काल्पनिक बजट बनाकर बड़ी तेजी से कार्य कर रहे हैं। केवल प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने वाले संशोधनों की बजाय कुछ अन्य संशोधन भी लाए गए हैं। इसका अन्य जगह भी उल्लेख किया गया है। अब 'सेबी' ने कहा है कि नए निर्गमों के लिए अंडरराइटिंग की अब जरूरत नहीं है। यह उनके व्यवसाय अंडरराइटिंग के एक भाग के रूप में ही होगा परन्तु मर्चेंट बैंकिंग इत्यादि जैसी अन्य बातें नहीं होंगी।

कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अनेक प्रस्ताव हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री समय निकालकर सदन में आयेंगे और उन क्षेत्रों में संशोधन करेंगे।

इसका एक अन्य रोचक भाग भी है, जिस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि उनका अन्य बातों से भी सम्बन्ध है। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य आंके जाने वाले तथा वास्तविक मूल्य से कम मूल्य आंके जाने वाले मामलों का उल्लेख नहीं करूंगा। यह भी यह साधन बन सकता है। वित्त मंत्री की रुचि इस ओर होनी चाहिए। इस बैंक का कार्यकरण और इसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, निर्यात और आयात के बारे में वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य आंके जाने वाले और वास्तविक मूल्य से कम मूल्य आंके जाने वाले मामलों को, कम से कम, ढूंढ़ने में साधन तो बन ही सकती हैं। मेरे विचार से उस ओर उन्मुख करने के लिए वो आयात-निर्यात बैंक को लगाया जाना चाहिए।

संशोधनों में वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रस्ताव बैंक अधिकारियों ने स्वयं ही दिया है और इस पर अभी विचार नहीं किया गया।

फिर यहां प्रावधान केवल उन मशीनों का वित्त-पोषण करने का है जो पट्टे पर हैं परन्तु उसके वास्तविक प्रयोक्ताओं को नहीं। यह बहुत अजीब सा प्रतिबंध है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए यह बहुत लाभदायक है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मामले के इस पहलू की ओर ध्यान दें।

मैं यह टिप्पणियां करना चाहता था। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि शुरू में पूरे मामले पर विचार के लिए केवल एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। चूंकि और वक्ता नहीं थे इसलिए मैंने अधिक समय लिया। शेष के लिए मैं परामर्श फर्म की सिफारिशों पर उनके विचार जानना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सिफारिशों को सूचीबद्ध कर रहा हूं। वे इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ? ...*(व्यवधान)* यह आप पर है मैं यह आपको क्यों दूं।

महोदया, यदि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो वे किसी और समय आ सकते हैं। मैं सिफारिशों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं ? उन्हें इस पर अपना विचार अभिव्यक्त करने दें। 1995 में कुछ बहुत लाभदायक सिफारिशें की गई थीं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं किया। परन्तु मैं चाहता हूं कि वे इसे ढूंढ़े और जवाब दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण सम्पन्न करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 1997 का स्वागत करते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि उदारीकरण और आयात नीति के पश्चात् आयात और निर्यात के व्यापार में खुलापन आता और उस खुलेपन को प्रोत्साहित करने के लिये तथा भारत के आयात-निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस बैंक का सुदृढ़ किया जाना अत्यंत आवश्यक था।

इस बैंक की स्थापना के लिये पहले विधेयक 1981 में आया था जिसमें इसकी पूंजी दो अरब की थी और ऐसा माना गया था कि इसकी अधिकृत पूंजी दो अरब रहेगी तो इसे पांच अरब तक की पूंजी तक का अधिकार दे दिया जाये। परन्तु उसके पश्चात् 1996 तक इमकी अधिकृत पूंजी पांच अरब तक हो गई है। सरकार अब चाहती है कि इसकी सीमा दस अरब तक कर दी जाये और यदि बाद में 20 अरब तक भी बढ़ाना चाहें तो सरकार को यह अधिकार दे दिया जाये। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जब पहले दो अरब से पांच अरब तक हो गई और अब सरकार पांच अरब चाहती है लेकिन इसके पांच से बीस अरब तक बढ़ाने का अधिकार दे दिया जाये तो इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है। इसमें मेरी आपत्ति दूसरी है और वह यह है कि पहले इसका यह उद्देश्य था कि यह प्रमुख वित्तीय संस्था होगी और निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करेगी तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इसके उत्तर में जानना चाहता हूं कि जब इस बैंक का गठन किया गया था तो वह मुनाफे में चल रहा था और लगभग 19 प्रतिशत के हिसाब से इसके लोन अस्सैट्स में वृद्धि हो रही है और यह सरकार को लाभांश प्रदान कर रहा है जैसा वित्त मंत्री जी ने संकेत दिया था लेकिन जिन राज्यों को इस बैंक के माध्यम से लोन दिया गया और जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये, उनसे लगता है कि लोन देने में किन नार्म्स का सहारा लिया गया, उनकी शर्तें क्या हैं, मानदंड क्या है। क्या छोटे उद्योगों को, जो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी उत्पादित वस्तुओं को निर्यात करने में प्रोत्साहन देगी ताकि उन लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले? क्योंकि उसमें लगे लोगों को लाभ होगा। अब तक तो सरकार की नीति

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

बड़े-बड़े निर्यातकों को उदार मन से लोन देने की रही है परन्तु छोटे उद्योग, जो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनके द्वारा उत्पादित माल को बाहर भेजने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। साथ ही जिन वस्तुओं की यहां पर कमी है और जिन चीजों की आवश्यकता है तो हमारे यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, उनको प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार क्या प्रयत्न कर रही है, इसके बारे में जानकारी दे सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, इस बैंक की स्थापना के जो उद्देश्य हैं, उनमें सरकार को कहां तक सफलता मिली है, उसका आंकलन होना चाहिये, मूल्यांकन होना चाहिये क्योंकि खुलेपन के बाद हमने तय किया था कि निर्यात व्यापार बढ़ना चाहिये और आयात व्यापार घटना चाहिये।

हमने निर्यात के लिए सौ अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन 1996-97 में वह निर्यात केवल 33.1 अरब डॉलर तक सीमित रहा जबकि आयात 38.5 अरब डॉलर का रहा। इससे पता लगता है कि हमारा निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। परिणामस्वरूप जो बैंक निर्यातकों को बढ़ावा देना चाहते हैं उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे और इस बैंक को विशेष दिशा-निर्देश देने होंगे कि हमारे देश के व्यापार में निर्यात को किस प्रकार से अधिकाधिक बढ़ावा दिया जा सकता है और आयात को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इससे भली प्रकार सहमत होंगे कि इससे एक खतरा पैदा हो गया है। जब से उदारीकरण की नीति चली है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में भारत का बाजार आयातित वस्तुओं से पट जाएगा और इसमें जो आयातित कृषि उत्पाद हैं और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनकी भरमार होने लग जाएगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्कीम्ड मिल्क पाउडर पर पहले सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। अब हमारी सरकार ने उसके आयात से प्रतिबंध हटा लिया है। विदेशों में जहां स्कीम्ड मिल्क पाउडर तैयार किया जाता है, वहां की सरकार उनको सब्सिडी देती है जिसके परिणामस्वरूप दूध का मूल्य कम होता है। हमारे यहां की डेरिया और राष्ट्रीय डेरी निगम द्वारा जो वास्तविक दूध तैयार किया जाता है, उसका मूल्य ज्यादा होता है। विदेशी आयातित स्कीम्ड मिल्क पाउडर यहां पर आ जाएगा और उसकी कीमत भी कम होगी तो हमारे यहां डेरी उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान के बाजार में सारी आयातित उपभोक्ता वस्तुएं आ जाएं और हमारे यहां जो चीजें बनती हैं, उनका कोई खरीददार न बचे। बाहर भेजना तो दूर, यहां पर ही उनका कोई खरीददार न हो, कहीं ऐसा संकट देश में पैदा न हो जाए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आयात-निर्यात बैंक की पूंजी बढ़ा रहे हैं। पांच अरब रुपये तक की स्वीकृति है और 20 अरब रुपये तक ले जा सकते हैं और यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी देश का निर्यात घट रहा है और देश का आयात बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाने के लिए और जो चीजें हमारे यहां तैयार होती हैं, उन चीजों को यहीं उपभोग करने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

सभापति जी, मुझे हैरानी होती है यह कहते हुए कि विभिन्न वस्तुओं के आयात पर जो प्रतिबंध लगा था, सरकार उसको चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में अग्रसर हो रही है। मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात पर रोक हटाने से पहले हमारे किसानों और निर्माताओं के हितों को सुनिश्चित करना होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां ज्यादातर स्वदेशी उद्योग हैं और यहां के लघु उद्योग हैं। वह कृषि उत्पादों पर निर्भर है। अब अगर आप प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात पर रोक हटाएंगे और बाद में कृषि पर आधारित उत्पादों द्वारा बनने वाली चीजें भी विदेशों से आएंगी तो हमारे यहां के किसान और निर्माताओं को नुकसान पहुंचेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ से जो समझौता हुआ है, उस समझौते के कारण कहीं ऐसा न हो कि भारत को विश्व बाजार के साथ खुली बाजार नीति का अनुसरण करना है तो फिर उसे खुलकर विभिन्न वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जब भारत खुली आयात नीति में व्यस्त हो जाएगा, तो परिणाम यह होगा कि हमारे यहां का निर्यात और भी घटेगा। जब निर्यात घटेगा तो हमें व्यापार में कितना घाटा होगा ? इस घाटे को भी ध्यान में रखना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस बैंक से जो लोन दिया है, चाहे सरकारों को दिया हो, या सरकार के माध्यम से लघु उद्योगों को दिया हो, या बड़े निर्यातकों को दिया हो, उसकी वसूली की स्थिति क्या है ? उस पर कितना ब्याज लिया जाता है ? क्या बड़े तथा छोटे आयातकों और निर्यातकों की ब्याज दर एक है या उसमें किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है ?

आप यह भी थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और उसकी वसूली की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में भी यहां बतायेंगे।

मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि आयात-निर्यात बैंक हैं और आयात-निर्यात से संबंधित है। अभी अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ व्यापार के मामले में शिकायत की है। इसी आयात-निर्यात और उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में शिकायत की है तो वह वस्तु-स्थिति क्या है। आने वाला समय हमारे लिए क्या संकट पैदा करने वाला है और उन देशों को हमारे खिलाफ क्या आपत्ति है, इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो शायद देश के जनमानस को कुछ राहत मिल सके। क्योंकि भारत में जो विभिन्न वस्तुएं हैं, जितने अभी तक कृषि और अन्य उपभोक्ता सामान हैं और उन पर अभी तक मात्रात्मक प्रतिबंध के विरुद्ध शायद विदेशों ने शिकायत की है। परिणामस्वरूप जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगे हुए हैं वे भी आप हटा देंगे तो सारा विदेशी सामान ज्यादा आने लग जायेगा तो हमारे यहां की क्या स्थिति हो जायेगी। यह स्वाधीनता का स्वर्ण जयंती वर्ष है और स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष में महात्मा गांधी के स्वदेशी, क्रांतिकारियों के स्वदेशी का क्या होगा। हमें ढाके की मलमल याद है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत थी, जिसका इतना महत्व था। बाद में मानचेस्टर का कपड़ा जब हिन्दुस्तान में बनकर आने लगा तो हमारे यहां के ढाके की मलमल बनाने वालों की क्या

स्थिति हुई और उन्हें कितनी निर्धनता का सामना करना पड़ा।

मान्यवर, अभी आपने एन० टी० सी० का सवाल उठाया था। एन० टी० सी० का हमारा कपड़ा बाहर जाता था। लेकिन आज वह कपड़ा बनाने वाली यूनिटें रुग्णता का शिकार हो गई हैं। कई तो बंद हो गई हैं, लाखों श्रमिक जो एन० टी० सी० मिलों में काम करने वाले थे, या जितने भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज हैं चाहे वे वी० एस० एन० एल०, आई० डी० पी० एल०, आई० टी० आई० या एन० टी० सी० आदि हैं, आज उनकी क्या हालत हो रही है। उनको जब आपका संरक्षण नहीं मिलेगा, खुला आयात आप जब दे देंगे और उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो सारा विदेशी माल यहां बनकर आयेगा और हमारे माल की क्या स्थिति होगी। मान्यवर, वित्त मंत्री सोच रहे हैं कि मैं विषय से संबंधित नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आयात-निर्यात बैंक से संबंधित आयात-निर्यात का मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे विवश होकर यह सारी बातें आपके ध्यान में लानी पड़ रही हैं।

भारतीय व्यापार की विभिन्न श्रेणी की दस हजार वस्तुएं हैं, जिनका कैटेगराइजेशन कर रखा है और उसमें उपभोक्ता वस्तुएं भी हैं, ज्यादातर उन सारी वस्तुओं पर अभी तक प्रतिबंध था जिनका हिस्सा लगभग अभी तक 25 परसेंट था और दो-तिहाई से ज्यादा जो चीजें हैं उनपर मुक्त आयातित छूट थी और कुछ ऐसा हिस्सा भी था जिनके लिए लाइसेंस वगैरह लेने की आवश्यकता थी। तो मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि बैंक की पूंजी ,और तो सब बढ़ा रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहन देने के लिए लोन भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे निर्यात व्यापार को धक्का न लगे, हमारे यहां के उत्पादन को तनिक भी धक्का न पहुंचे, हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकें, हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं एक और बात की ओर संकेत करना चाहूंगा कि इस आयात-निर्यात बैंक को हवाला की ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसा हवाला। बहुत से आयातक और निर्यातक विशेषकर जो निर्यातक हैं, यहां से सामान भेजने वाले हैं। बनाते हैं हवाई चप्पल और अंदर पता नहीं कौन सा सामान भेजते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप ऋण देते हैं तो उनको ब्लैकलिस्टिड कर दीजिए और कम से कम ऐसे लोगों को आगे ऋण न दें। क्योंकि ऐसे कार्यों से विदेशों में हमारी प्रामाणिकता को ठेस पहुंचती है, हमारी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है कि अमुक सामान हमने बाहर भेजना था, अमुक क्वालिटी, अमुक क्वांटिटी, अमुक ट्रेड मार्क और अमुक पैटेंट का भेजना था और हमने वह गलत भेज दिया। इसी प्रकार से विदेशी कंपनियां हैं, टी० वी० की रंगीन ट्यूब आती है, इसके अंदर नकली-असली का पता नहीं लगता है और अगर ऐसे लोगों को आप बैंकों से ऋण वगैरह दिलवाते हैं, ऐसी चीजों को बाहर से मंगवाते हैं तो उनकी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखें। ऐसे लोग धोखाधड़ी करते हैं। हमने सुना है, समाचार पत्र में आया है, यह कहां तक सत्य है कि रशिया वगैरह के अंदर या अन्यान्य देशों के अंदर व्यापार के नाम पर सौदे हो जाते हैं और बैंकों से लेन-देन होता है और परिणामस्वरूप बहुत बड़ी राशि का इधर-उधर घपला हो जाता है। तो इसलिए आजकल बैंकों का नाम भी आता है, चाहे बैंक स्कैम हुआ हो, चाहे इंडियन बैंक का घोटाला हो या अन्यान्य बैंकों के बारे में हो। सारे हिन्दुस्तान के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गये जो बैंक इसी आयात-निर्यात के साथ जुड़ा हुआ है। इस बैंक की स्थिति क्या होगी, क्या इस पर रिजर्व बैंक कोई निगरानी रखेगा या नहीं, इसके एकाउंट्स की प्रतिवर्ष जांच करेगा या नहीं, क्या इन सभी मामलों में पारदर्शिता रहेगी या नहीं, इस बैंक में कोई घोटाला न हो, इस बारे में क्या सावधानियां बरती गई हैं, क्या गारंटी है—इन सारे बिन्दुओं पर मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए, आश्वासन चाहता हूं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने चार उद्देश्य बताए हैं—

[अनुवाद]

(i) निर्यातकों को मध्यम और दीर्घ अवधि निर्यात ऋण प्रदान करना;

(ii) बैंकों को साख प्रदान करना और विदेशी सरकारी एजेंसियों को विदेशी सामान के आयात के लिए वित्त-पोषण करना;

(iii) देश और विदेश में निर्यातोन्मुखी इकाइयों को निश्चित अवधि ऋण प्रदान करना;

(iv) भारतीय निर्यातकों को सूचना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।

[हिन्दी]

जब इस बैंक को आपने इतना बड़ा दायित्व सौंपा है, तो इन सारी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में कोई घोटाला सामने न आए और इस देश के लोगों को बेकारी का सामना न करना पड़े।

यहां एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस बैंक की पूंजी बढ़ा रहे हैं, साधन बढ़ा रहे हैं, व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ-साथ इसमें काम करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सुख-सुविधाओं के प्रति भी हमें सचेष्ट रहना होगा और इस बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्जे की सीमा, लोन की सीमा को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ, वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में आयात एवं निर्यात के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, भविष्य में व्यापार वृद्धि को देखते हुए, उधार देने वालों की साख को बनाए रखने के लिए, इस बिल में जो संशोधन लाए गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सभापति जी, भारतीय निर्यात-आयात बैंक विधेयक में इस बिल के माध्यम से जो संशोधन किए जा रहे हैं, उनके विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी दलों के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए इस बिल के विरोध का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सभी दलों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है—सिर्फ 500 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए और एक हजार

[श्री रमेन्द्र कुमार]

करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपए किया जा रहा है। फिर भी कुछ बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

उदारीकरण के नाम पर जिस तरह से इस देश के बाजार को खोल दिया गया है, गेट खोल दिए गए हैं, जिसे आना हो आए, जो सामान लाना हो लाए, जिस रेट पर बेचना हो बेचे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति देशहित में है ? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि एक देश का दूसरे के साथ व्यापार नहीं होना चाहिए, बिना व्यापार के काम नहीं चलता, मगर व्यापार के नाम पर हमने जिस तरह से खुली छूट दे दी है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कि इस नीति पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं।

हमें सोचना चाहिए कि किस आइटम को हम बाहर से मंगाना चाहते हैं और किस आइटम को बाहर से नहीं मंगाना चाहते, किस चीज पर ड्यूटी में छूट देना चाहते हैं और किस चीज पर ड्यूटी में छूट नहीं देना चाहते—इन बातों पर विचार करना आवश्यक है और यह विचार हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और औद्योगिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना होगा।

आप जानते हैं कि मैं कोयला उद्योग से जुड़ा हुआ हूं। कोयले का रंग काला होता है और जिन लोगों ने इसे छुआ, किसी का मुंह काला हो गया, किसी के हाथ काले हो गए।

(व्यवधान)

आपको अभी कोयले को छूने का मौका नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि आप कोयले को नहीं छुएं और मैं आपको ऐसा मौका भी नहीं देना चाहता हूं और मेरा आपको सुझाव है कि आप ऐसा मौका खोजिए भी नहीं। नहीं तो आपका भी मुंह काला हो जाएगा।

(व्यवधान)

अरे आप तो एक करोड़ की जमीन की 1 लाख 64 हजार रुपए स्टाम्प ड्यूटी देते हैं। आप तो कलाकार आदमी हैं। आपके ऊपर तो इस देश के कोई कानून लागू नहीं होते हैं।

सभापति महोदया, मैं कोयले के बारे में बता रहा था कि पहले 110 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। यह घटते-घटते 1997-98 में नान कूकिंग कोल पर 10 प्रतिशत रह गई है और कूकिंग कोल पर सिर्फ 5 प्रतिशत रह गई है। हम तो आज बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। आज हम कोयला बाहर से मंगवा रहे हैं। बाहर से आने वाला कोयला यहां सस्ता हो गया है और हमारा कोयला महंगा हो गया है, जबकि विश्व की तुलना में हमारा कोयला मूल्य में सस्ता पड़ता है। हमारे अपने कोल की प्राइस विदेशी कोल की तुलना में कम पड़ती है। हमारा कोल सस्ता है, परन्तु हम उस पर दूसरे किस्म के टैक्स लगा देते हैं। जैसे रॉयल्टी लगाते हैं। सैल्सटैक्स लगाते हैं। इससे हमारे कोयले की कीमत बढ़ जाती है। मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं वह है इस कंपटीशन के एज में आप यदि विदेशी सामान के आयात की छूट दे देंगे, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे और देशी सामान पर किसी न किसी प्रकार से टैक्स बढ़ा देंगे, चाहे माल ढुलाई के नाम पर, चाहे रेलवे के भाड़े के नाम पर, चाहे सेल्स टैक्स के नाम पर, तो जो माल हम अपने यहां प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी तुलना में हम जो दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं उसकी कीमत घट जाती है। उसका नतीजा आज यह हो रहा है कि जो लोग माल पैदा करते हैं, वे भूखे मर रहे हैं। जिन उद्योगों में वह माल बनता है, वे बंद पड़े हैं।

सभापति महोदय, सरकार की इस उदारीकरण की नीति के नाम पर हमारे देश के कारखाने बंद होने लगे हैं। उनका माल नहीं बिकता है। जब देश के कारखाने बंद होते हैं, तो उसका असर हमारे समाज पर पड़ना स्वाभाविक है। आज लोग बेकार हो रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। आपने विदेशों से माल लाने की छूट दे दी है और कह दिया कि जिसके जो मन में आए वह बाहर से ले आए। हमारे देश में एक से एक अच्छा कारखाना है और एक से एक अच्छी चीज हमारे देश में बनती है। हमारा भेल है। अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा टरबाइन बनाता है, लेकिन आपने बाहर से लाने की छूट दे दी । अगर आप इस पर विचार करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी इस उदारीकरण की नीति का आज देश पर क्या कुप्रभाव होना शुरू हो गया है। फिर चाहे आप उसकी कीमत 200, 500 या एक हजार अथवा पांच हजार रुपए कर दीजिए, मूल बिन्दु तो यह है कि देश की आयात-निर्यात नीति देश के हित में है कि नहीं। यदि देश के अनुकूल नहीं है, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं है।

सभापति महोदय, हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इन सब बातों पर गंभीरता से सरकार विचार करे और देश की आयात-निर्यात नीति का पुन:निर्धारण किया जाए और यह इस प्रकार से निर्धारित की जाए जिससे हमारे देश के कल-कारखाने विकसित हों, हमारे देश में एम्प्लायमेंट ज्यादा जनरेट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री इलियास आजमी।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : चेयरमैन महोदया, ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : आपका क्या है, आप तो एक करोड़ रुपए की जमीन की उत्तर प्रदेश में 1 लाख 64 हजार ड्यूटी देते हैं।

श्री इलियास आजमी : आप क्या कह रहे हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूं। आपने कहां से पता लगा लिया।

श्री रमेन्द्र कुमार : अखबार में छपा है। आपने भी पढ़ा होगा।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : उ॰ प्र॰ की मुख्य मंत्री, सुश्री मायावती ने इस खबर का खंडन कर दिया है।

श्री इलियास आजमी : आपने छपवाया होगा, इसलिए आपको मालूम होगा। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।

उन्होंने छपवाया है और उन्हीं ने पढ़ा होगा। मैं ऐसी बेजान बातें नहीं पढ़ता।

सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक है, इसका विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी जिस तरह से बहुत सोच समझकर बजट लाये थे, उसी तरह इस संशोधन को भी लाये हैं। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं जो कि वह अपने जवाब में बता दें ताकि हमारी जानकारी में आये। यह जो निर्यात आयात बैंक है, इसने अब तक कितना पैसा कर्ज में दिया है वह बहुत छोटे-छोटे उद्योगों के लिए जो निर्यात करने के लिए सामान बनाते हैं जैसे कालीन बनाने वाले लोग या रेडीमेड गारमैंट वाले लोग, बहुत छोटे-छोटे उद्योग जो घरों में भी सामान बनाते हैं जैसे मुरादाबादी बर्तन बनाने वाले लोग, शोपीस बनाने वाले लोग, चमड़ा या चमड़े के सामान बनाने वाले लोग जो निर्यात के लिए सामान बनाते हैं, वह देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं उनको कितनी मदद दी है। उनको बढ़ावा देने के लिए जितना पैसा उनको कर्जे में दिया है उसमें कितने परसेंट छोटे उद्योगों को दिया है और कितने परसेंट बड़े उद्योगों के लिए दिया है। आप एक पॉलिसी बना लें कि बड़े लोगों को बहुत कम और जो घरेलू उद्योग हैं, जिनके हाथ का बना हुआ सामान बड़े पैमाने पर विदेशों में जाता है उनको ज्यादा कर्ज मिले। जाहिर है कि हमारे देश में जितना आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा उतनी ही हमारी ताकत घटती जायेगी। आर्थिक ताकत समाप्त होती जायेगी। इसलिए जो हाथ से मेहनत करके अपने घरों में सामान बनाते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनसे ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी चलती है और ज्यादा बढ़िया सामान बाहर के मुल्क में जाकर बिकता है।

अभी हम लोग यूरोप गये थे। हमारे यहां का रेडीमेड कपड़ा हमें हर जगह बिका हुआ नजर आया, तो जाहिर है कि उसको बढ़ावा देने के लिए कितने परसेंट देना चाहिए। यह नहीं कि कितने करोड़ देंगे। कितने परसेंट आपने अब तक दिया है। आप जरा यह बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि कितना परसेंट छोटे उद्योगों को दिया है और कितना परसेंट बड़े उद्योगों को दिया है। आप एक ऐसी नीति बनाइये कि घरेलू उद्योग जो निर्यात के लिए सामान तैयार करते हैं या छोटे उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा मदद देकर बढ़ावा देंगे। अगर यह नीति आप तैयार कर दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा और देश की जनता भी वित्त मंत्री जी की शुक्रगुजार होगी। मैंने कभी भी जरूरत से ज्यादा समय नहीं लिया है और न ही मैं आज ले रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री आर. एल. पी. वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूं। यूं तो यह भारतीय निर्यात आयात बैंक संशोधन विधेयक नीयत से अच्छे काम के लिए है। भारत का उद्योग बढ़े और लघु उद्योगों का विकास हो और विश्व में हमारा निर्यात बढ़े, इस दृष्टिकोण से मंत्री जी की मंशा जो पांच अरब से दस अरब हो और आगे यह बीस अरब तक बढ़ सकती है। यह एक बहुत अच्छी बात है लेकिन जहां तक हम निर्यात की भावना से इस विधेयक को ला रहे हैं, वह व्यावहारिक में प्रयोगों के द्वारा देश में जो वर्तमान स्थिति है, उससे लगता है कि हम उतना आगे एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा निर्यात व्यापार पिछले वर्ष से घटा है। घटने का कारण यह है कि हमारा जो उदारीकरण हुआ है, यह उदारीकरण भारत के उद्योग से उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की भावना से उतना साउंड नहीं बना है और न उसके लिए क्षेत्र का विस्तार हुआ है या व्यावहारिकता नहीं आयी है जितना कि हम आयात करने के लिए अधिक विवश हो रहे हैं।

हमने अभी आयात के लिए जो छूट दी है जैसे माइनिंग क्षेत्र में लें, तो जहां हमारे यहां कॉपर का उद्योग चलता था और अभी भी माइनिंग हो रही है, वहां पर माइनिंग में चलैया कमेटी ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करो में 120 प्रतिशत की कमी की जिससे हमारी उत्पादित वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। अब हम अनइकोनोमिक हो जाने से कॉपर का उत्पादन नहीं कर सकते। हमारे मोसावनी का माइन्स बंद होने के कगार पर आ गया है। इसी प्रकार से लोहा, कोयला और अन्य खनिज पदार्थों ड्यूटी घटा देने से विदेश का लोहा, कोयला आदि सस्ता हो गया है और हमारे देश का उत्पादन बहुत महंगा हो गया है। इस प्रकार से हमारे खनन उद्योगों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम समझते हैं कि कुछ दिनों में हमारे देश में सिर्फ विदेशी माल दिखाई देगा और भारत के उद्योग धीरे-धीरे बंद होते चले जाएंगे। अभी कॉपर उद्योग का ताजा उदाहरण है। उसके साथ ही लोहे पर भी कमी करने से विदेश का लोहा सस्ता हो जाएगा और कई चीजों का ऐसा होगा। लगता है कि डंकल प्रस्ताव के प्रभाव में आकर भारत सरकार ने, डॉ. मनमोहन सिंह और बाद में श्री प्रणव मुखर्जी ने मिलकर उदारीकरण की नीति की चपेट में भारत के उद्योगों को डाल दिया है। कोई दिन ऐसा आएगा जब भारत की हालत मैक्सिको जैसी हो जाएगी। मैक्सिको भी बहुत आगे बढ़ा था लेकिन जब उसे यह ललक हो गई कि हम विदेश के माल को अधिक प्रोत्साहन देंगे, वही क्वालिटी अच्छी है तो उसी में सारे देश का उद्योग चौपट हो गया और आज मैक्सिको दर-दर की ठोकरें खा रहा है। भारत में भी घर-घर में विदेशी वस्तुएं आ गई हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां विदेशी वस्तुओं का प्रचलन नहीं बढ़ा हो। छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों के पास कुछ-न-कुछ विदेशी चीज आ गई हैं।

इस उदारीकरण की नीति में हम इतने अरबों रुपयों को तो रख रहे हैं, इसे 20 अरब से 25 अरब तक ले जाएं, वह अच्छी बात है लेकिन साथ ही यहां का जो परिधान उद्योग है, यहां से विदेश जाता है, उसमें कच्चे माल मंगाने की सुविधा नहीं है। उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। जो हमे काफी फौरेन एक्सचेंज दे रहे है, उसे हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उसे देखा चाहिए। पहले शायद 542 उद्योग धंधों के बारे में विचार किया गया है लेकिन उसे भी प्रतिबंधित एरिया में रखा गया है। सरकार को विचार करना चाहिए कि अभी भी भारत में 45 प्रतिशत से अधिक लघु उद्योग एक्सपोर्ट करने की दिशा में है। हम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दें, उन्हें कच्चा माल कम दर

[श्री आर० एल० पी० वर्मा]

पर मिल सके, उसमें छूट मिले ताकि वे अपनी क्वालिटी सुधार सके, उनको तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। हमारे छोटे-छोटे उद्यमियों की पांव की जूती घिस जाती है लेकिन सरकार की एजैंसी उसे सहायता देने में सहयोग नहीं दे पाती। यहां तक कि बैंकों से ऋण की व्यवस्था नहीं हो पाती, शेयर के दलाल बीच में खा जाते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो केवल ऋण लेने के लिए ही व्यापार करते हैं और ऋण लेकर दूसरे जगहों पर खर्च कर देते हैं। उनको दोबारा-तिबारा ऋण मिल जाता है।

लेकिन जो सही उद्यमी होते हैं, जो ऐसे एण्टरप्राइज के लिए बहुत उत्साही हैं, उन लोगों को सरकार की सहायता सही ढंग से नहीं मिल पाती है, वे तो डिस्करेज होकर वापस लौट जाते हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अन्ततोगत्वा उद्योग चलने के बजाय डूबने लगता है। उसको तुरन्त टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने समय के अन्दर पूंजी, कच्चा माल, अन्य तरह की सुविधाएं, सरकारी तकनीकी, ये सब उपलब्ध कराने के लिए कोई कारगर उपाय होने चाहिए। इसीलिए इस दिशा में सरकार विचार करे तो सही मायने में अपने देश में आयात और निर्यात के व्यापार के द्वारा हम फौरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं और देश को प्रगति की दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की नीति कुछ दिखावटी रही और भीतरी नीति कुछ दूसरी रही, केवल विदेशियों को आकर्षित करना, केवल विदेशी माल लाना और देश को धीरे-धीरे बिकवा डालना, जैसे अभी यहां टोमको बिक गई, देश की ऐसी पचासों कम्पनियां विदेशी कम्पनियों ने खरीद लीं और अभी तक 1600 कम्पनियां ऐसी आई हैं, जो देश के अन्दर और भी देश के छोटे-छोटे उद्योग और बड़े-बड़े उद्योगों को खरीदने में सक्षम हैं। अभी उदाहरण देने में काफी समय लग सकता है। मैं केवल संकेत रूप में सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो विदेशी लोग हमारे उद्योगों को निगल रहे हैं, अगर यही रवैया रहा तो थोड़े दिनों में हमारे उद्योग एक बार फिर विदेशी लोगों के पास, मल्टीनेशनल्स के पास गिरवी हो जायेंगे। इस दिशा में सरकार को सचेत रहने की जरूरत है और अपनी नीति अलग रखनी चाहिए। अभी यह होड़ लगी है कि हम विदेशी उदारीकरण कैसे कर पायेंगे। अभी उनसे कम्पीटीशन करने में हम सक्षम नहीं हैं। हमने पांच वर्ष के लिए जो एग्जिम नीति बनाई, यह उस समय बनी थी, जब डॉ० मनमोहन सिंह थे, प्रणव कुमार मुकर्जी जी थे, वे युनाइटिड फ्रण्ट की सरकार को उस समय सौंप गये, जब राजनैतिक उतार-चढ़ाव से यह देश ग्रसित हो गया। ऐसे परिस्थिति में जो सुधार हो रहे हैं, उन सुधारों में अभी भी विदेशी लोगों का विशेष हाथ है। यही कारण है कि हमारे उद्योग धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं, इस दिशा में सरकार चौकस रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस बिल को समर्थन दिया, जिसका एक सीमित उद्देश्य यह है, जैसा कि अनेक सदस्यों ने कहा है कि एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया जाए और केन्द्रीय सरकार को शक्ति दे कि यदि आवश्यक हो तो एक अधिसूचना द्वारा इसे 2,000 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

महोदया, एक्ज़िम बैंक के उद्देश्यों का मैंने विस्तार से वर्णन किया था। इस बैंक के उद्देश्य हैं :—निर्यातकों को अर्थात् परियोजना निर्यातकों तथा मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि निर्यात ऋण प्रदान करना, पूंजी माल तथा उत्पादित वस्तुओं के निर्यातकों को, बैंकों तथा विदेशी सरकार की एजेंसियों को भारत से माल तथा सेवाओं का आयात करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु साख प्रदान करने की सुविधाएं देना, निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात परामर्शी सेवाओं को ऋण प्रदान करना। विगत पन्द्रह वर्षों के दौरान बैंक का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा। जो कुछ घटा है मैंने उसकी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत की है। सकल लाभ के सम्बन्ध में बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। सकल लाभ 1987 में 19.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 1996-97 में 151.6 करोड़ रुपये हो गया।

अपराह्न 4.00 बजे

पूंजी तथा सम्पति अनुपात 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 21.3 प्रतिशत हो गया। पूंजी पर सकल लाभ प्रतिशत के रूप में 10.8 से बढ़कर 30.3 प्रतिशत हो गया है। पूंजी तथा संचित भण्डार 8.5% से बढ़कर 15.6 प्रतिशत हो गया है। प्रति कर्मचारी कुल लाभ 14.2 लाख से बढ़कर 106 लाख रुपए हो गया है।

जैसा कि बहुत से सदस्यों ने और विशेषकर श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कहा है कि यह बैंक हमारी सफलता की कहानी है। इसकी सफलता का एक बड़ा राज यह है कि वित्त मंत्रालय इसके कार्यकरण में कोई दखल नहीं देता। मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूं भविष्य में इस बैंक के कार्य-संचालन की पद्धति क्या हो, इस बारे हमने एक विख्यात विदेशी फर्म से परामर्श मांगा था। पन्द्रह वर्ष अतीत पर दृष्टिपात करने और भविष्य निर्धारित करने के लिए लम्बा अरसा है। जुलाई, 1995 में उस परामर्शदात्री फर्म ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मैंने सोचा कि श्री चटर्जी अपनी सिफारिश बता रहे हैं। परन्तु वे तो उस फर्म की सिफारिशों को उद्धृत कर रहे थे। हमने उन सिफारिशों पर कार्यवाही की है।

मुझे तीन या चार मुख्य सिफारिशों का जिक्र करना है। पहली सिफारिश यह थी कि एक्ज़िम बैंक का लक्ष्य मध्यम वर्गीय कम्पनियां होनी चाहिए और इसके कारण भी उन्होंने बताए हैं। बैंक ने परामर्शदात्री फर्म के साथ सहमति में मध्यम वर्गीय कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों को पुनः दिशा दी है। दूसरी यह थी कि एक्ज़िम बैंक को अपना लक्ष्य वस्त्र, दवा, बाल का रंगने वाले डाई आटो एनसिनरी और आभियांत्रिकी वाले क्षेत्रों को बनाना चाहिए जिनकी बड़े और जल्दी बढ़ने वाले उद्योगों के रूप में पहचान की गई है। बैंक डाई उद्योग, वस्त्र तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा मशीनी कलपुर्जों के बारे में अपने शोध अध्ययन संचालित कर रहा है और इन क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कर रहा है।

तीसरी सिफारिश यह थी कि बैंक अपनी सेवाओं का विस्तार करे।

बैंक ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें बैंक ने अपने ग्राहकों को विदेशी व्यापार सम्बन्धी गारन्टियों की एक पूर्ण नई सेवा प्रस्तुत की है इससे बैंक की शुल्क आधारित आय में वृद्धि होगी। अयात विकास नीति के एक भाग के रूप में भारतीय कम्पनियों द्वारा लगाए गए देशी इकाइयों में इक्विटी पूंजी में निवेश हेतु भारत सरकार ने इसे अपनी सम्मति प्रदान कर दी है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों के वित्त-पोषण के कार्य को बैंक निरन्तर जारी रखी हुए है और बैंक ने मूल्य आधारित सूचना और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अलग निर्यात सेवा ग्रुप की स्थापना की है। परामर्शदाताओं ने यह सिफारिश की है कि बैंक को अपनी सेवाओं के क्षेत्र का विकास करना चाहिए ताकि निर्यात क्षमता बनाने के साथ ही बैंक की विशिष्टता भी बढ़े। बैंक ने सूचना, परामर्श और सुलह की मूलभूत सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध करवाने के लिए एक निर्यात सेवा ग्रुप की स्थापना की है। परामर्शदाताओं ने यह भी सिफारिश की कि बैंक को निवेश व्यवस्था की ओर भी उन्मुख होना चाहिए। सरकार ने बैंक को अपनी सहमति प्रदान कर दी है जब बैंक ने मध्यम आकार की निर्यात उन्मुखी भारतीय कम्पनियों को विश्व पूंजी तक पहुंच पाने में सहायता करने के लिए एक विख्यात सम्पति प्रबन्धन कम्पनी के साथ एक प्रबंध व्यवस्था बनाई है। बैंक की ओर भी कई सिफारिशें हैं परन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बैंक परामर्शदाताओं की सिफारिशों पर अमल कर रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कुछ में संशोधन की आवश्यकता है।

श्री पी॰ चिदम्बरम : यदि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता हेतु बैंक हमारे पास आयेगा तो हम निश्चय ही इसका अध्ययन करेंगे। परन्तु इस समय तो जहां तक मुझे पता है बैंक हमारे पास संशोधनों हेतु नहीं आया।

हम संशोधनों के लिए क्यों कह रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमें आशा है कि एक्ज़िम बैंक को सकल संवितरण करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है भविष्य में 7000 करोड़ की पुनः-अदायगी के बाद-कुल संवितरण।

इसके अतिरिक्त बैंक को वर्तमान उधार लिये गए रुपयों की पुनः-अदायगी हेतु 670 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता होगी।

आन्तरिक संसाधनों द्वारा एकत्रित निधियां लगभग 1200 करोड़ होने का अनुमान है जिसका तात्पर्य यह है कि अगले दो वर्षों में बैंक को 65,000 करोड़ रुपये और एकत्रित करने होंगे। अतः हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी देंगे और बैंक बाकी के 6,000 करोड़ रुपए बाजार से उधार लेगा। इसी कारण मैंने यह संशोधन किया है।

प्रतिनिधि कार्यालयों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। बैंक के नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर अहमदाबाद और मुम्बई में छः प्रतिनिधि कार्यालय हैं। भारत के सभी राज्य एक-न-एक प्रतिनिधि कार्यालयों के अन्तर्गत आ जाते हैं। उदाहरणार्थ उड़ीसा, कलकत्ता कार्यालय के कार्यक्षेत्र में पड़ जाता है और केरल, चेन्नई वाले कार्यालय के अन्तर्गत पड़ता है। वाशिंगटन, जोहेनसबर्ग, सिंगापुर, बुडापेस्ट और रोम, इन पांच स्थानों पर विदेशों में हमारे प्रतिनिधि कार्यालय हैं। इन प्रतिनिधि कार्यालयों के पास ऋणों को मंजूरी देने अथवा ऋण प्रदान करने की शक्तियां नहीं हैं, परन्तु बैंक द्वारा स्थापित की गई दूरसंचार सुविधाओं के होते हुए, इस शक्ति की उन शाखाओं को आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इन द्रुत दूरसंचार सुविधाओं द्वारा बहुत कम कर्मचारियों द्वारा भी केन्द्रीय कार्यालय इन आवेदनों को जल्दी-जल्दी निपटा सकता है।

प्रतिनिधि कार्यालय ऋण प्रस्ताव तैयार करने, प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और मुख्य कार्यालयों को इसकी सिफारिश करने तथा बैंक ऋण लेखाओं और परिसम्पत्तियों की निगरानी करने के लिए निर्यातकों और उनके संगठनों के साथ सम्पर्क बनाये रखते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संसाधन जुटाने के लिए क्या बैंक ऋण लेगा ?

श्री पी॰ चिदम्बरम : नहीं। बैंक बाजार से ऋण लेगा। *...(व्यवधान)*। हम बाजार से ऋण लेते हैं। यह जमा राशि लेने वाला बैंक नहीं है। यह पूंजी जमा के साथ ऋण लेना है।

सभापति महोदय : छोटे उद्योगों के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है ?

अपराह्न 4.07 बजे

(श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*)

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं उसी पर आ रहा हूं। परामर्शदाताओं ने कहा है—और मेरा भी विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह काफी हद तक सही है—कि बैंकों को मध्यम दर्जे की कम्पनियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, बैंकों के पास संसाधन नहीं हैं जिससे उन बड़े निगमों या बहुत छोटी कम्पनियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिनकी विदेशी बाजारों तक कारगर पहुंच नहीं है। हम निस्संदेह इन सिफारिशों पर दुबारा विचार कर सकते हैं कि क्या कुछ छोटी कम्पनियां जिनके पास प्रौद्योगिकी है और जिनका निर्यात का अच्छा रिकार्ड है, उनकी आयात-निर्यात बैंक द्वारा अधिक सहायता नहीं की जा सकती है। मैं इस सुझाव पर विचार करने को तैयार हूं और बैंकों से भी इस सुझाव पर विचार करने के लिए कहूंगा।

केवल दो अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मेरे कुछ कहने की आवश्यकता है। एक मुद्दा 1996-97 में बैंक के कार्य निष्पादन का है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गत वर्ष निर्यात की विकास दर बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि प्रति वर्ष निर्यात की विकास दर बहुत कम थी, इसलिए प्रति वर्ष बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण और संवितरण पूर्व वर्ष की तुलना में बहुत कम थे। लेकिन मेरे विचार से इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नियमित भुगतान कम होता जा रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : गत वर्ष, पुनर्वित और विदेशी मुद्रा में तेजी से गिरावट आई क्योंकि निर्यातकों ने विदेशी लदान पूर्व ऋण की अपेक्षा लदान पूर्व ऋण वह भी विदेशी मुद्रा में अधिक जोर दिया। इसका कारण यह था कि गत वर्ष अमरीकी डालर की फारवर्ड प्रीमियम दर अधिक थी। जब अमरीकी डालर की अधिक प्रीमियम दर होती है तो निर्यातक स्वभावत: विदेशी मुद्रा की अपेक्षा भारतीय रुपये में लदान पूर्व ऋण को चुनेगा।

दूसरा कारण आयात-निर्यात बैंक का पुनर्वित खिड़की है गत वर्ष उनकी कोई उपादेयता नहीं रह गई थी क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के पास वर्ष के अन्त में बहुत अधिक धन था और इसलिए पुनर्वित खिड़की को उस सीमा तक विस्तार नहीं किया गया जिस सीमा तक वह चाहते थे।

यही दो कारण थे जिसकी वजह से आयात-निर्यात बैंकों के द्वारा गत वर्ष अदायगियों को मंजूरी देने में तेजी से कमी आयी लेकिन लाभदेयता बहुत अधिक रही:

इस वर्ष आयात विकास दर अच्छी होने से मुझे आशा है कि ऐसा होगा और मुझे आशा है कि स्वीकृति राशियां और भुगतान इस वर्ष बढ़ेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बैंकों के पास अभी भी धन की अधिकता है और उन्हें गत वर्ष की तरह इस वर्ष की पुनर्वित की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी बैंक निर्यात वित्त पोषण को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मानते हैं और इस बैंक को उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है।

श्री पी० चिदम्बरम : लेकिन यह बैंक उनके साथ बहुत प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। देश में यह बैंक सबसे अलाभकर बैंक है लेकिन सबसे दक्ष बैंक है। इसलिए यह बैंक अच्छा बैंक है। अत: बैंकों के बारे में जितना हम कम बात करें और उसे अपना कार्य करने दें; इतना ही अच्छा होगा।

अप्रयुक्त आस्तियों के संबंध में मेरे मित्र ने सही कहा है। यदि आप सकल आकड़ों पर नजर डालें तो बहुत अधिक लगते हैं। लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आप इन आंकड़ों पर ध्यान न दें। सकल आंकड़े एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इराक ऋण के रूप में जाने जाते हैं। इराक मेरे नियंत्राणाधीन नहीं है अथवा न ही यह मेरे विद्वान दोस्त के नियंत्रणाधीन है। इराक की निवल, अप्रयुक्त आस्तियां तो नियंत्रण में हैं। निवल ऋण अप्रयुक्त आस्तियां बहुत कम अलाभकारी हैं। मैं नहीं समझता कि इस बैंक की अप्रयुक्त आस्तियों के बारे में चिन्ता करने का कोई कारण है। इराक से धन प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमारी कामना है इराक फले-फूले। इराक में तेल के बहुत अधिक भंडार हैं और धनी और यदि इराक इस समस्या से उबर पाता है तो इरान ऋण वापस कर पायेगा। लेकिन वर्तमान में मैं इराक से धन वसूल नहीं कर पाऊंगा।

ऋणों के बारे में तो यह खतरा मोल लेना पड़ता है। आयात-निर्यात बैंक किसी अन्य बैंक की भांति नहीं हैं। यह बैंक राजनीतिक खतरों और व्यवसायिक खतरों को ध्यान में रखते हुए ऋण देता है। इसलिए जब आपने विदेशी सरकारी अभिकरण को ऋण दिया है तो इसमें न केवल व्यावसायिक खतरा है बल्कि राजनीतिक खतरा भी है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यह खतरा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि अलग-अलग समय में विश्व के सभी आयात-निर्यात बैंक अप्रयुक्त आस्तियों का यह खतरा राजनीतिक और व्यावसायिक खतरे, जो कि बैंकों को लेने होते हैं, के कारण लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। इनकी लाभ देयता बहुत ऊंची है। बैंक अच्छा कार्य कर रहा है। कर्मचारी भी लगन से काम कर रहे हैं। वे प्रसन्न हैं। इस बैंक में बहुत कम और सक्षम कर्मचारी हैं। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है।

अन्त में, उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करवाने में मेरा साथ दें और कामना करें कि भविष्य में यह बैंक और अधिक सफलता प्राप्त करे।

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं विधेयक पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय मंत्री जी ने मेरे कई सवालों के उत्तर तो दिये हैं।

सभापति महोदय : आपने कोई नोटिस दिया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैंने जो बात की है,

[अनुवाद]

मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर मंत्री महोदय दें। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाये थे वे सभी विधेयक में हैं। लेकिन विद्वान सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे विश्व व्यापार संगठन आयात नीति आदि जैसे अनेक विषयों पर उत्तर चाहते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया उनका नाम लेकर कुछ कह दीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कह दीजिए कि रासा सिंह रावत ने जो कहा है वह ठीक है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : बात यह है कि हमें देश की आयात नीति, विश्व व्यापार संगठन और अन्य देशों पर चर्चा करने के अनेक अवसर मिलेंगे।

आप उस विवाद पैनल के बारे में जानना चाहते थे। जिसमें हमें लिया गया है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि वाणिज्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर मुझसे अच्छी प्रकार दे सकते हैं। लेकिन मैं यह बता दूं कि हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं यह सच है। मेरे मतानुसार यह सही निर्णय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने सहयोगियों के साथ मेरे वक्तव्य पर शांति से विचार करें कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने के नाते मैंने इस देश के लिए जो निर्णय लिया है। वह सही है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जब तेरह दिन के लिए सत्ता में आये थे तो उन्होंने भी उसका विरोध नहीं किया था। हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गये तो हमें विश्व व्यापार संगठन के अनुशासन का पालन करना है। हम विश्व व्यापार संगठन के प्रति वफादार हैं। हमने चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधात्मक और परिमाणात्मक पाबंदियां हटाने की पेशकश की क्योंकि कुछ देश थोड़ी मात्रा में ये प्रतिबंध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं इसलिए जेनेवा में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक या दो देशों ने हमसे कहा कि वे हमारा मामला विवाद पैनल के पास ले जाएंगे। लेकिन हम उससे भयभीत नहीं हैं। हममें उन देशों को विवाद पैनल में ले गए हैं और हमने उन विवादों में सफलता पाई है। मैं नहीं मानता कि हमने गलती की है। लेकिन हमारा विचार है कि विवाद पैनल के पास जाने के पहले हम द्विपक्षीय रूप से इस पर चर्चा करें और इस समस्या का समाधान करें।

आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कल यहीं थे। वह मुझसे और प्रधानमंत्री से भी मिले थे। हमने उनसे कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार एक द्विपक्षीय मुद्दा है। वे हमारे यहां निर्यात करना चाहेंगे और हम उनके देश में निर्यात करना चाहेंगे। हम एक तरफा व्यापार नहीं रख सकते।

आपने विदेशी बैंकों का उल्लेख किया है। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं हैं। यदि आप विदेशी बैंकों की शाखाएं अपने देश में खोलने की अनुमति नहीं देंगे तो विदेशों में भी हमारे बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्या हमें उन देशों में अपनी शाखाएं बन्द कर दें ? ऐसे काम नहीं होता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी और माननीय सदस्य श्री वर्मा द्वारा दिये गये वक्तव्य पर अपने दल के साथ विचार करें। मैं नहीं समझता कि आपके दल का यह विचार है। मेरे विचार से आपका दल भी व्यापार के उदारीकरण का पक्षधर है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : हमारे हितों का क्या ?

श्री पी॰ चिदम्बरम : विश्व व्यापार संघ से जुड़कर हमारे हित पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैं पूरे विश्वास से यह कह सकता हूं कि हमने विश्व व्यापार संघ के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और हम विश्व व्यापार संघ के नियमों और अनिवार्यताओं का पालन करते रहेंगे।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मैं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में बात कर रहा था। आप मध्यम स्तर के उद्योगों के बारे में बोल रहे हैं।

श्री पी॰ चिदम्बरम : जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब आप सुन नहीं रहे थे। जब मैं श्री चटर्जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था तब आप अपने साथी से बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि सलाहकारों ने सुझाव दिया है कि हमारी नीति का केन्द्र बिन्दु मध्यम स्तर की कम्पनियां होनी चाहिये। मैंने कहा कि हम प्रतिवेदन पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं और ऐसी कम्पनियां ढूंढ सकते हैं जो तकनीकी दृष्टि से ठीक हैं तथा जिनका निर्यात का पिछला रिकार्ड लघु उद्योग क्षेत्र में होते हुए भी अच्छा है, ऐसी कम्पनियों को अधिक सहायता नहीं दी जानी चाहिये। मैंने कहा कि हम इस प्रतिवेदन को दोबारा पढ़ कर फिर से इस पर चर्चा कर सकते हैं।

इसके साथ ही मैं विधेयक पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी॰ चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.18 बजे

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना) विधेयक

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि प्रमुख पत्तन न्यासों के डाक कर्मकारों पर डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के लागू न होने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

आपकी अनुमति से मैं राज्यसभा में यथापारित तथा लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए "डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना)" विधेयक पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

1948 तक जलयानों में माल की लदाई और उतराई का कार्य जहाज़ी कुलियों द्वारा श्रमिकों से सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता था। इन श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी और न ही इन्हें नियमित रोजगार की गारंटी दी जाती थी। इनके नियोजन को और अधिक विनियमित करने के लिये तथा माल उतारने व चढ़ाने वाले श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिये संसद में एक कानून "डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948" पारित किया गया। इस कानून के द्वारा डाक श्रम बोर्डों की स्थापना की गई और सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई योजनाओं के प्रबंधन का भार उन्हें सौंपा गया। भारत में 11 में से 7 प्रमुख पत्तनों पर ये श्रम बोर्ड स्थापित किये गये।

जलयानों पर लदाई का कार्य डॉक श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो कि डाक श्रम बोर्डों के अंतर्गत आते हैं तथा तटवर्ती स्थल पर काम करने के लिये श्रमिकों का एक अलग दल होता है जो तट श्रमिक कहलाते हैं और बन्दरगाह के ही कर्मचारी होते हैं। दो अलग-अलग निकायों के अधीन श्रमिकों की इस दोहरी व्यवस्था से श्रम शक्ति का अपव्यय होता है और उसका इष्टतम् उपयोग नहीं हो पाता।

हम चाहते हैं कि डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों को संबंधित पत्तन न्यास में विलय कर दिया जाए जिससे कि श्रमिकों की अदला-बदली हो सके तथा इन संघों द्वारा कर्मचारियों की छटनी या उन्हें काम से निकाल देने जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। डॉक श्रम बोर्डों के सभी कर्मचारी/कर्मकार संबंधित पत्तन न्यास के ही कर्मचारी/कर्मकार होंगे तथा श्रमिक संघों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही यह विलय क्रियान्वित होगा।

मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड और कोचीन डॉक कर्मकार बोर्ड ने क्रमशः 25.2.94 और 27.6.95 से श्रमिक संघों के साथ विलय समझौता पर हस्ताक्षर करके इसे छोड़ दिया है। इन्हें पत्तन न्यायासों के साथ ही नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि डॉक कर्मकार (नियोजक का विनियमन) कानून, 1948 में इस तरह की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

इस तरह की अनुमति प्रदान करने के लिये एक विधेयक डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना), 1995, राज्य सभा में 22 अगस्त, 1995 को प्रस्तुत किया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इस विधेयक को संसद की परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय समिति को जांच और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए सौंप दिया था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 4.12.95 को राज्यसभा में और 6.12.95 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। समिति की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने राज्यसभा में स्वीकृत और पारित हुए इस विधेयक पर सुझाए गये संशोधनों को स्वीकार कर लिया।

इस विधेयक में यह प्रावधान है कि राजपत्र में इसे अधिसूचित किये जाने की तारीख से केन्द्र सरकार को यह निर्देशित करने का अधिकार होगा कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंध महापत्तनों पर लागू नहीं होंगे। नियत दिन से डॉक श्रम बोर्ड में निहित सभी निधियां, सम्पत्तियां, कर्मचारी और श्रमिक संबंधित पत्तनन्यासों में विलय हो जायेगी। कर्मचारियों की सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे उन्हें हानि हो।

मैं अब राज्यसभा में यथापारित "डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना) अधिनियम, 1997" को इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के महापत्तन न्यासों के डॉक कर्मकारों को लागू न होने का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं इस डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियोजन) (प्रमुख पत्तनों पर लागू न होना) विधेयक, 1997 का स्वागत करते हुये समर्थन करता हूं।

सभापति जी, हमारे यहां कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें या कभी-कभी एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, कुछ वैसी ही परिस्थिति हमारे देश के पत्तनों पर श्रमिकों को दो भागों में विभक्त करके की हुई है। हमारे देश के पुराने बंदरगाहों पर जो कर्मकार हैं, उनकी नौकरी, नियम, विनियमन, ग्रेच्युटी, पेंशन या वेतनमान डॉक कर्मकार विधेयक, 1948 के द्वारा होता है जिसमें उनकी नियुक्ति या सारी सुविधायें मिल रही थीं। लेकिन आज हमारे देश में नए बंदरगाहों का विकास हुआ जिनमें नावा, शेवा, कांडला या अन्यान्य पत्तन न्यास बने। उनका पत्तन न्यास विधेयक था जिसके अंतर्गत कर्मकार या श्रमिक थे, उनमें जो जहाज पर सामान उतारने या चढ़ाने का काम करते हैं और दूसरे किनारे पर काम करने वाले श्रमिक हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार की श्रेणियां बन गईं। जो जलयान पर सामान उतारने चढ़ाने का काम करते हैं, उनका 1948 के विधेयक के द्वारा विनियमन होता है। इसके अलावा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

ट्रकों में सामान लादने वाले श्रमिक भी हैं। इस प्रकार बड़े बंदरगाहों, यथा-मुम्बई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कलकत्ता, कांडला पर श्रमिकों को दो भागों में बांट रखा है। मान लिया किनारे पर रहने वाले श्रमिकों को काम नहीं मिला तो वे बेकार रहते थे या हड़ताल पर चले जाने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई तो अब इस बात को देखते हुये सरकार इस विधेयक को लाई है। "देर आयद दुरुस्त आयद' हालांकि इस विधेयक को देरी से लाये हैं फिर भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो मेरे पास विधेयक की प्रति है, वह 1995 की है और जिस पर श्री जगदीश टाइटलर के हस्ताक्षर हैं।

नयी सरकार इस विधेयक की नयी प्रतियां छपवाकर माननीय सदस्यों में वितरित कर देती तो मैं समझता हूं कुछ मूल्यांकन होता कि नयी सरकार ने इसमें संशोधन किये हैं या नहीं। बाहर से हमें जो प्रति उपलब्ध हुई और आज की कार्य-सूची में भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें 9 अगस्त, 1995 की तारीख दे रखी है और इसमें तत्कालीन मंत्री जगदीश टाइटलर जी का नाम लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के भार को और कांग्रेस के समर्थन के कारण अभी भी उस भार को इनको ढ़ोना पड़ रहा है। अगर यह सरकार अपने दिमाग से सोचती तो इस विधेयक को और भी अच्छा और प्रभावी बनाया जा सकता था। इसमें एक तरफ तो 13 पार्टियां लगी हैं, 13 दिमाग लगे हैं और एक बाहर वाला दिमाग है, लेकिन 13 दिमाग शायद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और जो बाहर वाला दिमाग था, वही दिमाग इसमें काम कर रहा है। यह सरकार भी अगर दिमाग लगाती तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक और भी अधिक प्रभावी बन सकता था।

जैसा कि इसके उद्देश्यों और कथन में बताने का प्रयास किया गया है कि—

[अनुवाद]

"जलयान के बोर्ड पर स्थोरा की उठाई-धराई संबंधी संक्रियाएं डॉक कर्मकारों द्वारा की जाती हैं और ऐसे कर्मकारों का नियोजन डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 द्वारा विनियमित किया जाता है।"

[हिन्दी]

अब 1948 के कानून को खत्म किया जा रहा है और उस कानून के अंतर्गत जितने श्रमिक थे, आज की तारीख से जो भी सेवारत हैं, उन सबके वेतनमान, उन सबके फंड्ज़ और उनके जो भी अधिकार हैं, वह सब नये एक्ट में सुरक्षित रहेंगे।

मैंने स्वयं मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट पर देखा है कि श्रमिकों को कैसे बदतर हालात में काम करना पड़ता है। वहां कई जगह बरसात का पानी भरा रहता है और समुद्र का पानी भी जगह-जगह गड्ढों में भरा रहता है और जहाज जहां आकर रुकते हैं वहां गहरा पानी होता है। वहां तक माल उतारने-चढ़ाने के लिए पहुंचने में श्रमिकों को बहुत तकलीफ होती है। अब तो क्रेन्स आ गई हैं, आटोमैटिक कंटेनर्स आ गए हैं और काफी तब्दीलियां हो गई हैं लेकिन फिर भी श्रमिकों का जीवन कई बार असुरक्षित रहता है। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वहां फर्स्ट एड सेन्टर्स भी नहीं होते। वे कागज़ों पर दिखाने के लिए हैं, लेकिन जो सुविधाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए, जो डॉक्टर वहां उपलब्ध होने चाहिए जो तुरंत उनकी चिकित्सा कर सकें, वे वहां नहीं हैं। वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं, गर्मी सर्दी या बरसात में श्रमिकों को उतराई-चढ़ाई का काम करना पड़ता है जो बहुत मेहनत वाला काम है। मशीनों में जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है, फिर भी उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। काण्डला में जब हम देखने गए तो वहां देखा कि बड़े-बड़े अधिकारियों और दूसरे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को तो पूरी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जो श्रमिक हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। एक ठेकेदार के श्रमिक होते हैं और एक परमानेण्ट लेबरर होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। ठेकेदार वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी हालत बहुत दयनीय और चिन्तनीय है। वे आगे सब-कौनट्रैक्ट कर लेते हैं। कभी-कभी जहाजों की भीड़ ज्यादा रहती है तो माल की उतराई-चढ़ाई के लिए श्रमिक नहीं मिलते और जब कभी माल ढुलाई ज्यादा नहीं होती तो श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पुराने कानून को वह खत्म कर रही है और नया कानून ला रही है जिससे देश के 11 पोर्ट्स पर एक जैसा कानून लागू होगा चाहे वह किनारे पर काम करने वाले श्रमिक हों या जहाजों पर सामान उतारने-चढ़ाने वाले श्रमिक हों। एक ही कानून के तहत उनके हित सुरक्षित रहेंगे, यहां तक तो यह बात ठीक है, मगर उनको किन हालात में काम करना पड़ता है, कैसी कालोनियों में उनको रहना पड़ता है।

उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध हो। क्योंकि उन्हें रात-दिन सामान चढ़ाने-उतारने का काम करना पड़ता है, शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, उनके लिए कैन्टीन वगैरह की सुविधा भी हो। तो इन सारी सुविधाओं के बारे में सरकार पूरा ध्यान देगी। केवल कानून बदल दिया, पुरानी शराब को नई बोतल में भर दिया और कहा कि यह हो गया। केवल परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। सारे 11 पत्तनों के श्रमिकों को कानून के अंतर्गत लाने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। अपितु श्रमिकों के वास्तविक हितों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड या उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको सारा मुआवजा कंपेनसेशन एक्ट के अंतर्गत मिलना चाहिए। कितने समय से श्रमिक काम कर रहे हैं, वे सेवा में स्थायी हो गये हैं या अस्थायी चल रहे हैं। ठेकेदार मुनाफा कमाने के लिए उनका शोषण करते हैं। लेकिन सीधे सरकार के अंतर्गत पोर्ट पर काम करने वाले जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनसे दो-ढाई महीने काम कराते हैं, फिर छुट्टी कर दी फिर वापस काम लगाया फिर कुछ दिन की छुट्टी दे देते हैं। ताकि सरकार को उनको स्थायी न करना पड़े। वे स्थायित्व प्राप्त करने के कानून के शिकंजे में न आ जाएं। इसलिए वे ऐसा करते हैं। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि पत्तनों के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों का शोषण ठेकेदारों द्वारा न हो, उनके सारे हित सुरक्षित रहें।

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

जो पुराने कानून के अंतर्गत थे या नये कानून के अंतर्गत कोई अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हों तो नये पुराने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सारे श्रमिक कानून और अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जितने भी लाभ हों, वे सारे उनको प्राप्त होते हैं या नहीं, इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। जो श्रमिक वहां पर काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको पुराने रेट पर मुआवजा मिल रहा है, उनका मुआवजा बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, व्यापार बहुत बढ़ गया है। उदारीकरण के बाद, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के बाद जो सारा आयात-निर्यात मुक्त हो रहा है, ऐसे मुक्त व्यापार की स्थिति के अंदर इस मुक्त नीति का शिकार होकर कहीं उन्हें बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। आज बड़ी-बड़ी क्रेन्स, बड़ी-बड़ी मशीनें, कंटेनर्स और आधुनिकतम तकनीकें काम में लाई जाने लगी हैं इसलिए इनके कारण श्रमिकों की छंटनी न की जाए। उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। वे पूरा काम करने को तैयार हैं। लेकिन उनके रहने का जो वातावरण है, उनके बच्चों के लिए जो स्कूल और अस्पताल हैं और उनका बीमा होता है या नहीं, इन सारी बातों की तरफ माननीय मंत्री जी पूरा ध्यान रखें। मैं ऐसा मानता हूं और जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है कि

[अनुवाद]

"इसके परिणामस्वरूप पत्तन पर उपलब्ध जनशक्ति का अनुकूलतम और मितव्ययी उपयोग कठिन हो गया है।"

[हिन्दी]

कई कमेटियां बैठी और उन्होंने सिफारिशें भी की हैं, उनमें से एक सिफारिश को आप मान रहे हैं कि सबके लिए पोर्ट ट्रस्ट एक सिंगल एजेंसी और कारगो हैंडलिंग लेबरर्स उनका सबका इंटीग्रेशन हो जाए और सबके साथ एक कानून के अंतर्गत बर्ताव हो। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि उनके साथ-साथ उनमें कोआर्डिनेशन भी हो और किसी कि छंटनी भी न की जाए और उनके हित सब प्रकार से सुरक्षित रहने चाहिए और कमेटी ने जो और भी सुझाव दिए हैं और जो सिफारिशें की हैं वे सिफारिशें कौन-कौन सी हैं और उनको आप कब तक लागू कर देंगे, यह भी थोड़ा बताने का कष्ट करें। ताकि हमारे पत्तनों पर लाखों की संख्या में काम करने वाले जो गोदी कर्मचारी और श्रमिक हैं वे और भी अच्छा कार्य करने की ओर अग्रसर हो सकें और श्रम कार्य बेहतर ढंग से कर सकें और उनके समस्त हितों की रक्षा हो सके।

मुझे याद है कुछ समय पहले गोदी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, उन्होंने अपनी काफी मांगें रखी थी। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि उनकी प्रमुख समस्या कौन-कौन सी हैं। यह नई संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसने श्रमिकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने की बात कही है और यह कहा है कि वह श्रमिकों का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी, वह कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आकर श्रमिकों की अनदेखी न करे। मैं यह आश्वासन आपसे चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री जार्ज फर्नांडीज (नालन्दा) : सभापति जी, अभी मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश करते हुए, 1948 से पहले की स्थिति की कुछ चर्चा की और बताया कि कैसे उससे पहले बंदरगाहों में मजदूरों का शोषण होता था और उस शोषण को मिटाने के लिए 1948 में डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियामन) विधेयक बनाया गया। उस शोषण का कुछ अनुभव इस माने में, मैंने भी किया है क्योंकि बंदरगाह के मजदूरों के संगठनों के साथ मेरा भी रिश्ता था, मगर वह रिश्ता 1948 के बाद का था लेकिन इस मौके पर मैं आज उस व्यक्ति को याद करना चाहता हूं जो मुझे राजनीति में तथा मजदूर आन्दोलन में लाए और जिन्होंने इस कानून को बचाने में भारी संघर्ष किया—उस व्यक्ति का नाम है—श्री पी॰ डिमैलो।

श्री पी॰ डिमैलो छोटी उम्र में श्री एम॰ एन॰ राय की पार्टी के सदस्य थे और बम्बई बंदरगाह पर कैलीक्लाथ में काम करते थे। उस समय उन्होंने मजदूरों का एक संगठन खड़ा किया। उन्हें 1946 से लेकर 1948 तक बम्बई की जेलों में बंद रखा गया क्योंकि जिस शोषण की चर्चा मंत्री जी ने की, उस शोषण को मिटाने के लिए, तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार के समय में, डिमैलो लड़ाई लड़ते रहे। जब वे जेल से छूटकर बाहर आए तो उन्होंने इस प्रकार का कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जिसके कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार करके बम्बई की जेलों में रखा गया। उसके बाद चूंकि उस समय तक भाषावार प्रान्त नहीं बने थे, इसलिए तड़ीपार करके, हद पार करके उन्हें दक्षिण कनारा, कर्नाटक स्टेट में उनके गांव भेज दिया गया जहां मेरी उनसे मुलाकात हुई।

वहां उन्होंने मजदूरों का एक संगठन खड़ा किया, जिसे बनाने में, हम भी उनके साथ रहे। उन्हें फिर एक बार प्रिवैन्टिव डिटैन्शन कानून के अंतर्गत, जो शायद 1949 या 1950 में बना था, गिरफ्तार किया गया। इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होने वालों में पी॰ डिमैलो सबसे पहले हिन्दुस्तानियों में थे। गिरफ्तारी के समय वे मंगलौर में थे, जहां से उन्हें, उस सरकार के चलते, तमिलनाडु की वैलोर जेल में लगभग पौने दो साल तक रखा गया। उन पर जो पाबंदियां लगाई गई थीं, जस्टिस चागला द्वारा उन पाबंदियों को मिटाने के बाद, उन्हें बैलोर जेल से छोड़ दिया गया और वे फिर से बम्बई वापस आ गए।

बम्बई आने के 6 महीने बाद, उन्हें फिर से पौने दो साल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के भीतर से उन्होंने 1952 का चुनाव लड़ा और उस चुनाव के पूरा होने तक वे जेल में बंद रहे। बंदरगाह यानी गोदी मजदूरों के जीवन में सुधार लाने के लिए संघर्ष करने वाले वे एक व्यक्ति थे, जिसके कारण वे जेल में बंद रहे। यद्यपि 1952 का असैम्बली चुनाव वे जेल के भीतर से लड़े, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी। हर बार उन्हें कभी प्रिवेन्टिव डिटैन्शन कानून के अंतर्गत या कभी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कानून के अंतर्गत जेल में रहना पड़ा।

मैं आज उस व्यक्ति को इसलिए याद करता हूं क्योंकि जो काम उन्होंने किया, वैसा काम इस देश के किसी मजदूर नेता ने नहीं किया। उस समय बंदरगाहों में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन दो आने

मजदूरी मिलती थी, कहीं बहुत ज्यादा मिली तो चार आने मिल गई। उन्होंने ऐसे दो आने या चार आने प्रतिदिन मिलने वाले मजदूरों का संगठन खड़ा किया और उनके हित में लड़ाई लड़ी। वे एक बार, दो बार नहीं बल्कि चार बार जेल में बंद रहे और अपने 6-7 सालों में 4-5 साल का समय उन्होंने जेलों में बिताया।

मजदूरों के हित में लड़ाई लड़कर, जिस व्यक्ति ने इस कानून को लाने में अपना योगदान दिया, मैं आज उनकी याद इस सदन में करना चाहता हूं। वे कभी असैम्बली में नहीं रहे, न लोक सभा में रहे क्योंकि 1952 का चुनाव उन्होंने जेल के भीतर से लड़ा था, हर बार उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और हर बार वे चुनाव हार गए।

सभापति जी, जो मजदूर जहाजों पर काम करने वाले हैं, उनके फलके या हैच में माल डालने वाले हैं या उस फलके से, हैच से माल बाहर निकालने वाले हैं, इस कानून के तहत उन्हें पोर्ट-ट्रस्ट के मजदूर मानने से संबंधित यह विधेयक है।

सभापति महोदय, इस विधेयक से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मुम्बई में यह विधेयक पहले से ही अमल में आया हुआ है। आज से एक-दो साल पहले से इस मायने में अमल में है कि वहां की यूनियन के साथ समझौता करके यह वहां पर अमल में आ चुका है। लेकिन जिन बंदरगाहों में लगभग नौ हजार कर्मचारी काम करते हैं, जो स्टेवोडोर्स के जहाज हैं, जिनके अंदर जाकर कर्मचारी माल बाहर निकालने का काम करते हैं, उन मजदूरों को पोर्ट ट्रस्ट का मजदूर बनाने के लिए यह विधेयक है। इसको लेकर हमारी कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं विधेयक पर कुछ नहीं कहूंगा। इस पर कुछ कहने लायक बात नहीं है। बंदरगाह गजदूरों का बहुत तगड़ा संगठन है। वे अपने हकों के लिए 1946 से लेकर लड़ रहे हैं और उन्होंने लड़-लड़ कर इस देश के किसी भी अन्य वर्ग के मजदूरों से अच्छी वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं। यह किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि अपने त्याग के बल पर प्राप्त की है। काफी लोग उन संघर्षों में मारे गए हैं। मुम्बई के बंदरगाहों के किनारे गोलियां चली हैं और इनके अलग-अलग संघर्ष में मजदूर मारे गए हैं। कुछ संघर्षों में हम भी अपना योगदान दे चुके हैं जिसकी चर्चा आज यहां करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, आज इस विधेयक के ऊपर बोलते हुए मुझे जो चिन्ता है वह हिन्दुस्तान के तमाम बंदरगाहों के निजीकरण का जो सिलसिला आज इस सरकार ने शुरू किया है, उसको लेकर है। अब आपके मंत्रालय की मार्च महीने की यह रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

कृपया पृष्ठ 42 का पैरा संख्या 7.40 को देखें। "पत्तन क्षेत्र में मुख्य विकास" के रूप में इसे दर्शाया गया है। पत्तन क्षेत्र के मुख्य विकास क्या है ? यह पत्तन सुविधाओं का निजीकरण है। पत्तन सुविधाओं का निजीकरण ही पत्तन क्षेत्र का मुख्य विकास है। आप कौन-कौन सी सुविधाओं का निजीकरण करने जा रहे हैं ? कृपया मेरी बात सुनें, महोदय, सर्वप्रथम जो पत्तन परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना है।

[हिन्दी]

बन्दरगाह के असैट्स लोगों के पैसे से, लोगों के टैक्स से बनाए गए असैट्स हैं। आपका मंत्रालय आज का मंत्रालय नहीं है। सालों पहले यह मंत्रालय बना था और जब बंदरगाह को चलाने के लिए बंदरगाह की आमदनी पूरी नहीं होती थी, तो सरकारी खजाने के धन से इसको चलाया जाता था और सरकारी खजाने में देश की जनता का पैसा टैक्स के रूप में जमा होता है। इस प्रकार से बंदरगाह में जो पैसा लगा है वह देश की जनता का पैसा है। जब बंदरगाह को बनाने की जरूरत थी, तो सरकार ने अपने पैसे खर्च किए थे जो अन्ततः देश की जनता का ही धन है। आज उसी बंदरगाह का सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार को शर्म लगनी चाहिए। आपका मेजर डिवेलपमेंट है—

[अनुवाद]

"पत्तन सुविधाओं का निजीकरण" इसमें सर्वप्रथम पत्तन की परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना है दूसरा, जो पहले से अधिक महत्वपूर्ण है वह कंटेनर टर्मिनल का निर्माण और परिचालन, बहुउद्देश्यीय कारगो बाक्स और स्पेशलाइज्ड कारगो बाक्स, भंडागारण, गोदाम घर, टैंक फार्म, कंटेनर ढुलाई स्टेशन, केपटिव ऊर्जा संयंत्र लगाना है।

[हिन्दी]

और अगर कुछ बचा हो, सो एटसैट्रा-एटसैट्रा। फिर मंत्री जी बचता क्या है ? क्या चीज आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं ? यानि समूचे हिन्दुस्तान के बंदरगाहों को, इस देश के लोगों के टैक्स से बने बंदरगाहों को, इस देश के सरकारी खजाने से बने बंदरगाहों को, इस देश के 40, 45 और 50 सालों में बने बंदरगाहों को, आप देश की आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उनको आप निजी कंपनियों के हाथों में जिनमें देशी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी हैं, उनको देने के लिए आप खड़े हैं।

सभापति महोदय, रावत जी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया और जिस व्यक्ति के नाम पर यहां पर पहले विधेयक आया था, उस व्यक्ति को तत्कालीन मंत्री और प्रधानमंत्री ने कांडला का बंदरगाह, एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों देने का फैसला किया था। वहां नमक बनाने के लिए 15 हजार हैक्टेयर जमीन, जो सरकारी जमीन थी, और वह भी मात्र बंदरगाह की जमीन नहीं थी, बलिक वह जमीन एक सुरक्षा पट्टी के रूप में, एक टापू है। वह छोटा सा द्वीप है जो उस बंदरगाह को समुद्र के पानी से बचाता है। उस द्वीप को, उस द्वीप की जमीन को बहुराष्ट्रीय अमरीकी निजी कंपनी को देने का सौदा कर बैठे थे और उस बंदरगाह में एक बर्थ बनाकर, पूरा हाइली मैकेनाइज्ड बंदरगाह, अल्ट्रा मार्डन बर्थ बनाकर, विदेशी अमरीकी कंपनी कारगिल को देने के लिए इन लोगों ने तय कर लिया था।

इस सदन में हमने आवाज उठायी थी। मैंने अपने जीवन में उस

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

नमक के मामले को लेकर इस सदन में उस मंत्री जी से बहुत गालियां खाई हैं। मैं 1967 से इस सदन में आता जाता रहा हूं। मैंने आज तक कभी गालियां नहीं खाईं थी क्योंकि सौदा हो चुका था और चोरी हमने पकड़ी थी। जमीन से हम लड़ाई में उतरे थे। छह महीने सत्याग्रह किया और साढ़े आठ हजार लोग गिरफ्तार हुए। हम लोग अदालतों में गये और अंत में कारगिल को हमने भगा दिया और उस समय की सरकार को झुका दिया। यह साफ नहीं कर पाये, इनके गले नहीं उतरता था। उस मंत्री का नाम श्री जगदीश टाइटलर था।

अध्यक्ष जी, मैं यह चर्चा यहां पर इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि इस बंदरगाह के मामले पर डॉक्स में शोषण मिटाना, डॉक्स में इम्प्रूवमेंट करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आदि ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इन सब बातों के साथ प्राइवेटाईजेशन का मामला आ जाता है, तो फिर यह सरकार बहस क्यों कराती है ? आप वहां बेचने के लिए बैठे हो।

अध्यक्ष जी, आगे लिखा है :

[अनुवाद]

"स्थोरा की उठाई-धराई संबंधी उपकरण तथा प्लवमान बेड़े को निजी क्षेत्र का पट्टे पर देना।"

[हिन्दी]

फिर आगे लिखा है 'पायलटेज'। जहाज को अंदर बंदरगाह में लाने का जो काम है, वह उस बंदरगाह के कर्मचारी करते हैं। छोटी नौकाओं से बड़ी नौकाओं को अंदर लाकर बंदरगाह तक अपनी बर्थ तक पहुंचाते हैं। पायलटेज भी आप ठेकेदारी में दे रहे हैं ! और हैं :

"पत्तन आधारित उद्योगों के लिए सुरक्षा (कैप्टिव) सुविधायें"

यानी क्या बचता है ? बंदरगाह का मतलब केवल व्यापार नहीं है। अमरीकी लोगों के लिए सब व्यापार नजर आता है क्योंकि समूचे विश्व में अपनी सेना चाहे जहां भेज सकते हैं जैसे इराक को मिटाने के लिए इन लोगों ने जो खेल खेला था। उनके लिए सब चीजें चल सकती हैं मगर बंदरगाह अरबी समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, हिन्द महासागर में कल किसी प्रकार की इस देश की सुरक्षा की बात आ जाती है तो हमारे बंदरगाह युद्ध के बंदरगाह बनेंगे। हमारी युद्ध की नौकाओं को कहां किस समय, किस बंदरगाह में पहुंचाना है, कहां इस्तेमाल करना है व किस मौके पर करना है आदि गुप्तता बनाये रखने की जरूरत है। आप निजी हाथों में बंदरगाह दे रहे हो। इसका मतलब है कि इस देश की सुरक्षा को आप विदेशों के हाथों बेच रहे हैं तो फिर आप सबको वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह मैं पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि यह मामला यहां पर एक भाषण तक समिति नहीं है। इस देश की सुरक्षा के साथ चौतरफा खिलवाड़ हो रहा है मगर इसके साथ खतरनाक बात यह है कि आप बंदरगाह को निजी हाथों में देकर इस देश की सुरक्षा को खतरे में रख रहे हैं। प्राइवेट पार्टीसिपेशन शुरू किया है और इसमें अभी विदेशी कम्पनियां भी आने लगी हैं। अनेक किस्म की विदेशी कम्पनियां आने लगी हैं और हिन्दुस्तान के बंदरगाह में पार्टनरशिप इन लोगों की उनके साथ शुरू हो गयी है। देशी कम्पनियां भी हैं और विदेशी कम्पनियां भी हैं। पोर्ट्स और सरकार के साथ पार्टनरशिप बनाकर उनकी तरफ से ये लोग आज कामकाज कर रहे हैं। इनके दस्तावेज में लिखा है। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना है, जिसकी बहस इस सदन में होनी है लेकिन व्यवहार में योजना शुरू हो गयी है। हमेशा कांग्रेस सरकार यही करती थी और आप लोगों में और उनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि आप ही लोगों की मदद से वह सरकार जिन्दा है। इसलिए वह जो कहेगी, वही आप करेंगे। आप जो करते थे, वहीं करेंगे। भला यह होता कि आप ही करते। इन लोगों को आपकी सरकार से इस प्रकार का व्यवहार करने की नौबत नहीं आती। नौवीं पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े दिये हैं, जो कि 17 हजार करोड़ रुपये का आउटले है। 17 हजार करोड़ रुपये का आउटले 1997 में जिसके पूरे होने में कुछ ही समय बाकी है, से लेकर 2002 तक यानी पांच साल के लिए 17 हजार करोड़ रुपये का आउटले है। इस नौवीं पंचवर्षीय योजना में इनका कहना है कि :

[अनुवाद]

इस धनराशि में से पत्तन न्यास 10,664 करोड़ रुपए तक की योजनायें/परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराएंगे।

[हिन्दी]

अभी मंत्री जी ने जो कहा कि हम यह कानून जहां लागू करना बाकी है, तत्काल लागू करेंगे क्योंकि हम और एफीशेसी चाहते हैं और मुनाफा चाहते हैं। यह जायज है। एफीशेंसी और होनी चाहिए, मुनाफा और होना चाहिए। बंदरगाह में जो घूसखोरी होती है, उसको रोका जाना चाहिए। बंदरगाह में जो भ्रष्टाचार हैं उसको भी रोकना चाहिए। वहां कितना भ्रष्टाचार है, अगर आप यह सुनना चाहें तो मैं फिर किसी समय आपको बताऊंगा। उसको भी रोकना चाहिए। यह सब चीजें हों और मुनाफे को बढ़ाया जाये लेकिन आज के दिन इन लोगों की जो आमदनी है। पिछले साल 800 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा रुपया मुनाफे के तौर पर हिन्दुस्तान के मेजर पोर्ट्स से आपको मिला है।

उसके पहले साल लगभग साढ़े छः सौ-पौने सात सौ करोड़ रुपये आपको मिले हैं। अगले साल वह रकम और बढ़ जाएगी। अगर 17,000 करोड़ रुपये का आपका प्लान आउटले है, 10,664 करोड़ रुपये की स्कीम आपकी हो चुकी है तो यह जो मुनाफा बंदरगाहों से आना है, उसे बचाकर रखते, कुछ बना देते और यदि फिर भी पैसा कम पड़ता है यानि आपकी अपनी योजना में वह पैसा भी आपने जोड़ दिया है, यदि एक क्षण के लिए यह मानकर चलें, अभी-अभी वित्त मंत्री जी यहां पर बोलकर गए हैं कि बैंकों में इतना पैसा पड़ा है कि उसका क्या करना है, हमें मालूम नहीं है, तो उसमें से कुछ पैसा बंदरगाहों को दे दें, विदेशियों के हाथों में इस देश के बंदरगाह देने के लिए आप क्यों कदम उठा रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि भरपूर पैसा पड़ा है और हम जानते हैं कि पैसा है और यदि लूटपाट को बंद करेंगे तो पैसे का क्या करें, यह भी हमें मालूम नहीं हो पाएगा। इस देश में इतना पैसा है और

विदेशियों के हाथों में आज देश के बंदरगाह देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर यह सदन जरूर सोचे, केवल इस विधेयक तक ही इसे सीमित नहीं रखें बल्कि इस सत्र में ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में इस सदन के भीतर बातचीत होनी चाहिए और जिस अजीब किस्म की स्थिति में हम पड़े हैं, यह स्थिति बनी नहीं रहने देनी चाहिए।

मैं कानून को लेकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि section 4(1) (e) में कहा गया है कि :

[अनुवाद]

डॉक श्रम बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी और कर्मकार बोर्ड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं है जो उसे ग्राह्य होती यदि उसकी सेवाओं का बोर्ड को अंतरण नहीं होता और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक बोर्ड में उसका नियोजन सम्यक् रूप से पर्यवसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।"

[हिन्दी]

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप डॉक लेवर बोर्ड्स/पोर्ट ट्रस्ट में जाने वाले मजदूरों को दो कैटेगारी करके देख रहे हैं ? आपके सैक्शन 4(1) (e) से हमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री को यदि वह चाहें तो, इन शब्दों को अंग्रेजी में कहता हूं।

मेरी चिंता यह है कि इस विधेयक के खंड 4 (1) (ङ) में जिसे वह अधिनियम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है,

[हिन्दी]

"डॉक श्रम बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी और कर्मकार बोर्ड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं है जो उसे ग्राह्य होती यदि उसकी सेवाओं का बोर्ड को अंतरण नहीं होता और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक बोर्ड में उसका नियोजन सम्यक् रूप से पर्यवसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।"

मंत्री महोदय, आप यह नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए सेवा की वही शर्तें होंगी, उनका वेतनमान वही होगा जो पतन न्यास कर्मचारियों की उसी श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के हैं। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में मान रहे हैं। कल इस खण्ड का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे डाक श्रम बोर्ड या सम्पूर्ण पत्तन न्यास के अंग नहीं हैं और वे पत्तन न्यास से भिन्न समझे जाएंगे। इसके फलस्वरूप उन्हें पत्तन न्यास के कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। यदि उनकी सेवा को बोर्ड को हस्तांतरित नहीं किया जाता तो यह उन पर लागू होता। अतः, आपके कहने का आशय यह है कि पत्तन न्यास के कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों के हकदार वे नहीं होंगे। आप यह नहीं कह रहे हैं कि पत्तन न्यास में उन्हें मिला लिया जाएगा। आप कुछ भिन्न श्रेणी की व्यवस्था कर रहे हैं।

इसे आगे पढ़ने से हमारे संदेह की पुष्टि हो जाती है, जिसमें कहा गया है :—

"...ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक बोर्ड में उसका सेवा नियोजन सम्यक् रूप से पर्यवसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, पारिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि आप उन्हें पत्तन न्यास के स्थायी कर्मचारी के रूप में न रखकर एक भिन्न श्रेणी में रख रहे हैं, मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे पत्तन न्यास के स्थायी कर्मचारी हैं या नहीं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि उन्हें पत्तन न्यास का स्थायी कर्मचारी माना जाता है तो उनकी वरिष्ठता का क्या होगा ? पत्तन न्यास के अन्य कर्मचारियों की तुलना में, जो वहां कार्यरत हैं, उनका वरिष्ठताक्रम क्या होगा ? मैं जानता हूं कि डॉक श्रम बोर्ड के अनेक ऐसे कर्मचारी हैं जो वहां 30 वर्षों से कार्यरत हैं। उनमें से कुछ अब सेवानिवृत्ति पाने वाले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी वरिष्ठता कहां निर्धारित की जाएगी ? किसी अन्य श्रेणी में उनकी प्रोन्नति के संबंध में क्या आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं ? उनका क्या होगा ? इस विधेयक से यह स्पष्ट नहीं होता।

[हिन्दी]

तो इसलिए मैं मंत्री जी से यही चाहूंगा कि इस विधेयक की बाकी चीजों पर हमारा कोई टकराव नहीं है, लेकिन यह जो बात है, यह बहुत ही खतरनाक बात मुझे यहां दिखाई दे रही है और मंत्री जी से हम इस पर खुलासा चाहेंगे। वह खुलासा मिलने पर इस विधेयक का समर्थन हो सकता है, वरना इसका समर्थन नहीं होगा।

निजीकरण का जो मामला है, हम उसके बारे में भी मंत्री जी से अब कुछ मांगने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वह इन्होंने टेबल पर रखा है, इसलिए अभी इनसे कोई मांगने की बात नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि देश की सुरक्षा का मामला इस तरह से खतरे में डालकर ये लोग बन्दरगाह को न बिगाड़ें।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रासा सिंह जी और जार्ज फर्नांडीज साहब ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे सहमति व्यक्त करता हूं।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

उनके बोलने के बाद मैं ज्यादा बोलना आवश्यक नहीं समझता, परन्तु अभी तक इस विधेयक में जो प्रावधान किये गये हैं और माननीय रासा सिंह जी ने और जार्ज फर्नांडीज साहब ने जो आशंका व्यक्त की है, यह जो विधेयक आया, उसकी धारा चार की उप-धारा दो में जो प्रावधान किया है, उस पर मुझे भी आशंका है और मैं ऐसा सोचता हूं कि इसके कारण उन कर्मचारियों को अगर कोई नौकरी संबंधी असुविधा हुई, तकलीफ हुई तो न्याय नहीं मिल पायेगा और जिस प्रकार से पुराना ढर्रा चलता रहा है, उसी प्रकार से वह चलेगा और वे कर्मचारी परेशान होंगे।

मैं धारा चार की उप-धारा दो को पढ़ना चाहता हूं :

'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं का बोर्ड को अंतरण ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।'

अपराह्न 4.58 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में जो मुद्दे हैं या जो कर्मचारियों के लिए अधिकार दिये गये हैं, इस पर प्रतिबंध लगाने का इस विधेयक में कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। एक संस्था को, इस बोर्ड को पत्तन में सम्मिलित कर रहे हैं। ये डॉक कर्मकारों की जो परिसम्पतियां हैं, उनके अधिकार है, उनके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब हैं, वे पत्तन बोर्ड में सम्मिलित हो जायेंगे और यदि इस अन्तरण में किसी प्रकार की डॉक कर्मकारों को तकलीफ हुई और अगर वे न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जो विधेयक है, इस विधेयक की धारा चार की उप-धारा दो उनको इससे प्रतिबंधित करती है। यह न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो उसे न्यायालय में जाने की छूट है। संविधान में यह व्यवस्था है, किन्तु यह धारा उस पर प्रतिबंध लगा रही है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस संबंध में स्पष्टीकरण दें कि इसका उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों हुई ? क्या वे इस धारा को आज भी विदड्रा करने के लिए तैयार है ? अनेक दिक्कतें डॉक कर्मकारों को ऐसी आयेंगी। जब पत्तन में अंतरण होगा तो जो यहां पर परमानेंट नेचर का काम करते थे, मान लो 240 दिन उन्होंने अटेंडेंस की है उनको परमानेंट होने का अधिकार है। इस प्रकार का अधिकार यदि वहां नहीं मिले, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की यूनियनें हैं और इससे प्रावधान है कि यूनियनों के साथ भेंट करके, मिल करके जो भी नियम कानून है, उसके अंतर्गत जो परिधि में आते हैं, उसको उसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनको जो अधिकार दिये जाने चाहिए, वह निर्णय वे करेंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

मान लो निर्णय में कहीं कोई खामी रह गई तो उसे दूर करने का अधिकार उन कर्मचारियों को है, कानून में उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वह नहीं लगाया जाए। बाकी कुल मिलाकर यह विधेयक समर्थन योग्य है। सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक रहीं तो चाहे उस संस्था में अधिकारों को संरक्षण दे रहे थे या इस संस्था में देंगे, ये उद्देश्य जो इस विधेयक को लाने के हैं, उनमें कहीं-न-कहीं कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो शंकाएं मैंने व्यक्त की हैं, उनका मंत्री जी से जवाब चाहूंगा।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति जी, मेरे से पहले हमारे जो दो वरिष्ठ नेता श्री रावत जी और श्री जार्ज फर्नांडीज जी इस बिल के पक्ष में बोले हैं, उनसे सहमत होते हुए मैं आपके ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं। यह बिल 1995 में पेश किया गया था। जैसा मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा, यह बिल राज्य सभा में जाने के बाद प्रवर समिति में गया और उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, वहां पर विचार विमर्श होने के बाद इस सदन में आया है। बिल का जो मुख्य उद्देश्य है वह इस बिल की धारा 3 से स्पष्ट हो जाता है। मैं वह धारा आपके ध्यान में लाने के लिए पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार उस महापत्तन न्यास के डाक कर्मकार बोर्ड, इसके कर्मकारों तथा उस महापत्तन न्यास के प्रबंधन के बीच हुए समझौते के पश्चात् केन्द्रीय सरकार उस तारीख से, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए निर्देशित करेगी कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंध उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट महापत्तन के संबंध में प्रभाव नहीं रखेंगे।

[हिन्दी]

जैसा इन्होंने इस बिल के उद्देश्यों में लिखा है कि दो तरह की मैनेजमेंट और दो तरह के कानूनों से मजदूरों का वास्ता पड़ रहा था, उनमें समानता लाने के लिए और उसके अंदर विसंगति को दूर करने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं यह सही कदम है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

मैं दो-तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा रावत जी ने कहा, देखने में आया है कि जो वर्कर जहां काम करते हैं, वहां उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए शिक्षा का और मेडिकल सुविधा का उचित प्रावधान नहीं होता। बेचारे मजदूर थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह पर काम करने वाले लोग हैं। उनके बच्चों को स्कूल और मेडिकल सुविधा मिले, इसका प्रावधान होना चाहिए। अगर

आप ऐसा करते हैं तो ठीक करते हैं। जहां मैनेजमेंट और वर्कर का झगड़ा आता है उसके सैटलमेंट का टाइमफ्रेम हमारे यहां नहीं है। चाहे लेवर कोर्ट में जाएं या कोई ए या बी अथॉरिटी में जाएं, देखने में आया है और अनुभव में भी यह आया है कि उनके झगड़ों का निराकरण या निर्णय लम्बे अर्से तक नहीं होता। जब लड़ाई लम्बी होती है तो वर्कर अपने मैनेजमेंट के साथ लम्बी लड़ाई होने से डिसएडवांटेज की स्थिति में आ जाता है। चूंकि मैनेजमेंट अच्छा वकील कर सकता है, अच्छा समय बिता सकता है और अच्छा धन दे सकता है, उसकी स्थिति ऊपर वाली होती है। इसलिए आप इस बात का भी प्रावधान करें कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर में झगड़ा होता है, चाहे वह किसी भी फोरम में जाए, उसके लिए कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी अथॉरिटी या डिस्प्यूट सैटलमेंट बोर्ड आपने किया हो, लेकिन आप उसका टाइमफ्रेम निर्णय करें कि दो-चार या छः महीने में निराकरण हो जाएगा। मैं यह महसूस करता हूं कि इससे आप गरीब आदमी की, मजदूर की अच्छी सेवा कर सकेंगे और उसके हितों की रक्षा कर सकेंगे।

झगड़े के बाद जब उस अवार्ड को, निर्णय को अमल में लाने की बात आती है तो तब भी वर्कर के सामने बहुत दुविधा आती है। हर जगह वर्कर के संगठन नहीं हैं। जहां पर हैं वहां पर भी वर्करों और उनके संगठनों को इस मामले में बहुत परेशानी होती है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था, अब फिर देना चाहता हूं जैसे क्रिमिनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके अनुसार उस व्यक्ति की ओर से राज्य लड़ाई लड़ता है। अगर किसी कर्मचारी के साथ मैनेजमेंट का झगड़ा होता है या मैनेजमेंट उसके साथ ज्यादती करता है या उसके पक्ष में दिए हुए अवार्ड को लागू नहीं करना चाहता, उसको बहाल नहीं करना चाहता या वेनिफिट नहीं देना चाहता तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे कि क्यों नहीं वह केस उस वर्कर के लड़ने के बजाए खुद सरकार उसके बिहाफ पर लड़े।

[अनुवाद]

यह राज्य बनाम प्रबंधन होना चाहिए न कि कर्मकार बनाम प्रबंधन।

[हिन्दी]

कोई मैनेजमेंट यदि कर्मचारियों के हक में या किसी मजदूर के हक में दिए हुए निर्णय को लागू नहीं करती है। मैं समझता हूं कि यह समाज के साथ अपराध है। जैसे फौजदारी कानून में हम मानते हैं, जब कोई किसी को चोट पहुंचाते हैं या किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा करते हैं, तो वह व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपराध है। इस मामले में भी मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। अगर किसी मजदूर के पक्ष में दिए हुए निर्णय को एवार्ड को, मैनेजमेंट लागू नहीं करती है, तो जहां उस व्यक्ति के साथ अन्याय है, वहीं उसके साथ-साथ इस समाज के प्रति भी अपराध है। यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार है, तो वह आने वाले दौर में इस कानून में संशोधन करे। चाहे वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे एबालिशन ऑफ कान्ट्रैक्ट लेबर रेग्युलेशन एक्ट हो या चाहे कोई भी नियम हो, सरकार इस कानून में ऐसा प्रावधान करे। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर हम कर्मचारियों और मजदूरों के पक्ष में एक अच्छा क्रान्तिकारी कदम उठा सकते हैं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि दोनों ही असमानतायें दूर होने के बाद उन कर्मचारियों की जो सेवा-शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो सर्विस कन्डिशन्स हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होगा और कोई भी रिट्रैंव नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस वायदे पर कायम रहेगी और इसके साथ-साथ इन बातों को व्यवहार में भी देखेगी। जैसा कि रावत जी ने भी कहा है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन्होंने एक समय एक मैनेजमेंट के साथ काम किया है। एक कानून के अन्तर्गत काम किया है, उनको भी उनकी सर्विस के सारे बैनिफिट्स, चाहे 240 दिन काम किया है या कम दिन काम किया है, उनको मिले। मुझे आशा है, सरकार इस बारे में चिन्ता करेगी।

महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो एवार्ड या जो निर्णय मजदूरों के पक्ष में होते हैं, उनके इम्पलीमेंटेशन के लिए कोई समय निश्चित किया जाना चाहिए। मामला जहां भी जाए, चाहे वह एग्जिक्यूशन के लिए जाए, उसके लिए भी तीन महीने या छः महीने का समय निर्धारित होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि ऐसा भी विचार करना चाहिए, अगर मैनेजमेंट किसी कर्मचारी के पक्ष में या किसी मजदूर के पक्ष में किसी एवार्ड या निर्णय के खिलाफ अपील के लिए जाता है, तो उसको स्टे प्राप्त करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट पहले उस एवार्ड को इम्पलीमेंट करे, जिससे मजदूर को पैसा मिल सके। अगर उसको पैसा मिल जाएगा, तो वह अपना केस आसानी से डिफेंड कर सकता है।

इन शब्दों के साथ, मुझसे पूर्व जो माननीय सदस्य बोले हैं, उनकी भी बात का समर्थन करते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, कई वक्ताओं के भाषणों के बाद माननीय मंत्री जी समझ ही गए होंगे कि इस बिल में कई खामियां हैं। उन खामियों को मंत्री जी निश्चित रूप से दूर करेंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। मैं इस बिल का स्वागत भी कर रहा हूं और स्वागत करने के साथ-साथ इसमें जो खामियां हैं, उनको मंत्री जी दूर करेंगे, मैं यह अनुरोध भी उनसे कर रहा हूं।

महोदय, सामान उतारने वाले या चढ़ाने वाले सभी ग्यारह पोर्ट्स पर एक-सा कानून लागू होगा और पोर्ट-ट्रस्ट के नाते सभी कर्मचारी एक-सी सुविधा प्राप्त करेंगे-माननीय मंत्री जी, यह उद्देश्य आपके इस बिल में है। माननीय जार्ज साहब ने इसमें बहुत सी खामियां बतलाई हैं और उन्होंने इस संबंध में एक पुस्तिका को भी पढ़ कर बताया है। मैं भी समझता हूं कि हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक महत्व की चीज है। कहीं पर दुकान हो या कोई अन्य स्थान हो या कहीं से सामान मंगाने की बात हो, तो वह कम महत्व की बात है। लेकिन अगर भारत में भी ये स्थान अमरीका या इंग्लैंड को दे देंगे और

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

साझा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वह देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं होगा। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बारे में गम्भीरता से निर्णय लेंगे। वैसे मंत्री जी उदाहरण दे रहे थे कि पिछले मंत्री जी ने, जिनके दस्तख्त हैं, उन्होंने अमरीका की कम्पनी को दे दिया है।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी इन बंदरगाहों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, न ही इनमें साझेदारी होनी चाहिए। इस बिल में कहा गया है कि अब इनमें भ्रष्टाचार भी मिटेगा। मेरे एक साथी ने नम्बर दो और नम्बर चार में जो बात कही है कि न्यायालय में जाने पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, तो माननीय मंत्री जी, इस संबंध में भी विचार करेंगे। इस बिल के "ई" भाग के बारे में जार्ज साहब ने जो बात कही है कि

[अनुवाद]

"यदि उसकी सेवाओं का बोर्ड को अंतरण नहीं होता और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक बोर्ड में उसका नियोजन सम्यक् रूप से पर्यवसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि, परिश्रमिक या सेवा के निबंधनों और शर्तों में बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।"

[हिन्दी]

इस क्लॉज पर भी माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। देखने पर तो यह बिल ठीक लगता है। ग्रेचुइटी के बारे में, नौकरी के बारे में, नियम के बारे में तो सारी बातें ठीक प्रकार की लगती है। एक बात मैं और कहूंगा कि ठेकेदार जो श्रमिक रखते हैं उनके कानून दूसरे प्रकार के हैं। हमारे चंडीगढ़ से जो वकील सांसद हैं उन्होंने सही बात कही है कि इन सारे मजदूरों की शिक्षा का भी ठीक प्रकार से प्रबंध होना चाहिए तथा उनकी कंडीशन और बीमा में भेदभाव न हो। जहां ये मजदूर रहते हैं वह जगह स्वच्छ हो और उनके लिए खेल-कूद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फुटबॉल, बॉलीबॉल तथा इंडोर और आउटडोर खेलों के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। घर पर जाने पर अगर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिलेगा और ठीक से खेलने का स्थान उन्हें मिलेगा तो वे स्वस्थ होंगे और ठीक प्रकार से काम कर सकेंगे।

कोर्ट में जो देरी होती है उसे दूर किया जाना चाहिए। आर्बिट्रेशन में जो निर्णय हो जाता है पहले उसे लागू किया जाना चाहिए। बाद में अगर कोई अपील करना चाहे तो वह कर सके, इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी विचार करें। जगदीश टाइटलर साहब अमरीका वालों को जो पोर्ट दे गये, मैं समझता हूं यह सरकार उन गलतियों को नहीं दोहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 15 दल हैं, उनमें मैं द्रोपदी हूं, तो उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यह जो 13 या 15 दलों की सरकार बनी है उन्हें अपने विवेक से बिल लाना चाहिए। जार्ज साहब ने और मेरे साथियों ने जो बातें कही हैं उनका समावेश करके अगर आप बिल लाएंगे तो अच्छा होगा। यह सरकार जो अपने को मजदूरों का हितैषी कहती है इन बातों का समावेश करके बिल लाएगी तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि मेरे नेताओं ने इसका स्वागत कर दिया है। मैं भी अर्ध-रूप से इसका स्वागत करता हूं। जार्ज साहब ने जो बात कही है कि बाहर के लोगों को यह पोर्ट नहीं देना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए तथा मजदूरों को सारी सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए—यही मुझे कहना है। इसके साथ ही आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं आपको इस विधेयक पर बोलने हेतु अनुमति देने के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

एक एकल एजेंसी के अंतर्गत माल लदान-धराई मजदूरी की आवश्यकता से कार्य के दोनों क्षेत्रों में अच्छा समन्वय स्थापित होगा और इससे दक्षता में सुधार होगा। इसका यही उद्देश्य है।

और इस उद्देश्य के लिए यह विधेयक सही तरीके से रखा गया है क्योंकि सभी समितियों ने इस विधेयक के पारित होने की सिफारिश की है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

परंतु मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब वहां दो प्राधिकारी थे तब कामगार डॉक गोदी लेबर बोर्ड में कामगार काफी संख्या में थे। मुझे आशंका यह है कि जब इसे एकीकृत किया जाएगा, तो तुरंत ही कोई कटौती भले ही न हो परन्तु नई भर्ती के प्रावधान में कमी हो जाएगी क्योंकि वे एक क्षेत्र में अधिक काम या कार्यभार देने की कोशिश करेंगे जिससे अन्य क्षेत्र में भर्ती कम की जा सके जैसा कि इस समय है। इसी बात की आशंका है।

महोदय, आप वेतन आयोग कि सिफारिशों को जानते ही हैं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्होंने 3.5 लाख पदों को समाप्त कर दिया है। इस देश में करोड़ों बेरोजगार लोग हैं। इस प्रकार, मुझे इस बात की भी आशंका है कि इस एकल एजेंसी के अंतर्गत और आगे भर्ती में कमी की जाएगी। इसलिए, अगर मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करते हैं तो मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। जहां तक मुझे लगता है विरोध का कोई भी संकेत नहीं मिला है। इसलिए सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और यद्यपि मैं सभी के नामों का उल्लेख नहीं कर सकता हूं तथापि मैं उनका एक-एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं उन्हें, उनकी आवश्यकता के अनुसार स्पष्टीकरण दे सकूंगा।

महोदय, जो वरिष्ठ माननीय सदस्य इस विधेयक के संबंध में सबसे पहले बोले थे उनहोंने इस समय सत्तरूढ़ दल के संबंध में उस समर्थन देने वाली पार्टी आदि को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं। मैं उनसे बहुत

ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समिति अर्थात् संसदीय समिति का मैंने उल्लेख किया है, उसके अध्यक्ष श्री प्रमोद महाजन जी जैसे व्यक्ति हैं। वह उस समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए उन्होंने पार्टी समर्थन की जो बात कही थी वह पूरी तरह वापस ले ली है। इसलिए समिति ने इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और सभी मजदूर संघों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से संपर्क किया है। इसने पत्तन न्यासों (पोर्ट ट्रस्टों) और विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों से भी संपर्क किया है। अंत में, पूरी संवीक्षा करने के बाद स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया कि इस विधेयक में केवल एक संशोधन किया जाए जो खंड तीन के रूप में इस विधेयक का भाग है। इसे शामिल किया गया है। इसलिए मैं वरिष्ठ सदस्य से सबसे पहले यह अनुरोध करना चाहता हूं कि श्री प्रमोद महाजन द्वारा प्रमाण पत्र की संवीक्षा आदि के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है। अब जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उसको यूनियनों, मजदूर नेताओं, पत्तन न्यासों, पोर्ट ट्रस्टों और सभी संबंधित पक्षों से मिलकर तैयार किया गया है। एकमात्र बात जिसका सुझाव दिया गया उसे हमने खंड तीन में संशोधन के रूप में शामिल किया है। इसलिए जहां तक इस विधेयक का संबंध है इस विधेयक को हमने बेतरतीब प्रकार से तैयार नहीं किया है।

वास्तव में उनका सही प्वाइंट केवल यह है कि इस विधेयक में श्री जगदीश टाइटलर का नाम है और इसी बिन्दु पर मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि उसमें उनका नाम है। इस बिन्दु पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। परन्तु वह इसका उल्लेख करना चाहते थे। मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैंने यह सलाह उन वरिष्ठ माननीय सदस्य से ली है जिन्होंने इसका उल्लेख किया है मैं इसे आलोचना के लिए किसी अन्य रूप में नहीं देखता हूं परन्तु मेरा यह मानना है कि इस विधेयक का अध्ययन सावधानी से किया जाना चाहिए। वास्तव में यह विधेयक 1995 से चला आ रहा है। माननीय सदस्यों ने काफी आशंकाएं व्यक्त की हैं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने भी कई सवाल उठाए हैं। परंतु मुझे इस बात का दुख है और यह मेरा दुर्भाग्य है कि वह मेरा उत्तर सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। वह चले गए हैं। परन्तु खैर, यह मेरा कर्त्तव्य है—चाहे सदस्य यहां हों या सदन के बाहर चले जाएं—जहां तक मेरी क्षमता है सभी सदस्यों के उत्तर दिए जाएं और जितना मेरा ज्ञान है मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए प्रत्येक सदस्य के प्रश्न का उत्तर यथा शक्ति संक्षेप में देकर संतुष्ट कर सकूंगा।

कई सदस्यों ने खंड 4(1) (ङ) के संबंध में उल्लेख किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि यह वर्जित नहीं होना चाहिए। मैं उद्धृत करता हूं :

"डॉक श्रम बोर्ड के अधीन रोवारत प्रत्येक कर्मचारी और कर्मकार बोर्ड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा जो किसी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं हैं—मैं शब्दों पर जोर देता **हूं कि जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं हैं जो**—उसे ग्राह्य होती यदि उसकी सेवाओं का बोर्ड को अंतरण नहीं होता....."

अब सेवाओं के अंतरण की बात है। मजदूर और बोर्ड दोनों को एक साथ रखा गया है। इसलिए यह बहुत ही संगत रूप से कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी और कामगार जो डॉक (गोदी) लेबर बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है वह बोर्ड के अंतर्गत पद या सेवा उन्हीं शर्तों के अंतर्गत धारण करेगा जो उसे तब भी मिलते रहते यदि उसकी सेवाओं का बोर्ड में अंतरण नहीं होता और यह तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड में उसकी नौकरी समुचित रूप से समाप्त नहीं हो जाती अथवा जब तक उसका कार्यकाल हो वेतन या सेवा के निबंधन तथा शर्तें बोर्ड द्वारा समुचित रूप से बदली नहीं जाती।

इसलिए वह उसकी स्थिति वही रहती है; उसके वही अधिकार हैं। इसलिए उसकी स्वतंत्रता या उसके अधिकारों में अन्य मजदूरों के हिसाब से कुछ अधिक परिवर्तन नहीं है। उसके अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से, यह आशंका तथ्यों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इन दो प्रकार के मजदूरों को मिलाए जाने से अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए, मेरे अनुसार, यह आशंका बिल्कुल ठीक नहीं है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष, जिसका उल्लेख किया गया था, यह था कि आप व्यक्ति को न्यायालय में जाने से रोक रहे हैं जो कि संविधान द्वारा उसे दिया गया अधिकार है। यह केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है।

अब मैं भाग 4 (1) (2) के संगत भाग को पढ़ूंगा।

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं का बोर्ड को अंतरण ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और कोई ऐसा दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

इसलिए यह विधेयक केवल सीमित उद्देश्य, क्षतिपूर्ति के लिए ही लाया गया है। इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए यह संबंधित पार्टी के अधिकार को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा।

जहां तक पत्तनों के निजीकरण का संबंध है मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि यह आज की चर्चा का विषय नहीं है। तथापि यह मुद्दा माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है और मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा। मैं विद्वान सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का भी जवाब दूंगा।

सदस्यों द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा समझौता इत्यादि से संबंधित है। वह भी एक ऐसी बात है जो मैं समझता हूं कि सदस्यों ने विधेयक को पढ़कर ही किया होगा। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी जोर या जबरदस्ती से हम इसे नहीं थोप रहे हैं। यह केवल समुचित विचार और यूनियनों तथा अन्य सदस्यों के साथ समुचित परामर्श करके ही लाया जा रहा है।

[श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन]

मुम्बई और कोचीन के डॉक कर्मकार बोर्डों को वर्ष 1994 और 1995 में भंग कर दिया गया। पर्याप्त विचार-विनिमय तथा परामर्श के बाद ही ऐसा किया गया था। उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है और इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सदस्यों तथा संघों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद ही विलय किया जाएगा।

यह भी कहा गया कि श्रमिकों के कल्याण की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि सरकार ने विभिन्न पत्तन न्यासों के कार्मिकों के लिए अनेक कल्याण कार्यक्रम लागू किए हैं। पत्तन न्यासों द्वारा नियुक्त पूर्ण-कालिक श्रम कल्याण अधिकारी तथा चेयरमैन भी सांविधिक तथा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर निरन्तर नजर रख रहे हैं। अत: इसमें कोई शिकायत नहीं। जहां कहीं भी यदि कोई ऐसा मामला है तो मैं यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हूं कि श्रमिकों की जीवन यापन संबंधी परिस्थितियों, अस्पताल या अन्य सुविधाओं ने यदि कोई कमी दृष्टिगोचर हो रही है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि इन चीजों की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाएगा तो मैं उस ओर अवश्य ध्यान दूंगा।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : वरिष्ठता-निर्धारण के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा।

सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि सदस्यों को जानकारी नहीं है। जब उपग्रह संचार व्यवस्था है, तो इन परिस्थितियों में सुरक्षा दृष्टिकोण का अधिक महत्व नहीं होगा, क्योंकि यह आधुनिककाल है।

उन्होंने निजीकरण की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए परन्तु दुर्भाग्यवश पत्तन न्यास अधिनियम में ही प्रावधान किया गया है। मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करके बोर्ड किसी व्यक्ति को उन कार्यों या सेवाओं के लिए अधिकृत कर सकता है जिन पर बोर्ड पूर्व सहमति प्राप्त शर्तों पर काम कर सकता हो। एक विशेष प्रावधान है जिस पर अमल किया जा रहा है। अब कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता कि निजी निवेशक आ रहे हैं और इससे खतरा है। अत: मैं सम्मानूपर्वक यह कहता हूं कि यह प्रावधान है, केवल इसे लागू किया जा रहा। ऐसा नहीं है मैंने आकर सारे कानून बदल दिए हों।

विलय के परिणामस्वरूप बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं। पहले श्रमिकों को मासिक आय नहीं मिल रही थी उन्हें केवल दैनिक मजदूरी मिलती थी। अब पत्तन श्रमिक बोर्ड तथा तट कर्मकार बोर्ड का विलय करने से, अब उनहें मासिक आय मिलनी शुरू हो गई है; और हर महीने आय मिलने की सुरक्षा भी है। इसके साथ-साथ कार्गो संचालन अधिकरण समान होने से कोई भी श्रमिक खाली नहीं बैठेगा। दूसरी ओर जब दो अधिकरण थे तो एक काम नहीं करता था और दूसरा खाली बैठता था। एक व्यक्ति को मासिक आय मिलती थी और एक को नहीं। अब कोई खाली नहीं होगा और हर मजदूर की मासिक आय निश्चित हो जायेगी। उसकी हालत में सुधार होगा और परिणामस्वरूप पत्तनों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं चलाने के लिए निधियों की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि मुख्य पत्तन न्यासों के पास पर्याप्त अतिरिक्त निधियां हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पत्तन के पास पर्याप्त निधियां हैं।

कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रहेगा और उनका वित्त पोषण पत्तन न्यासों द्वारा होगा। केन्द्रीय बजट में कुछ नहीं मिल रहा, इनका वित्त पोषण पत्तन न्यासों द्वारा होगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी श्रमिक को निकाला नहीं जाएगा और यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि श्रमिकों की छंटनी नहीं होगी। यह कहा गया है कि वर्तमान में तो कोई छंटनी नहीं होगी परन्तु यह होगी जब और श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसी नीति है जिसके अनुसार कर्मचारी संख्या में प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। उत्पादकता होनी चाहिए और श्रमिक शक्ति भी घटाई जानी चाहिए। हम इस नीति से बच नहीं सकते स्थिति जैसी है, हमें उसे वैसे ही देखना है। न्यासी बोर्ड में विभिन्न श्रमिक यूनियनों तथा अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। अत: श्रमिक बल की समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है और इन समस्याओं को हल करने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप यह सुझाव दे रहे हैं कि उत्पादकता की शर्त पर श्रमिक बल को कम करना शायद एक आवश्यकता हो सकती है। इसका दूसरा रास्ता विस्तार हो सकता है। यही हमारा दृष्टिकोण भी है। आयात और निर्यात में वृद्धि की आशा की जाती है। अत: उदत्पादकता आयात और निर्यात की मात्रा के अनुसार बढ़ सकती है जिससे रोजगार अनुपात पर विपरीत प्रभाव न हो।

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : इसीलिए मैंने इस प्रावधान की ओर संकेत किया था। दस प्रतिशत कटौती का यह प्रावधान सभी मंत्रालयों में है। हम निर्देशों के अनुसार इसमें कमी कर रहे हैं। जब तक दस प्रतिशत का यह कटौती सम्बन्धी प्रावधान जारी रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सभी मंत्रालयों में लागू है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह नियम है ?

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : यह एक नियम है। इसीलिए मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जब तक इस नियम को या तो हटाया नहीं जाता या बदला नहीं जाता हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए केवल ऐसी ही परिस्थितियों में कर्मचारियों की छंटनी होगी। अन्यथा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई छंटनी नहीं होगी।

वरिष्ठ सदस्य, श्री जार्ज फर्नांडीज ने श्री डीमैलो की प्रशंसा की जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और लड़े। उन्होंने स्निग्ध स्मृतियों के संग श्री डीमैलो का उल्लेख किया। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा इस ओर ध्यान दिलाया क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मेरे विचार से, माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी मिल गई होगी।

हम सभी इसका सम्मान करते हैं। केवल विचार-विमर्श के दौरान ही हम इन सब बातों को समझ सकेंगे।

जो एक अन्य मुद्दा उठाया गया, उसका सम्बन्ध इस निजीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाली बिदेशी कम्पनियों से है। पहले से बनाई गई सरकारी नीति के अनुसार चूंकि निधियों और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, अत: हम न केवल विदेशी निवेश के लिए प्रचार करते हैं अपितु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निवेशकों को भी आमंत्रित करते हैं। अत: इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस बारे में कोई सुरक्षा सम्बन्धी समस्या भी नहीं हो सकती। अन्य पहलुओं के बारे में मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि यदि भविष्य में कोई समस्या पैदा होती है, तो यदि आवश्यक हुआ तो फिर मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत करूंगा। अभी तो यह विधेयक अपने उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे पारित कर दें।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है परन्तु यदि आप आग्रह कर रहे हैं, तो आप कहिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति जी, जब दो यूनियंस थी तो एक यूनियन 1948 के कानूनों के अंतर्गत गवर्न्ड थी। उनके रूल्स रेगुलेशंस, सर्विसेज, सारे फंड्स, सिक्युरिटी ऑफ सर्विस वगैरह सब कुछ उसके अंतर्गत थे। दूसरी यूनियन शोर वर्कर्स की थी। अब जब दोनों यूनियंस आपके कानूनों के अंतर्गत आयेंगी और जो आठ-नौ हजार इम्पलायीज हैं वे पोर्ट ट्रस्ट के इम्पलायी हो जायेंगे तो

[अनुवाद]

वरिष्ठता कैसे आंकी जाएगी ? वरिष्ठता निर्धारित करने का मापदण्ड क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : इसीलिए मैंने प्रावधान 4 (ई) पढ़ा था जिसमें यह उल्लेख किया गया है "बोर्ड में वह उन्हीं नियमों और शर्तों पर कार्य करेगा जो किसी भी तरह कम अनुकूल नहीं।" अत: जो सुविधाएं उन्हें पहले प्राप्त थी, अब भी प्राप्त रहेंगी।

अत: कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : प्रश्न यह नहीं है।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : मैं समझता हूं। यह सरकार का दृष्टिकोण है। आप पूछ रहे हैं कि वरिष्ठता क्रम क्या है।

श्री सत्यपाल जैन : प्रश्न यह है कि नये प्रबन्धकीय ढांचे में उसे अपने विगत सेवा काल के लाभ प्राप्त होंगे या नहीं। यह मूल प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि वरिष्ठता के लिए उसे गिना जाएगा या नहीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को स्पष्ट करें। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जायेगी। इस सम्बन्ध में आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : यदि किसी का सेवा काल कई वर्षों का है तो कानून के अनुसार उसकी वरिष्ठता निर्धारित होगी। मैं तो वही कह रहा हूं।

श्री सत्यपाल जैन : क्या उसे इसका लाभ मिलेगा ?

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया (खीरी) : आपको यह स्पष्ट बताना है कि वरिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं और इसे आप कैसे निर्धारित करेंगे। यदि आप यह स्पष्ट नहीं करेंगे, तो सभी मामले न्यायालय में जायेंगे और इसमें बहुत संशय पैदा होगा। हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमने वायुदूत और इंडियन एयर लाइंस में इसका सामना किया है। यदि आप यहां पर स्पष्ट कर देते हैं, तो वह एक नियम बन जायेगा।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : यही कारण है कि मैंने पूरा खण्ड पढ़ा है। वरिष्ठता के अनुसार आपको जो लाभ मिलता है उसका संरक्षण किया जाएगा।

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : यह पर्याप्त नहीं है। या तो आप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बतायें या वरिष्ठता के बारे में बतायें। जिसने पहले कार्यभार ग्रहण किया वह प्रथम होगा। लाभों से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

[हिन्दी]

जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, प्रिफरेबल है, उस पर रिलाई करने वाली बात है। गवर्नमेंट का आइडिया था कि जो पोस्ट क्रिएट कर दी, वह एक ही रेंज में क्रिएट कर दी, लेकिन जब एक में अवैलेबिलिटी रहे और दूसरी में अवैलबिलिटी न रहे, उसे मंत्री जी स्पष्ट कर दें क्योंकि आज कोर्ट में ऐसे अनेकों केस पड़े हैं। मेडिकल साइड में ऐसा हुआ है, तभी हम पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन मामलों में इस प्रकार निर्णय नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधेयक में ऐसा प्रावधान है।

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : इंडियन एयर लाइंस, एयर इंडिया और दूसरी बैंक सेवाओं में इसके बारे में काफी भ्रम है।

सभापति महोदय : क्या आपको और भी स्पष्टीकरण देने हैं ?

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : विलय जबरदस्ती नहीं है। संघों से परामर्श किया जा रहा है और इस पर विचार किया जा रहा

[श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन]

है और निश्चितरूप से यह किसी भी कर्मचारी के लिए हानिकारक नहीं होगा।

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : क्या आप यह नहीं कह सकते कि नियुक्ति तिथि ही वरिष्ठता तिथि होगी।

सभापति महोदय : संघों से परामर्श करने के बाद यह निर्णय किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस विषय पर आपकी प्रशंसा करता हूं। जब कभी विलय होता है वरिष्ठता निर्धारित करने में समस्या आती है। इसके लिए मैं यही सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सभा में स्पष्टीकरण दें। अन्यथा ईष्या और विवादों का जन्म होगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है और मैं सोचता हूं कि आगे की कार्यवाही चले।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, डॉक कर्मकारों से सम्बन्धित एक शंका का समाधान मैं भी चाहता हूं। जब डॉक कर्मकारों का पत्तन में विलीनीकरण होगा, मान लीजिए वहां कोई जूनियर ग्रेड का कर्मचारी है लेकिन पत्तन में आकर वह अगर उससे ऊंचे ग्रेड में काम करेगा, किसी अपग्रेडिड पोस्ट के अगेंस्ट काम करेगा, उसे आप अपग्रेड करेंगे या नहीं, उसे पुरानी सारी सुविधाएं सो मिलेंगी, जो पहले मिलती आई हैं, इसे भी मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी मुद्दों पर संघों से परामर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : मैं पूछना चाहता हूं कि तनख्वाह के अलावा, उसका स्टेटस भी कम नहीं होगा, यह आश्वासन मंत्री जी दे दें। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : उसका स्टेटस कम नहीं होगा वह ठीक है लेकिन जो व्यक्ति किसी अपग्रेडिड पोस्ट पर काम करेगा, उसे अपर ग्रेड की सारी सुविधाएं मिलेगी या नहीं—यही हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन सभी बातों पर सभा में विचार नहीं किया जाता है। माननीय मंत्री ने कहा है कि विलय के बाद किसी भी कर्मचारी के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण मजदूर संघों से परामर्श करने के पश्चात् किया जायेगा। अधिक कुछ नहीं। मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : एमौल्यूमेंट्स के साथ-साथ स्टेटस को भी आप जरा क्लियर कर दें तो उससे बहुत फर्क पड़ जायेगा और फिर कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आयेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रमुख पत्तन न्यासों के डॉक कर्मकारों पर डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियामन, 1948 के लागू न होने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन : मैं सभी सदस्यों को विधेयक के पारित करवाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 24 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 जुलाई 1997/2 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।